वार्षिक रिपोर्ट
2013-14

Empowering India • Nurturing Nature • Enabling Life
कोल इण्डिया
Coal India

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

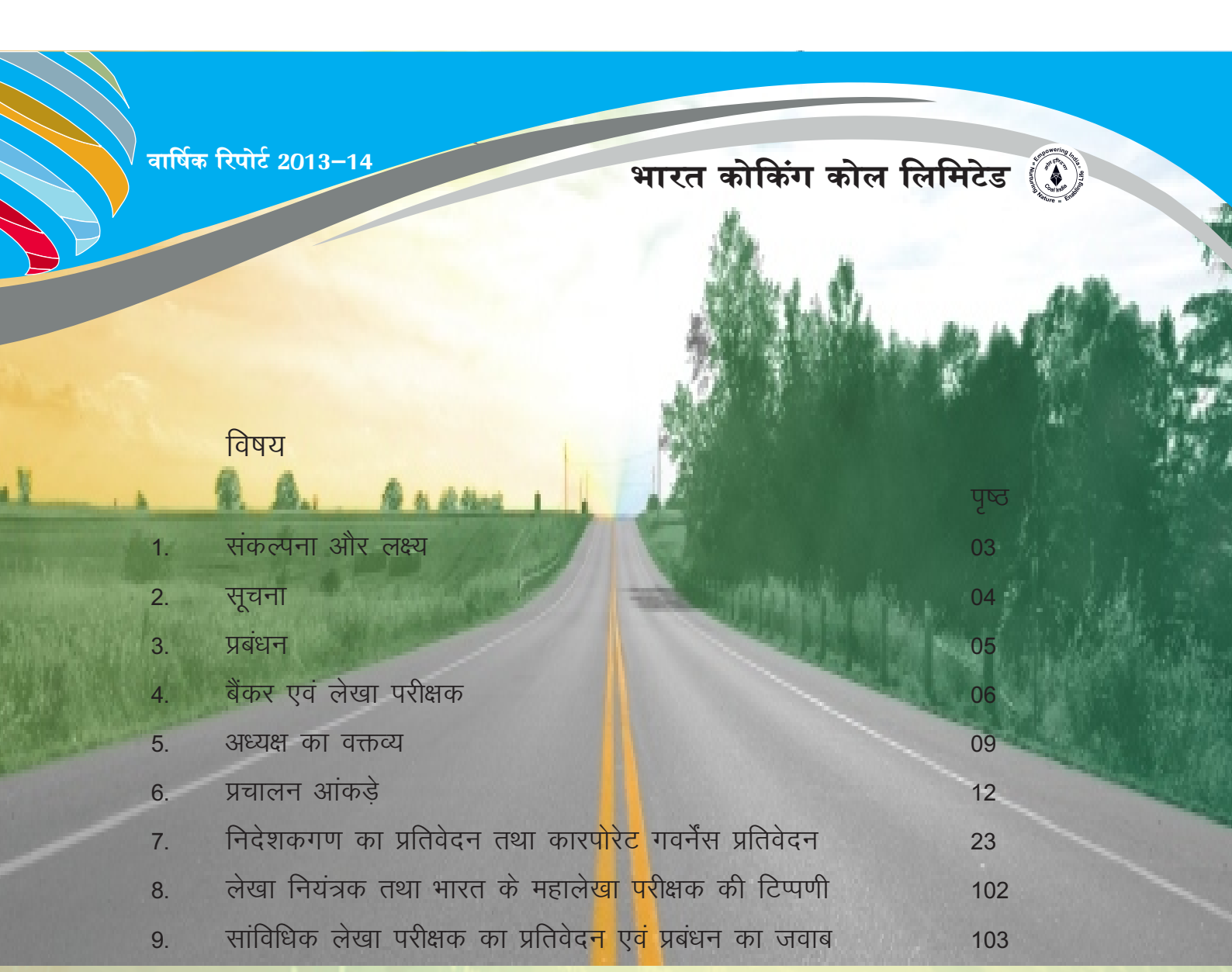

	विषय	पृष्ठ
1.	संकल्पना और लक्ष्य	03
2.	सूचना	04
3.	प्रबंधन	05
4.	बैंकर एवं लेखा परीक्षक	06
5.	अध्यक्ष का वक्तव्य	09
6.	प्रचालन आंकड़े	12
7.	निदेशकगण का प्रतिवेदन तथा कारपोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन	23
8.	लेखा नियंत्रक तथा भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	102
9.	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का जवाब	103
10.	तुलन–पत्र	131
11.	लाभ–हानि लेखा	132
12.	तुलन–पत्र पर टिप्पणी	134
13.	लाभ–हानि लेखा पर टिप्पणी	155
14.	लेखाकरण नीति	168
15.	लेखा पर टिप्पणी	175
16.	कर्मचारी का विवरण	201

हमारी संकल्पना

खदान से बाज़ार तक सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के माध्यम से सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध संगठन और संस्कृति के साथ धातुकर्मीय कोयला उत्पादन में अग्रणी कंपनी बनाना ।

हमारा लक्ष्य

सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए दक्षतापूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध परिमाण में कोयले का उत्पादन करना है ।

बीसीसीएल
BCCL

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग)
Bharat Coking Coal Limited
(A Subsidiary of Coal India Limited)
Regd. Off: Koyla Bhawan, Koyla Nagar
कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद - 826005
CIN: U10101JH1972GOI000918
दूरभाषः 0326-2230190, फैक्स -0326-2230050
ईमेलःcos@bccl.gov.in

बोर्ड सचिवालय

संदर्भ सं0– बीसीसीएलःसीएसः एफ–एजीएम / 2014 / 355 दिनांक 20–05–2014

सूचना

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सभी स्टेक होल्डरों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 43 वीं वार्षिक बैठक इसके पंजीकृत कार्यालय कोयला भवन, डाकघर– कोयला नगर, धनबाद में दिनांक 09–06–2014 (सोमवार) को पूर्वाह्न 11.30 बजे निम्नलिखित कार्यों के संपादन हेतु होगीः–

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित तुलन–पत्र एवं लाभ–हानि लेखा, लेखा परीक्षकों तथा निदेशकगण के प्रतिवेदन की प्राप्ति, विवेचन एवं ग्रहण करने हेतु।
2. श्री एन. कुमार जो कंपनी के संस्था–अंतर्नियम के अनुच्छेद 34(1) (ई) (iii) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले हैं तथा पुनर्नियुक्ति योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु।
3. श्री एस. के. शाही जो कंपनी के संस्था–अंतर्नियम के अनुच्छेद 34(1) (ई) (iii) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले हैं तथा पुनर्नियुक्ति योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु।

बोर्ड के आदेशानुसार

(बी. के. परूई)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
कोयला भवन, डाकघरः कोयला नगर, जिलाः धनबाद
दिनांकः 26–05–2014

टिप्पणीः

1. जो सदस्य बैठक में भाग लेने और वोट देने के अधिकारी हैं, उन्हें बैठक में अपने बदले एक प्रतिनिधि को भाग लेने और वोट देने हेतु नियुक्त करने का अधिकार है। इसके लिए उस प्रतिनिधि को सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। स्थानापन्न प्रपत्र संलग्न है।
2. अंशधारकों (शेयर होल्डर) से यह अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 101 (1) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक बुलाने हेतु अपनी सहमति यथाशीघ्र दें।

वर्ष 2013–14 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री टी. के. लाहिड़ी	:	01–11–2008 से कार्यरत

पूर्ण कालिक निदेशक

श्री पी. ई. कच्छप	:	कार्मिक (11–07–2007 से 31–12–2013)
श्री बी. के. पांडा	:	कार्मिक (01–01–2014 से कार्यरत)
श्री डी. सी. झा	:	तकनीकी (27–10–2009 से कार्यरत)
श्री अमिताभ साहा	:	वित्त (02–08–2011 से कार्यरत)
श्री अशोक सरकार	:	तकनीकी (25–08–2011 से कार्यरत)

अंशकालिक निदेशक

श्री एन. कुमार	:	निदेशक (तक.), सीआइएल, कोलकाता (29–02–2012 से कार्यरत)
श्री हेमंत जैन	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (12–04–2013 से 15–01–2014)
श्री एस. के. शाही	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (27–01–2014 से कार्यरत)
श्री पॉल जोसेफ	:	गैर–शासकीय अंशकालिक निदेशक (25–06–2011 से कार्यरत)
श्री बी. रमेश कुमार	:	गैर–शासकीय अंशकालिक निदेशक (25–06–2011 से कार्यरत)
डा. बी. बी. बिस्वाल	:	गैर–शासकीय अंशकालिक निदेशक (25–06–2011 से कार्यरत)
श्री एस. बी. घोष दस्तिदार	:	गैर–शासकीय अंशकालिक निदेशक (30–01–2012 से कार्यरत)
श्री पी. आर. मंडल	:	गैर–शासकीय अंशकालिक निदेशक (12–02–2013 से कार्यरत)

स्थायी आमंत्रित

श्री जी. के. मोहंती	:	मुख्य परिचालन प्रबंधक, द.पू. रेलवे, कोलकाता (31–01–2012 से कार्यरत)
श्री ए. के. सरकार	:	सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार, रांची (30–09–2011 से 20–04–2013
श्री एस. के. वर्णवाल	:	सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार, रांची (07–05–2013 से 02–07–2013)
श्री सत्येन्द्र सिंह	:	सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार, रांची (11–10–2013 से 31–03–2014)

बैंकर एवं लेखा परीक्षक

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
कैनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक
एक्सिस बैंक
आंध्रा बैंक
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
यूनियन बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
यूको बैंक
आइसीआइसीआइ बैंक

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स आनंद रूंगटा एण्ड कं.
सनदी लेखापाल, पटना

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स भारतीय एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल, धनबाद
मेसर्स अहसन अनिल नेगी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल, धनबाद
मेसर्स नाहा धर, कपूर एण्ड कं.
सनदी लेखापाल, आसनसोल
मेसर्स बी. मुखर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल, कोलकाता
मेसर्स के. एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल, कोलकाता
मेसर्स कदमवाला एण्ड कं.
सनदी लेखापाल, रांची
मेसर्स दत्ता पी. कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल, गिरीडीह
मेसर्स आर. के. पटनिया एण्ड कं.
सनदी लेखापाल, धनबाद
मेसर्स संजय बाजोरिया एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल, रांची

09 जून, 2014 को प्रबंधन

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री टी. के. लाहिड़ी

पूर्ण कालिक निदेशक

श्री डी. सी. झा	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री अमिताभ साहा	:	निदेशक (वित्त)
श्री अशोक सरकार	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री बी. के. पांडा	:	निदेशक (कार्मिक)

अंशकालिक निदेशक

श्री एन. कुमार	:	निदेशक (तक.), सीआईएल,कोलकाता
श्री एस. के. शाही	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री पॉल जोसेफ	:	गैर–शासकीय अंशकालिक निदेशक
श्री बी. रमेश कुमार	:	गैर–शासकीय अंशकालिक निदेशक
डा. बी. बी. बिस्वाल	:	गैर–शासकीय अंशकालिक निदेशक
श्री एस. बी. घोष दस्तिदार	:	गैर–शासकीय अंशकालिक निदेशक
श्री पी. आर. मंडल	:	गैर–शासकीय अंशकालिक निदेशक

स्थायी आमंत्रित

श्री जी. के. मोहंती	:	मुख्य परिचालन प्रबंधक, द.पू. रेलवे, कोलकाता

कंपनी सचिव

श्री बी. के. परूई

निदेशक मण्डल

(09 जून, 2014 को)

श्री टी. के. लाहिड़ी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

अंशकालिक निदेशक

श्री एस. के. शाही
निदेशक, कोयला मंत्रालय

श्री एन. कुमार
निदेशक (तक.), सीआईएल

श्री पॉल जोसेफ
निदेशक

श्री बी. रमेश कुमार
निदेशक

श्री एस. बी. घोष दस्तीदार
निदेशक

डॉ. बी. बी. बिस्वाल
निदेशक

श्री पी. आर. मंडल
निदेशक

स्थायी निदेशक

श्री डी. सी. झा
निदेशक (तकनीकी)

श्री अशोक सरकार
निदेशक (तकनीकी)

श्री अमिताभ साहा
निदेशक (वित्त)

श्री बी. के. पंडा
निदेशक (कार्मिक)

श्री जी. के. मोहंती
मुख्य परिचालन प्रबंधक,
द.पू. रेलवे, कोलकाता
स्थायी आमंत्रित

श्री बी. के. परूई
कंपनी सचिव

अध्यक्ष का वक्तव्य . . .

साथियो,

आपकी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 43 वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल की ओर से आपको स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी मेरे लिए प्रसन्नता की बात है।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के निदेशक का प्रतिवेदन और अंकेक्षित तुलन–पत्र पहले ही आपको दे दिया गया है। आपकी अनुमति से मैं यह मान लेता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया है।

नई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए नियत लगभग सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के साथ वर्ष 2013–14 समाप्त हुआ।

2013–14 के कार्य निष्पादन का संक्षिप्त विवरण:

हमलोग वर्ष 2013–14 के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने में सफल हुए हैं। कंपनी ने 32.5 मि. टन कोयला के उत्पादन का एमओयू के विशिष्ट लक्ष्य की तुलना में 32.61 मि. टन उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया जिसमें पिछले वर्ष से +4.5% ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष के 33.04 मि. टन कोयला उठाव की तुलना में 2013–14 में बीसीसीएल के कोयला का उठाव 34.20 मि. टन था। इसमें पिछले वर्ष से +3.51% अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार वार्षिक कार्य योजना (AAP) और एमओयू दोनों लक्ष्य प्राप्त किया गया।

2013–14 के दौरान कंपनी का टर्नओवर ₹ 10112.56 करोड़ था।

ओएमएस के रूप में बीसीसीएल की उत्पादकता पिछले वर्ष के 2.50 टन की तुलना में 2.64 टन ओएमएस था। इस प्रकार इसमें 5.60% की वृद्धि दर्ज की गई।

पिछले वर्ष के 33.04 मि. टन कोयला उठाव की तुलना में कंपनी ने सबसे अधिक 34.20 मि. टन कोयला का उठाव दर्ज किया। इस प्रकार +3.51% की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी गत वर्ष की तुलना में 2013–14 के दौरान 1.50 मि. टन ज्यादा अपने कोयला स्टॉक का निर्धारण कर सकी।

वित्तीय पारामीटर

- वर्ष के दौरान कर (TAX) के पहले का लाभ (PBT) 2089.01 करोड़ था जो पिछले वित्तीय वर्ष में 2012–13 में ₹1709.06 करोड़ था। इसमें 22.23% की वृद्धि दर्ज की गई।
- वर्ष के दौरान कर के बाद का लाभ (PAT) ₹1714.35 करोड़ था जो पिछले वित्तीय वर्ष 2012–13 ₹1498.80 करोड़ था। इसमें 14.38% की वृद्धि दर्ज की गई।
- कंपनी का नेटवर्थ पिछले वर्ष ₹550.97 करोड़ से बढ़कर 31.03.2014 को ₹2265.32 करोड़ हो गया। नेटवर्थ पर कर देयता के बाद का लाभ शेयरधारकों के प्रतिलाभ का सुनिश्चित मापदंड है जिसका हिसाब करने पर यह लाभ वर्ष 2013–14 में 75.67% होता है।

- भारत सरकार के साथ पी एस ई के एम ओ यू पर हस्ताक्षर करने वाले के रूप में वर्ष के दौरान हमारी कंपनी का कार्य प्रदर्शन 'उत्कृष्ट' श्रेणी का रहा।

अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टिताएं :

- कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगी कंपनियों में बीसीसीएल जी पी एस आधारित वाहन खोज प्रणाली लागू करने वाली पहली अनुषंगी कंपनी बनी। यह प्रणाली आपकी कंपनी के सभी क्षेत्रों में लागू है। इस प्रकार आपकी कंपनी ई–गवर्नेंस के लिए ऑन–लाइन कार्यकलापों के मामले में अन्य कंपनियों से आगे है। ऑन–लाइन डाटा ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी में 94 स्थानों पर एम पी एल एस–वी पी एन आधारित वाइड एरिया नेटवर्क (WAN)स्थापित किया गया।
- किसी प्रकार के गलत कार्यों को दूर करने के ख्याल से सभी रोडवे ब्रिजों में सी सी टी वी कैमरा भी लगाए गए हैं। परिवहन के वाहनों के प्रवेश एवं बाहर जाने पर नजर रखने के लिए क्षेत्रों में प्रवेश बाहर निकलने वाले सभी स्थानों पर आर एफ आइ डी आधारित बूम अवरोधक लगाने हेतु भी आपकी कंपनी ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
- रणनीतिक योजना में जैसा कि विचार किया गया बढ़े हुए कोयला प्रेषण पर ध्यान रखने के लिए महेशपुर में 5 एम टी वाई क्षमता के साइलो (ILO)सहित रैपिड लोडिंग सिस्टम का निर्माण कार्य चल रहा है जिसे निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। तेतुलमारी में 5 एम टी वाई क्षमता के एक अन्य रेपिड लोडिंग सिस्टम के निर्माण की योजना तैयार की गई है।
- कंपनी के कर्मचारियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए बने मास्टर प्लान में निर्धारित समय सीमा के अंदर इसे करने में भी बीसीसीएल आगे है। संशोधित मूल्यांकन के अनुसार 15000 आवासों की आवश्यकता की तुलना में आपकी कंपनी ने 1496 आवासों के निर्माण का काम पूरा कर लिया है, 8100 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा 2240 आवासों के निर्माण का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा। अब तक 740 परिवारों को स्थानांतरित किया जा चुका है।
- भूमिगत खदानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए हमलोग वचनबद्ध हैं और जैसा कि रणनीतिक योजना में उल्लेख है, योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार 8.26 एम टी वाई क्षमता की 8 मेगा यू.जी. खदानों मे उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इन आठ खदानों में से मुराइडीह यू जी इनक्लाइन की खुदाई और अन्य कार्य प्रारंभ कर दिये गए हैं।
- बीसीसीएल उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा है। तद्नुसार सुरक्षा अंकेक्षण का चौथा, पाचवां एवं छठा चक्र पूरा कर लिया गया।
- बीसीसीएल ने सी एस आर एवं सतत विकास कार्यकलाप के रूप में आस–पास की जनसंख्या के लिए नूतन गतिविधि का काम चालू रखा है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 11.70 करोड़ रूपये लागत से खदान के अधिशेष पानी का बहुद्देशीय उपयोग की परियोजना पूरी कर ली गई। इसके अंतर्गत लगभग 45 कि. मी. पाइप लाइन नेटवर्क बिछाया गया है और खेनाठी एवं बेहराकुदर गांवों के दो जलाशयों में खदान का 47 मि. गैलन अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। इस योजना से लगभग 1601 परिवारों को लाभ हुआ है। आपकी कंपनी कोलफील्ड के अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार करने का प्रयास करेगी।

- हम लोग झरिया कोलफील्ड के पेयजल एवं सफाई प्रययग (DWSD) द्वारा सोनारडीह, छाताटांड, खरखरी के उनके प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर समुदाय को जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए चलाई जा रही 07 जलापूर्ति योजनाओं के उपयोग के लिए खदान का पानी भी उपलब्ध करा रहे हैं।
- सी आइ एम एफ आर, धनबाद के सहयोग से निदर्शन योजना के तहत हमारी कंपनी ने पुटकी बलिहारी क्षेत्र में शोधन के उपरांत खदान के पानी को पीने योग्य बनाने हेतु 219 लाख रूपये मूल्य का जल शोधन संयंत्र लगाया है। इस जलशोधन संयंत्र को 4000 गैलन प्रति घंटा की निर्धारित क्षमता के लिए बनाया गया है और यह संतोजनक काम कर रहा है।
- कोयला निकालने के बाद प्रभावित हुई जमीन के पारिस्थितिक पुनरूद्धार करने के क्षेत्र में बीसीसीएल कोल इंडिया लि. की एक अग्रणी अनुषंगी कंपनी है। वर्ष के दौरान 20 हेक्ट. से ज्यादा भूमि का पारिस्थितिक रूप से पुनरूद्धार किया जा चुका है।
- हमारी कंपनी में 06 में से 03 नई वाशरियों के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि यह काम समय पर पूरा कर लिया जाएगा।
- हम लोगों ने आस–पास के 203 गांवों में एवं पी ए पी को 14 चलंत चिकित्सा वाहन के जरिए चिकित्सा सुविधाएं देना जारी रखा है। चिकित्सा सहायता सी एस आर क्लिनिक के माध्यम से दी जा रही है।

निष्कर्ष के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि कंपनी के कर्मचारियों के निरंतर और समर्पित प्रयासों के कारण तथा ट्रेड यूनियनों के साथ ही साथ अन्य स्टेक होल्डरों के सक्रिय सहयोग से ही हमारी कंपनी में असाधारण उपलब्धियां संभव हो पायी हैं।

मैं निदेशक मंडल की ओर से शेयर होल्डरों, कंपनी के प्रबंधन, कोयला मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों विभागों एवं कोल इंडिया लिमिटेड को उनके लगातार मार्गदर्शन तथा परामर्श और सुअवसर प्रदान करने के लिए सच्चे मन से प्रशंसा करता हूं। इससे कंपनी का लगातार विकास एवं विस्तार हुआ है। मैं उनके इस सहयोग के लिए आगे भी आशान्वित हूं।

मैं सभी उपभोक्ताओं और कारोबारी सहयोगियों का उनके निरंतर सहयोग तथा अपने सभी कर्मचारियों का उनकी वचनबद्धता,कठोर परिश्रम एवं कंपनी के कार्य निष्पादन में योगदान के लिए इसी प्रकार धन्यवाद देता हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में भी हमारी कंपनी के विकास की गति हृदय से बनी रहेगी।

धन्यवाद,

(टी. के. लाहिड़ी)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

कारोबार करोड़ में

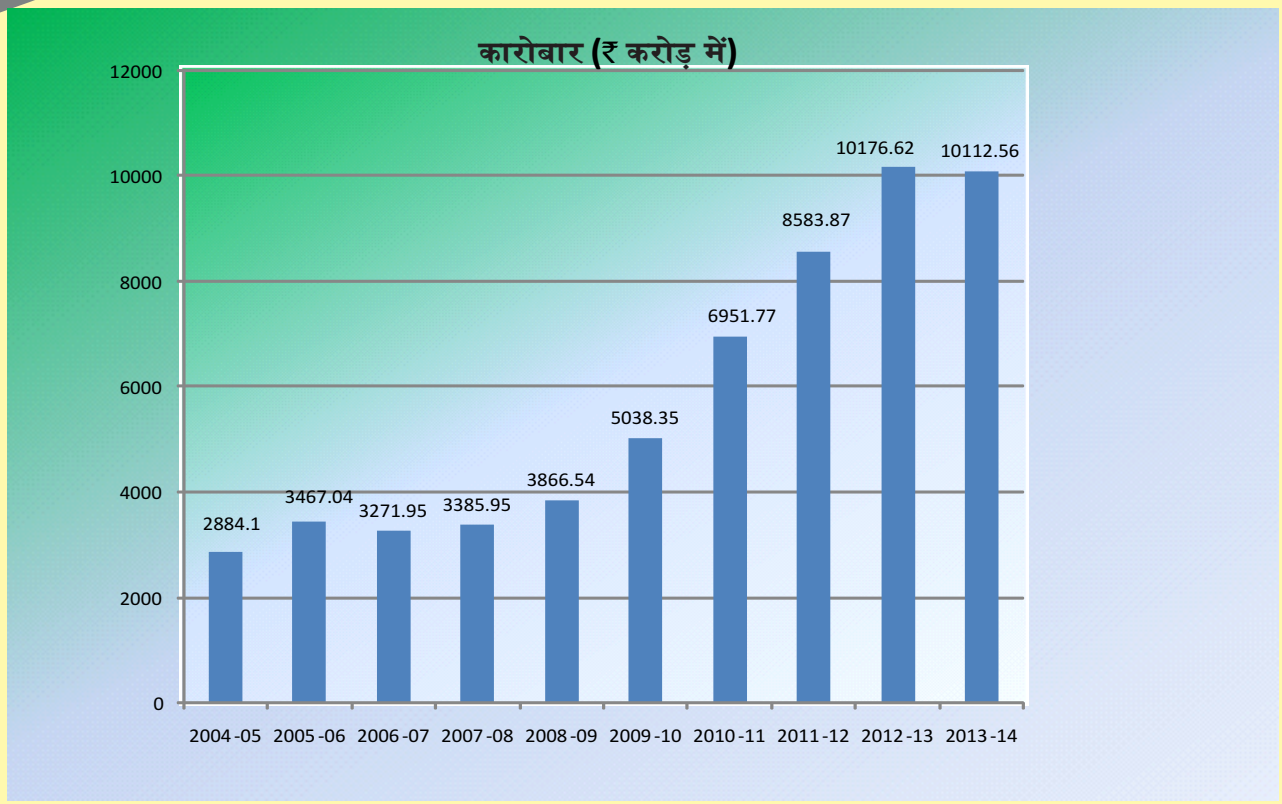

उत्पादन मिलियन टन में

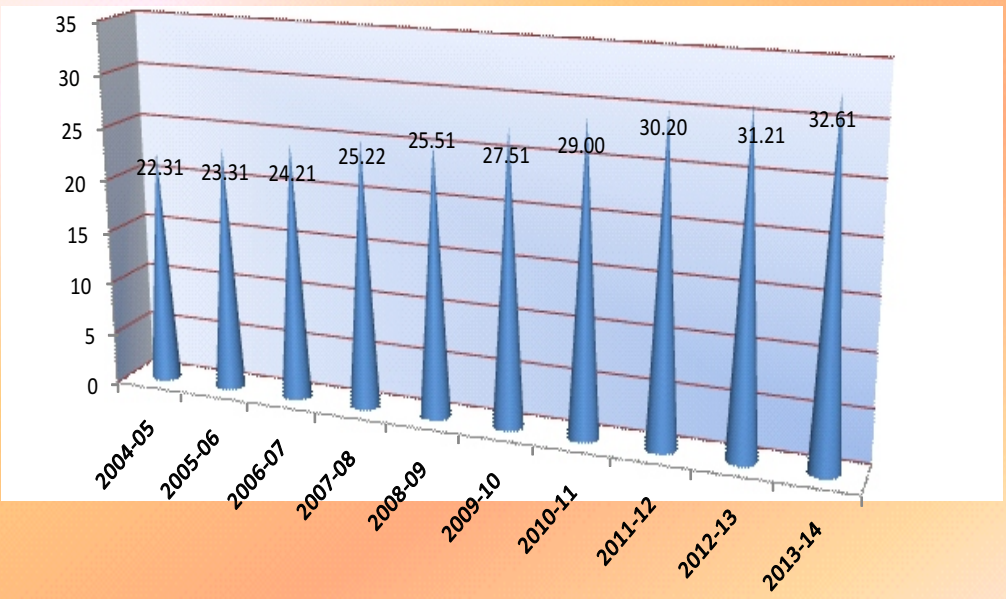

शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)

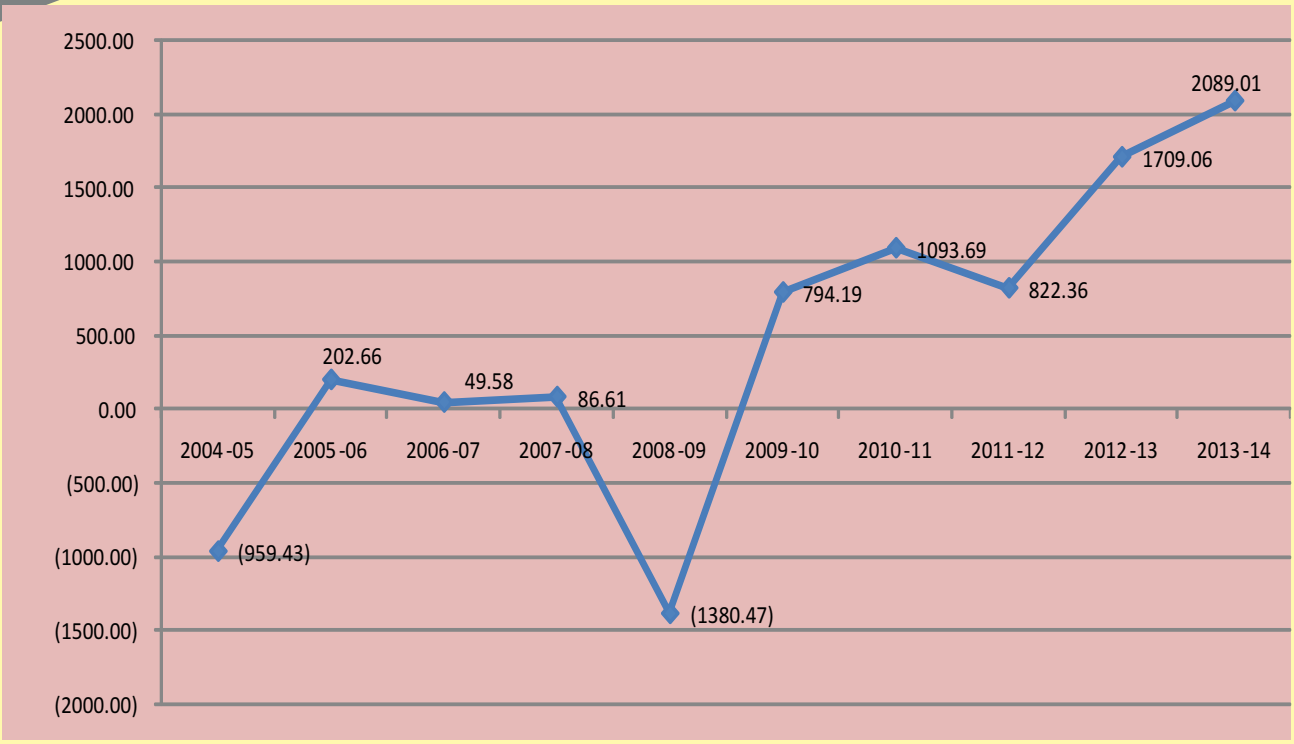

निवल सम्पत्ति (₹ करोड़ में)

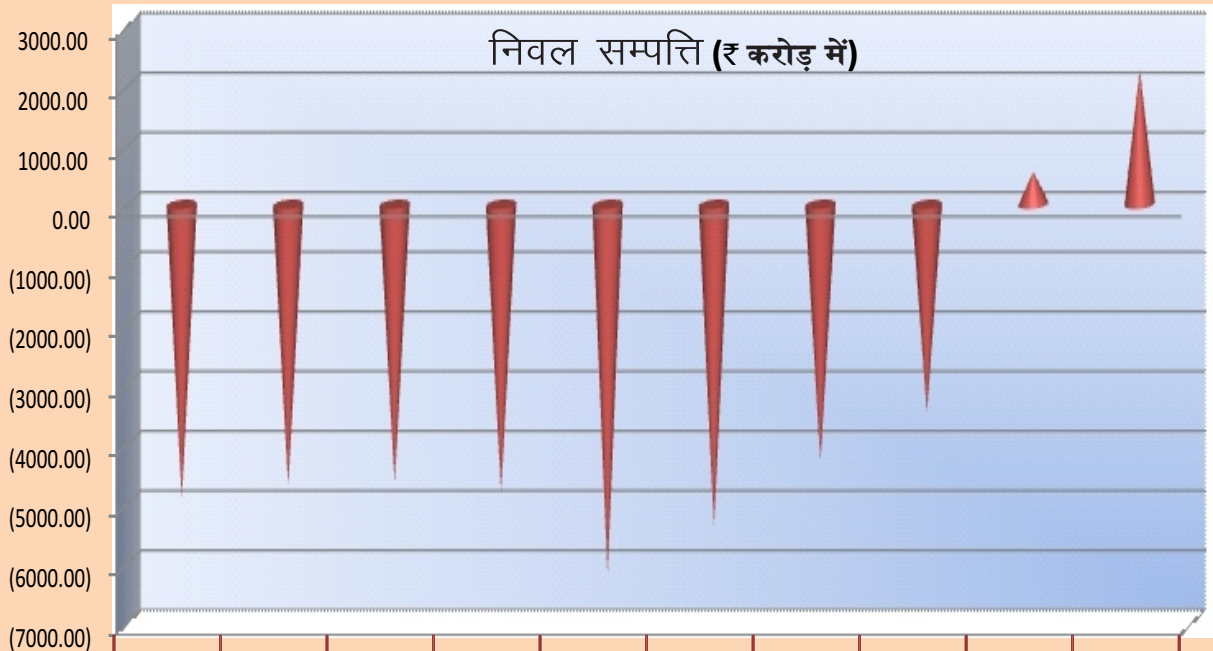

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Net Worth	(4926.02)	(4723.36)	(4673.77)	(4816.60)	(6197.07)	(5402.88)	(4309.19)	(3486.83)	550.97	2265.32

परिचालन आंकड़े

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
1.(क) कच्चे कोयले का उत्पादन: (मि. टन)										
भूमिगत	3.153	3.485	3.696	3.901	4.133	4.464	4.902	5.47	6.376	6.743
ओपेन कास्ट	28.058	26.72	25.308	23.611	21.381	20.751	19.303	17.841	15.938	15.939
योग-	31.211	30.203	29.004	27.512	25.514	25.215	24.205	23.311	22.314	22.682
(ख) मलवा हटाई (ओ बी आर): (मि.क्यू.मीटर)	84.259	81.361	83.226	61.634	53.60	50.61	46.251	43.958	39.604	33.553
2. उठाव (कच्चा कोयला) (मि. क्यू.मीटर)										
बिजली	25.34	21.37	20.16	16.91	16.72	16.26	15.29	13.85	13.2	13.57
इस्पात	3.86	4.13	4.26	3.12	3.18	3.54	3.42	3.76	4.65	4.64
सीमेंट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खाद (फर्टिलाइजर)	1.12	1.06	1.11	1.14	0.88	1.19	0.96	1.01	0.93	1.03
कोलियरी में खपत	0.08	0.09	0.09	0.22	0.25	0.28	0.3	0.33	0.36	0.4
अन्य	2.68	3.47	3.72	3.69	3.57	2.78	4.12	3.4	3.23	4.15
योग-	33.08	30.12	29.34	25.08	24.60	24.05	24.09	22.35	22.37	23.79
3. औसत श्रमशक्ति	63291	66409	69886	74104	78210	81815	85362	89707	94689	98782
4. उत्पादकता										
(क) औसत प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष (टन)	493.13	454.80	415.02	371.26	326.22	308.20	283.56	259.86	235.66	229.62
(ख) प्रति मेनशिफ्ट उत्पादन (ओएमएस):										
i. भूमिगत (टन)	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.40	0.42	0.43	0.46	0.47
ii. ओपेनकास्ट (टन)	7.57	6.57	6.11	5.42	4.84	4.51	4.14	3.69	3.09	3.03
iii. कुल (टन)	2.45	2.2	2.06	1.85	1.68	1.60	1.48	1.34	1.18	1.15
5. सूचना-लागत रिपोर्ट के अनुसार										
i. प्रति मेनशिफ्ट आय (₹)	2400.2	1960.5	1611.1	1384.7	1293	993.87	828.46	762.45	731.07	598.78
ii. वास्तविक विक्रेय कोयला की औसत लागत (₹ प्रति टन)	2014.9	2003.2	1646.7	1447	1794.3	1238.8	1140.9	1159.5	1161.3	1043.2
iii. वास्तविक विक्रेय कोयला के उत्पादन का औसत विक्रय मूल्य (₹ प्रति टन)	2475.7	2127.5	1937	1644.8	1287.1	1043.9	1002.6	1095.20	966.97	811.16

वित्तीय स्थिति

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना (₹ करोड़ में)

(बीसीसीएल के क्षेत्र/इकाई के समेकित लेखा के आधार पर)

(संशोधित अनुसूची VI के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
(क) स्वामित्व में है				
सकल अचल परिसंपतियां	4762.21	4598.8	4568.29	4333.38
घाटाएं: मूल्यह्रास और हानि	3414.62	3240.05	3132.35	3003.78
(1) निवल अचल परिसंपत्तियां	**1347.59**	**1358.75**	**1435.94**	**1329.60**
(2) चालू पूंजीगत कार्य	537.85	227.10	166.92	104.95
(3) आस्थगित कर परिसंपत्ति				
(4) गैर-चालू निवेश	13.85	27.71	41.57	55.42
(5) दीर्घकालिक.ऋण व अग्रिम	56.19	41.74	39.82	41.25
(6) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.87	0.72
(7) वर्तमान परिसंपत्तियां				
(i) (क) कोयला, कोक आदि की सूची	618.75	757.05	946.79	1025.94
(ख) सामग्री एवं अतिरिक्त पुर्जों आदि की सूची	63.68	74.02	93.85	86.12
(ग) अन्य सूचियां	6.24	6.00	3.77	0.30
(ii) प्राप्य ट्रेड	1570.15	1372.05	951.72	618.14
(iii) नकदी तथा बैंक जमा राशि	2341.36	2394.13	2102.86	1250.98
(iv)चालू निवेश	13.86	13.86	13.86	13.86
(v) अल्पकालिक ऋण व अग्रिम	847.84	502.15	237.04	104.77
(vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	338.62	315.72	180.07	163.50
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां (7)	**5800.5**	**5434.98**	**4529.96**	**3263.61**
(8) वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान				
(क) अल्पकालिक उधार	509.79	1098.7	2500.23	3145.08
(ख) भुगतेय ट्रेड	50.57	88.93	127.74	95.22
(ग)अन्य वर्तमान देनदारियां	2493.34	2222.97	2478.23	2144.27
(घ) अल्पकालिक प्रावधान	1461.26	1252.79	971.43	787.06
कुल वर्तमान देनदारियां (8)	**4514.96**	**4663.39**	**6077.63**	**6171.63**
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां (7-8)	1285.54	771.59	(1547.67)	(2908.02)
कुल (क)	**3241.02**	**2426.89**	**137.45**	**(1376.08)**
(ख) जो स्वामित्व में है				
(1) दीर्घकालिक उधार	0.00	0.00	1083.30	1083.30
(2) विलंबित टेक्स देनदारी	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	8.98	7.35	7.67	4.75
(4) दीर्घकालिन प्रावधान	966.72	1868.57	2533.31	1845.06
कुल- (ख)	**975.7**	**1875.92**	**3624.28**	**2933.11**
नेटवर्थ (क-ख)	**2265.32**	**550.97**	**(3486.83)**	**(4309.19)**
निम्नलिखित के द्वारा निरूपित				
1. इक्विटी कैपिटल	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00
2. अधिमानी शेयर पूंजी	2539.00	2539.00	0.00	0.00
3. सुरक्षित एवं अधशेष	(2391.68)	(4106.03)	(5604.83)	(6427.19)
नेटवर्थ	**2265.32**	**550.97**	**(3486.83)**	**(4309.19)**
प्रतिनियोजित पूंजी	**2633.13**	**2130.34**	**(111.73)**	**(1578.42)**

आय और व्यय का विवरण **(₹ करोड़ में)**

(बीसीसीएल के क्षेत्र/इकाई के समेकित लेखा पर आधारित)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**
(क) से अर्जित				
1.सकल विक्रय	10112.56	10176.62	8583.87	6951.77
घाटएं: लेवी (उत्पाद शुल्क और अन्य लेवी)	1824.57	1722.02	1303.39	794.66
निवल विक्रय	**8287.99**	**8454.60**	**7280.48**	**6157.11**
2. अन्य आय				
(क) जमा आदि पर ब्याज	223.51	232.04	138.22	84.36
(ख) आर बी आइ पावर बॉंड पर ब्याज	3.24	4.42	5.60	6.77
(ग) रेत भराई एवं रक्षात्मक कार्य हेतु सहायता	3.86	4.86	8.03	5.52
(घ) परिवहन और लदान लागत की वसूली	183.46	154.49	156.90	150.17
(ड) अन्य गैर-परिचालन आय	592.74	87.00	225.40	56.50
कुल- (क)	**9294.80**	**8937.41**	**7814.63**	**6460.43**
(ख) केलिए / को भुगतान किया गया:				
1. कर्मचारिया को लाभ एवं मानदेय	4414.34	4465.65	4211.01	3235.35
(क) वेतन, मजदूरी, भत्ता, बोनस आदि	3271.73	3006.42	2650.72	2179.59
(ख) भविष्य निधि अंशदान एवं अन्य निधियां	380.72	361.60	275.82	278.04
(ग) उपादान	115.36	344.63	823.35	378.22
(घ) अवकाश नकदीकरण	112.76	182.36	99.89	140.48
(ड) अन्य	533.77	570.64	361.23	259.02
2. स्टॉक में वृद्धि / ह्रास	138.25	189.74	79.31	(173.25)
3.कल्याण मद में खर्च	17.39	33.38	164.47	138.23
4. उपयोग की गई सामग्रियों की कीमत	564.08	497.66	467.85	445.87
5. विद्युत एवं ईंधन	312.03	317.14	314.80	217.82
6. मरम्मतियां	173.30	126.28	80.51	70.05
7. संविदात्मक खर्च	815.27	747.08	665.47	643.35
8. वित्त लागत	30.22	18.97	22.84	42.01
9. मूल्य ह्रास / ऋण चुकाना / हानि	261.14	209.98	201.35	187.07
10. प्रावधान एवं बट्टे खाते में डालना	30.03	124.01	235.66	1.45
11. ओबीआर समायोजन	(99.03)	(15.38)	47.72	20.57
12. अन्य खर्च	552.27	509.99	503.15	544.13
13. समय पूर्व समायोजन/अपवादात्मक मदे/ईएक्स	(3.50)	3.85	(1.87)	(5.91)
कुल (ख)	**7205.79**	**7228.35**	**6992.27**	**5366.74**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
वर्ष (क-ख) में लाभ / हानि	**2089.01**	**1709.06**	**822.36**	**1093.69**
टैक्स पर हुए खर्च	374.66	210.26	0.00	0.00
शुद्ध लाभ	**1714.35**	**1498.80**	**822.36**	**1093.69**
गत वर्षों से संचित हानि	(4106.03)	(5604.83)	(6427.19)	(7520.88)
तुलन पत्र में हस्तांतरित संचयी लाभ / हानि	(2391.68)	(4106.03)	(5604.83)	(6427.19)
(क) परिसंपत्तियां और देनदारियों से संबंधित				
1.(i) इक्विटी शेयरों की संख्या	21180000	21180000	21180000	21180000
(ii) अधिमानी शेयरों की संख्या	25390000	25390000	0.00	0.00
(iii) शेयरधारकों की निधि				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00
(ख) अधिमानी शेयर पूंजी	2539.00	2539.00	0.00	0.00
(ग) सुरक्षित जमा				
(घ) संचित लाभ / हानि	(2391.68)	(4106.03)	(5604.83)	(6427.19)
नेटवर्थ	2265.32	550.97	(3486.83)	(4309.19)
2. दीर्घकालिक उधार	0.00	0.00	1083.30	1083.30
3. प्रतिनियोजित पूंजी	2633.13	2130.34	(111.73)	(1578.42)
4(i) निवल नियत परिसंपत्तियां	1347.59	1358.75	1435.94	1329.60
(ii) वर्तमान परिसंपत्तियां	5800.50	5434.98	4529.96	3263.61
(iii) निवल वर्तमान संपत्तियां (डब्ल्यू/सी)	1285.54	771.59	(1547.67)	(2908.02)
5. वर्तमान देनदारियां	4514.96	4663.39	6077.63	6171.63
6. क) विविध कर्जदार	1570.15	1372.05	951.72	618.14
ख) नकद एवं बैंक	2341.36	2394.13	2102.86	1250.98
7. के अंत स्टॉक				
(क) भंडार सामग्री (नेट)	63.68	74.02	93.85	86.12
(ख) कोयला, कोक आदि (नेट)	618.75	757.05	946.79	1025.94
8. भंडार सामग्रियों का औसत स्टॉक (नेट)	68.85	83.94	89.99	86.16
(ख) लाभ / हानि से संबंधित				
1(क) सकल अतिरिक्त राशि (पीबीडीआइटी)	2380.37	1938.01	1046.55	1322.77
(ख) सकल लाभ	2119.23	1728.03	845.20	1135.70
(ग) निवल लाभ (कर देने के पहले)	2089.01	1709.06	822.36	1093.69
(घ) निवल लाभ (कर देने के बाद)	1714.35	1498.80	822.36	1093.69
2(क) सकल विक्रय	10112.56	10176.62	8583.87	6951.77
(ख) नेट विक्रय (लेवी देने के बाद)	8287.99	8454.60	7280.48	6157.11
(ग) उत्पादन का विक्रय मूल्य	8149.69	8264.86	7201.33	6330.35
3. बेचे गए सामानों की कीमत (विक्रय-लाभ)	6198.98	6745.54	6458.12	5063.42
4(क) कुल खर्च	7205.79	7228.35	6992.27	5366.74
(ख) वेतन व मजदूरी	4414.34	4465.65	4211.01	3235.35
(ग) सामग्री एवं पुरजे	564.08	497.66	467.85	445.87
(घ) विद्युत और ईंधन	312.03	317.14	314.8	217.82
(ड) वित्त लागत और मूल्य ह्रास	291.36	228.95	224.19	229.08
5. प्रतिमाह सामग्रियों की औसत खपत	47.01	41.47	38.99	37.16

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
(क) लाभप्रदता अनुपात				
1. नेट विक्रय के % के रूप में				
(क) सकल अतिरिक्त राशि	28.72	22.92	14.37	21.48
(ख) सकल लाभ	25.57	20.44	11.61	18.45
(ग) निवल लाभ	25.21	20.21	11.30	17.76
2. कुल खर्च के % के रूप में				
(क) वेतन व मजदूरी	61.26	61.78	60.22	60.29
(ख) सामग्री व पुरजे	7.83	6.88	6.69	8.31
(ग) विद्युत व ईंधन	4.33	4.39	4.50	4.06
(घ) वित्त लागत एवं मूल्य ह्रास	4.04	3.17	3.21	4.27
3. लगाई गई पूंजी के % के रूप में				
(क) सकल अतिरक्ति राशि	90.40	90.97	(936.68)	(83.80)
(ख) सकल लाभ	80.48	81.12	(756.47)	(71.95)
(ग) कर देने के पहले का लाभ	79.34	80.22	(736.02)	(69.29)
4. परिचालन का अनुपात (विक्रय-लाभ/हानि)	0.75	0.80	0.89	0.82
(ख) तरलता अनुपात				
(1) वर्तमान अनुपात	1.28	1.17	0.75	0.53
(2) तत्काल अनुपात	1.13	0.99	0.57	0.35
(ग) टर्नओवर का अनुपात				
1) पूंजी टर्नओवर अनुपात (नेट विक्रय/लगाई गई पूंजी)	3.15	3.97	(65.16)	(3.90)
2) महीनों के रूप में विविध कर्जदार (नेट)				
क) सकल विक्रय	1.86	1.62	1.33	1.07
ख) नेट विक्रय	2.27	1.95	1.57	1.20
3) नेट विक्रय के रूप में अनुपात				
क) विविध कर्जदार	0.19	0.16	0.13	0.10
ख) कोयला का भंडार	0.07	0.09	0.13	0.17
4) सामग्री और स्पेयर्स का भंडार				
क) औसत भंडार / वार्षिक खपत	0.12	0.17	0.19	0.19
ख) खपत वाले माह की संख्या के रूप में अंतस्टॉक	1.35	1.78	2.41	2.32
5) कोयला का भंडार कोक,धुला हुआ कोयला आदि				
क) उत्पादन मूल्य वाले माह की संख्या के रूप में	0.91	1.10	1.58	1.94
ख)बेचे गए सामानों की कीमत वाले महीनों की संख्या के रूप में	1.20	1.35	1.76	2.43
ग) नेट विक्रय वाले माह की संख्या के रूप में	0.90	1.07	1.56	2.00
(घ) ढांचागत अनुपात				
क) ऋण : इक्विटी	-	-	0.51	0.51
ख) ऋण : नेटवर्थ	-	-	(0.31)	(0.25)
ग) नेटवर्थ : इक्विटी	1.07	0.26	(1.65)	(2.03)
घ) नेट अचल परिसंपत्तियां : नेटवर्थ	0.59	2.47	(0.41)	(0.31)

वित्तीय स्थिति

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना

(बीसीसीएल के क्षेत्र/इकाई के समेकित लेखा पर आधारित)

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	**2009-10**	**2008-09**	**2007-08**	**2006-07**	**2005-06**	**2004-05**
(क) जिसपर स्वामित्व है						
सकल अचल परिसंपतियां	4,088.79	3914.75	3855.84	3,727.98	3,648.19	3,475.12
घटावे: मूल्यह्रास और हानि	2862.42	2781.34	2730.94	2,605.46	2,523.60	2,491.64
(1) नेट अचल परिसंपत्तियां (मूर्त और अमूर्त)	**1226.37**	**1133.41**	**1124.90**	**1,122.52**	**1,124.59**	**983.48**
(2) चालू पूंजीगत कार्य (मूर्त और अमूर्त)	83.04	91.38	54.08	83.99	58.19	39.97
(3) आस्थगित कर परिसंपत्ति						
(4) अन्यान्य खर्च एवं देय						
(5) निवेश	83.14	96.99	110.85	124.70	138.56	138.56
(6) वर्तमान परिसंपत्तियां						
(i) (क) कोयला, कोक आदि की माल सूची	852.70	600.96	483.52	434.04	427.61	364.97
(ख) सामग्री एवं स्पेयर्स आदि की माल सूची	86.20	106.29	90.01	87.85	93.37	86.87
(ग) अन्य माल सूचियां						
(ii) विविध कर्जदार	393.80	186.83	51.44	86.18	148.16	164.91
(iii) नकद एवं बैंक में जमा शेष राशि	923.03	910.89	772.89	960.97	613.74	247.89
(iv) ऋण एवं अग्रिम	319.50	220.71	179.79	163.29	246.66	162.37
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां (6)	**2575.23**	**2025.68**	**1577.65**	**1,732.33**	**1,529.54**	**1,027.01**
(7) वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	7947.9	8342.97	6392.35	5,853.27	5,712.66	5,336.52
नेट वर्तमान परिसंपत्तियां (6-7)	(5372.67)	(6317.29)	(4814.70)	(4,120.94)	(4,183.12)	(4,309.51)
कुल - (क)	(3980.12)	(4995.51)	(3524.87)	(2,789.73)	(2,861.78)	(3,147.50)
(ख) जिसपर स्वामित्व है						
बैक ऋण (ओवर ड्राफ्ट)	339.46	118.26	208.43	307.84	214.96	202.32
दीर्घकालिक उधार	1083.30	1083.30	1083.30	1,576.20	1,646.62	1,576.20
	1422.76	1201.56	1291.73	1,884.04	1,861.58	1,778.52
नेटवर्थ (क-ख)	**(5402.88)**	**(6197.07)**	**(4816.60)**	**(4,673.77)**	**(4,723.36)**	**(4,926.02)**
के द्वारा दर्शाया गया						
1. इक्विटी पूंजी	2118.00	2118.00	2118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00
2. लाभ / हानि	(7520.88)	(8315.07)	(6934.60)	(6791.77)	(6,841.36)	(7,044.02)
नेटवर्थ	**(5402.88)**	**(6197.07)**	**(4816.60)**	**(4673.77)**	**(4,723.36)**	**(4,926.02)**
लगाई गई पूंजी	**(4146.30)**	**(5183.88)**	**(3689.80)**	**(2998.42)**	**(3,058.53)**	**(3,326.03)**

आय और व्यय का विवरण

(बीसीसीएल के क्षेत्र/इकाई के समेकित लेखा पर आधारित)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	**2009-10**	**2008-09**	**2007-08**	**2006-07**	**2005-06**	**2004-05**
(क) से अर्जित						
सकल विक्रय	5038.35	3866.54	3385.95	3271.95	3467.04	2884.10
घटाएं: लेवी (रायल्टी, उपकर आदि)	523.20	467.41	431.17	392.75	354.76	343.49
1. नेट विक्रय	4515.15	3399.13	2954.78	2879.2	3112.28	2540.61
2. भंडार में वृद्धि / ह्रास	268.09	118.57	49.62	5.55	63.11	17.81
3. प्रति कांट्रा अन्य उद्देश्यों के लिए निर्गत कोयला/कोक	765.70	755.32	685.88	677.76	804.65	580.28
4. अन्य राजस्व प्राप्तियां	609.55	691.67	279.38	400.26	326.69	108.24
कुल (क)	**6158.49**	**4964.69**	**3969.66**	**3962.77**	**4306.73**	**3246.94**
(ख) को भुगतान किया गया / के लिए प्रदान किया गया						
1. क्रेता / कोयला /कोक आदि का स्थानांतरण	-	-	-	-	0.08	-
2. कोयला / कोक प्रति कॉट्रा की आंतरिक खपत	744.08	732.33	660.71	653.20	777.27	549.97
3. कर्मचारियों को लाभ और मानदेय	2642.75	3600.14	2208.64	1751.52	1812.57	2352.82
4. कल्याणकारी कार्यों में खर्च	340.72	305.50	256.89	244.80	234.94	220.36
5. सामग्री एवं स्पेयर्स	391.25	375.49	330.16	320.65	318.62	285.73
6. विद्युत एवं ईंधन	306.00	234.14	233.47	232.71	230.20	222.99
7. मरम्मति	70.72	56.24	49.45	49.45	49.82	51.36
8. ठेका संबंधी खर्च	378.19	294.75	236.82	168.45	149.78	97.66
9. अन्य खर्च	386.80	433.22	287.47	275.77	313.22	199.93
10. प्रावधान	7.79	2.74	1.70	2.30	22.85	3.61
11. वित्त प्रभार	66.60	78.43	93.47	76.86	103.09	183.54
12. मूल्यह्रास / ऋण चुकाना / हानिकरण / प्रावधान	135.67	163.02	178.81	163.21	120.74	118.40
13. ओबीआर समायोजन	(109.63)	52.15	(33.22)	17.82	17.60	7.18
14. अवधिपूर्व समायोजन	3.62	13.53	(138.86)	(46.27)	(49.12)	(87.18)
15. खदान बंदीकरण						
कुल (ख)	**5364.56**	**6341.68**	**4365.51**	**3910.47**	**4101.66**	**4206.37**
वर्ष (क-ख) के लिए लाभ / हानि	793.93	(1376.99)	-395.85	52.30	205.07	(959.43)
अनुषंगी (फ्रिंज) लाभ पर कर	0.26	(3.48)	(10.44)	(2.72)	(2.41)	-
अपेक्स ब्याज का अधित्याग	-	-	492.9	-	-	-
नेट शुद्ध लाभ	**794.19**	**(1380.47)**	**86.61**	**49.58**	**202.66**	**(959.43)**
विगत वर्षों से संचित हानि	(8315.07)	(6934.60)	(7021.22)	(6841.36)	(7044.02)	(6084.59)
तुलन पत्र में अग्रेनित लाभ / हानि (+/-)	(7520.88)	(8315.07)	(6934.61)	(6791.78)	(6841.36)	(7044.02)

वित्तीय स्थिति

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना **(₹ करोड़ में)**

(समेकित अंकेक्षित लेखा के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	**2009-10**	**2008-09**	**2007-08**	**2006-07**	**2005-06**	**2004-05**
(क) परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित						
1. (i) इक्विटी शेयरों की संख्या						
(ii) शेयरधारक निधि						
(क) इक्विटी	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00
(ख) सुरक्षित						
(ग) संचित लाभ / हानि	(7520.88)	(8315.07)	(6934.60)	(6791.77)	(6841.36)	(7044.02)
नेटवर्थ	(5402.88)	(6197.07)	(4,816.60)	(4,673.77)	(4,723.36)	(4,926.02)
2. ऋण	1083.30	1083.30	1083.30	1576.20	1646.62	1576.20
3. लगाई गई पूंजी	(4146.30)	(5183.88)	(3689.80)	(2998.42)	(3058.53)	(3326.03)
4. (i) शुद्ध अचल परिसंपत्तियां	1226.37	1133.41	1124.90	1122.52	1124.59	983.48
(ii) वर्तमान परिसंपत्तियां	2575.23	2025.68	1577.65	1732.33	1529.54	1027.01
(iii) शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियां (डब्ल्यू/सी)	(5372.67)	(6317.29)	(4814.70)	(4120.94)	(4183.12)	(4309.51)
5. वर्तमान देनदारियां	7947.90	8342.97	6392.35	5853.27	5712.66	5336.52
6.(क) विविध कर्जदार (नेट)	393.80	186.83	51.44	86.18	148.16	164.91
(ख) नकद एवं बैंक	923.03	910.89	772.89	960.97	613.74	247.89
7. का अंत स्टॉक						
(क) सामग्री एवं स्पेयर्स (नेट)	86.20	106.29	90.01	87.85	93.37	86.87
(ख) कोयला, कोक आदि (नेट)	852.70	600.96	483.52	434.04	427.61	364.97
8. सामग्री एवं अतिरिक्त पुर्जे (नेट) का औसत भंडार	96.25	98.15	88.93	90.61	90.12	86.25
(ख) लाभ / हानि से संबंधित						
1.(क) सकल उपांत	996.46	(1139.02)	358.89	289.65	426.49	(657.49)
(ख) सकल लाभ	860.79	(1302.04)	180.08	126.44	305.75	(775.89)
(ग) शुद्ध लाभ (कर चुकाने के पूर्व)	794.19	(1380.47)	86.61	49.58	202.66	(959.43)
(घ) शुद्ध लाभ (कर चुकाने के बाद)	794.19	(1380.47)	86.61	49.58	202.66	(959.43)
2.(क) सकल विक्रय	5038.35	3866.54	3385.95	3271.95	3467.04	2884.1
(ख) शुद्ध विक्रय (लेवी के बाद)	4515.15	3399.13	2954.78	2879.2	3112.28	2540.61
(ग) उत्पादन का विक्रय मूल्य	4329.50	2920.29	2635.20	2488.21	2545.19	2179.58
3. बेचे गए सामान की कीमत (विक्रय-लाभ)	3720.96	4779.60	2868.17	2829.62	2909.62	3500.04
4.(क) कुल खर्च	5364.56	6341.68	4365.51	3910.47	4101.66	4206.37
(ख) वेतन एवं मजदूरी	2642.75	3600.14	2208.64	1751.52	1812.57	2352.82
(ग) सामग्री एवं स्पेयर्स	391.25	375.49	330.16	320.65	318.62	285.73
(घ) विद्युत एवं ईंधन	306.00	234.14	233.47	232.71	230.20	222.99
(ड) ब्याज एवं मूल्य ह्रास	202.27	241.45	272.28	240.07	223.83	301.94
5. प्रतिमाह सामग्री की औसत खपत	32.60	31.29	27.51	26.72	26.55	23.81

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
(क) लाभप्रदता अनुपात						
1. शुद्ध विक्रय के % के रूप में						
(क) सकल उपांत	22.07	(33.51)	12.15	10.06	13.70	(25.88)
(ख) सकल लाभ	19.06	(38.31)	6.09	4.39	9.82	(30.54)
(ग) शुद्ध लाभ	17.59	(40.61)	2.93	1.72	6.51	(37.76)
2. कुल खर्च के % के रूप में						
(क) वेतन एवं मजदूरी	49.26	56.77	50.59	44.79	44.19	55.93
(ख) भंडार सामग्री	7.29	5.92	7.56	8.20	7.77	6.79
(ग) विद्युत एवं ईंधन	5.70	3.69	5.35	5.95	5.61	5.30
(घ) वित्त लागत एवं मूल्य ह्रास	3.77	3.81	6.24	6.14	5.46	7.18
3. लगी पूंजी के % के रूप में						
(क) सकल उपांत	(24.03)	21.97	(9.73)	(9.66)	(13.94)	19.77
(ख) सकल लाभ	(20.76)	25.12	(4.88)	(4.22)	(10.00)	23.33
(ग) कर भुगतान पूर्व लाभ	(19.15)	26.63	(2.35)	(1.65)	(6.63)	28.85
4. परिचालन अनुपात (विक्रय-लाभ / हानि)	0.82	1.41	0.97	0.98	0.93	1.38
(ख) तरलता अनुपात						
1. वर्तमान अनुपात	0.32	0.24	0.25	0.30	0.27	0.19
2. तत्काल अनुपात	0.21	0.16	0.16	0.21	0.18	0.11
(ग) टर्न ओवर अनुपात						
1. पूंजी टर्न ओवर अनुपात (शुद्ध विक्रय / लगी पूंजी)	(1.09)	(0.66)	(0.80)	(0.96)	(1.02)	(0.76)
2. विविध कर्जदार (शुद्ध)						
(क) सकल विक्रय	0.94	0.58	0.18	0.32	0.51	0.69
(ख) शुद्ध विक्रय	1.05	0.66	0.21	0.36	0.57	0.78
3. शुद्ध विक्रय के अनुपात के रूप में						
(क) विविध कर्जदार	0.09	0.05	0.02	0.03	0.05	0.06
(ख) कोयला का भंडार	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	0.14
4. सामग्रियों एवं स्पेयर्स का स्टॉक						
(क) औसत स्टॉक / वार्षिक खपत	0.25	0.26	0.27	0.28	0.28	0.30
(ख) खपत होने वाले महीनों की संख्या के संदर्भ में अंत स्टॉक	2.64	3.40	3.27	3.29	3.52	3.65
5. कोयला, कोल, धुला कोयला आदि का स्टॉक						
(क) उत्पादन मूल्य माहों की संख्या के रूप में	2.36	2.47	2.20	2.09	2.02	2.01
(ख) बेचे गए सामानों की लागत महीनों की संख्या के रूप में	2.75	1.51	2.02	1.84	1.76	1.25
(ग) शुद्ध विक्रय वाले महीनों की संख्या के रूप में	2.27	2.12	1.96	1.81	1.65	1.72
(घ) ढांचागत अनुपात						
(क) ऋण : इक्विटी	0.51	0.51	0.51	0.74	0.78	0.74
(ख) ऋण : नेटवर्थ	(0.20)	(0.17)	(0.22)	(0.34)	(0.35)	(0.32)
(ग) नेटवर्थ : इक्विटी	(2.55)	(2.93)	(2.27)	(2.21)	(2.23)	(2.33)
(घ) शुद्ध अचल परिसंपत्तियां : नेटवर्थ	(0.23)	(0.18)	(0.23)	(0.24)	(0.24)	(0.20)

निदेशकगण की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारक
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
धनबाद।

महोदय,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से आपके समक्ष 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 43 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कंपनी को पिछले वर्ष टेक्स देने के बाद (पीएटी) 1498.80 करोड़ रूपये के लाभ की तुलना में इस वर्ष टेक्स देने के बाद (पीएटी)1714.35 करोड़ का लाभ हुआ है। इस रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा का अंकेक्षित व्यौरा और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां परिशिष्ट के रूप में दी गई हैं।

विशेष उपलब्धियां:

(क) कंपनी को 2013-14 के दौरान बी आर पी एस ई टर्न अराउण्ड सी पी एस ई अवार्ड से नवाजा गया।

(ख) एम ओ यू लक्ष्य 32.50 एमटी की तुलना में कंपनी ने अबतक सर्वाधिक 32.611 एमटी उत्पादन किया।

1.0 2013-14 के दौरान कार्य-प्रदर्शन पर एक दृष्टि:

1.1 2013-14 और 2012-13 के दौरान बीसीसीएल का कच्चे कोयला का उत्पादन, उत्पादकता एवं उठाव से संबंधित कार्य प्रदर्शन -

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2013-14			2012-13	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	
			लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्त (%)	वास्तविक	संपूर्ण/ निरपेक्ष	(%)
i)	**कच्चा कोयला (खान के प्रकार के अनुसार)**							
	भूमिगत	एमटी	3.20	2.70	84.38	3.15	-0.45	-14.29
	ओपेन कास्ट	एमटी	29.30	29.91	102.08	28.06	1.85	6.60
	कुल	एमटी	32.50	32.61	100.34	31.21	1.40	4.50
ii)	**कोयला के प्रकार के अनुसार**							
	कोकिंग कोल	एमटी	28.18	30.13	106.92	26.97	3.16	11.72
	गैर-कोकिंग कोल	एमटी	4.32	2.48	57.41	4.24	-1.76	-41.51
	कुल	एमटी	32.50	32.61	100.34	31.21	1.40	4.50
iii)	मलवा हटाई	एम.सीयूएम	84.25	**85.419 ***	101.39	84.26	1.16	1.40
iv)	उत्पादकता (ओएमएस)							
	भूमिगत	टन	0.36	0.31	86.11	0.35	-0.04	-11.43
	ओपेनकास्ट	टन	7.24	9.38	129.60	8.31	1.07	12.88
	कुल	टन	2.51	2.64	105.18	2.50	0.14	5.60
v)	कोयला उठाव	एमटी	33.25	34.20	102.86	33.04	1.16	3.51

* टिप्पणी : क्षमता उपयोजन के लिए अनुमोदित 2.13 एम.सीयूएम आर/एच को छोड़कर

1.2 वैगन भराई

2013-14 में वैगन भराई 2012-13 के वास्तविक 3094 एफडब्लू/दिन की तुलना में औसत 3144 एफडब्लू/दिन हुई जो पिछले वर्ष से 1.62% (+) अधिक थी।

1.3 धुले हुए एवं सीधे उपयोज्य कोयले की आपूर्ति

धुले हुए एवं सीधे उपयोज्य कोयले की आपूर्ति 2012-13 के 13.73 लाख टन की तुलना में 2013-14 में इस्पात सेक्टर को 10.62 लाख धुले हुए एवं सीधे उपयोज्य कोयले की आपूर्ति की गई।

1.4 धुले कोयला का उत्पादन (सीधे उपयोज्य कोयला शमिल है)

[संदर्भ एमओयू मद सं. 2.4(iii)]

प्रकार	2013-14		2012-13	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
धुला कोयला (सी)	1.800	0.953	1.790	1.329
धुला कोयला (एनसी/डब्ल्यूपीसी)	2.076	1.261	2.054	1.291
सीधे उपयोज्य कोयला	--	0.09	--	0.026
कुल	3.876	2.304	3.844	2.646

1.5 उत्पादन लागत में वास्तविक परिवर्तन (संदर्भ एमओयू मद सं. 3.2.2)

	मद	इकाई	2013-14	2012-13
1	उत्पादन	लाख टन	326.14	312.14
2	शुद्ध विक्रय योग्य कोयला	लाख टन	325.44	311.38
3	डब्ल्यूपीआइ में वृद्धि	%	5.97	
	(177.6-167.6)/167.6*100			
4	कुल लागत	₹ लाख में	720579	722835
5	प्रति टन लागत (COP)	₹	2214.17	2321.39
6	सीओपी 13-14 / सीओपी 12-13		0.95	
7	डब्ल्यूपीआइ	13-14/डब्ल्यूपीआइ 12-13	1.06	
8	100 – (आर6/आर7*100)	%	10.38	

टिप्पणी: 2012-13 से 2013-14 में प्रति टन लागत (सीओपी) में 4.62% की कमी हुई हैा 2012-13 से 2013-14 में वास्तविक रूप में सीओपी में डब्ल्यूपीआइ में 5.97% वृद्धि हुई है। इसलिए 2012-13 की तुलना में 2013-14 में 10.38% कमी हुई है।

2. प्रबंधन :

क) 01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान कंपनी के मामलों की देख-रेख बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा की गई :

1.	श्री टी के लाहिड़ी अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	01.11.2008	से	कार्यरत हैं
2.	श्री पी सोम शेखर रेड्डी, निदेशक	:	13.01.2012	से	11.04.2013 तक
3.	श्री हेमंत जैन, निदेशक	:	12.04.2013	से	15.01.2014 तक
4.	श्री एस. के. शाही, निदेशक	:	27.01.2014	से	कार्यरत
5.	श्री एन. कुमार, निदेशक	:	29.02.2013	से	कार्यरत
6.	श्री पी ई कच्छप, निदेशक	:	11.07.2007	से	31.12.2013 तक
7.	श्री डी सी झा, निदेशक	:	27.10.2009	से	कार्यरत
8.	श्री अमिताभ साहा, निदेशक	:	02.08.2011	से	कार्यरत
9.	श्री अशोक सरकार, निदेशक	:	25.08.2011	से	कार्यरत
10.	श्री बी. के. पंडा, निदेशक	:	01.01.2014	से	कार्यरत
11.	श्री पॉल जोसेफ, स्वतंत्र निदेशक	:	25.06.2011	से	कार्यरत
12.	श्री बी रमेश कुमार, स्वतंत्र निदेशक	:	25.06.2011	से	कार्यरत
13.	श्री बी बी बिस्वाल, स्वतंत्र निदेशक	:	25.06.2011	से	कार्यरत
14.	श्री एस बी घोष दस्तीदार, स्वतंत्र निदेशक	:	31.01.2012	से	कार्यरत
15.	श्री पी.आर.मंडल, स्वतंत्र निदेशक	:	12.02.2013	से	कार्यरत
16.	श्री जी के मोहंती, स्थायी आमंत्रित	:	31.01.2012	से	कार्यरत
17.	श्री ए के सरकार, स्थायी आमंत्रित	:	30.09.2011	से	20.04.2013 तक
18.	श्री एस. के. बर्णवाल	:	07.05.2013	से	02.07.2013 तक
19.	श्री सत्येन्द्र सिंह, स्थायी आमंत्रित	:	11.10.2013	से	31.03.2014 तक

(ख) वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड की 10(दस) बैठकें हुईं थी।

3. सीएमपीडीआइएल मानको के सापेक्ष एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोग:

इस संबंध में संगत विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

उपकरण	31.3.14 को इनकी संख्या	31.3.13 को इनकी संख्या	मानक		2013-2014 वास्तविक		2012-2013 वास्तविक		अंतर % में	
			उपलब्धता %	उपयोग %	उपलब्धता %	उपयोग %	उपलब्धता %	उपयोग %	उपलब्धता	उपयोग
ड्रेगलाइन	2	2	85	73	88	64	67	52		
शॉवेल	174	157	80	58	85	81	79	75	8	9
डम्पर	565	544	67	50	100	60	98	52	3	14
डोजर	138	142	70	45	79	50	81	52	-3	-5
ड्रिल	105	119	78	40	84	61	75	51	12	19

संपूर्ण प्रणाली क्षमता उपयोग (उत्पादन लक्ष्य के अनुकूल अनुपातिक) 96.61% है (संदर्भ एमओयू मद सं. 3.2.3)

4. धारक कंपनी सीआइएल

यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी बनी रहेगी।

5. बाधाएं

वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन में कमी के संदर्भ में निम्नलिखित बाधाओं ने बीसीसीएल के कार्य निष्पादन को प्रभावित किया है:

(क) कोयला उत्पादन में कमी (आंकड़े लाख टन में)

क्रम सं.	कारण	2013-14	2012-13
i	विद्युत बाधा	1.277	7.047
ii	अनुपस्थिति की प्रवृति	0.545	0.560
iii	वर्षा	0.032	0.606
iv	यांत्रिक गड़बड़ी	1.976	8.380
v	औद्योगिक संबंध	0.297	0.845
vi	रेत भराई में पिछड़ना	0.000	0.000
vii	भूमि आदि की अनुपलब्धता	1.211	0.535
viii	रूफ की समस्या एवं अन्य	13.980	8.742
	कुल	**19.318**	**26.715**

(ख) धुले हुए कोयले की कमी (आंकड़े लाख टन में)

क्रम सं.	कारण	2013-14	2012-13
i	विद्युत बाधा	0.297	0.426
ii	विद्युत एवं यांत्रिक गड़बड़ी	2.067	2.703
iii	कच्चे कोयले की कमी	1.818	1.216
iv	सी सी वांकर का भरा होना	0.083	0.129
v	वर्षा एवं अप्लावन	0.000	0.000
vi	परिचालन संबंधी बाधाएं	2.349	2.073
vii	रख-रखाव संबंधी रूकावट	1.074	1.263
viii	माध्यमों की कमी	0.201	0.000
	कुल	**7.889**	**7.810**

6. विद्युत आपूर्ति की स्थिति:

6.1 **<u>विद्युत उपलब्धताः</u>**

वर्ष 2012-13 के दौरान बिजली की जरूरत 184.90 एम वी ए आंकी गई थी, जबकि बिजली की औसत उपलब्धता 182.72 एम वी ए थी। पिछले वर्ष के दौरान इसकी मांग और उपलब्धता क्रमशः 184.40 एम वी ए

तथा 178.91 एम वी ए थी। 2013-14 में कुल मिलाकर 1173 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही थी जो बाधा वर्ष 2012-13 में 3443 घंटे की थी।

6.2 विद्युत उपलब्धता को विकल्प के लिए कैप्टिव सेट का परिचालन

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न कैप्टिव डी जी स्टेशनों द्वारा पैदा की गई बिजली का विवरण निम्नलिखित है:

कैप्टिव डीजी सेट	आरंभिक क्षमता (एमवीए)	2013-14		2012-13	
		उत्पादित उर्जा (केडब्ल्यूएच)	चलने वाले घंटे	उत्पादित उर्जा (केडब्ल्यूएच)	चलने वाले घंटे
जेलगोरा	7.2	-	-	-	-
मधुबन	3.2	-	-	-	-
मुनीडीह	6.4	-	-	1350	3.00
अमलाबाद	1.6	-	-	-	-
मुरलीडीह	1.6	14025	59.05	32406	108.10
कुल		**14025**	**59.05**	**33756**	**111.10**

6.3 विद्युत उपलब्धता के लिए दूसरे उपाय :

i) मुनीडीह कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थिति

फ्लूडाइज्ड बेड कम्बंशन प्रौद्योगिकी पर आधारित 2x10 मेगावाट क्षमता के कैप्टिव ताप संयंत्र को लीज पर दे दिया गया है जिसे अप्रैल, 2011 से पट्टाधारी द्वारा चलाया जा रहा है। डीवीसी ग्रिड में कुल 89018592 के डब्लू एच उर्जा दी गई है। 2013-14 में मुनीडीह द्वारा 422000 केडब्ल्यूएच उर्जा खपत की गई है।

ii) मधुबन विद्युत संयंत्र की स्थिति:

सीआइएल व मैसर्स डी एल एफ पावर लि. के बीच हुए समझौते के अनुसार मधुवन में बी. ओ. ओ. योजना के तहत फ्लूड बेड कंबशन पर आधारित एक 1x10 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट का निर्माण किया गया है। जिसमें फ्यूल के रूप में वाशरी से निकले त्यक्त–पदार्थ प्रयोग किया गया है। 24.06.2007 से सीसीपी का परिचालन बंद है।

(क) मधुबन स्थित विद्युत संयंत्र आरंभ से ही परफोर्मेंस गारंटी टेस्ट, पूंजी लागत, वाशरी रिजेक्ट्स की गुणवता आदि के कारण बाधाओं से घिरा है।

(ख) डीएलएफ पावर पंच निर्णय के लिए गया। पंचाट पर बीसीसीएल ने सिविल कोर्ट, धनबाद में आपत्ति दर्ज की है। जेएसइआरसी द्वारा शुल्क आदेश जारी किया गया है। बीसीसीएल ने इस आदेश पर नई दिल्ली में बिजली के अपलेंट ट्राइब्यूनल में आपत्ति दर्ज की है जिसमें उक्त आदेश विचाराधीन है।

(ग) अॅपेलेंट ट्राइब्यूनल ने अपील को खारिज कर दिया है इसलिए बीसीसीएल ने दिनांक 07-04-12 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 05-10-2012 को आदेश दिया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण का दिनांक 06-02-12 को दिया गया निर्णय स्थगित रहेगा।

(घ) डीएलएफ नये सिरे से संयंत्र को पुन: चालू करने के लिए इच्छुक नहीं है। डीएलएफ को संयंत्र पुन: चालू करने के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव दिया है। लेकिन डीएलएफ अभी तक इस प्रस्तावपर सहमत नहीं हुआ है।

(ङ) चूंकि डीवीसी ने टेरिफ याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय में आपत्ति दर्ज की है, इसलिए डीवीसी द्वारा वर्तमान में अस्थायी तौर पर बिल तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. वित्त

7.1 पूंजीगत संरचना

प्राधिकृत शेयर पूंजी	करोड़ में
इक्विटी शेयर	2500
5% अपरिवर्तनीय संचयी विमोच्य अधिमान शेयर	2600
कुल	**5100**
अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी	
इक्विटी शेयर	2118
5% अपरिवर्तनीय संचयी विमोच्य अधिमान शेयर	2539
कुल	**4657**

7.2 वित्तीय परिणाम

पिछले वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹ 1709.06 करोड़ की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी को कर पूर्व ₹ 2089.01 करोड़ का निवल लाभ प्राप्त हुआ है। विवरण इस प्रकारहै:

विवरण	2013-14	2012-13
मूल्यह्रास एवं हानिकरण ब्याज, कर एवं ऋण अदायगी (EBIDTA) के पहले लाभ (+) / हानि (-)	2380.37	1938.01
घटाएं: मूल्यह्रास एवं हानिकरण	261.14	209.98
ब्याज, कर एवं ऋण अदायगी पूर्व लाभ	2119.23	1728.03
घटाएं: ब्याज	30.22	18.97
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	2089.01	1709.06
घटाएं: कर के वर्तमान प्रावधान	374.66	210.26
कर के बाद लाभ (PAT)	1714.35	1498.80

7.3 पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स)

31.03.2014 तक लेखा शीर्षवार पूंजीगत व्यय (नकद आधार पर)

(₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	2012-13	2013-14	
	वास्तविक	बी.ई.	वास्तविक
पूर्वेक्षण	3284.22	7420.00	6904.28
भूमि	374.46	746.00	695.09
आवासीय भवन	84.87	530.00	88.97
सर्विस भवन	212.23	3660.00	285.32
कल्याण भवन (Welfare Bldg.)	63.23	750.00	129.86
जलापूर्ति	82.68	910.00	71.43
एचईएमएम	5843.45	40436.00	20146.62

अन्य पी व एम	13190.86	22823.00	19749.54
विकास	3409.44	5990.00	2040.80
रेलवे साइडिंग	0.00	1035.00	222.27
फर्निचर	69.26	700.00	89.97
वाहन	0.00	0.00	0.00
कुल	**26614.70**	**85000.00**	**50424.15**

7.4 राजकोषीय भुगतान

कंपनी द्वारा विगत वर्ष में भुगतान किए गए रु.1799.65 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष के दौरान रु.1691.57 करोड़ रु. का भुगतान राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों को सांविधिक मद में किया गया है। इसका विवरण निम्नलिखित है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	**2013-14**	**2012-13**
कोयले की रॉयल्टी	688.25	770.49
विक्रय कर/वैट	284.60	303.45
बालू उत्पादन शुल्क	33.17	32.31
अन्य उपकर	4.73	3.79
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	164.54	171.51
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	516.28	518.10
कुल	**1691.57**	**1799.65**

कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि:

(i) मार्च,2014 में किए गए डिस्पैच पर अप्रैल, 2014 में भुगतेय कोयले की रायल्टी के लिए मार्च,2014 में अग्रिम के रूप में रु. 65.00 करोड़ ।

(ii) मार्च, 2014 एवं 2014-15 के डिस्पैच पर जेवीएटी के लिए मार्च,2014 में अग्रिम के रूप में रु.19.64 करोड़।

(iii) मार्च, 2014 एवं 2014-15 के डिस्पैच पर सीएसटी के लिए रु. 26.37 करोड़ ।

(iv) कानून के अनुसार 31 मार्च, 2014 के भीतर अनिवार्य रूप से भुगतेय मार्च, 2014 के डिस्पैच पर उत्पाद शुल्क के लिए मार्च, 2014 में रू. 68.66 करोड़ भुगतान किया गया।

8. दूरसंचार:

1. एमपीएल एस- वीपीएन आधारित वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) क्षेत्रीय कार्यालयों/क्षेत्रीय भंडारों/केंद्रीय भंडारों/ वाशरी भंडार/कर्मशाला/वजनघरों और कोलकाता में डेस्क ऑफिस को शामिल करते हुए 94 स्थानों पर एमपीएलएस-वीपीएन आधारित वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) शुरू कर दिया गया है तथा इन्हें एमपीएलएस-वीपीएन के जरिए ऑन-लाइन कार्यों के लिए जोड़ दिया गया है। नेटवर्क की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सीआइएल के दिशा निर्देश के अनुसार द्वितीयक नेटवर्क के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है।
2. **जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन खोजी प्रणाली** :- कुसुण्डा क्षेत्र में जीपीएस/जीपीलआरएस आधारित वाहन खोजी प्रणाली के लिए तीन महीनों के ट्रायल रन का काम सफलता पूर्वक पूरा कर लिया गया है। सफल ट्रायलरन के बाद प्रणाली को लागू करने के लिए संपुष्टि पत्र बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों को भेज दिया गया है तथा तद्नुसार बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों में यह प्रणाली लागू कर दी गई है।

बीसीसीएल के सभी 12 (बारह) क्षेत्रों में जीपीएस युक्त ट्रक परिवहन प्रणाली शुरू हो चुकी है। [संदर्भ एमओयू मद सं.- 2.4.2 (क) व (ख)]

3. बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों में किराये पर आर एफ आइ डी आधारित बूम बेरियर: बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों में सभी प्रवेशों / निकासों पर परिवहन वाहनों के प्रवेश / निकास पर ध्यान रखने के लिए आर एफ आइ डी आधारित बूम बेरियर लगाने के लिए अनुमोदन लिया जा रहा है।

4. **रोड वे-ब्रिजों पर सीसीटीवी**: तकनीकी परीक्षक के निर्देशनुसार रोड-वे-ब्रिजों पर सीवीसी, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।

5. **कारपोरेट संप्रेषण रणनीति**:
कंपनी द्वारा बेहतर कारपोरेट संप्रेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार की गई है । नवंबर,2013 में योजना को अनुमोदित कर दिया गया है। यह योजना कंपनी के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के बीच दो-तरफा संप्रेषण के लिए है। वरिष्ठ पदों में अधिकारियों का स्तर मुख्यालय के महाप्रबंधक /विभागाध्यक्ष एवं सभी क्षेत्रों तथा सर्विस इकाई के महाप्रबंधक / मुख्य महाप्रबंधक का है। अधिकारियों के मध्य स्तर में अपर महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक सामान्यत: शामिल किये जाते हैं। **[संदर्भ एमओयू सं.-2.4.2 (क) व (ख)]**

6. वेंडरों, भू-स्वामियों, उपभोक्ताओं आदि जैसे मुख्य स्टेक होल्डरों के साथ बैठकें / मंत्रणा की जाएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान वेंडर के साथ एक एवं भू-स्वामियों के साथ 17 (सतरह) बैठकें की गई। उपभोक्ताओं के साथ भी नियमित बैठकें आहूत की जाती हैं। **[संदर्भ एमओयू सं.-2.4.2 (ग)]**

7. सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों जैसे सतत कार्य निष्पादन के विषय में सेमिनारों, बैठकों के जरिए फीड बैक लिया जाता है। दिनांक 21-09-2013,21-02-2014एवं 14-03-2014 को कंपनी द्वारा इस तरह के तीन कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं। **[संदर्भ एमओयू सं.-2.4.2 (घ)]**

9. **जोखिम प्रबंधन:**
उद्यम के लिए जोखिम प्रबंधन योजना: सीआइएल ने उद्यम के जोखिमों का निर्धारण और सीआइएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में इसके प्रबंधन की प्रक्रिया तैयार करने के लिए 19 फरवरी, 2014 को कार्यादेश जारी किया गया। बीसीसीएल एक अनुषंगी कंपनी होने के नाते सीआइएल के उद्यम जोखिम प्रबंधन योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। इस कार्य को मेसर्स अर्नेष्ट एण्ड यंग : एलएलपी, कोलकाता ने शुरू किया है।
[संदर्भ एमओयू सं.-3.1.4]

10. **कंप्यूटरीकरण:**

(क) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बीसीसीएल मुख्यालय और बीसीसीएल डेस्क ऑफिस,कोलकाता में क्रमश:केंद्रित मुख्य डाटा केंद्र (MDC) तथा नीयर डाटा सेंटर (NDC) प्रतिष्ठापित किये गये। केंद्रीय/क्षेत्रीय भंडार, वाशरी भाग कार्यालय, पूर्वी वाशरी अंचल कार्यालय, पश्चिमी वाशरी अंचल कार्यालय तथा बीसीसीएल डेस्क ऑफिस, कोलकाता सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लोकल एरिया नेटवर्क (LANs) प्रतिष्ठापित किये गए। पिछले वर्ष के दौरान बीएसएनएल के माध्यम से प्रतिष्ठापित एमपीएलएस-वीपीएन लिंक का प्रयोग करते हुए 2013-14 के दौरान इन स्थनों को केंद्रित एमडीसी से जोड़ दिया गया।

(ख) पूर्व में बीएसएनएल के माध्यम से प्रतिष्ठापित एमपीएलएस-वीपीएन का प्रयोग करते हुए वर्तमान सभी रेल/रोड़ वे-ब्रिजों को केंद्रित एमडीसी से जोड़ दिया गया। 2013-14 के दौरान अतिरिक्त एमपीएलएस-वीपीएन लिंक बीसीसीएल के अन्य स्थानों को जोड़ने के लिए प्रतिष्ठापित किये गए जिनमें केंद्रीय अस्पताल, धनबाद, सभी वाशरी भंडार और सिनीडीह कर्मशाला भंडार शामिल हैं।

(ग) पिछले वर्ष के दौरान कोयले की बिक्री के लिए शुरू की गई ई-डिस्पैच प्रणाली का परीक्षण तथा बेहतर समायोजन (फाइन-ट्रयूनिंग) का काम पिछले वर्ष ही कर लिया गया। इसमें और सुधार किया गया है। ईआरपी के

रूप में विकसित किये जा रहे वेब आधारित कोलनेट एप्लिकेशन पैकेज के तहत विकसित मानकीकृत शॉफ्टवेयर मॉड्यूल के जरिए इसका प्रयोग कोयले की बिक्री के बिल तैयार करने में किया जा रहा है।

(घ) 2013-14 के दौरान जरूरतों के अनुसार कोलनेट एप्लिकेशन पैकेज के तहत मानकीकृत संघटित ऑन लाइन वित्तीय लेखाकरण माड्यूल के परीक्षण और बेहतर समायोजन का काम पूरा कर लिया गया तथा 2012-13 के दौरान प्रतिष्ठापित बजट नियंत्रण एवं अंकेक्षण मॉड्यूल के साथ जोड़ दिया गया। इस माड्यूल को 1-4-2014 से नियमित प्रयोगके लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है।

(ड) प्रक्रियाओं के मानकीकरण के लिए आवश्यकतानुसार कोलनेट एप्लिकेशन शॉफ्टवेयर के वर्तमान परिचालन माड्यूल में जरूरी रूपांतरण एवं सुधार कर लिया गया है।

(च) 2013-14 के दौरान आवश्यकता एवं किये गए परिचालन के अनुसार कोलनेट एप्लिकेशन का प्रयोग करके यूनिट कॉस्ट शीट, कारपोरेट कास्टशीट तथा संबंधित रिपोर्टों की तैयारी के लिए सुविधा का परीक्षण एवं बेहतर समायोजन पूरा कर लिया गया।

11. भूगर्भीय अनुसंधान तथा ड्रिलिंग:

11.1 अनुसंधान तथा ड्रिलिंग:

निम्नलिखित कोल ब्लॉकों में वर्ष 2013-14 के दौरान 39657.50 मी. ड्रिल किया जा चुका है:

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	एजेंसी	मिटरेज ड्रिल किया गया	टिप्पणी
1	कपुरिया	सीएमपीडीआइएल के माध्यम से एमईसीएल	10214.75	कार्य प्रगति पर है
2	सिंगरा	सीएमपीडीआइएल के माध्यम से एमईसीएल	19961.15	कार्य प्रगति पर है
3	वेस्ट महुदा	सीएमपीडीआइएल के माध्यम से एमईसीएल	9481.60	कार्य प्रगति पर है
		कुल	39657.50	

11.2 भूगर्भीय मूल्यांकन:

(क) बीसीसीएल नियंत्रित क्षेत्र के 27 पैचों का अध्ययन एचईएमएम (ओसीपैच) को किराये पर लेने के लिए किया गया जिसमें परिवर्तन प्रस्ताव शामिल है।

11.3 विभागीय ड्रिलिंग गतिविधियां:

क्रम सं.	ड्रिल का नाम	कार्य की प्रगति (मीटर में)		कार्य की प्रकृति	% वृद्धि / ह्रास	ड्रिलों की सं.	टिप्पणी
		2012-13	2013-14				
1	वोलम 160 एचटीआर	399.00	589.04	पानी निकालने के उद्देश्य से लोदना, धनसार कोलियरियों में ड्रिलिंग /रिमिंग	(+)47.62	02	पुरानी मशीनों का अक्सर खराब होना
2	बर्न साइड ड्रिलिंग मशीन	309.67	86.85	लोहापट्टी,बरारी में पानी निकालने तथा भौंरा (उत्तरी) भूमिगत कोलियरियों में फॉल्ट पता लगाने के लिए ननकोरिंग यूजी ड्रिलिंग	(-)66.8	03	कम आवश्यकता इसलिए प्रतिशत में कमी

कुल	102.75	भौंरा (उत्तरी) में फॉल्ट पता करने के लिए कोरिंग भूमिगत ड्रिलिंग	

12. अनुसंधान एवं विकास

12.1 वर्ष 2013-14 के दौरान बीसीसीएल के नियंत्रण वाले क्षेत्र में कोल इंडिया लि. के निम्नलिखित 12 (अनुसंधान एवं विकास) एस व टी परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

बीसीसीएल के नियंत्रण वाले क्षेत्र के अंतर्गत एस व टी / आर व डी परियोजनाओं की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजन के आरंभ की तिथि	पूर्ण होने की नियत तिथि	कुल अनुमोदित लागत	स्थिति
1.	झरिया कोयला क्षेत्र में सीबीएम अन्वेषण के लिए स्वस्थाने स्ट्रेस का विश्लेषण। **परियोजना कोड**: सीआइएल/आर व डी/ 1/ 32/ 09 **कार्यान्वयन करने वाली एसजेंसीः** सीएमपीडीआइएल एवं आइएसएम, धनबाद।	मार्च, 2009	फरवरी.2013	168.597 सीएमपीडीआइ- 126.00 आइएसएम - 42.597	परियोजना पूरी हो गई है। 30 कूपों के घनत्व लॉग से झरिया कोलफील्ड के लिए उर्ध्व दबाव, वास्तविक दबाव, वास्तविक उर्ध्व दबाव तथा वास्तविक अनुप्रस्थ दबाव जैसे स्वस्थाने दबावके परिमाण का आकलन कर लिया गया है।
2	कोक बनाने वाले धमन भट्टी (बीएफ) के लिए निम्न श्रेणी एवं कम वाष्पशील उच्च श्रेणी के भारतीय कोकिंग कोल का प्रभावी उपयोग। **परियोजना कोड:** सीआइएल/ आर ऐंड डी/3/1/09 **कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी:** सीएमपीडीआइएल, रांची एवं आरडीसीआइएस(सेल), रांची।	सितम्बर, 2009	फरवरी.2013	265.00 सीएमपीडीआइ, 245.00 आरडीसीआइएस, 20.00	परियोजना पूरी कर ली गई। प्रयोगशाला के मापदंड के परिणामों के आधार पर प्राइम(PCC), मिडियम (MCC), आयातित कोकिंग कोयला और चयनित निम्न श्रेणी उच्च वाष्पशील कोयला तथा ब्लेंड में एल.पी. एच. आर. कोयला के साथ पायलट ओवन कार्बोनाइजेशन टेस्ट के लिए मुराइडीह ओसी (V,VI, VII कंम्बाइड सीम) तथा नार्थ उरीमारी (अरगड्डा सीम) से नमूनों का चयन किया गया। जांच परिणामों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित की अनुशंसा की गई है:- i. मुराइडीह और नार्थ उरीमारी के 10%, 15% और 17% राख स्तर वाले क्लीन कोयले के नमूनों में कोकिंग के अच्छे गुण हैं तथा इसका उपयोग कोक बनाने में किया जा सकता है। ii. गिदी-ए झांझरा और सोनपुर बाजारी के क्लीन कोयले में कोकिंग का गुण नहीं है। यह डस्ट इजेंक्शन एप्लिकेशन के लिए उपयुक्त है। iii. अरगड़ा सीम, नार्थ उरीमरी, साउथ करनपुरा कोल फील्ड से लिये गए 20% तक उच्च वाष्पशील निम्न श्रेणी के कोयले में राख की मात्रा लगभग .0% और 15% है। इसका उपयोग धमन भट्ठी में कोक बनानेके लिए किया जा सकता है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजन के आरंभ की तिथि	पूर्ण होने की नियत तिथि	कुल अनुमोदित लागत	स्थिति
					iv. 10% कम राख वाला मुराइडीह एवं नार्थ उरीमरी के कोयले को मिलाकर स्ष्टांप चार्जिंग प्रक्रिया के तहत प्रयोग करने पर बहुत अच्छे गुणवता वाला कोक तैयार होता है। v. 15% मुराइडीह कोयला के साथ 10 % नार्थ उरीमारी कोयला में राख की मात्रा 10% पर तैयार समिश्रण का प्रयोग स्टांप चार्जिंग पद्धति के जरिए करने से अच्छे गुणवत्ता वाला कोक प्राप्त किया जा सकता है। vi. यह भी पाया गया है कि 17% राख के स्तर वाला 10% तक उच्च वाष्पशील कोयला तथा 10% तक कम वाष्पशील कोयला का समिश्रण में प्रयोग करके कोक को इसकी गुणवत्ता कम किये वगैर प्राप्त किया जा सकता है।
3	कोयला खदानों के अंदर अंत: श्वसनीय वायु में मिली धूल में सिलिका (ए-क्वार्टज)की मात्रा के निर्धारण का अध्ययन और धूल तथा कोयले में मौजूद स्वतंत्र सिलिका एवं अन्य खनिजों के डाटा बैंक तैयार करना करना। **परियोजना कोड:** सीआइएल/आर व डी/1/39/10 **कार्यान्वयन एजेंसी:** सीआइएमएफआर, धनबाद एवं एस ऐंड आर विभाग, सीआइएल, कोलकाता।	फरवरी. 2010	जनवरी.2015	336.02 सीआइएम एफआर 336.02 एस ऐंड आर (सीआइएल) – शून्य	विश्लेषण के लिए कोयले एवं निकटस्थ रॉक के नमूने एकत्र करने का काम जारी है। अबतक सीआइएम एफआर,धनबाद ने 417 कोयला सीमोंके नमूने तथा सीआइएल की 219 खदानों से 342 रॉक नमूने एकत्र करके विश्लेषण किया है। उपर्युक्तके आलावे, आजतक सीआइएमएफआर, धनबाद ने सीआइएल की विभिन्न अनुषंगियों से वायु में श्वसनीय धूल के 228 नमूने लेकर उनका विश्लेषण किया है। अल्फाक्वार्टज (ALPHAQUARTZ) डाटाबेस शॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। विश्लेषित डाटा को डाटाबैंक में प्रविष्ट किया जा रहा है। सीआइएल की अन्य खदानों से नमूने एकत्र करने का काम किया जा रहा है।
4	रेडियोमेट्रिक तकनीक का प्रयोग करके कोल ड्राइ परिष्करण प्रणाली का निदर्शन। **परियोजना कोड:** सीआइएल2आर व डी/2/05/10 **कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी:** सीएमपी डिवीजन, सीएमपीडीआइएल एवं आर्डी हाइ-टेक प्रा0लि0,विशाखापटनम ।	सितंबर, 2010	मार्च, 2015	2565.70 सीएमपी डीआइ 1814.40 आरडी हाई-टेक 751.30	कुछ उपकरण बीसीसीएल के मधुबन वाशरी में ले जाए जा रहे हैं। टर्न की आधार पर संयंत्र के डिजाइन एवं प्रतिष्ठान से संबंधी कुछ किया जाना है, जिसके लिए निविदा जारी कर दी गई। प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया है। निविदा समिति ने फिर से निविदा जारी करने की सिफारिश की क्योंकि निविदा अनुकूल नहीं पाये गए। तद्नुसार फिर से निविदा निकाली गई प्रस्ताव प्राप्त किये गए। तीन पार्टियों को इसके लिए योग्य पाया गया। तकनीकी भाग खोला गया। सभी पहलूओं पर विस्तार से विमर्श करने के बाद, निविदा समिति ने पाया कि सभी बिडरों के प्रस्ताव में निविदा से कुछ अंतर है। इसलिए बिडों को अनुकूल नहीं पाया गया। इसलिए निविदा समिति ने सभी निविदाओं को निरस्त करने की अनुशंसा की। विधिवत अनुमोदन के पश्चात फिर से निविदा निकाला गया। दो पार्टियों ने अपना

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजन के आरंभ की तिथि	पूर्ण होने की नियत तिथि	कुल अनुमोदित लागत	स्थिति
					प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 15.5.2013 को दोनों बिडरों का भाग-1 खोला गया। भाग-I, भाग-II के मूल्यांकन के बाद 19.08.2013 को दोनों बिडरों के भाग-III को खोला गया। कार्य का आदेश-पत्र (LOA) निर्गत कर दिया गया है। करार की तैयारी की जा रही है।
5	'टायर रीट्रेडिंग कंपाउंड में सुधार करके तथा सड़क की अधिक रख-रखाव प्रणाली-भाग-।। के जरिए डम्प ट्रक टायरों के जीवन संवर्धन के लिए अनुसंधान **परियोजना कोड:** सीआइएल/आर व डी/1/45/10I **कार्यान्वयन एजेंसी:** आइआइटी खड़गपुर एवं बीसीसीएल, धनबाद।	मार्च, 2011	मार्च,2011	64.37	दोबारा ड्रील किये गए आठ डंप ट्रक के टायरों को बीसीसीएल के दो ओपेन कास्ट प्रोजेक्टों में फील्ड ट्रायल (दहीबाड़ी ओसीपी में चार टायर और न्यू केशलपुर ओसीपी ए के डब्ल्यू एम सी में चार) पूरा कर लिया गया है। डाटा के विश्लेषण करनेके बाद परियोजना संपूरण रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।
6	गोडवाना घाटी में सीआइएल क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में स्लेटी पत्थर में गैस की संभावना। **परियोजना कोड-** सीआइएल/आर व डी/1/46/11 **कार्यान्वयन एजेंसी:** सीबीएम(कोषांग), सीएमपीडीआइ (मुख्यालय) रांची तथा एडवांस रीसोर्सेज इंटरनेशनल, वाशिंगटन-डीसी, यू एस ए।	अप्रैल, 2011	जुलाई,2014 मार्च, 2014 सितंबर, 2014	496.00 सीएमपी डीआइ के लिए 424.90 ए आर आई यूएसए के लिए 71.10	सीआइएल नियंत्रण वाले क्षेत्र के दामोदर नदी घाटी बेसीन में स्लेटी पत्थर के संस्तर के उपलब्ध भूगर्भीय निवेश के संग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। परियोजना के लिए संग्रहित स्रोत रॉक के नमूने का कुल ऑर्गेनिक कार्बन (TOC) का निर्धारण किया जा रहा है। अबतक जनित विशलेषणात्मक आँकड़ों को दुर्लभ खनिज भंडार संपदा विश्लेषण एवं खनिज भंडार अनुरूपण के लिए मेसर्स एआइइ, यूएसए को भेज दियागया है।
7	कोयला खदानों एवं कोल बेडों से ग्रीन हाऊस गैस निकालकर उसे ऊर्जा में बदलना (GHG2E)। **परियोजना कोड:** सीआइएल/आर व डी/1/49/2012 **कार्यान्वयन एजेंसी:** सीबीएम(कोषांग), सीएमपीडीआइ (मुख्यालय), रांची तथा यूरोपियन यूनियन रिसर्च कमीशन, लंदन।	फरवरी, 2012	जुलाई, 2015	165.30 आर व डी 80.00 ईयू जारी 85.30	सीएमपीडीआइ ने भूगर्भीय डाटा की व्याख्या एवं विश्लेषण संबंधी सौंपे गए पैकेज-2 एवं 8 का कार्य पूरा कर लिया है। मुनीडीह खान, बीसीसीएल में आइआइटी, खड़गपुर द्वारा डाटा सृजन, इन-सीम ड्रिलिंग की व्यवस्था की गई है। ड्रिलिंग के दौरान लिये गए कोयला के नमूनों का डिजोर्प्सन (Desorption) अध्ययन के लिए सीएमपीडीआइ को शामिल किया गया है
8	भूमिगत कोयला खानों में डीपिलरिंग कार्यों के लिए	सितंबर, 2010	मार्च, 2014	197.75 जेबीइपीएल के लिए-	फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग (एफइएम)का प्रयोग करके चार स्व-प्रगामी (चल) गोफ एज सपोर्ट का

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजन के आरंभ की तिथि	पूर्ण होने की नियत तिथि	कुल अनुमोदित लागत	स्थिति
	स्वप्रगामी (चल) गोफ एज सपोर्ट (एसएजीइएस) का विकास। **परियोजना कोड:** एमटी (ईओआइ)/159 **कार्यान्वयन एजेंसी:** आइएसएम, धनबाद एवं मे0 जय भारत इक्युपमेंट प्रा0लि0 (जेबीइपीएल), हैदराबाद।			135.65 आइएसएम के लिए- 62.10	डिजाइन एवं फेब्रिकेशनपूरा कर लिया गया है। एस ए जी ई एस-1 व 2 के फील्ड ट्रायल के परिणाम के आधार पर एसएजीईएस- 3 व 4 के डिजाइन और फेब्रिकेशन में संशोधन किया गया है। बस्ताकोला यूजी खदानों में विक्ट्री सेक्शन के फील्ड ट्रायल के लिए डेपिलरिंग पैनल में दोनों सपोर्टों (SAGES-3 व 4) को लगाया गया है। एसएजीइएस 3 व 4 के फील्ड ट्रायल के परिणामों के विश्लेषण के इनपुट के आधार पर प्रोजेक्ट प्रस्तावक द्वारा एसएजीईएस- 5 व 6 फेब्रिकेशन का काम शुरू किया जाएगा। डिजिटल डिस्प्ले यूनिट को भी बड़े डिजिटल डिस्प्ले के सहारे बदल दिया गया है तथा एसएजीईएस में डाटा लॉगिंग के लिए बैटरी बैक लगाया गया है। मेडियम ड्यूटी (2 x 200 टन) के स्व नोदित मोबाइल सफेर्ट को बंद कर दिया गया है तथा इसे 1.85 से 3.2 एम की उच्चसीमा तक बढ़ा दिया गया है जो 71.4 टन/वर्ग मीटर का सपोर्टप्रतिरोध दे सकता है।
9	भारत के दामोदर बेसिन के शेल (Shale) गैस क्षमता का मूल्यांकन-सीई(ईओआइ)/30 **कार्यान्वयन एजेंसी:** एनसीआरआइ, हैदराबाद, सीआइएमएफआर, धनबाद सीएमपीडीआइ, रांची	दिसंबर, 2012	नवंबर, 2015	1686.84 एनजीआर आइ के लिए - 462.59 सीआइएम एफआर के लिए - 169.95 सीएमपी डीआइ के लिए - 1054.30	राजगंज के धरमा ब्लॉक तथा झरिया कोल फील्ड के वेस्ट महुदा, सिंगरा, कपुरिया से 22 शेल (Shale) नमूने तथा बोकारो कोल फील्ड के 4 नमूने स्वीकृत किये गए। इन्हें पेट्रोग्राफिक, टीओसी तथा रॉक इवल पाइरोलाइसिस टेस्ट के लिए सीएमपीडीआइ एवं एन जी आर आइ, हैदराबाद भेजा गया। सीआइएमएफआर, धनबाद द्वारा 51 शेल (Shale) कोर नमूनों का आसन्न विश्लेषण तथा 20 शेल कोर नमूनों का अधिशोषण समतापीय परीक्षण किया गया। शैल नमूनों का मेगास्कोपिंक अनुसंधान किया गया एवं विभिन्न विश्लेषण के लिए संसाधित किया गया। एनजीआरआइ, हैदराबाद के अनर्गत रॉक इवल पाइरोलाइसिस परीक्षण के लिए शैल नमूनों का भू-रसायनिक विश्लेषण किया जा रहा है। उपकरणों की खरीद की प्रक्रियाधीन है।
10	कोयले की गुणवत्ता के आकलन हेतु औजार के रूप में स्पेक्ट्रोमेट्री की उपयुक्तता की छान-बीन। **परियोजना कोड-** सीयू/58 **कार्यान्वयन एजेंसी:** सीआइएमएफआर, धनबाद।	जनवरी, 2010	दिसम्बर, 2013	147.61	परियोजना पूरी कर ली गई है इस परियोजना के तहत स्पेक्ट्रो- रेडियोमीटर एवं मल्टीपल स्पेक्ट्रो फोटोमीटर (एमएसपी-200) की खरीद कर ली गई है। इसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल के विभिन्न सीमों के रेडियोमीटर डाटा (उत्सर्जक एवं विकिरण) एकत्रित किये गए हैं। कोयला स्लेटी पत्थर, स्लेटी कोयला और कार्बनी कोयला के साथ ग्रे शेल, बालुवाही पत्थर एवं अग्नेय अंतर्वैधन के विभिन्न नमूने लिये गए, तैयार किये गए तथ्था विश्लेषण किया गया। अधिशोषण एवं तापीय विकिरण का उत्सर्जन दर्शाने वाले विभिन्न नमूनों के उत्सर्जन ग्राफ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजन के आरंभ की तिथि	पूर्ण होने की नियत तिथि	कुल अनुमोदित लागत	स्थिति
					के भिन्न-भिन्न तरंग-दैर्ध्य होते हैं। पेट्रोग्राफिक रसायनिक एवं सीसीवी अध्ययन करने के बाद कोयले की गुणवत्ताके आकलन के लिए रेडियोमेट्रिक तथा विश्लेषणात्मक परिणामों के बीच सहसंबंध का अध्ययन किया गया। स्पेक्ट्रो-रेडियोमीटर उपकरण द्वारा जनित उत्सर्जनता तथा परावर्ती डाटा का विश्लेषण किया गया।
11	खदान के आग वाले क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का अनुमान लगाने के लिए विधि-तंत्र का विकास तथा उनका स्थलीय पृथक्करणके जरिए यूनीकरण। **परियोजना कोड-** ईई (ईओआइ)/ 39 **कार्यान्वयन एजेंसी:** सीआइएमएफआर, धनबाद एवं बी एच यू, वाराणसी।	फरवरी, 2009	जून, 2013	354.491 सीआइएम एफ के लिए- 341.77 बीएचयू के लिए- 12.721	वायु विलय स्पेक्ट्रोमीटर तथा ऐथेलोमीटर का उपयोग करके लगभग 24000 डाटा सेट एकत्रित किये गए। सांख्यिकी औजार के माध्यम से एकत्रित किये गए डेटाका वैधिकरण पूरा कर लिया गया है। कैलफ शॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ग्रीन हाउस गैस तथा अन्य किश्मों के लिए एरिया सोर्स डिस्पर्शन विश्लेषण किया गया। अन्य पर्यावरणीक घटकों पर डेटा उर्त्सजन की निर्भरता एवं परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए परीक्षित कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क को कार्यान्वित किया गया।
12	अत्यधिक राख वाला भारतीय कोकिंग कोयला के लाभकारी प्रयोग के लिए ट्रिबो-इलेक्ट्रोस्टेरिक सेपरेटर का विकास **परियोजना कोड-** सीपी/44 **कार्यान्वयन एजेंसी:** आइआइएमटी, भुवनेश्वर।	अगस्त. 2011	जनवरी. 2014	47.67	बेंच स्केल ट्रिबो-इलेक्ट्रोस्टीक सेपरेटर का निर्माण किया गया है तथा बैच स्केल परिचालन के लिए इलेक्ट्रो-स्टेटिक सेपरेटर का यंत्रीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। वाशरी फीड वाशरी स्लरी तथा दुग्धा II वाशरी के कुल 2 टन रिजेक्ट के तीन नमूने एकत्र किये गए। वाशरी फीड एवं वाशरी फाइनस की धुलाई क्षमता एवं विशेषता के पूर्ण ब्यौरा का अध्ययन पूरा कर लिया गया है। कॉपर ट्रिबो चार्जिंग सहित ट्रिबो चार्जिंग का आद्रता एवं समय के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए शुद्ध कार्बन एवं कावोलिनाइट खनिजके चार्ज का गुण-चित्रण कर लिया गया है। विभिन्न आद्रता एवं प्रयोग किया गया वोल्टेज सभी तीनों नमूनों का बैच ट्रिबों-इलेक्ट्रो-स्टेटिक सेपरेशनका अध्ययन कर लिया गया है।

12.2 अभिनव प्रयोग / प्रकिया अपनाई गई (संदर्भ एमओयू मद सं. 2.5):

क्र. सं.	परियोजना / नवीन प्रक्रिया	लक्ष्य (उत्कृष्ट	उपलब्धि
i	कार्यालय क्षेत्रीय इकाइयों में सीएफएल लगाकर उर्जा की बचत करना	1000	1026
ii	एचईएमएम के डिजल खपत की देख-रेख करने के लिए अध्ययन	2 इकाइयां/खदानें	2(तेतुलमारी एवं ब्लॉक-iv ओसीपी में)
iii	एचईएमएम की उपयोगिता में सुधार के लिए अध्ययन	2 इकाइयां/खदानें	2(तेतुलमारी एवं ब्लॉक-iv ओसीपी मे)
iv	ओपेन कास्ट खदानों पावडर फैक्टर में सुधार के लिए अध्ययन	2 इकाइयां/खदानें	2(ब्लॉक-ii एवं निचितपुर ओसीपी में)
v	सुरक्षा बढ़ाने के लिए एचइएमएम का मोनिटर एवं नियंत्रण के लिए अध्ययन	2 इकाइयां/खदानें	लोदना एवं ब्लॉक-ii क्षेत्र में अध्ययन किया गया

vi	ब्लास्टिंग के कारण होने वाले कंपनी का अध्ययन	2 इकाइयां/खदानें	जीनागोरा ओसीपी में सीएमपीडीआइ द्वारा तथा आइडीएल द्वारा हार्य किया गया चैपटोरिया ओसीपी तथा कुसुण्डा ओडी पैच में ब्लैक डायमंड एक्सप्लोसिव द्वारा तीन खदानों का अध्ययन किया गया।

13. आधुनिकीकरण

कंपनी का उद्देश्य साइड डिस्चार्ज लोडरों (एसडीएल) के प्रयोग के माध्यम से तथा जोखिम/ लाभ की साझेदारी के आधार टर्न की आधार पर बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी के अनुप्रेरण के साथ मध्यम स्तरीय प्रौद्योगिकी पर बल देना है।

13.1 एस डी एल शुरू करना

31.3.2013 को 161 एस डी एल की तुलना में 31.03.2014 को कुल 153 एसडीएल चालू था। 153 एसडीएल में से 145 एसडीएल को उत्पादन में लगाया गया है तथा 8 को ड्रिफ्ट को आगे बढ़ाने में लगाया गया है।

मशीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिकतम परिचालन पर बल दिया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2013-14 के दौरान उत्पादन में हुए ह्रास एवं एसडीएल की उत्पादकता में आई थोड़ी कमी को नीचे दिए गए आंकड़ोंमें दर्शाया गया हैं:

13.2 2013-14 की तुलना में 2013-14 के दौरान एसडीएल की उत्पादन एवं इसकी उत्पादकता इस प्रकार है:

विवरण	2013-14	2012-13	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)
उत्पादन (मि0टन)	2.53	2.96	(--)14.52
उत्पादकता (टन/एसडीएल/दिन)	54.85	59.87	(--)8.38

13.3 डिस्पैचके लिए इलेक्ट्रोनिक वजन घर (Weigh-bridge)

(क) तीन स्थानों पर इलेक्ट्रोनिक वजन-घर प्रतिष्ठापित किये जा चुके हैं शेष के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। [संदर्भ एमओयू मद सं.- 23 .6 (iii)]

(ख) आकाशकिनारी, सिनीडीह, कुमारधुबी एवं कुसुण्डा में स्थित पुराने वजन-घरों के अद्यतन/रूपांतरण किया गया है। [संदर्भ एमओयू मद सं.- 23 .6 (iv)]

13.4 एसडीएल के द्वारा उत्पादन एवं इसकी उत्पादकता में कमी के कारण:

बीसीसीएल की खदानों में अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे आग, वर्षा तथा डीजीएमएस की पाबंदियां, उत्पादन और उत्पादकता में कमी के कारण हो सकते हैं।

- वर्ष 2013-14 के मानसून के दौरान निम्नलिखित खदानें प्रभावित हुई जिससे उत्पादन में कमी आई:
  - होरिलाडीह
  - बोर्रागढ़

- न्यू आकाशकिनारी कोलियरी (आंशिक)
- साउथ बलिहारी (आंशिक)

- बागडीगी, लोदना क्षेत्र में आग / डीजीएमएस पाबंदियों के कारण निम्नलिखित खदानें प्रभावित हुईं जिससे उत्पादन कम हुआ:
  - लोदना
  - जयरामपुर

- बसंतीमाता कोलियरी, सीवी क्षेत्र की सुशील उइनकलाइन में छत गिरने से हुई प्राणघातक (Fatal) दुर्घटना के कारण डीजीएमएस के रोक लगाने पर खदान बंद कर दी गई जिससे उत्पादन कम हुआ।

- डीजीएमएस की अनुमतिनहीं मिलने के कारण 11.11.2013 से 10.02.2014 तक मुरलीडीह, 20/21 पिट, प0 झरिया क्षेत्र में उत्पादन रोक दिया गया।

13.5 एमडीओ अवधारणा के तहत परियोजनाओं की स्थिति:

क्रम सं.	खदान/परियोजना का नाम	क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	ब्लॉक-II कंटिन्यूअस माइनर यूजी परियोजना (एमडीओ) दस वार्षिक योजना अवधि में (न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन 5.90 एमटी)	मि.ट. 0.45	• 03.01.2009 को संपन्न बीसीसीएल बोर्ड की 262 वीं बोर्ड बैठक में बीसीसीएल बोर्ड द्वारा तथा उसके बाद 22.12.2009 को संपन्न सीआइएल बोर्ड की 253 वीं बैठक में सीआइएल बोर्ड द्वारा ब्लॉक-II क्षेत्र की I / II सीम से कोयला निकालने के लिए कंटिन्यूअस माइनर (0.45 एमटीवाइ)शुरू करने के लिए परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन कर दिया गया है। परियोजना पर अनुमानित पूंजी लागत 113.37 करोड़ है। • कंटिन्यूअस माइनर प्रौद्योगिकी द्वारा I/II सीम से 0.45 एमटीवाई सुनिश्चित उत्पादन के लिए कोयला निकालने हेतु मेसर्स मिनोप इनोवेटिव टेक्नोलॉजिज (प्रा.) लिमिटेड को कार्य सौंपने का निर्णय दिनांक 18.05.2011 को संपन्न बीसीसीएल बोर्ड की 278 वीं बैठक में लिया गया है। • 10 वर्षों की एपीपी में 5.90 एमटी न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन। • पत्रांक बीसीसीएल/जीएम(पी व पी) एफ-14/11/435 दिनांक 18.07.11 के जरिए सीआइएल को बीसीसीएल बोर्ड की 278 वीं एवं 279 वीं बैठक के प्रस्ताव के बारे में सूचना दे दी गई। • एफएसए के लिए मेसर्स एमपीएल के साथ 03.03.2012 के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। • दिनांक 24.03.2012 को मेसर्स मिनोप इनोवेटिव टेक्नोलॉजिज (प्रा.) लिमिटेड के पक्ष

			में कार्रवाई-पत्र (LOA) निर्गत कर दिया गया। • मेसर्स मिनोप को कार्यस्थल सौंप दिया गया। • बीसीसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 03.02.2014 को संपन्न अपनी 304 वीं बैठक में एलसी के भुगतान शर्तों में संशोधन हेतु प्रस्ताव का अनुमोदनकर दिया गया। • करार/समझौता को अंतिम रूप देना अभी भी बाकी है।
2	मुराईडीह यूजी (बरोरा क्षेत्र) (एमओडी) (9 वार्षिक योजनावधि में न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन -20.435	2.00 मि.ट.	• 339.875 करोड़की अनुमानित पूंजी लागत के लिए सीआइएल बोर्ड की दिनांक 14.02.2011 को संपन्न इसकी 265 वीं बैठक में परियोजना की अनुमोदित लागत में सेवा एवं माल की लागत शामिल है। वास्तविक आधार पर करों एवं शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। • 25.03.2011 को समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। • संशोधित समझौते पर 22.06.2012 को हस्ताक्षर किया गया। • 29.09.2012 को बोलकर्त्ता (बिडर) द्वारा डीपीआर प्रस्तुत किया गया। • 29.01.2013 को बीसीसीएल द्वारा डीपीआर स्वीकार किया गया। • एलसी के भुगतान शर्तों में संशोधन के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन दिनांक 03.02.2014 को संपन्न बीसीसीएल बोर्ड की 304 वीं बैठक में बीसीसीएल द्वारा किया गया। • कार्यों को प्रारंभ करने के लिए जनवरी, 2014 में एमओसीपी से 3.3 कि.वा. (K.V.) पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। • इन्कलाइन ड्राइवेज के स्थान पर 3.48 हेक्ट. भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा जनवरी, 2014 में बीसीसीएल ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। • जनवरी, 2014 के प्रस्तावित स्थल पर इन्कलाइन सुरंग खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। खुदाई तथा समतल बनाने के उद्देश्य से जेवीएम मशीन लगाई गई है।
3	कपुरिया यूजी (कपुरिया क्षेत्र) (पीएसएलडब्ल्यू) (एमडीओ) (9 वार्षिक योजनावधि में न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन - 20.024 मि.ट.)	2.00	• वाणिज्यिक उत्पादन अवधि 9 वर्ष के दौरान न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन 20.024 मि.टन करने के लिए 988.354 करोड़ रूपये की पूंजी लागत पर बीसीसीएल बोर्ड ने दिनांक 03.07.2011 को हुई अपनी 279 वीं बैठक में तथा सीआइएल बोर्ड ने 12.08.2011 को हुई

			अपनी 272 वीं बैठक में मेसर्स एएमआर-बीबीबी कन्सोर्शियम को कार्य सौंपने के लिए अनुमोदन दे दिया। • 10.09.2011 को कार्य सौंपने का पत्र निर्गत किया गया। • बीसीसीएल एवं मेसर्स एएमआर-बीबीबी कन्सोर्शियम के बीच समझौते पर दिनांक 18.04.2012 को हस्ताक्षर किया गया। • 26.12.2012 को टीओआर स्वीकृत हुआ। • बीसीसीएल द्वारा दिनांक 11.07.2013 को डीपीआर स्वीकार किया गया। • 20.12.2013 को लोक सुनवाई हुई। • 22.02.2014 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास अंतिम ईएमपी जमा किया गया है। • भारत सरकार के राजकीय गजट में धारा-4(i)सीबीए-1957 के तहत भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना प्रकाशित की गई है। • 25.01.2014 को धारा 7 (1) के तहत अधिसूचना के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। • बीसीसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 03.02.2014 को हुई इसकी 304 वीं बैठक में एलसी के भुगतान शर्तों में संशोधन के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया।
4	मुनीडीह XV सीम यूजी (डब्ल्यू जे एरिया) (पीएसएलडब्ल्यू) (एमडीओ) (9 वार्षिक योजनावधि में न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन - 22.5 मि.ट.)	1.50	• दिनांक 03.07.2011 को हुई बीसीसीएल बोर्ड की 279 वीं बैठक तथा दिनांक 12.06.2011 को हुई सीआइएल बोर्ड की 272 वीं बैठक में भी 9 वर्षों की वाणिज्यिक उत्पादन अवधि के दौरान बीमा तथा मालभाड़ा सहित 1230;274 करोड़ रूपये की पूंजी लागत पर कुल न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन 22.50 एमटी के लिए मेसर्स आइएनडीयू-एससीसीएल बुसाइरस (BUCYRUS) (कन्सोर्शियम) को कार्य सौंपने के लिए अनुमोदन दे दिया गया। • 07.09.2011 को कार्य सौंपनेका (LOA) जारी कर दिया गया। • बीसीसीएल तथा मेसर्स आइएनडीयू-एससीसीएल बुसाइरस (कन्सोशियम) के बीच दिनांक 18.04.2012 को समझौता को अंतिम रूप दे दिया गया। • 25.05.2013 को संवेदक ने डीपीआर प्रस्तुत किया जिसकी जांच सीएमपीडीआइ, रांची द्वारा की गई। जिसपर सहमति जताई गई। बीसीसीएल द्वारा इसे 28.12.2013 को स्वीकार कर लिया गया। • 26.08.2013 को ईसी मंजूर किया गया।

			• एससीसीएल द्वारा 10.01.2014 को समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। • समझौते पर अभी भी बुसाइरस (संकाय सदस्य) का हस्ताक्षर होना बाकी है। • भारत सरकार के राजकीय गजट में धारा 4(i) सीबीए 1957 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। धारा 7(1) के तहत अधिसूचना के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन है। बीसीसीएल द्वारा 03.02.2014 को हुई इसकी बैठक में एलसी के भुगतान शर्तों में संशोधन के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है।
5	मुनीडीह XVI टॉप सीम यूजी (प. झरिया क्षेत्र) (आपूर्ति, प्रतिष्ठान, चालू करने एवं परिचालन की अवधारणा) (5 की वार्षिक उत्पादन अवधि के दौरान न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन -3.5 मि.ट.)	0.70	• 10.12.2012 को मेसर्स आइएनडीयू-जेडएमजे, झींगाझाड-डिजाइन-जिंगफेंग (Xinfeng) कन्सोशियम के पत्र में कार्य सौंपने का पत्र निर्गत कर दिया गया है। • 10.12.2012 को समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। • संवेदक को पी व एम मद में 5.63 करोड़ रूपये का अग्रिम भुगतान कर दिया गया। • खरीद की तुलना में उपकरणों की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है। • 12 नवंबर, 2013 को डीजीएमएस से अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
6	लोहापट्टी यूजी (प. झरिया) (एमडीओ) (9 वर्षों की वार्षिक उत्पादन अवधि के दौरान न्यनतम सुनिश्चित उत्पादन-3.15 मि.ट.)	0.35	• बीसीसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 24.03.2010 को संपन्न इसकी268 वीं बैठक में अनुमोदन दे दिया गया। • मेसर्स ए एम आर-बीबीबी को कार्य सौंपने की निविदा समिति (टीसी) की अनुशंसा 05.01.2013 को संपन्न बीसीसीएल बोर्ड की 291 वीं बैठक में अनुमोदित कर दी गई। • बिडर द्वारा की वैधता 14.05.2014 तक बढ़ा दी गई है। • दिनांक 12.02.2014 को सीआइएल बोर्ड के समक्ष निवेश प्रस्ताव अनुमोदन के लिए रखा गया। बोर्ड ने सीएमपीडीआइ(मुख्यालय) को आउटसोर्सिंग आधार पर इसके परिचालन के संभावना की जांच-पड़ताल करने की सलाह दी और यदि उपयुक्त पाये जाने पर इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की भी सलाह दी गई।
7	सुदामडीह शॉफ्ट (पू. झरिया) (एमडीओ)	0.50	• दिनांक 08.11.2010 को हुई बीसीसीएल बोर्ड की 273 वीं बैठक में अनुमोदन दिया गया। • 15.06.2013 को सीएमपीडीआइ आरआइ-II द्वारा ग्लोब बिड दस्तावेज (तकनीकी भाग) जमा किया गया।

			• आरआइ-II, सीएमपीडीआइ, धनबाद में निविदा जारी करने के लिए एनआइटी दस्तावेज तैयार किये जा रहे हैं।
8	भौंरा (एस) (पू. झरिया क्षेत्र)	0.50	• 9 वर्ष की अवधि के लिए टर्न की आधार पर वैश्विक निविदा जारी करने के लिए दिनांक 22.07.2010 को हुई बीसीसीएल बोर्ड की 271 वीं बैठक में अनुमोदन दे दिया गया। • सीएमपीडीआइ द्वारा ड्राफ्ट ग्लोबल बिड दस्तावेज (तकनीकी भाग) जमा किया गया। • क्षेत्र से प्राप्त टिप्पणियों को दिनांक 05.03.2013 को सीएमपीडीआइ के पास बिड दस्तावेज (तकनीकी भाग) को पूरा करने हेतु भेज दिया गया। • सीएमपीडीआइ में ग्लोबल बिड दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
9	पी.बी. परियोजना (पी. बी. क्षेत्र) (एमडीओ) (9 वर्ष उत्पादन अवधि में न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन-9.0 मि.ट.)	1.00	• 29.01.2013 को निविदा आमंत्रण सूचना (एनआइटी) जारी कर दी गई। • नि.आ.सू.(एनआइटी) के अनुसार निविदा प्राप्ति: 24.06.2013 एवं निविदा खोलने की तिथि: 25.06.2013। • निविदा प्राप्ति एवं खुलने की बढ़ाई गति तिथि क्रमश: 28.04.2014 एवं 29.04.2014 है।
10	भौंरा (नार्थ)यूजी खदान (पू. झरिया क्षेत्र) (9 वर्ष उत्पादन अवधि में न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन-4.5 मि.ट.)	0.50	• 9 वर्ष की अवधि के लिए टर्न की आधार पर 0.50 एमटी प्रतिवर्ष उत्पादन के लिए वैश्विक निविदा निकालने हेतु प्रस्ताव का बीसीसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 01.02.2013 को संपन्न इसकी 292 वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया गया। • 20.06.2013 को निविदा निकाली गई। • निविदा प्राप्ति एवं निविदा खुलने की बढ़ाई गई तिथि क्रमश: 21.04.2014 एवं 22.04.2014 है।

13.6 सहमति ज्ञापन (एमओयू) के तहत परियोजना क्रियान्वयन का लक्ष्य:

1. कम लागत के सतत माइनर भूमिगत परियोजना लागू करने हेतु निविदा जारी करना:- 27.02.2014 को निविदा जारी कर दी गई [संदर्भ एमओयू मद सं. 2.3.3 (ii)]

13.7 सहमति ज्ञापन (एमओयू) के तहत क्षेत्र / उद्यम विशिष्ट पैरामीटर हेतु उपलब्धि:

1. भूमिगत खदानों के घाटा को कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकी लागू करने का औचित्य तथा इसके लिए निविदा जारी करना: दिनांक 20.06.2013 के निविदा आमंत्रण सूचना संदर्भ सं.- बीसीसीएल/सीजीएम (सीएमसी)/ग्लोबल/बीएन/2013/881 के जरिए भौंरा भूमिगत खदान के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआइटी) जारी की गई तथा

फुलारीटांड भूमिगत खदान के लिए निविदा आमंत्रण सूचना संदर्भ सं.-बीसीसीएल/जीएम(सीएमसी)/ग्लोबल/फुलारीटांड/ 2014/2008 दिनांक 27.02.2014 के जरिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी (एनआइटी) की गई। [संदर्भ एमओयू मद सं. 3.1.5 (ii)]

13.8 बीसीसीएल की बंद भूमिगत खदानों के लिए जारी की गई निविदाएं (संशोधित) की स्थिति:

क्रम सं.	खदान का नाम	वर्तमान / वास्तविक स्थिति
1	कुस्तौर	निविदा सूचना सं.-बीसीसीएल/जीएम(सीएमसी)/ग्लोबल/अंबैंडड माइन/कुस्तौर/ 2013/1780 दिनांक 28.12.2013 को वैश्विक निविदा निकाली गई। निविदा प्राप्ति तिथि: 26.05.2014, निविदा खुलने की तिथि: 27.05.2014
2	धरमाबांध	निविदा सूचना सं.-बीसीसीएल/जीएम(सीएमसी)/ग्लोबल/अंबैंडड माइन/ धरमाबांध/ 2013/1781 निविदा प्राप्ति तिथि: 26.05.2014, निविदा खुलने की तिथि: 27.05.2014

13.9 बीसीसीएल में तेज लदान पद्धति की स्थिति:

i) महेशपुर (5 एमटीवाई), गोविंदपुर क्षेत्र में तेज लदान पद्धति(आरएलएस) ।

01.02.2011 को हुई सीआइएल बोर्ड की 264 वीं बैठक में 140.4696 करोड़ रूपये की लागत पर 5.00 मि.ट. प्रति वर्ष (एमटीवाई) की क्षमता के लिए महेशपुर परियोजन (5 एमटीवाई) में तेज लदान पद्धति (आरएलएस) को अनुमोदित किया गया। 03.01.2011 को संपन्न अपनी 73 वीं बैठक में सीआइएल बोर्ड के ईएससी ने 140.4696 करोड़ रूपये के संशोधित लागत प्राक्कलन का अनुमोदन किया। बीसीसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 24.01.2011 को हुई अपनी 275 वीं बैठकमें कार्य सौंपने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

उपकरणों की आपूर्ति तथा कार्य एवं सेवाओं के लिए मेसर्स एस.के. सामन्ता एण्ड कं. (प्र. लि.) के पक्ष में दिनांक 05.04.2011 को समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। कन्वेयर बेल्ट एवं एवं बंकर के स्थिति निर्धारण के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन 01.10.2011 को हुई बीसीसीएल बोर्ड की 281 वीं बैठक में कर दिया गया। निर्माण कार्य चालू है।

ii) तेतुलमारी (5 एमटीवाई), सिजुआ क्षेत्र में तेज लदान पद्धति (आरएलएस):

तेतुलमारी, सिजुआ क्षेत्र बीसीसीएल में टर्न की आधार पर 150.00 करोड़ (लगभग) रूपये की अनुमानित लागत पर सिलो (SILLO) लदान व्यवस्था (5 एमटीपीए) के साथ तेज लदान पत्द्धति (RLS) के निर्माण के लिए प्रस्ताव का प्रशासनिक तौर पर अनुमोदन बीसीसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 01.02.2013 को हुई इसकी 292 वीं बैठक में कर दिया गया है।

बीसीसीएल बोर्ड के निर्देशानुसार मई, 2013 में सीएमपीडीआइएल द्वारा 20406.78 लाख रूपये के पूंजी निवेश के लिए विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। सीएमपीडीआइएल द्वारा निविदा दस्तावेज तैयार किया गया है। शीघ्र ही संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना (एनआइटी) जारी करनी है।

13.10 स्वीकृत परियोजना (नई)

- नार्थ तिसरा / साउथ तिसरा विस्तार ओसीपी 6 एमटीवाई, (+30%)

बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 07.06.2008 को हुई अपनी 259 वीं बैठक में विभागीय विकल्प के साथ नार्थ तिसरा / साउथ तिसरा विस्तार ओसीपी (6 एमटीवाई) को पहले ही अनुमोदित किया गया।

बीसीसीएल बोर्ड ने 01.09.2009 को संपन्न अपनी 265 वीं बैठक में नार्थ तिसरा / साउथ तिसरा ओसीपी विस्तार (किराये / पट्टे पर लिये गए उपकरणों से) केपीआर के अद्यतन लागत के वैरिऐंट-II के 281.94 करोड़ की अनुमानित पूंजी के लिए अनुमोदन दिया तथा इसे सीआइएल को आगे विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ भेजने की सिफारिश की।

पुन: अक्टूबर, 2011 में सीएमपीडीआइ आर आइ-II द्वारा परियोजना रिपोर्ट की लागत को अद्यतन किया गया तथा मेसर्स आइसीआरए मनैजमेंट कन्सल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड, कोलकाता द्वारा इसका वित्तीय मूल्यांकन किया गया। बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 03.03.2012 को संपन्न अपनी 284 वीं बैठकमें 85% उत्पादन स्तर पर 15.85% के आइआरआर सहित419.86 करोड़ रुपये की पूंजी लागत पर वैरिऐंट-II (किराये / पट्टे पर लिये गए उपकरणें का विकल्प) के लिए अद्यतन लागत प्राक्कलन का अनुमोदन कर दिया गया।

दिनांक 12.12.2012 को संपन्न सीआइएल बोर्ड की 292 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित कंपनी बोर्ड / सीआइएल बोर्ड के प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसार परियोजनाओं के लिए पूर्ण अनुमोदन दिया जाए। नार्थ तिसरा / साउथ / साउथ तिसरा विस्तार ओसीपी (6.0 एमटीवाई) परियोजना सीएमपीडीआइ द्वारा नया यूसीई तैयार करने के बाद बीसीसीएल बोर्ड द्वारा फिर से अनुमोदित किया जाना था तथा उसके बाद इसे अंतिम अनुमोदन के लिए सीआइएल बोर्ड के पास भेजा जाना था।

सीआइएल के निर्देशानुसार अगस्त, 2013 में सीएमपीडीआइ:आर आइ-II द्वारा नार्थ तिसरा /साउथ तिसरा विस्तार ओसीपी (6.0 एमटीवाई, + 30%) का अद्यतन लागत प्राक्कलन तैयार करके प्रस्तुत किया गया तथा दिसंबर, 2013 में मेसर्स आइसीआरए मनैजमेंट कन्सलिंग सर्विसेज लि0 द्वारा वित्तीय मूल्यांकन किया गया। बीसीसीएल बोर्ड ने 03.02.2014 को संपन्न अपनी 304 वीं बैठक में यूसीई के साथ वित्तीय मूल्यांकन प्रतिवेदन का अनुमोदन कर दिया गया। इसके बाद 12.02.2014 को संपन्न सीआइएल बोर्ड की 304 वीं बैठक में भी पूरी तरह से आउट सोर्सिंग के आधार पर किये जाने वाले कार्य का 18.59% के आइआरआर सहित कुल पूंजी लागत 555.52 करोड़ रुपये अनुमोदित कर दिया गया।

उपर्युक्त परियोजना- सीआइएल बोर्ड के अनुमोदन के बाद शुरू करने पर विचार करना है। किराये के एचईएमएम से विविध परियोजना कार्य शुरू किये गए हैं नार्थ तिसरा/साउथ तिसरा (NT/ST) के पट्टा वाले क्षेत्र में कोयला का उत्पादन, ओबी हटाने तथा इससे संबंधित खनन कार्य शुरू किये जा चुके हैं। [संदर्भ एमओयू मद सं. 2.3.3(iii)]

14. भू-संपदा:

1. परिचालन/खदानों के निर्बाध परिचालन के लिए भूमि को नियमत: अधिकार में ले लिया गया है जिसमें परियोजना के लिए 70.378 एकड़ यानी 28.493 हेक्ट.भूमि का अधिग्रहण सीधे खरीद कर किया गया है। [संदर्भ एमओयू मद सं. 2.3.4(iii)]
2. भूमि के निर्विध्न कब्जा, अधिग्रहण तथा इससे संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ समस्याओं के लिए वर्ष के दौरान 17 (सतरह) बैठकें की जा चुकी है। [संदर्भ एमओयू मद सं. 2.4.2(iii)]

15. विदेशी सहयोग:

वर्तमान में बीसीसीएलमें कार्यान्वयन के अंतर्गत विदेशी सहायता से कोई परियोजना नहीं है।

16. विपणनः

16.1 मांग तथा आपूर्तिः

2012-13 के तुलना में 2013-14 में क्षेत्रवार कोयले की वास्तविक मांग एवं आपूर्ति इस प्रकार है: -

(आंकड़े मि.टन में)

क्षेत्र	मांग *		वास्तविक **		मांग पर संतुष्टि का %	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
विद्युत (पावर)	24.46	23.03	27.07	25.34	108.93	110.01
इस्पात /एच.सी.	5.58	5.25	3.44	3.86	61.55	73.61
उर्वरक	1.05	1.05	1.12	1.12	105.60	106.25
अन्य	1.62	2.37	2.68	2.68	155.11	113.21
कोलियरी में खपत	0.10	0.10	0.08	0.08	74.21	76.00
योग	**33.20**	**31.80**	**33.04**	**33.07**	**103.01**	**104.00**
मिडलिंग/डब्ल्यूपीसी	2.08	1.14	1.43	1.11	62.14	97.11
परिष्करित/डब्ल्यूपीसी	-	0.25	-	0.32	-	127.80

टिप्पणीः पावरमें सीपीपी शामिल है।

स्टील/एच.सी. में कोयले का डिस्पैच यथा डी/एफ, अपना वाशरी, निजी कोकरी, एच/सी एम एफ जी।

* कोल इंडिया लि. के एएपी लक्ष्य ।

** सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट (एम-18) के अनुसार।

16.2 क. प्रतिभूतिकरण:

प्रतिभूतिकरण योजना के तहत यूपीएसईबी के उपर 30.9.2001 तक बकाया मूल राशि 138.56 करोड़ रुपये होने पर राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई शाखा की प्रतिभूति सेवा शाखा के माध्यम से 8.5 प्रतिशत कर मुक्त आरबीआइ पावर बांड 2003-04 में जारी किया है। 2013-14 के दौरान मूलधन के 10% की दर से प्रति किस्त 6.93 करोड़ रुपये की दो बराबर किस्तों में कुल 13.86 करोड़ रुपये की निकासी प्राप्त हो चुकी है। @ 1.77 करोड़ रुपये तथा □1.47 करोड़ रुपये की दो अद्धवार्षिक ब्याज की कुल 3.24 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त की गई तथा जो वर्ष 2013-14 के दौरान लाभ-हानि लेखा में विचारित है।

ख. पुराने बकाये का निपटानः

2013-14 में गुणवत्ता, कम मात्रा, एड ऑन प्राइस (डब्ल्यूआरसी) आदि के मद में पुराने बकाए के विवाद के निपटाने हेतु निम्नलिखित प्रमुख सेक्टरों के साथ द्विपक्षी समझौता बैठकें संपन्न हुई। 31.03.2014 को स्थिति इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	निपटाई गई कुल विवादास्पद धनराशि	बीसीसीएल द्वारा प्राप्त धनराशि	बीसीसीएल द्वारा स्वीकृत धनराशि
1.	डीवीसी (2010-11 तक)	70.20	54.68	15.52
2.	सेल (एसएआइएल)	77.15	17.50	59.65
3.	पीएसपीसीएल	6.34	1.51	4.83
	योग	**153.69**	**73.69**	**80.00**

ग. विक्रियों की वसूली

निम्नलिखित वर्षों की तुलना में विक्रियों की वसूली (पुराने बकाये सहित) के सापेक्ष टर्न-ओवर इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	वर्ष	टर्न ओवर (₹करोड़ में)	वसूली (₹करोड़ में)	वसूली का %
1.	2013-14	10112.56	9807.11	96.98%
2.	2012-13	10177.00	9436.00	93.00%
3.	2011-12	8584.00	8274.00	96.39%
4.	2010-11	6952.00	6920.00	99.54%

दिनांक 28.05.2013 से प्रभावी पुनरीक्षित दर के कारण वर्ष 2013-14 के विक्रय मूल्य में ₹ 219.69 जोड़ा गया है।

घ. पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्य में कमी: (संदर्भ एमओयू मद सं.- 3.5)

(₹ करोड़ में)

	मद	31.03.2014 की स्थिति	31.03.2013 की स्थिति	अंतर	% वृद्धि /ह्रास
क	विवादित	521.27	562.26	(-)40.99	(-)7.29
ख	अविवादित	1570.15	1372.05	198.10	14.44
ग	एफएसए (प्रोत्साहन)	668.85	604.79	64.06	10.59
घ	अविवादित नेट ऑफ (Net off) एफएसए (प्रोत्साहन) [क-ख]	901.30	767.26	134.04	17.47

ड. ई-विपणन

बीसीसीएल ,सी आइ एल में कोयला एवं कोयला उत्पादों के ई-विपणन में अग्रणी है,जिसने वर्ष के दौरान अधिसूचित मूल्य पर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने में एक उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे कंपनी को मजबूती प्रदान हुई है।

वर्ष 2013-14 के दौरान 34.53 लाख टन की कुल मात्रा ई-ऑक्शन हेतु प्रस्तावित की गयी,जिसमें 25.97 लाख टन वास्तविक बिक्री की गई। बेचे गए परिमाण में कोयले का अधिसूचित विक्रय मूल्य (आधार कीमत का मूल्य) 514.34 करोड़ रुपये था जबकि बोली (बीड) मूल्य . 857.51 करोड़ था। अधिसूचित मूल्य पर 343.16 (करोड़) रु0 का लाभ मिला जो अधिसूचित मूल्य से लगभग 67% अधिक है।

यह कंपनी के कुल उत्पादन (32.611 मि.ट.) का 7.96% है।

17. विदेशी मुद्रा का उपार्जन एवं व्यय:

17.1 विदेशी मुद्रा का व्यय:

(₹ लाख में)

सीआइएफ गणना पर आधारित आयातित सामग्री का मूल्य	2013-14	2012-13
सामग्री एवं स्पेयर्स जिसमें पूंजीगत सामग्री शामिल हैं	11974.06	414.19

17.2 सामग्री सूचीः-[संदर्भ एमओयू मद सं. 3.6.1 एवं 3.6.2] (₹ करोड़ में)

मद	2013-14	2012-13	%
भंडार, अतिरिक्त सामग्री की सूची	63.68	74.02	(-)13.97
कबाड़ (स्क्रैप) के बदले में नकद वसूली	10.47	6.55	(+)59.84
महीने में खपत की सूची	1.35	1.78	(-)24.15

18. गुणवत्ता नियंत्रण:

18.1 (क) धुले कोयले की गुणवत्ताः

बीसीसीएल की विभिन्न वाशरियों द्वारा इस्पात संयत्रों में आपूर्तित धुले कोयले की औसत समग्र गुणवत्ता निम्नानुसार हैः-

वाशरी	राख का औसत % 2011-12	राख का औसत % 2012-13
दुग्दा	20.7	20.5
भोजूडीह	20.7	20.7
पाथरडीह	21.2	21.7
सुदामडीह	20.8	20.7
मुनीडीह	20.6	20.4
महुदा	20.8	21.3
मधुबन	20	20.2
औसत वजन	**20.7**	**20.6**

18.1 (ख) उपभोक्ताओं की शिकायतें:

इंधन आपूर्ति करार (एफएस) के तहत बीसीसीएल से 19 (उन्नीस) एवं 3(तीन) उर्वरक इकाईयां कोयला खरीदती हैं। 18 साइडिंगों से बिजली घरों एवं उर्वरक इकाईयों को कोयला डिस्पैच किया जाता है। समुचित आकार एवं गुणवत्ता वाला कोयला भेजने में पूरी सावधानी बरती जाती है। फिर भी, जब कभी कोई शिकायत मिलती है, तो उनपर ध्यान देकर उसे शीघ्र दूर की जाती है। 2013-14 एवं 2012-13 के दौरान प्राप्त शिकायतें एवं शिकायतें जिनका समाधान किया गया। इस प्रकार हे:-

विवरण	2013-14	2012-13
शिकायतों की संख्या	20	18
शिकायतों की संख्या जिनका समाधान किया गया	20	18

18.2 गुणवत्ता / उपभोक्ता की संतुष्टि [संदर्भ एमओयू मद सं. 2.2]

क्रम सं.	मद	2013-14	2012-13%
1	पावर सेक्टर को भेजा गया वांछित आकार का कोयला	100.00	100.00
2	सहमत (प्रतियापन) सेंपलिंग के तहत पूरा किया गया डिस्पैच	100.00	100.00
3	इलेक्ट्रोनिक वजन घर में वजन होनेके बाद डिस्पैच	98.24	-

18.3 फीडर ब्रेकर का प्रतिष्ठापन:

वर्ष 2013-14 के दौरान बीसीसीएल के बस्ताकोला, सिजुआ, कतरास एवं ब्लॉक-II क्षेत्र में चार फीडर ब्रेकर प्रतिष्ठापित किये गए। [संदर्भ एमओयू मद सं. 2.2(IV)]

18.4 प्रतिचयन (संयुक्त / तिसरैत (तिसरी पार्टी) प्रतिचयन की स्थिति):

30.09.2013 तक सभी उपभोक्ता लदान स्थल पर संयुक्त प्रतिचयन व्यवस्था के अंतर्गत थे। 01.10.2013 से मेसर्स के. सी. शर्मा एण्ड कं. एजेंसी द्वारा बिजली घर (PH) को प्रेषण के लिए तिसरैत (Third Party)प्रतिचयन शुरू किया गया। तिसरैत एजेंसी द्वारा प्रतिचयन एवं विश्लेषण का काम बीसीसीएल एवं पावर हाउस के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जा रहा है। संयुक्त / तिसरैत प्रतिचयन एवं विश्लेषण पर आधारित निर्धारित ग्रेड के अनुरूप 2012-13 के दौरान के समावेशित प्रतिशत 87.9% की तुलना में 2013-14 के दौरान 88.9% है।

18.5 गुणवत्ता व उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार हेतु की गई कार्रवाई :-

क. खदानों में चालू आयतनों में ही गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए बताया जाता है एवं उसे व्यवहार में लाया जाता है।

ख. कोयला सीम / कोलियरियों में लगी आग से निपटने हेतु बेहतर ट्रीटमेंट किया जाता है।

ग. सीमों में आग एवं अन्य खनन समस्याओं के कारण समिश्रित कोयले का उचित तरीके से प्रबंध।

घ. कोयला ढुलाई एवं साइडिंग में वैगन भराई के पूर्व पत्थरों को ठीक से चूनने के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति लगाना।

ड. फीडर ब्रेकर तथा यांत्रिक माध्यमों के जरिए कोयले के वांछित आकार बनाने में सुधार।

च. बिजलीघरों को कोयला आपूर्ति करने वाली बीसीसीएल की सभी बड़ी साइडिंगों में समुचित स्थान पर फीडर ब्रेकर प्रतिष्ठापित किया गया है। 100% वांछित आकार के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

छ. गुण-नियंत्रण विभाग,मुख्यालय अधिकारियों द्वारा साइडिगों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। वे डिस्पैच किये जाने वाले कोयलेकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोलियरी के अधिकारियों से विचार-विमर्श करते हैं।

ज. पाथरडीह, भोजुडीह और दुग्दा ये तीन वाशरियों में बीसीसीएल द्वारा ऑन-लाइन एनलाइजर प्रतिष्ठापित किया गया है जो कच्चे कोयले और धुले हुए कोयले में राख के संबंध में पी सी एवं मॉनिटर पर संकेत देते हैं। इससे इन वाशरियों में कोयले की गुणवत्ता पर ध्यान रखने में मदद मिलती है।

झ. बीसीसीएल ने अपने वाशरियों में यांत्रिक तरीके से नमूने एकत्र करने के लिए ऑटो सैंप्लर प्रतिष्ठापित किया है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए हाथ से नमूनों का एकत्रितकरण पूरी तरह से समाप्त हो गया है।

ञ. उपभोक्ताओं की संतुष्टि सुधारने के लिए गुण नियंत्रण के विभागाध्यक्ष और क्षेत्रीय महाप्रबंधक को उपभोक्ताओं के साथ आमने-सामने बात कर उनकी समास्याओं को जानने एवं उनके निराकरण का निर्देश दिया गया है।

ट. उपभोक्ताओं को साइडिंग में आकर कोयला देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सबने लदान वाले कोयले की गुणवत्ता के लिए अपना संतोष व्यक्त किया है।

ठ. कोयले के जीसीवी के निर्धारण के लिए बस्ताकोला, सिजुआ, लोदना, सी वी क्षेत्र, बरोरा, गोविंदपुर, कुसुण्डा एवं कतरासक्षेत्र के प्रयोगशाला में कुल आठ बॉंब केलोरीमीटर लगाए गए हैं। एफएसए के अनुसार सभी प्रयोगशालाओं को कोयले की गुणवत्ता निर्धारण के लिए उपकरण से लैस किया जा रहा है।

ड. 18.04.2013 एवं 16.05.2013 को बैठक कर स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श करके उपभोक्ता की संतुष्टि को बेहतर करने के लिए सलाह / विचार मांगे गए। [एमओयू संदर्भ सं. 2.2(IV)]

ढ. उपभोक्ता संतुष्टि पता करने के लिए उपभोक्ता के साथ संयुक्त रूप से पता करने का काम 27.12.2013 को पूरा किया गया। [एमओयू संदर्भ सं. 2.2(V)]

ण. 2013-14 के दौरान गुण नियंत्रण के लिए उपभोक्ताओं (स्टेक होल्डरों में से एक) के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें की गई । [एमओयू संदर्भ सं. 2.4.2(ग)]

18.6 पूंजीगत परियोजनाएं एवं योजनाएं:

1. वर्ष 2013-14 में अनुमोदित पूंजी एवं क्षमतावाली ₹ 20 करोड़ से अधिक लागत की पूरी की गई परियोजनाएं।

शून्य

2. 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत की खनन परियोजनाएं, जिन्होंने वर्ष 2013-14 के दौरान स्वीकृत क्षमता एवं पूंजी के साथ उत्पादन शुरू कर दिया है।

शून्य

3. वर्ष 2013-14 में अनुमोदित पूंजी एवं क्षमतावाली ₹ 20 करोड़ से अधिक लागत की खनन परियोजनाएं जिन्हें मंजूरी मिली।

शून्य

4. वर्ष 2013-14 के दौरान अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी वाली 20 करोड से अधिक लागत के गैर खनन परियोजनाएं को स्वीकृति मिली।

5. वर्ष 2013-14 के दौरान अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी वाली ₹20 करोड़ से अधिक लागत की स्वीकृति प्राप्त आरपीआर/ आरसीइएस । **शून्य**

18.7 चालू परियोजनाएं :-

2012-13 के दौरान चालू परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.स.	परियोजनाएं	क्षमता (एमटी वाई)	पूंजीगत परिव्यय (₹ करोड़ में)	2013-14 के दौरान किया गया उत्पादन (एमटी)	टिप्पणी
1	ब्लॉक-II सतत खनिक (भूमिगत)	0.45	113.37	शून्य	• 10 वर्षों की वार्षिक उत्पादन अवधि में न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन 5.90 एमटी। • 03.03.2012 को मेसर्स एमपीएल के साथ एफएसए के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कियागया है। • मेसर्स मिनोप इनोवेटिव टक्नोलॉजी (प्रा.) लि. को 24.03.2012 को कार्य सौंपने संबंधी पत्र निर्गत किया गया है। • मेसर्स मिनोप को कार्यस्थल (साइट)सौंप दिया गया। • समझौते को अंतिम रूप देना अभी बाकी है।
2	मुराईडीह (भूमिगत)	2.00	339.88	शून्य	• 25.03.2011 को समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

					• संशोधित समझौते पर 22.06.2012 को हस्ताक्षर किया गया। • बिडर द्वारा 29.09.2012 को डीपीआर जमा किया गया। • बीसीसीएल द्वारा 29.01.2013 को डीपीआर स्वीकार किया गया। • कार्य शुरू करने के लिए जनवरी, 2014 में एमओसीपीसे 3.3 के वी विद्युत आपूर्ति का प्रबंध किया गया। • इन्कलाइन खुदाई के स्थान पर 3.48 हेक्ट. भूमि का अधिग्रहण करके जनवरी, 2014 में उसे बीसीसीएल द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया। • प्रस्तावित स्थल पर इन्कलाइन ड्राइवेज काम जनवरी, 2014 में शुरू कर दियागया है। खुदाई एवं समतल करने के लिए जेवीजी मशीन लगाई गई है।
3	कपुरिया (भूमिगत)	2.00	988.35	शून्य	• 10.09.2011 को एलओए निर्गत किया गया। • बीसीसीएल और मेसर्स एएमआर-बीबीबी कन्सोजियम के बीच समझौते पर 18.04.2012 को हस्ताक्षर किया। • 26.12.2012 को टीआरआर मंजूर किया गया। • 11.07.2013 को बीसीसीएल द्वारा डीपीआर स्वीकार किया गया। • 20.12.2013 को लोक सुनवाई हुई। • 22.02.2014 को अंतिम ईएमपी पर्यावरण व वन मंत्रालय के पास प्रस्तुत कर दिया गया।
4	मुनीडीह XV सीम (भूमिगत)	1.50	1230.27	शून्य	• 07.09.2011 को एलओए जारी किया गया। • बीसीसीएल और मेसर्स आइएनडीयू-एससीसीए-बीयूसीवाईआरयूएस (कन्सोर्जियम) के बीच 18.04.2012 को समझौते को अंतिम रूप दिया गया। • 25.05.2013 को संवेदक द्वारा डीपीआर जमा किया गया। सीएमपीडीआइ, रांची द्वारा मूल्यांकन किया गया। सहमति दी गई। • 26.08.2013 को ईसी मंजूर किया गया। • 10.01.2014 को एमसीसीएल द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किया। • समझौते पर बीयूसीवाइआरयूएस (संघ सदस्य) का हस्ताक्षर अभी करना बाकी है।
5	बागडीगी (एयूजी)	0.27	11.54		वर्तमान में उत्पादन रोक दिया गया है। क्षेत्र द्वारा फोर क्लोजर रिपोर्ट तैयार किया जाना है।

	आर पी आर भूमिगत				
6	बरारी IX/X सीम आर पी आर यू जी	0.24	7.88		वर्तमान में IX/X सीम से उत्पादन रोक दिया गया है। क्षेत्र द्वारा फोरक्लोजर रिपोर्ट तैयार किया जाना है।
7	गोलकडीह (एन सी) ओ सी पी	1.20	12.27		समापन प्रतिवेदन क्षेत्र द्वारा तैयार किया जाना है।
8	दामोदा बी जे सेक्शन	0.60	7.78		भूमि समस्या के कारण परियोजना अभी भी शुरू नहीं की जा सकी।
	कुल	**8.26**	**2711.34**		

18.8 परियोजना के कार्यान्वयन के तहत सहमति ज्ञापन (एमओयू) के मानदंडों का अनुपालन:

क्रम सं.	मानदंड	सहमति ज्ञापन	उपलब्धि
1	मुनीडीह XV सीम के डीपीआर की स्वीकृति	2.3.1(iii) (क) (i)	संवेदक द्वारा दिनांक 25.05.2013 को डीपीआर प्रस्तुत किया गया तथा सीएमपीडीआइ, रांची द्वारा मूल्यांकन करने/ सहमत होने के बाद बीसीसीएल द्वारा 28.12.2013 को स्वीकार किया गया।
2	मुनीडीह के लिए मूल प्ररूप (Prototype) हेतु एलडब्ल्यू उपकरण के लिए डीजीएमएस की अनुमति	2.3.1(iii) (ख) (i)	12.11.2013 को डीजीएमएस की अनुमति मिली।
3	मुराइडीह पिट / इन्कलाइन साइट पर स्थल की आधारभूत संरचना तथा विद्युत आपूर्ति	2.3.1(iii) (ख) (i)	जनवरी, 2014 में इन्कलाइन ड्राइवेज के लिए भूमि की व्यवस्था कर ली गई है। एमओसीपी से 3.3 के वी विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कार्य शुरू कर ली गई है।
4	मुराइडीह यूजी में इन्कलाइन ड्राइवेज (बोल्टर माइनर) के लिए उपकरण	2.3.1(iii) (ख) (ii)	प्रस्तावित स्थान पर इन्कलाइन ड्राइवेज जनवरी, 2014 में ही शुरू कर दिया गया है। खुदाई एवं समतल बनाने के उद्देश्यके लिए जेवीजी मशीन लगाई गई है। प्रस्तावित बोल्टर माइनर की जरूरत बाद में होगी।
5	100 करोड़ रूपये माइंस से ज्यादा लागत वाली अथवा 2 एमटीवाई (1 परियोजना) परियोजनाओं के लिए मास्टर कन्ट्रोल नेटवर्क (MCN) तैयार करना	2.3.1(iv) (क)	मुनीडीह xv सीम यूजी प्रोजेक्ट के लिए एमसीएन अक्टूबर,2013 में तैयार किया गया।
6	एमओएसपीआइ अनुवीक्षित परियोजनाओं की तिमाही अद्यतन रिपोर्ट की प्रस्तुति	2.3.1(iv) (ख)	पूरा कर लिया गया।
7	ड्राफ्ट पीआर (1 यूजी टर्न की परियोजना) का समझौता तथा मंजूरीको अंतिम रूप देना	2.3.3(i)	कपुरिया यूजी परियोजना का डीपीआर 11.07.2013 को स्वीकार किया गया।

8	एच/एचईएमएमओसी प्रोजेक्ट (0.50 एमटी) (1नं.) की शुरूआत	2.3.3(iii)	**1.** कतरास क्षेत्र की एकेडब्ल्यूएम कोलियरी की कुमारी जोड एच/एचईएमएमओसी पैच 29.07.2013 को प्रारंभ। परियोजना से 1.06 एमटी कोयला उत्पादन तथा स्वथान ओबीआर 1.247 एमसीक्यू मी.। **2.** सीआइएल बोर्ड द्वारा 12 फरवरी, 2014 को नार्थ तिसरा /साउथ तिसरा ओसी विस्तार (6 एमटीपीए) का अनुमोदन कर दिया गया। बीसीसीएल /सीआइएल बोर्ड के अनुमोदन नोट की कार्यसूची टिप्पणी में दी गई सूचना के अनुसार किराये का एचईएमएम लगाकर परियोजना के विविध कार्य प्रारंभ कर दिये गए हैं। परियोजना में 3.17 लाख टन कोयला का उत्पादन हुआ है तथा 9.87 लाख क्यू. मी. मलवा हटाया गया है।
9	दीर्धकालीन योजना के दस्तावेज को अद्यतन बनाना	3.1.1	28.12.2013 को सीआइएल के पास भेज दिया गया।

18.9 सीबीएम प्रोजेक्ट की शुरूआत:

यूएनडीपी / जीईएफ. जीओआइ कोलबेड मिथेन निकालना एवं वाणिज्यिक उपयोजन परियोजना,मुनीडीह।

i. अनुमोदन: कोयला मंत्रालय द्वारा पत्रांक 34012/15/96-सीआरसी दिनांक 15 सितंबर, 1999 के माध्यम से अनुमोदन दिया गया।

ii. उद्देश्य: मुनीडीह प्रोजेक्ट, प. झरिया, बीसीसीएल में कोयला निकालने के पहले, निकालने के दौरान एवं बाद में निकालने पर सीबीएम का अनुसंधान, दोहन एवं वाणिज्यिक उपयोग का प्रदर्शन करना।

iii. कार्य निष्पादन करने वाली एजेंसी: कोयला मंत्रालय

iv. कार्यान्वयन करने वाला एजेंसी: बीसीसीएल

v. वित्त पोषित: यूएनडीपी, जीईएफ एवं भारत सरकार (जीओआइ)

vi. गैस ब्लॉकः झरिया

vii. अनुमानित सीबीएम गैस उत्सर्जनः कुल 200000 क्यूविक मीटर/प्रतिदिन मुनीडीह में (3000 क्यूविक मीटर प्रति दिन प्रतिकूप की दर से)

viii. मुनीडीह में सीबीएम उपयोजन कार्यक्रमः गैस आधारित उत्पादन इकाई (आइसी) 4 की मदद से 1 (एक) मेगावाट का उत्पादन

ix. सीबीएम कुओं की गहराई हेतु सीबीएम उपयोजन कार्यक्रम
   a. सतही कूप- (800 से 1000)मीटर
   b. जीओबी कूप- 300 मीटर

x. सीबीएम गैस में अनुमानित मिथेन का प्रतिशत
   a. सतही कूप =95%
   b. जीओबी कूप=(70 से 80)%

xi. कैलोरिफिकवैल्यू में कोयले की समतुल्यता
   1 मिट्रिक टन कोयला =1066 क्यूविक मीटर सीबीएम

xii. परिचालन का अनुक्रम:

क. ड्रिलिंग

ख. जियोफिजिकल लॉगिंग

ग. केसिंग

घ. सिमेंटेशन

ङ. छिद्रण

च. हाइडोफ्रैकचरिंग

छ. पंपिंग/उत्पादन

xiii. सीम की ड्रिलिंगः सर्वोच्च (टॉपमोस्ट)सीम से X सीम तक

xiv. xv. अब तक गैस उत्पादन(मार्च,2014 तक) : 15,58,129 क्यूबिक मीटर

xvi. कुल श्रमशक्ति : 37 (01.04.14 तक)

xvii. अब तक पी एम ई किया गयाः 41 (मार्च, 2014)

xviii. अब तक वी टी सी किया गया : 35 (मार्च,14 तक)

19.0 उर्जा संरक्षण

पिछले वर्ष 30.29 के डब्लू एच/टी की तुलना में 2013-14 में विनिर्दिष्ट उर्जा खपत 29.45 के डब्लू एच/टी है।

19.1 बिजली एवं ईंधन खपत

	विवरण	2013-14	2012-13
क-	खरीदी गई इकाई(एमकेडब्लूएच)	960.32	945.45
	कुल राशि (करोड़ रु. में)	404.87	397.66
	औसत दर/इकाई(रु. प्रतिदिन)	4.23	4.21
ख-	डी जी सेटों द्वारा (एमकेडब्लूएच)	0.014	0.034
	एच एस डी की इकाई/लीटर	2.30	2.35
	औसत लागत/के डब्लू एच(रु./के डब्लू एच)	42.00	48.25

20. सुरक्षा

20.1 सुरक्षा संबंधी आंकड़े नीचे दर्शाए गए है :-

दुर्घटना विवरण	2013-14	2012-13	2011-12
प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या	8	7	7
मृतकों की संख्या	11	7	7
गंभीर रूप से घायलों की संख्या	20	24	33

20.2 रॉक मास रेटिंग :

मार्च, 2013 तक किए गए कार्य में सभी विकसित क्षेत्र के रॉक मासरेटिंग को एस एस आर की समुचित फ्रेमिंग के लिए निर्धारित किया गया था और इस पर पर्याप्त सपोर्ट सुनिश्चित किया गया। इस उद्देश्य के लिए मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अलग से संस्तर नियंत्रण कोषांग स्थापित किया गया है।

20.3 (क) स्टील सपोर्ट :

वर्ष 2013-14 एवं 2012-13 के दौरान रूफ सपोर्ट के लिए स्टील सामग्री की खपत निम्नलिखित हैः

क्रम संख्या	**मद**	**2013-14**	**2012-13**
(क)	20 एम एम टार स्टील	1249 टन	1433.46 टन
(ख)	4 इंच एम एस पाइप (पीइएन)	शून्य	शून्य
(ग)	स्टील चॉक्स	437 सेट	476 सेट
(घ)	1.6 मिमी. एम एस शीट	46.49 टन	50.283 टन
(ड.)	6 मिमी. एम एस फ्लैट	19.40 टन	50.050 टन
(च)	6 मिमी x 150 मिमी. एम एस शीट	249.30 टन	331.33 टन

20.4 सुरक्षा अंकेक्षण:

- 64 खानों में चौथे चक्र का सुरक्षा अंकेक्षण पांच बाहरी विशेषज्ञों द्वारा पूरा किया जा चुका है।
- बीसीसीएल की 55 खानों में पांचवे चक्र का सुरक्षा अंकेक्षण छः बाहरी विशेषज्ञों द्वारा पूरा कर लिया गया है।
- 41 खानों में छठे चक्र का सुरक्षा अंकेक्षण हमारे अपने अधिकारियों की टीम द्वारा पूरा किया जा चुका है।
- बीसीसीएल के सभी खदानों में सुरक्षा अंकेक्षण संबंधी लंबित कार्य बाहरी विशेषज्ञों द्वारा अंतर क्षेत्रीय सुरक्षा अंकेक्षण का कार्य हमारे अपने अधिकारियों की टीम द्वारा पूरा किया जा चुका है।

20.5 सहसंबंध सर्वेक्षण :

सरफेस के साथ भूमिगत खानों में सही समन्वय/संबंध की जांच एवं स्थापना के उद्देश्य से सीएमपीडीआइएल द्वारा गैरोथियोंडोलाइट जैसी आधुनिकतम प्रणाली का प्रयोग करते हुए सह संबंध सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया। 42 खानों की 71 सीमों/संस्तरों के 69 पिटों में अप्रैल, 06 में यह कार्य पूरा कर लिया गया है।

20.6 जाँच सर्वेक्षण:

69 खानों में जांच सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। नियमित जांच सर्वेक्षण प्रगति पर है। वर्तमान में मुदीडीह में जांच सर्वेक्षण पूरा हो गया है। पुटकी बलिहारी एवं बोर्रागढ़ में जांच सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है जो मुख्यालय सर्वे टीम द्वारा किया जा रहा है। 70 खानों में से निम्नलिखित खानों में बाहरी एजेंसियों द्वारा जांच सर्वेक्षण किया गया है :

1.	बोर्रागढ़	आइ एस एम द्वारा
2.	कनकनी	सीएमपीडीआइएल द्वारा
3.	के बी 5/6	- वही -
4.	होरलाडीह	- वही -
5.	ईस्ट भगतडीह	- वही -
6.	भौरा (साउथ)	- वही -

20.7 खानों के सुरक्षा स्तर में सुधार हेतु किए गए अन्य सुरक्षा उपाय :-

1. फेस से 0.6 मीटर की दूरी तक उचित तरीके से एवं पर्याप्त मजबूती के साथ रूफ बोल्ट फिक्स करने से पहले फेस में कोई ड्रिलिंग न करना ।

2. बिना आडियो-विजुअल अलार्म के कोई भी ट्रासपोर्ट संबंधी मशीन न चलाना।
3. पब्लिक रोड से पृथक कोयला परिवहन के लिए हॉल रोड करें और छोटे वाहनों के लिए पृथक सड़कों की व्यवस्था ।
4. डंप एरिया में उचित निर्धारित स्थान पर सीमित व्यक्तियों को नियोजित करना सुनिश्चित किया जाना ।
5. प्रतिष्ठापित किए गए वाइंडिंग को चरणबद्ध तरीके से हटाना सुनिश्चित किया जाना।
6. प्रतिष्ठापित किए गए वाइंडिंग की जांच/परीक्षण कोलियरी इंजिनियर द्वारा दैनिक आधार पर, ए एम (ई एंड एम), ए एम (सेफ्टी), कोलियरी इंजिनियर से मिलकर बनी समिति द्वारा मासिक आधार पर और मुख्यालय की टीम द्वारा त्रैमासिक आधार पर किए जाने का सुनिश्चितीकरण ।
7. सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में अनुभवी ऑपरेटरों का नियोजन करें और गर्म ओ बी/कोयला निकालने से पहले उसे पानी से बुझाने का सुनिश्चितीकरण ।
8. चार्जिंग से पहले ब्लास्ट होज को उचित तरह से 80 डिग्री से. से नीचे के तापमान तक ठंडा करना और इसे पाइरोमीटर/डिजिटल थर्मामीटर द्वारा सुनिश्चित करना ।
9. ऊँचाई एवं अन्य असुरक्षित स्थानों पर काम करते समय सुरक्षा बेल्ट एवं सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग ।
10. निर्माण कार्यों द्वारा चरणबद्ध तरीके से आने-जाने वाले रास्तों में नियमित रूप से स्टेप कटिंग एवं सुधार किया जाना ।
11. हॉलेज सड़कों में अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति न आए-जाए और टब राइडिंग को रोकने (टब पर सवारी) के लिए प्रबंधक/उप प्रबंधक/माइनिंग सुपरवाइजर द्वारा औचक पर्यवेक्षण को बढ़ाया जाना ।
12. सुरक्षा संबंधी विषयों पर नियमित रूप से चर्चा करना ।
13. श्रमिकों द्वारा खदान के अंदर प्रतिदीप्ति वाला फीता/जैकेट का प्रयोग सुनिश्चित करना ।
14. उपयुक्त आकार के पोर्टेबल विश्राम स्थल मुहैया किया गया एवं प्रत्येक बेंच में इसका रख-रखाव करना ।

जलप्लावन

ऐसी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बीसीसीएल में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :-

(क) मुख्यालय के वरीय अधिकारियों को समय-समय पर रात्रि पाली में निरीक्षण का निर्देश दिया गया है,ताकि रात्रि पाली में निरीक्षण की संख्या बढ़ाया जा सके ।

(ख) पांच बाह्य विशेषज्ञों ने 64 खानों में चौथे चक्र का सुरक्षा अंकेक्षण पूरा किया तथा बीसीसीएल की 55 खानों में पांचवे चक्र का सुरक्षा अंकेक्षण 6 बाह्य विशेषज्ञों द्वारा पूरा किया गया है। भूमिगत खदान के साथ-साथ खुली खदानों में छठे चक्र का सुरक्षा अंकेक्षण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक मानसून के पहले प्रत्येक खान में सरफेस तथा भूमिगत दोनों स्रोतों से होने वाले जलप्लावन के खतरों की जांच की जाती है।

(घ) बीसीसीएल की सभी खानों में जोखिम आकलन का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रत्येक छः माह में इसकी समीक्षा की जाती है।

(ङ) बीसीसीएल की खानों में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

(च) आपातकालीन उद्देश्य के लिए पंपों तथा अन्य संबंधित सामग्री को मध्य स्थल पर रखा गया है।

(छ) भूमिगत नक्शे में और भूमिगत चालू कार्य स्थलों पर बचकर निकलने के मार्गों को चिन्हित किया गया है।

(ज) मानसून आने के पूर्व पूर्वाभ्यास (मॉक) प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है।

(झ) जिन खदानों के दूसरे किनारों पर पहुंचना दुर्गम है, वहां अवरोध की मोटाई निश्चित करने हेतु भू-बेधक रडार की अद्यतन तकनीक का प्रयोग एन आइ आर एम के माध्यम से पुटकी ,फुलारीटांड़ तथा मधुवन की तीन खानों में 2004 में किया गया।

छत गिरना (रूफ फॉल)

(क) चट्टानों के भू-यांत्रिकी तत्वों का अध्ययन किया जा रहा है तथा आलंबन प्रणाली को आर एम आर के आधार पर वैज्ञानिक तौर पर तैयार किया जा रहा है और उसे डी जी एम एस से बकायदा अनुमोदित कराया जा रहा है।

(ख) भूमिगत खदानों में विकासपरक कार्यों को सहारा देने के लिए शीघ्र जमने वाले सीमेंट ग्राउटेड रूफ बोल्ट की अत्याधिक प्रयोग।

(ग) काष्ठ आलंबन को हटाकर अब स्टील आलंबन से बदला जा रहा है। लांगवाल आयतनों में पावर आलंबन उपलब्ध कराया जा रहा है।

(घ) श्रमिकों के लिए ग्रीन रूफ संकटों में कमी लाने के लिए मैनुअल लोडिंग के स्थान पर एसडीएल/एल एच डी का प्रयोग और ई जे एरिया के 4 क्षेत्रों को छोड़कर सभी मैनुअल क्षेत्रों को एसडीएल/एल एच डी क्षेत्रों में तब्दील किया गया है।

(ङ) प्रत्येक खदानों के उत्पादन बनाम रूफ बोल्टिंग रिकार्ड को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

(च) डिपिलरिंग पैनल कार्य में डी जी एम एस की अनुमति की शर्तों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

(छ) संस्तर नियंत्रण पर विशेष सुरक्षा अभियान/सेमिनार का आयोजन हुआ।

20.8 अन्य कारण:

(i) खुली खदानों में दुर्घटनाओं को कम करने के कुछ निम्नलिखित उपाय किए गए है :-

- ओपेनकास्ट खानों में विभिन्न संकटकालीन कार्यों के लिए व्यवहार नियमावली बनाकर उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- यातायात नियमों का कार्यान्वयन ,सड़कों की जांच, कंपनी के इंजीनियरों द्वारा ठेकेदारों के वाहनों / उपकरणों की जांच
- एचइएमएम चालकों तथा ठेका श्रमिकों का प्रशिक्षण
- पोस्टरों, प्रचार व प्रसार, सुरक्षा अभियान तथा सुरक्षा सप्ताह आदि के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता में वृद्धि।

(ii) सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने हेतु ठेका श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों ,सुपरवाइजरों तथा अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा प्रतिधारण पर जोर।

(iii) खदान की वातावरण की लगातार हस्तस्थ गैस डिटेक्टर, फ्लेम सुरक्षा लैम्प द्वारा की जाती है। बीसीसीएल के अत्याधिक गैसी खदानों में खदान के वातावरण की सतत मानिटरिंग के लिए 45 एल एम डी मुहैया कराया गया है जिसे संस्थापित कर दिया गया है।

(iv) निम्नलिखित प्रकार के निरीक्षण पर जोर दिया जा रहा है :-

क. कंपनी मुख्यालय के वरीय अधिकारी, मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों तथा एजेंटों द्वारा जांच।

ख. रात्रिपाली निरीक्षण

ग. आइ एस ओ कर्मियों द्वारा निरीक्षण।

(v) दुर्घटनाओं तथा घटनाओं के समीक्षात्मक विश्लेषण हेतु कंपनी के विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा से जुड़ी समन्वय बैठकों के साथ-साथ गहन विचार-विमर्श सत्र का आयोजन किया जा रहा है।

(vi) डी जी एम एस से अनुमति लेने के पूर्व आइ एस ओ, एच क्यू द्वारा योजना की वेटिंग की प्रणाली शुरू की गई है।

(vii) पिट सुरक्षा समिति के कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाया गया है।

(viii) क्षेत्रीय स्तर पर व्यावसायिक स्वास्थ्य विषय पर विचार-गोष्ठी का आयोजन करना।

(ix) कंपनी के सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों द्वारा खानों का निरीक्षण।

(x) कंपनी में प्रशिक्षण संबंधी कार्य-निष्पादन-

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार	2013-14	2012-13
1.	प्रबंधन प्रशिक्षण	2716	2901
2.	तकनीकी प्रशिक्षण	1919	2272
3.	आइ आइ सी एम	463	388
4.	विदेश में प्रशिक्षण	01	0
	कुल	**5099**	**5561**

(xi) प्रशिक्षण संबंधी कार्य निष्पादनः

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार	2013-14	2012-13
1	बुनियादी	521	548
2	पुनश्चर्या	8718	8244
3	विशेष एवं अन्य	1594	1311
4	सुरक्षा सम्मेलन के अनुसार	5935	5081
	कुल	**16768**	**15184**

(xii) 2013-14 के दौरान कंपनी के क्षेत्रीय स्तर पर त्रिपक्षीय बैठकों का आयोजन विभिन्न तिथियों में हुआ।

20.9 एम ओ यू के अनुसार गतिविधियां एवं कार्य निष्पादन संबंधी सुरक्षा(संदर्भ एम ओ यू मद संख्या 3.3)

क्र.संख्या	कार्य निष्पादन एवं गतिविधियां	स्थिति (अंकों में)
1	सुरक्षा प्रबंधन योजना की तैयारी(एस एम पी)(खान)[3.3.1]	10
2	मशीनीकृत रूफ बोल्टिंग मशीनें [3.3.2]	5 नवम्बर, 2013 को कार्यादेश जारी किया गया तथा उपकरणों को प्रेषित किया गया
3	गैस क्रोमेटोग्राफ का अधिष्ठापन (एक) [3.3.3]	प्रापण के अधीन
4	सिम्युलेटर के माध्यम से प्रशिक्षण	76 डंपर ऑपरेटर

21 कार्मिक

21.1 श्रमशक्ति की स्थिति

31-3-2013 की तुलना में 31-3-2014 तक कंपनी की तुलनात्मक श्रमशक्ति निम्नलिखित हैः-

क्रम सं0	वर्ग	स्थिति		वृद्धि/ हास
		31-3-2013 को	31-3-2014	अप्रैल 13 से मार्च, 2014 तक
(1)	अधिकारी	2603	2543	-60
(2)	मंथली रेटेड	10702	9851	-851
(3)	डेली रेटेड	44643	43199	-1444
(4)	पीस रेटेड	3008	2527	-481
(5)	अन्य	742	840	98
(5)	कुल	61698	58960	-2738

21.2 बीसीसीएल के कर्मचारियों का सर्वे-

बीसीसीएल ने बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित किए गए सर्वें में भाग लिया (नियोक्ता का चयन, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, काम करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह इत्यादि) (संदर्भ- एम ओ यू परिशिष्ट XIV F.1)

क्रम	एच आर एम.प्रदर्शन संकेत	माप की इकाई	भार	वास्तविक कार्य	स्वमूल्यांकन

सं0				निष्पादन (इसे सी पी एस इ द्वारा कार्य मूल्यांकन के प्रस्तुतिकरण के समय भरा जाए)	स्कोर (सी पी एस ई द्वारा)
क	**योग्यता एवं नेतृत्व विकास**				
	क-1 अनिवार्य				
1.	प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष प्रशिक्षण योजना एवं प्रशिक्षण दिवसों का कार्यान्वयन %	प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष/दिवसों तथा पालन %	5	100.8 (259 में से 261 की प्राप्ति हुई)	5
2.	वृत्ति योजना एवं विकास की पद्धति के जरिये अग्रणी नेतृत्व विकसित करना	योजनाबद्ध नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का पालन %	5	138 व्यक्ति	5
3.	कर्मचारी के लागत के % के रूप में प्रशिक्षण बजट	कर्मचारी लागत का %	5	0.190	5
4.	गैर अधिकारी वर्गों के बहुकौशल/कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण योजना का पालन %	%	5	एच आर डी में 2384 व्यक्ति तथा जी वी टी सी से 16768	5
	क-2 ऐच्छिक (निम्नलिखित पांच में से कम से कम एक एम ओ यू में लें)				
1	नयी/आधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण इंटरवेंशन नये प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण योजना का पालन %	%	5	187 व्यक्ति	5
	कुल		25		25
ख	**कार्य निष्पादन प्रबंधन**				
1	पी एम एस रेटिंग में बेल कर्व दृष्टिकोण का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना	हाँ/नहीं	4	नहीं	
2	कार्य प्रबंधन प्रणाली सहित अधिकारियों के विकासात्मक योजना की सहलग्नता	हाँ/नहीं	3	हाँ	3
3	पी एम एस से जुड़ी पी आर पी का क्रियान्वयन	हाँ /नहीं, विवरण	3	हाँ, नीति के अनुसार	3
	कुल		10		6
ग	**भर्ती, प्रतिधारण एवं योग्यता प्रबंधन**				
1	श्रमशक्ति युक्तिकरण द्वारा				
	-पुनर्नियोजन	%	5	3.56%	5
2	कुल कर्मचारियों में कमी का %	%	5		
3	परामर्शदाता विकास कार्यक्रम परामर्शदाता एवं परामर्श प्राप्तकर्ता की संख्या	हाँ/नहीं, संख्या	5	हाँ, दो कार्यक्रम आयोजित (9-10 मई,13 तथा 11-12 फरवरी, 14)	5
4	जॉब रोटेशन सिस्टम, रिवार्ड सिस्टम, उच्च प्रबंधन कार्यक्रम के लिए वरीय अधिकारियों को प्रायोजित करना, ग्रोथ, विकास अवसरों इत्यादि के रूप में योग्यता प्रबंधन हेतु प्रतिपादन/कार्यान्वयन पद्धति	3	5	कार्यान्वयन के अंतर्गत 3 योजनाएं	5

	कुल		20		15
घ	रचनात्मक एवं नवाचार के योग्य बनाना				
1	राष्ट्रीय पुरस्कारों (पी एम शर्मा पुरस्कार, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार) के लिए प्रस्तुत किए गए नामांकन/प्रविष्टियों की संख्या	राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रस्तुत किए गए नामांकन /प्रविष्टियों की संख्या	5	उत्खनन विभाग से 1	4
2	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी के लिए बनाये गए प्रस्तावों की संख्या	प्रति कर्मचारी की संख्या	5	शून्य	
3	वर्ष में लिए गए कुल क्वालिटी सर्किल प्रोजेक्ट्स का %	% पूर्ति	5	3 क्यू. सी. प्रोजेक्ट पूरे किए गए (लोदना-3.3 के वी Trlg केबल, कुसुन्डा-बर्न ऑयल तथा कोयला नगर 33 के वी सब स्टेशन	5
	कुल		**15**		**9**
ड.	**कर्मचारी संबंध एवं उनका कल्याण**				
1	शिकायत निवारण पद्धति की प्रभाविता- वर्ष के दौरान प्राप्ति की तुलना में निपटान किए गए शिकायतों का %	% निपटान	**4**	**33**	**0**
2	पेंशन,मेडिकेयर, तनाव को कम करने के लिए योग क्लास जिम इत्यादि जैसे वेलनेस सेंटर का स्थापन	योजना के कार्यान्वयन की तिथि/कार्यक्रमों की संख्या	**4**	तनाव प्रबंधन-4 लक्ष्य प्रबंधन-4 जीवन प्रबंधन-1 पेंशन रूल सीसीएस-1 सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के लिए कार्यक्रम-10, नेत्र शिविर-15, परिवार कल्याण शिविर-17, स्वास्थ्य शिविर-203	**4**
3	कर्मचारी का तुष्टिकरण (सर्वे-इएसआइ)मेडिकल/अस्पताल का मापदण्ड % में	%	**4**	> 80%	**4**
4	सामाजिक सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन और सूत्रीकरण	हॉ/नहीं	**4**	> हाँ (अध्याय-IX,NCWA-IX)	**4**
5	कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	**4**	24 बैठक सम्पन्न	**4**
	कुल		**20**		**12**
च	**एच आर ब्रान्डिग एवं उत्कृष्टता पहल के लिए प्राप्त उपलब्धि का संकेत निम्नलिखित है।**				
1	बाहरी एजेंसियों (पसन्द का नियोजक, सर्वश्रेष्ट नियोजक, काम करने की सबसे	उपलब्धियों के साथ-साथ सूत्रपात से संबंधित विवरण दिए जाएं	**5**	सहभागिता बनी " ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट" द्वारा सर्वे का	**5**

	अच्छी जगह इत्यादि) द्वारा आयोजित सर्वे में सहभागिता			आयोजन हुआ	
2	बदलते व्यवसायिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एच आर नीतियों का पुनरीक्षण/संशोधन/ पुनर्भियंत्रीकरण	हाँ/नहीं	5	हाँ	5
	कुल		10		10
	कुल योग		100		77

बीसीसीएल ने ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, इंडिया द्वारा आयोजित वर्ष 2013-14 के निमित्त बाहरी एजेंसी द्वारा नियत स्लॉट के अंतर्गत पूर्वोक्त सर्वे में भाग लिया। आयोजित किए गए कर्मचारी सर्वे का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

बाहरी एजेंसियों द्वारा नमूना के रूप में लिए गए कर्मचारियों की संख्या	सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की वास्तविक संख्या	प्रतिशतता
600	474	79%

21.3 सी आइ एल में कर्मचारी का सर्वेक्षण

वर्ष 2014 के निमित्त सी आइ एल ने ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्युट इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम " इंडियाज बेस्ट कंपनीज टू वर्क" का विश्लेषण करने हेतु भाग लिया।

सी आइ एल द्वारा आयोजित बीसीसीएल के कर्मचारी सर्वेक्षण का सारांश इस प्रकार है :-

सी आइ एल द्वारा सर्वेक्षण के लिए नमूना के रूप में उपलब्ध कराये गए कर्मचारियों की संख्या	सर्वेक्षण किए गए कर्मचारियों की वास्तविक संख्या	प्रतिशतता
112	90	80%

21.4 मानव संसाधन प्रबंधन (संदर्भ-एम ओ यू , मद सं.3.4)

मद	कार्यक्रम की तिथि		प्रतिभागियों की सं.	संस्था/संगठन का नाम, जहां प्रर्शिक्षण प्रदान किया गया
योजना प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण [3.4.1]	प्रारंभ	अंत		
	09.09.2013	20.09.2013	30	आइ.एस.एम,धनबाद
	02.09.2013	14.09.2013	04	आइ आइ सी एम रांची
	09.12.2013	20.12.2013	30	आइ एस एम,धनबाद
	06.01.2014	18.10.2014	02	आइ आइ सी एम,रांची
कुल प्रतिभागी			66	

मद	कार्यक्रम की तिथि		प्रतिभागियों की सं.	संस्था/संगठन का नाम, जहां प्रशिक्षण दिया गया
	प्रारंभ	अंत		
संविदा प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	19.08.2013	31.08.2013	09	आइ आइ सी एम,रांची

मद	कार्यक्रम की तिथि		प्रतिभागियों की सं.	संस्था/संगठन का नाम, जहां प्रशिक्षण दिया गया
	प्रारंभ	अंत		
पर्यावरण प्रबंधन, वन,तथा भू-अधिग्रहण के लिए औपचारिक प्रशिक्षण [3.4.3]	06.02.2014	07.02.2014	39	एच आर डी, बीसीसीएल

मद	कार्यक्रम की तिथि		प्रतिभागियों की सं.	संस्था/संगठन का नाम, जहां प्रशिक्षण प्रदान किया गया
औपचारिक जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण (सीनियर लेवल) [3.4.4]	प्रारंभ	अंत		
	06.08.2013	07.08.2013	04	एच आर डी,बीसीसीएल
	03.09.2013	06.09.2013	05	एच आर डी,बीसीसीएल
	07.10.2013	10.10.2013	06	एच आर डी,बीसीसीएल
	07.01.2014	09.01.2014	05	एच आर डी,बीसीसीएल
	29.04.2013	10.05.2013	14	ए एससीआइ,हैदराबाद
कुल प्रतिभागी			34	

21.5 कर्मचारी एवं उच्चस्तरीय प्रबंधन के सम्मिलन हेतु कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) एवं सततता (संदर्भ-एम ओ यू) मद संख्या-2.4.1.1]

क) मानस पटल को संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनार/कार्यशाला तथा प्रशिक्षण – वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

ख) सेमिनार/कार्यशाला में उच्चस्तरीय प्रबंधन की उपस्थिति- वर्ष के दौरान संपन्न बैठकों में निदेशक(कार्मिक), निदेशक(तक.)परिचालन तथा निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना ने भाग लिया।

ग) उपर्युक्त कार्यक्रमों में शामिल किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या– कंपनीके शीर्ष प्रबंधन द्वारा आयोजित उपर्युक्त कार्यक्रम में 202 कर्मचारियों ने भाग लिया।

21.6 सांविधिक पदों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या

ब्यौरा	2013-14	2012-13	2011-12
माइन मैनेजरशिप	144	127	108
ओवरमैन	79	35	55
माइनिंग सरदार	198	283	294
सर्वेयर	77	92	119
वाइंडिंग इंजन ऑपरेटर	77	79	87
गैस परीक्षण	231	411	350
विद्युत पर्यवेक्षक	69	31	30
कुल	875	1058	1043

सांविधिक पदों केलिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या (सचित्र प्रदर्शन)

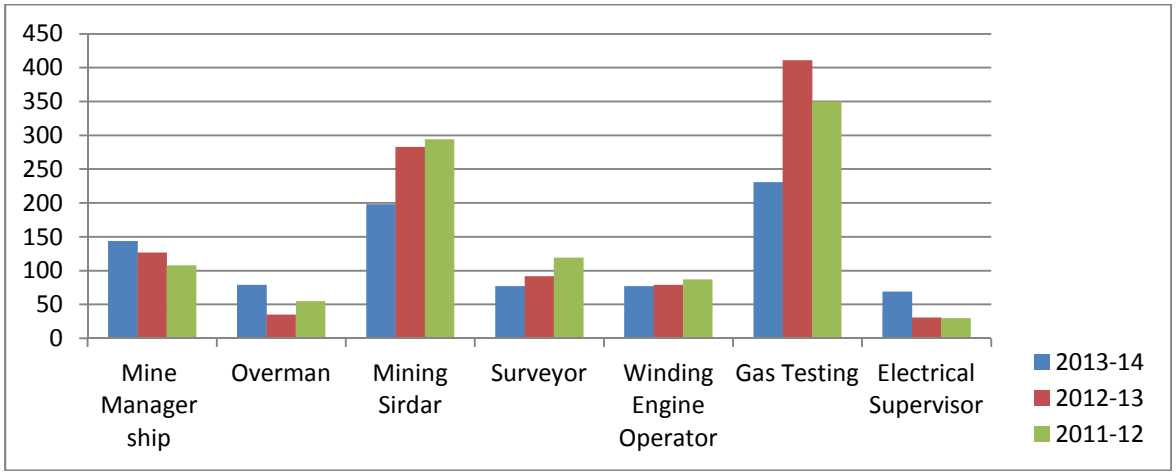

21.7 पिछले तीन वर्षों का घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रम

विवरण	2013-14	2012-13	2011-12
प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	6946	6417	6445

सांविधिक श्रमशक्ति हेतु कौशल विकास, सतर्कता जागरूकता प्रशिक्षु प्रबंधन का प्रेरण/पारस्परिक संबंध, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी , महिला विकास तथा कम्प्यूटर जागरूकता जैसे विवेचनात्मक विषयों पर विशेष बल दिया जा रहा है।

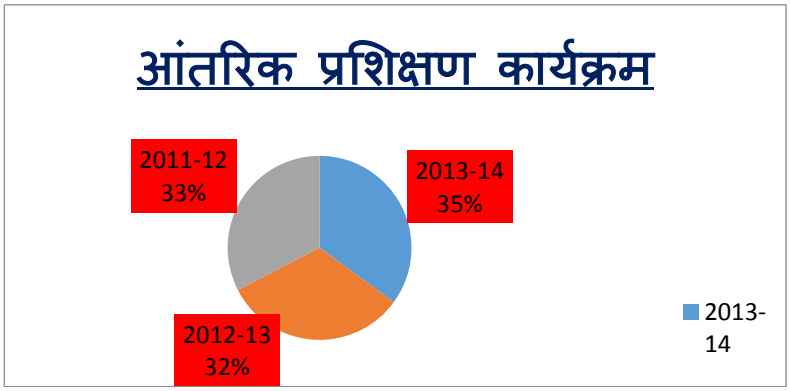

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रशिक्षित किए गए महिला कर्मचारी

विवरण	2013-14	2012-13	2011-12
अधिकारी	193	178	175
पर्यवेक्षक	67	180	144
श्रमिक	389	355	604
कुल	649	713	923

टिप्पणी:- 2011-12 के दौरान बड़े पैमाने पर निरक्षर महिला कर्मचारियों के बीच चलाये गए साक्षरता कार्यक्रम में 2012-13 में क्रमश:उनकी निरक्षरता में कमी आयी । उपर्युक्त आंकड़े से स्पष्ट है कि 2011-12 के दौरान कुल 604 की तुलना में 2012-13 में कुल निरक्षर महिला कर्मियों की संख्या 355 रह गयी है।

21.8 वर्ष 2013-14 के दौरान एम ओ यू तथा गैर एम ओ यू के लिए संस्थानवार आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्था का नाम	2013-14	2012-13	2011-12
एम डी आइ	2981	2544	2642
एस डी आइ	1341	1324	1462
एम टी आइ	849	935	867
ई एम टी आर	1775	1614	1474
कुल	6946	6417	6445

2013-14	6946 (निर्धारित -5257 +गैर निर्धारित1689)
2012-13	6477 (निर्धारित-4893 + गैर निर्धारित-1524)
2011-12	6445 (निर्धारित-4253+ गैर निर्धारित-2192)

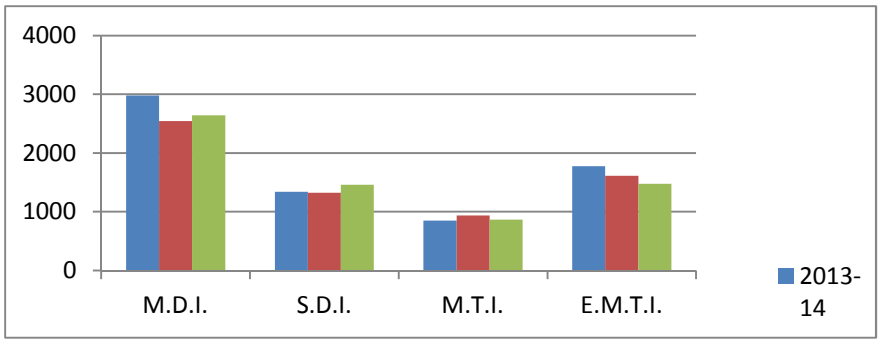

21.9 आइ आइ सी एम, रांची में प्रशिक्षण

2013-14	2012-13	2011-12
463	388	298

21.10-वी टी सी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

विवरण	2013-14	2012-13	2011-12
बुनियादी	521	548	724
पुनश्चर्या	8718	8244	8721
विशेष एवं अन्य	7529	6392	4265
कुल	16768	15184	13710

21.11-बाह्य प्रशिक्षण

2013-14	2012-13	2011-12
1070	536	752

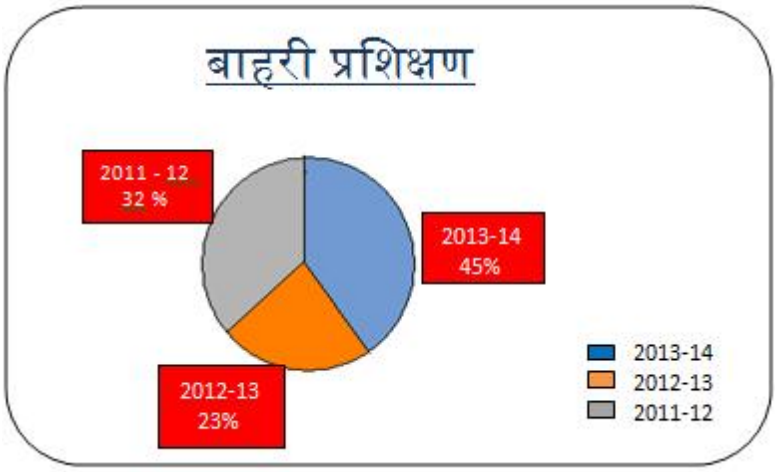

21.12-अप्रेंटिस एक्ट के तहत पी डी पी टी प्रशिक्षण

2013-14	2012-13	2011-12
97	57	41

बी ओ पी टी (ई आर, कोलकाता) के उल्लेखानुसार पी डी पी टी की अधिकतम अनुमत संख्या किसी भी समय 100 व्यक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए।

21.13 एच आर डी द्वारा किया गया विशेष पहल

1. **उत्थान**- बीसीसीएल प्रबंधन ने अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के बच्चों को भूमिगत प्रशिक्षण देने तथा डी जी एम एस द्वारा आयोजित सरदारशिप तथा सर्वेयरशिप परीक्षा के लिए उन्हें योग्य बनाने का निर्णय लिया है। इस योजना का नाम "उत्थान" है।

   प्राप्त,स्वीकृत तथा अस्वीकृत किए गए आवेदन का विवरण निम्नलिखित है:-

स्ट्रीम	प्राप्त आवेदन की सं.	स्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदन की संख्या
सरदारशिप	1572	665	907
सर्वेयरशिप	293	114	179
कुल	1865	779	1086

   स्वीकृत किए गए कुल 779 आवेदन (सरदारशिप 665, सर्वेयरशिप 114) में 125 सरदारशिप तथा 25 सर्वेयरशिप के लिए चयनित किया गया है।
   प्रकार्य निदेशकों की बैठक में इस पर व्यापक रूप से चर्चा हुई थी तथा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रभावित लोग, अग्नि प्रभावित लोग तथा आसपास के स्थानीय ग्रामीणों के लिए भी इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएं।

2. **होम ग्रीन टिम्बर तथा सुपर-40 (सांविधिक श्रमशक्ति विकास)**

   कंपनी के लिए महत्वपूर्ण पदों जैसे माइनिंग सरदार, ओवरमेन,सर्वेयर,प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधकों में सांविधिक श्रमशक्ति का विकास करना एक विशेष कार्य रहा है। मानव संसाधन विकास विभाग के तहत माइनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा होम ग्रोन टिम्बर एवं सुपर-40 योजना की सफलता में कंपनी के विकासशील सांविधिक श्रमशाक्ति में बेंचमार्क स्थापित किया गया ।

3. महत्वपूर्ण श्रेणी में श्रमशक्ति का विकास

कंपनी के आंतरिक संसाधनों से इलेक्ट्रिकल, सुपरवाइजर , एच इ एम एम ऑपरेटर (टी) वाइंडिंग इंजिन ऑपरेटर(टी) जैसे महत्वपूर्ण श्रमशक्ति को तैयार करने में एच आर डी के अंतर्गत एक्सवेशन एंड मेकेनाइजेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट [EMTI] की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपर्युक्त के अलावा यह कार्मिक में दक्षतापूर्ण सुधार तथा विद्युत,यांत्रिक एवं एच इ एम एम उपकरण के रख-रखाव एवं परिचालन में भागीदारी में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	2013-14	2012-13	2011-12
1	एच टी परीक्षा हेतु इलेक्ट्रिकल पर्सनल का एस यू	25	38	31
2	एल टी परीक्षा हेतु इलेक्ट्रिकल पर्सनल का एस यू	22	35	37
3	एस डी एल के परिचालन एवं रख-रखाव में एस यू	149	192	147
4	एच इ एम एम ऑपरेटर का एस यू+ एचइएमएम में परिचालन एवं रख-रखाव में एस यू	1039	753	604
5	सिमुलेटर प्रशिक्षण	76	0	90

4. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण

मार्च, 2014 तक कुल 414 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निम्नलिखित कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जा चुका है:-

1. तनाव प्रबंधन
2. लक्ष्य प्रबंधन
3. सकारात्मक जीवन प्रबंधन
4. सी सी एस (पेंशन नियमावली) के तहत पेंशन नियम
5. योग एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम

22.0 कल्याण एवं सामुदायिक विकास गतिविधियां

22.1 खेलकूद एवं मनोरंजन

सभी स्तर पर कर्मचारियों में शारीरिक फिटनेस विकसित करने के साथ-साथ मनोरंजन के रास्ते उपलब्ध कराने हेतु खेलकूद कंपनी का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। प्रारंभ से ही खनिकों केलाभ के लिए भूतपूर्व कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन द्वारा खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा था।

खेल कूद के उन्नयन के लिए, न सिर्फ कर्मचारियों एवं उनके बच्चों बल्कि स्थानीय जनसाधारण के साथ साथ खदान के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के फायदे के लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए विभाग विभिन्न कोचिंग कैंप का आयोजन कर रहा है तथा खेल सामग्री /उपकरण तथा वित्तीय सहयोग भी मुहैया कराता है। बीसीसीएल में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुतेरे कर्मचारी है जिन्होंने कंपनी को ख्याति दिलायी है।

वर्तमान में सी आइ एल की ओर से प्रकाशित गतिविधियों के कैलेण्डर के आधार पर खेल कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसके आधार पर बीसीसीएल में वर्ष 2013-14 के दौरान खेलकूद एवं सांस्कृतिक कैलेण्डर के अनुसार निम्नलिखित खेल का आयोजन किया गया:

क्र.सं.	खेल का नाम	क्षेत्र
1	शतरंज व ब्रिज	लोदना
2	टेबल टेनिस	नेहरू कम्प्लेक्स
3	बैडमिंटन	-वही-
4	कबड्डी	गोविंदपुर
5	वॉलीबॉल	पुटकी बलिहारी
6	फुटबॉल	सिजुआ फुटबॉल स्टेडियम
7	क्रिकेट	लोदना: जिएलगोरा स्टेडियम
8	जोनल स्पोर्ट्स	जोन-I से VI: पुटकी बलिहारी/ब्लॉक-2/लोदना/ वाशरी डिवीजन/ सिजुआ/चांच विक्टोरिया
9	हॉकी	कोयला नगर:डी ए वी ग्राउन्ड
10	सेंट्रल स्पोर्ट्स	लोदना: जिएलगोरा स्टेडियम
11	अंतर क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम	वाशरी डिविजन

कर्मचारियों को बड़ी संख्या में प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा उनमें से जो अर्हता प्राप्त करते हैं वे सी आइ एल मीट में बीसीसीएल सहित विभिन्न अनुषंगी कंपनियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में बीसीसीएल की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं।

उसी प्रकार से समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं तथा अंतर अनुषंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी कर्मचारियों की सहभागिता होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से होता है जिसमें कर्मचारी एवं उनके बच्चे भागीदारी करते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 नवम्बर को कोल इंडिया स्थापना दिवस भी मनाया जाता है जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यशाला, स्टॉल, प्रभातफेरी , सर्वधर्म प्रार्थना इत्यादि कार्यक्रमों में सभी क्षेत्रों की भागीदारी होती है।

22.2 बीसीसीएल कर्मचारियों के लिए हितकारी निधि समिति

इस्को चासनाला खदान दुर्घटना के तुरंत बाद बीसीसीएल कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहयोग देने के लिए बीसीसीएल में कर्मचारियों के लिए हितकारी निधि समिति की स्थापना वर्ष 1977 में किया गया।

शुरू में, इसे प्रति कर्मचारी प्रति माह 1/- रूपये का अंशदान देकर शुरू किया गया था, जिसे धीरे-धीरे कुछ-कुछ वर्षो में बढ़ाकर वर्तमान में 10/- प्रति महीना कर दिया गया है।

उद्देश्य:-

क) सदस्य कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 20,000/- की वित्तीय सहायता ।

ख) एकेडमिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्तकर्ता मेधावी छात्रों (कर्मचारी के बच्चे) को छात्रवृत्ति देना ।

ग)लंबी बीमारी के मामले में सोसायटी के सदस्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना ।

घ) सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को 1000/- रू. का मानदेय ।

शिक्षा:-

बीसीसीएल ने अपने कल्याण कार्यों के रूप में अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के साथ-साथ स्थानीय जनसाधारण के बच्चों के लिए भी बेहतर शैक्षिक सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष बल दिया है।

बीसीसीएल के साथ एम ओ यू के तहत कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थान चल रहे हैं। ऐसे विद्यालय सीबीएसई से संबद्ध है जो दो वर्गों में है-

क. परियोजना विद्यालय

ख. अर्द्ध परियोजना विद्यालय

बीसीसीएल द्वारा 11 अनुबंधित /अर्द्ध अनुबंधित विद्यालयों को वित्तीय सहायता / आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

पूर्वोक्त परियोजना/अर्द्ध परियोजना विद्यालयों के अलावे , 80 निजी समितियों द्वारा संचालित विद्यालयों सहित 04 समेकित विद्यालय बीसीसीएल के प्रभाव क्षेत्र में चल रहे हैं, जो शिक्षा के लिए कल्याण उप समिति की अनुशंसा पर वित्तीय सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	विद्यालय की स्थिति	विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	54
2	मध्य विद्यालय	17
3	उच्च विद्यालय	09
	कुल	80

भारत में सरकारी मान्यता प्राप्त टेक्नीकल तथा मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने वाले कर्मचारियों के आश्रित/बच्चों को ट्यूशन फीस तथा हॉस्टल चार्ज की प्रतिपूर्ति

कार्यालय ज्ञापन संख्या- सीआइएल/सी-5सी/56166/633 दिनांकित 5.1.2009, तद्नुसार सूचना संख्या-सीआइएल/सी-5सी/55166/663/ दिनांकित 5.1.2009, कार्यालय आदेश संख्या-सीआइएल/सी-5सी/55121/811 दिनांकित-4.6.2009, 837 दिनांकित 24.6.2009 तथा 921 दिनांकित 10.10.2009 के अनुसार बीसीसीएल ने कर्मचारियों के तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा के मद में ट्यूशन शुल्क एवं छात्रावास शुल्क के खर्च के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया है।

छात्रवृत्ति:

कर्मचारी अपने बच्चों के लिए प्रत्येक अकादमिक सत्र हेतु (क) योग्यता आधारित छात्रवृत्ति तथा (ख) सामान्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है।

क) योग्यता (मेरिट) आधारित छात्रवृत्ति

1) वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने माध्यमिक/हाईस्कूल अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी बोर्ड परीक्षा में 1 से 20 वां स्थान प्राप्त किया है, को योग्यता(मेरिट) आधारित छात्रवृत्ति दी जाएगी।

2) आइ सी एस इ/सी बी एस इ/आइ एस सी (दसवीं अथवा बारहवी) के विद्यार्थी, जिन्होंने 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है, बशर्ते कि वहां अधिकतम साढ़े चार वर्ष अथवा अध्ययन पूरा होने तक जो भी कम हो, मेधासूची प्रकाशित नहीं हुई हो, उसे भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

ख) सामान्य छात्रवृत्ति

यह छात्रवृत्ति पांचवी तथा उससे ऊपर स्नातक/स्नातकोत्तर तककिसी भी शिक्षण में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए है। अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र अंकों के न्यूनतम प्रतिशत पर 10% छूट पाने के हकदार हैं।

बैंकिंग सुविधाए:

बीसीसीएल में सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विभिन्न बैंकों में सीधे उनके खातों में कर दिया जाता है। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को खदान क्षेत्रों के आसपास शाखाएं खोलने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वर्तमान में बीसीसीएल के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की 130 शाखाएं संचालित हो रही हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

सीएसआर/सामुदायिक विकास कार्य से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित है :-

वर्ष	बजट	व्यय	पिछले वर्ष किए गए व्यय में वृद्धि का %
2008-09	252.00	215.78	16.13
2009-10	275.00	257.88	19.51
2010-11	1375.00	315.00	22.15
2011-12	1450.00	622.00	97.46
2012-13	1510.00	794.33	27.65
2013-14	3050.00	2780.15	350.00

वर्ष 2013-14 केदौरान सी एस आर कार्यों पर लगभग 2780.15 लाख रूपये खर्च किए गए जो पिछले वर्ष (2012-13 के पी ए टी का 1.85%) किए गए खर्च की तुलना में 350% ज्यादा है। वर्ष 2013-14 का बजट प्रावधान 3050.00 लाख रूपये का था। [एम ओ यू मद संख्या-2.4.5]

बीसीसीएल कोयला खनन एवं इससे संबद्ध गतिविधियों से जुड़ा एक लोक उपक्रम है। देश में कोकिंग कोल खनन के मामले में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बीसीसीएल प्रारंभ से ही उम्दा के रूप में सी एस आर के तहत काम करता आ रहा है। यद्यपि सी एस आर की अवधारणा बाद में आई। समाज के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बीसीसीएल पहले से ही अपने दैनिक कार्यों के साथ कल्याण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को शामिल किए हुए है।

वर्तमान में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की संकल्पना बहुत आगे निकल गई है तथा "परोपकार" से परिवर्तित होकर "स्टेकहोल्डरों की सहभागिता" में बदल गयी है और उनको समाज के सबसे निचले तबकों के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है ताकि बीसीसीएल का अभियान अपने संबंधित समुदायों में अति सक्रिय एवं सहयोगात्मक रूप से चलाया जा सके।

कंपनी अपने स्टेक होल्डरों की भूमिका एवं महत्व को पहचानती है तथा आम जनता को आधारभूत सुविधाएं देने एवं सृजन करने के आलोक में समाज में समग्र विकास लाने के लिए सामाजिक भागीदार के रूप में अपनी भूमिका के प्रति वचनबद्ध है। सी एस आर परियोजनाओं के विषय में निर्णय क्षेत्रीय स्तर की आवश्यकताओं पर आधारित होता है। एन सी एस आर हब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई तथा आंतरिक स्रोतों द्वारा तैयार किए आवश्यकता निर्धारण पर आधारित सी एस आर परियोजनाएं निश्चित की गई हैं।

संक्षेप में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बेहतर निगमित नागरिकता तथा सामान्य रूप से समाज में स्टेक होल्डरों एवं विशेष रूप से इसके आसपास के समुदायों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने एवं बनाए रखने के लिए सतत प्रयासों के निर्माण करने तथा अच्छी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए बीसीसीएल ने अपने सी एस आर गतिविधियों के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जीविका तथा सामुदायिक विकास की बीड़ा उठाया है। इससे संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जा रही हैं-

जलापूर्ति सुविधाएं

चूंकि बीसीसीएल में आरंभ से जल के महत्व को समझा गया है इसलिए खनन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक रूप से निकाले जाने वाले जल के प्रभावी व समुचित उपयोग हेतु प्रयत्न किया गया है।

ऐसे जल को उपयोग में लाने के लिए बीसीसीएल " निर्मल नीर" योजना के अंतर्गत इसे प्राकृतिक नालों में बहने से रोकर कर जलाशयों में खदान जल भंडारण किया है।

बरोरा/ब्लॉक-2 तथा गोविंदपुर क्षेत्रके परित्यक्त खदान जल का बहुद्देशीय प्रयोग

वर्ष 2013-14 के दौरान खदानों के परित्यक्त जल के लाभकर प्रयोग हेतु 11.70 करोड़ रूपये की लागत से करीब 45 कि.मी. लंबी पाइप लाइन बरोरा/ब्लॉक-2 तथा गोविंदपुर क्षेत्रों में बिछाई गई है। इस योजना की मदद से करीब 47 मिलियन गैलन अधिशेष जल, जिसे वर्तमान में बीसीसीएल के बरोरा,ब्लॉक-2 तथा गोविंदपुर से प्राकृतिक जलमार्ग में छोड़ा जा रहा है, का भंडारण धनबाद जिले के बाघमारा ब्लॉक के बेहराकुद तथा सोनापट्टी गांव में क्रमश: 16 मिलियन गैलन तथा 31 मिलियन गैलन तथा 4.0 हेक्टेयर एवं 4.5 हैक्टेयर क्षेत्र के दो जलकुंडों में किया जा रहा है। इस परियोजना से तकरीबन 1601 परिवारों के अलावा अन्य अस्थायी आबादी भी लाभान्वित हुए है।

बीसीसीएल की इस योजना के तहत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को उनकी कृषि जरूरतों के अनुसार सभी मौसम में लाभ मिलेगा। अभी तक वे पूरी तरह से मानसून पर निर्भर हैं। इससे क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में तथा रोजगार के दूसरे व तीसरे क्षेत्र में अवसरों की उपलब्धता में भी वृद्धि होगी।

इस जल को अपेक्षित उपचार के बाद पीने के काम में भी लाया जा सकता है। बीसीसीएल द्वारा स्थानीय लोगों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण मुहैया कराने के बाद इन जलकुंडों में मत्स्य पालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पश्चिमी झरिया क्षेत्र में खदान के अधिशेष जल के घरेलू/सामूहिक उपयोग हेतु योजना :

बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों के प्राकृतिक जलमार्गों में बहने वाले खदान के पानी को रोक कर इसके बहाव का रूख परिधीय गांवों के तालाबों में करने का प्रस्ताव दिया जा चुका है।

इस योजना के तहत प्राकृतिक जल मार्ग में बहने वाली पश्चिमी झरिया क्षेत्र के खदान का लगभग 2.16 मिलियन गैलन पानी को पहले ही रोक कर रखा गया है तथा पाइप लाइन द्वारा परिधीय गांवों के निम्नलिखित तालाबों में बहाव का रूख कर दिया गया है जिससे प्रचंड गर्मी में भी जल भरा रहे।

1. छतरूटांड़ गांव में कुकुरडुबा तालाब
2. महुदा गांव का सूर्यबांध तालाब
3. कुमारडीह गांव प्रेमनगर तालाब
4. कुमारडीह गांव में तुरीटोला तालाब
5. भाटडीह गांव में बेलाकोंड़ा तालाब
6. भाटडीह गांव का हजारीटोला तालाब
7. कंदरा गांव में कंदरा तालाब(दक्षिण)
8. कंदरा गांव में कंदरा तालाब(उत्तर)
9. भुंगिया गांव का तालाब
10. तरघा गांव का तालाब

आगे भी बीसीसीएल के अन्य क्षेत्रों से संबंधित इस प्रकार की योजना विचाराधीन है।

बीसीसीएल द्वारा सामुदायिक जलापूर्ति हेतु धनबाद में झारखंड राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डी डब्लू एस डी) को खदान के जल की आपूर्ति:

बीसीसीएल झरिया कोलफिल्ड्स में सोनारडीह, छातावाद, बरोरा तथा खरखरी में बड़े पैमाने पर समुदायों को जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए डी डब्लू एस डी द्वारा चलाई गई 7 जलापूर्ति योजनाओं को कच्चा जल के रूप में खदान के पानी को भी मुहैया करा रहा है।

पुटकी बलिहारी क्षेत्र में खदान जल उपचार संयंत्र

डेमांसट्रेशन योजना के तहत सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, धनबाद के सहयोग से बीसीसीएल कुल 219 लाख रूपये की लागत से पुटकी बलिहारी क्षेत्र में खदान के पानी को उपचार करने के बाद पीने योग्य बनाने हेतु एक ट्रीटमेंट प्लांट (उपचार संयंत्र) प्रतिष्ठापित किया है। इस जल संयंत्र का निर्माण 4000 गैलन प्रति घंटा की निर्धारित क्षमता के लिए किया गया है और यह कार्यरत है।

झरिया कोलफिल्ड में खदान के जल की उपलब्धता

बीसीसीएल में मौजूदा/परित्यक्त खदनों में उपलब्ध पिट वाटर की पहचान के लिए सी एम पी डी आइ, आर आइ-2, धनबाद द्वारा किये गए विश्लेषण के आधार पर लगभग 15262 मिलियन गैलन पानी भूमिगत गुफाओं , कंदराओं तथा परिवर्धन क्षेत्रों में उपलब्ध है जिसमें करीब 11873 मिलियन गैलन पानी को गैर औद्योगिक प्रयोग हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।

बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में खदान जल की जलापूर्ति प्रबंधन (संदर्भ एम ओ यू मद संख्या [2.4.4 ख])

बीसीसीएल के अधिकारी क्षेत्र वाले निकटवर्ती गांवों में जल की आपूर्ति

बीसीसीएल द्वारा इसके 109 परिधीय गांवों में जलापूर्ति संबंधी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के सुदूरवर्ती गांवों में जलापूर्ति के लिए प्रत्येक 3000 लीटर क्षमता वाले 60 जल टैंकर कंपनी में उपलब्ध है।

बीसीसीएल द्वारा सामुदायिक विकास/कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के तहत परिधीय गांवों में 1063 से अधिक चापानल लगाये गए है तथा 138 कुओं की खुदाई का निर्माण कार्य पहले ही कर दिया गया है।

शैक्षिक सुविधाओं के लिए परिधीय गांवों में आधारभूत विकास

बीसीसीएल कल्याण संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत निकटवर्ती गांवों के विद्यालयों में भवन/कमरों, हॉल, शौचालय का निर्माण करने तथा डेस्क एवं बेंच , कम्प्यूटर आदि उपलब्ध कराने जैसे आधारभूत विकास पर जोर दे रही है।

कोयला नगर में सीवरेज प्लांट (मल-व्यवस्था) के लिए निविदा जारी की गई तथा 16.04.2013 को प्राप्त हुई (संदर्भ एम ओयू मद संख्या 2.4.1.2(ख)।

खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम

खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। निकटवर्ती गांवों में खेलकूद सामग्री एवं उपकरणों को भी मुहैया कराया गया है।

लाहबेड़ा गांव का अभिग्रहण (गोद लेना)

धनबाद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांव लाहबेड़ा के चहुंमुखी विकास के लिए इसका अभिग्रहण किया गया है तथा सामुदायिक केन्द्र/मसाला चक्की केंद्र/स्वास्थ्य उपकेंद्र/प्राथमिक विद्यालय/बहुद्देशीय हॉल/सार्वजनिक शौचालय/बाल उद्यान/पीसीसी सड़क तथा नाले/सोलर स्ट्रीट लाइट इत्यादि का प्रतिष्ठापन किया गया है।

एम ओ यू पैरामीटर के तहत गांव का अभिग्रहण (संदर्भ एम ओ यू, मद सं. 2.4.4(क)

लोदना क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आबादी वाले, बलिचिरका गांव का अभिग्रहण किया गया है। दिनांक-30.10.2013 (मद संख्या-301.4 पी के अनुसार) को संपन्न बीसीसीएल बोर्ड की 301 वीं बैठक में विधिवत अनुमोदित निर्धारित शर्त के अनुसार इस गांव में कुल 68,51,663.18 रूपये की आकलित लागत से पुलिया/पीसीसी सड़क/नालों/सामुदायिक केंद्र/प्राथमिक विद्यालय/बहुद्देशीय हॉल/सार्वजनिक शौचालय इत्यादि का निर्माण करना है।

कौशल विकास

लोदना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नुनुडीह गांव के लिए डकरी परियोजना

डकरी परियोजना की पहचान गरीब ग्रामीणों के जीविका के अवसर को सृजित करने के लिए जीविकोपार्जन के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में की गई है। डकरी से कम समय में, कम लागत पर अधिक लाभ मिलता है। डकरी से बेहतर निर्माण माध्यम से न्यूनतम जोखिम पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। डकरी परियोजना की स्थापना के लिए लोदना क्षेत्र के माध्यम से नुनुडीह के ग्रामीणों (वार्ड संख्या-48) को प्रस्ताव दिया गया है। यह एक स्वयं-सहायता समूह के माध्यम से चलाया जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। माना जा रहा है कि इस परियोजना के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के राय की सहायता नहीं पड़ेगी तथा सफल भी होगी। नुनुडीह गांव में जलस्रोत की अपार संभावना वाला एक तालाब अवस्थित है, जिसका प्रयोग इस परियोजना के लिए किया जाएगा। इस परियोजना के लिए बीसीसीएल ने सी एस आर समिति की अनुशंसा पर सी एस आर के तहत आवश्यक वित्तीय सहयोग मुहैया कराया है। इस परियोजना के लिए रामकृष्ण मिशन रांची द्वारा स्थानीय लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है।

महिला सशक्तीकरण के लिए गतिविधियां:-

बीसीसीएलमें सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्युट, देहरादून के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर दिनांक- 6.2.2012 से 8.2.2012 तक पारिस्थितिकी पुनरूद्धार पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 13 महिलाओं ने भाग लिया जिसमें महिला स्वंयसेवी समूह का गठन कर त्रि-स्तरीय पारिस्थितक पुररूद्धार से संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया।

22.3 चिकित्सा

1. स्वास्थ्य रथ (चलंत चिकित्सा वाहन)

बीसीसीएल ने अपने अधिकार क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए वर्ष 2009 में दो चलंत वाहन "स्वास्थ्य रथ" की सेवाएं शुरू की। डॉक्टरों एवं पारा मेडिकल स्टाफ से युक्त 14 ऐसे चलंत चिकित्सा वाहन चलाये जा रहे हैं जो कार्य दिवस के दौरान खनन क्षेत्रों के आसपास स्थित भिन्न भिन्न 203 गांवों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान 3164 शिविरों में 98242 कुल व्यक्ति इसमें लाभान्वित हुए।

2. मुस्कान (वेलनेस क्लीनिक)

धनबाद केन्द्रीय चिकित्सालय के अलावे बीसीसीएल के सभी चिकित्सालयों/क्षेत्रीय चिकित्सालयों में 14 मुस्कान क्लीनिक खोले गए है जहां रोगियों को जीवन शैली सुधारने हेतु परामर्श दिया जाता है। यहां पर रोगियों को विभिन्न आहार के पोषण मूल्य, विभिन्न रोगों के लिए आहार सूची, खुशहाल जीवन के तरीके, सुबह टहलने की महत्ता, तनाव मुक्ति के उपाय, योग की महत्ता तथा विभिन्न प्रकार के व्यायामों इत्यादि के विषय में जानकारी दी जाती है। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या– 18772 थी।

3. सरोकार (सी एस आर क्लीनिक)

बीसीसीएल ने रोगियों को मुफ्त परामर्श उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय चिकितलय (पीएच सी कल्याण भवन) तथा इसके साथ-साथ 14 क्षेत्रीय चिकित्सालयों में दिनांक 01.04.2009 से मुफ्त सी एस आर क्लीनिक की शुरूआत की है, जो सभी के लिए उपलब्ध है। ये क्लीनिक सुबह में एक/दो घंटों के लिए चलते हैं तथा कोलियरी/क्षेत्र के आसपास के लोगों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श दिया जाता है। अप्रैल, 2013 से मार्च,2014 में लाभुकों की संख्या-63261 थी।

4. बहुजन हिताय (स्वास्थ्य शिविर)

कंपनी के रेटिंग में एक्सीलेंस के लिए एम ओ यू के अंतर्गत आने वाला पैरामीटर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी द्वारा दिया जा रहा है। अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान 247 शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें से 18499 लोगों को इसका लाभ मिला।

5. मिशन मितवा:

यह कार्यक्रम बीसीसीएल के ब्लॉक-2 क्षेत्र में खासकर वैसे ट्रक ड्राइवरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किए जाते है जो एड्स की बुराईयों से अवगत नहीं है। डॉक्टरों तथा यूनियन नेताओं का दल पिट हेड पर पहुंचते है, जहां ट्रक ड्राइवर एकत्र होते है तथा यहां पर एड्स के विषय में जानकारी देते है। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक 35 कैम्पों का आयोजन किया गया जिसमें 1309 लोग लाभान्वित हुए।

6. ज्योति अभियान:

इस योजना के तहत बीसीसीएल के विभिन्न अस्पतालों में बीसीसीएल के बाहर के लोगों के लिए नेत्र संबंधी रोग के निदान हेतु नेत्र शिविर का आयोजन किया गया । इन कैंपों में आधुनिक तकनीक के द्वारा मुफ्त आइ ओ एल का प्रत्यारोपण किया गया। अक्टूबर, 2013 से जनवरी, 2014 तक 7 कैंपों में 358 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

नेत्र शिविर	अक्टूबर 13 से मार्च,14	15	507

7. महामारी नियंत्रण

क) कतरास, गोविंदपुर तथा बाघमारा क्षेत्र के नजदीकी गांव/टोला में गैस्ट्रोइंट्राइटिस/कोलरा/पीलिया महामारी फैलने पर संबंधित क्षेत्र के डॉक्टरों के दल ने दौरा कर लोगों का इलाज किया तथा 200 से अधिक मरीजों को मुफ्त दवाइयां बांटी गई।

ख) चांच विक्टोरिया के आसपास लायकडीह, ब्रह्मा तथा चांच गांवों में डेंगू की महामारी फैलने पर चांच विक्टोरिया क्षेत्र के डॉक्टरों के दल ने कॉलोनियों, गांवों का दौरा कर 125 से अधिक लोगों का इलाज किया, जो अभी तक जारी है।

8. एक जागरुक -जीवन शैली

चिकित्सा विभाग के सहयोग से बीसीसीएल के कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीवन शैली प्रबंधन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें तंबाकू, शराब, धूम्रपान तथा अन्य बुरी आदतों से छुटकारा पाने के परामर्श दिये जाते हैं । ऐसे कार्यक्रम घनी आबादी वाले मुहल्लों में आयोजित किए जाते है ताकि परिवार के सभी सदस्य उसमें भाग ले सके।

9. टेलिमेडिसिन

बीसीसीएल द्वारा धनबाद के केन्द्रीय चिकित्सालय में एक टेलिमेडिसिन केंद्र खोला गया है जो दूर-संचार पर आधारित नई चिकित्सा पद्धति के शुरूआत का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस विधि के अंतर्गत किसी खास रोग या रोगी की चिकित्सा करते समय केन्द्रीय चिकित्सालय के डॉक्टर दूरस्थ सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के साथ रोग के बारे में विचार-विमर्श कर सर्वोत्तम संभव चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। शुरू में यह विभाग आर टी आइ आइ सी एस, कोलकाता तथा मिशन अस्पताल दुर्गापुर के साथ जोड़ा गया है। आने वाले माह में कुछ और प्रसिद्ध कॉरपोरेट सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल जोड़े जाएगे। इस इकाई का उद्घाटन 28 मार्च, 2010 को सी आइ एल के अध्यक्ष द्वारा किया गया।

10. बीसीसीएल में परिवार कल्याण कैंप

बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 27 परिवार कल्याण कैंपों का आयोजन किया गया । 27 शिविरों में 17 शिविर अक्टूबर, 13 से मार्च, 2014 के बीच लगाए गए जिसमें 640 लोग लाभान्वित हुए।

बीसीसीएल में सी एस आर गतिविधियों की समेकित रिपोर्ट (अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक)

[संदर्भ एम ओ यू मद संख्या-3.4.5 परिशिष्ट XIV]

ओपी डी (बाहरी रोगी) 10,12,463 (रोगी)

इनडोर (भरती हुआ रोगी) 21,091 (रोगी)

गतिविधियां	शिविरों की संख्या	लाभुकों की संख्या
मोबाइल मेडिकल वैन(स्वास्थ्य रथ)	2698	86163
स्वास्थ्य शिविर(बहुजन हिताय)	203	16161
सी एस आर क्लीनिक (सरोकार)		52922
वेलनेस क्लीनिक (मुस्कान)		15856
एड्स जारूकता (मिशन मितवा)	35	1309
नेत्र शिविर (ज्योति अभियान)	15	507
परिवार कल्याण शिविर (ममता)	17	640

22.4 औद्योगिक संबंध

परस्पर संवाद तथा उत्पादन एवं उत्पादकता, सुरक्षा, नियोजन तथा अन्य कार्मिक संबंधी मामलों के निराकरण के लिए प्रबंधन एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक द्विपक्षीय फोरम का गठन किया गया है। पूरे वर्ष में पहले ही केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ संरचानात्मक बैठकों के लिए एक कैलेंडर जारी किया गया है, तद्नुसार निर्धारित कार्यक्रम

के अनुसार इकाई, क्षेत्र एवं कॉरपोरेट स्तर पर बैठकें आयोजित की जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान मुख्यालय स्तर पर सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ कुल 24 संरचनात्मक बैठकें हुई थी। विवादों एवं शिकायतों के निपटान एवं समाधान के लिए प्रबंधन की ओर से पूरी कोशिश के साथ सकारात्मक पहल की गयी है। बीसीसीएल में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके तहत कंपनी के दिन-प्रतिदिन के औद्योगिक संबंध के स्थितियों को जानने के लिए बीसीसीएलके सभी क्षेत्रों से औद्योगिक संबंध रिपोर्ट प्रतिदिन सुबह प्राप्त की जाती है ताकि स्थितियों के समाधान के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा सके,जिसमें दिन में होने वाला उत्पादन ठप न हो।

लाभकर नियोजन के उपाय के रूप में कार्मिक श्रेणियों में कमी को पूरा करने हेतु वर्तमान कर्मचारियों का विभिन्न सांविधिक तथा गैर सांविधिक पदों में चयन किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

पद	संख्या
ओवरमैन	28
माइनिंग सरदार	28
डंपर ऑपरेटर	194
डोजर ऑपरेटर	13
शॉवेल ऑपरेटर	95
ड्रिल ऑपरेटर	69

कुल 178 अवार्ड का क्रियान्वयन कर दिया गया, जो मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाये रखने के साथ-साथ एक जिम्मेवार निगम के रूप में समाज की सेवा करने का शुभसंकेत है। कंपनी ने एन सी डब्लू ए के अनुच्छेद 9.3.0/9.4.0 के तहत कार्य के दौरान मारे गए तथा पूर्ण निशक्तता के मामलों में कर्मचारियों के 386 आश्रितों को अनुशंसा के आधार पर नियोजन दिया गया है।

इस प्रकार वर्ष 2013-14 दौरान बीसीसीएल में प्रबंधन एवं श्रमिकों के बीच सौहार्द की भावना का सृजन करते हुए औद्योगिक संबंध का परिदृश्य मैत्रीपूर्ण, सदभावनापूर्ण तथा शांतिपूर्ण था।

22.5 वर्ष 2013-14 में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में कंपनी की उपलब्धियां :-

क) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

ख) वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कॉरपोरेट स्तर) की चार तिमाही बैठकें क्रमश: 20 जून 2013, 28 अगस्त, 2013, 17 दिसम्बर, 2013 एवं 28 मार्च, 2014 में हुई ।

ग) 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 के दौरान मानव संसाधन विकास विभाग तथा बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में 36 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई थी, जिसमें 968 कर्मचारियों ने भाग लिया।

घ) बीसीसीएल के केंद्रीय हिंदी पुस्तकालय में 4196 से अधिक स्तरीय हिंदी पुस्तकें हैं। हिंदी पुस्तकों की खरीद प्रतिवर्ष की जाती है। वर्ष के दौरान ₹ 61829.00 की कुल 156 पुस्तकें खरीदी गई।

ङ) बीसीसीएल की अर्धवार्षिक गृह पत्रिका "कोयला भारती" के 19वें एवं 20वें अंक का प्रकाशन क्रमश: 15 अगस्त, 2013 एवं 26 जनवरी, 2014 को किया गया ।

च) 14 सितम्बर, 2013 से 30 सितम्बर, 2014 तक राजभाषा पखवारा का आयोजन किया गया। राजभाषा पखवारा के दौरान टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता (हिंदी एवं हिंदीतर भाषा-भाषियों के लिए अलग-अलग) का

आयोजन किया गया। केवल महिला कर्मियों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अधिकारियों/ कर्मचारियों के गृहणियों के लिए हिंदी सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में हिंदी सिने क्विज, हिंदी सिने अंताक्षरी, स्वरचित कविता एवं हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नई पीढ़ी में हिंदी के प्रति अभिरूचि जगाने के लिए स्कूली बच्चों के बीच हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

हिंदी की प्रगति में अहम योगदान देने वाले महान हिंदी साहित्यकारों को श्रद्धांजली अर्पित करना तथा पुस्तक प्रदर्शनी हिंदी पखवारा का मुख्य आकर्षण रहा।

इन प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों , उनकी गृहणियों एवं उनके बच्चों ने भाग लिया। तीन सर्वोत्तम प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार देने के अलावा शेष सभी प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। राजभाषा निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर सर्वोत्तम तीन क्षेत्रों के साथ-साथ मुख्यालय के सर्वोत्तम तीन विभागों को भी, उनके राजभाषा में बेहतर कार्यान्वयन का प्रदर्शन करने के लिए वर्ष 2013 के **"स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह स्मृति पुरस्कार"** से सम्मानित किया गया। सभी सम्मानों, शील्डों एवं पुरस्कारों का वितरण 30 सितम्बर, 2013 को संपन्न राजभाषा पखवारा के समापन समारोह के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान और साहित्यकार **प्रो. वी पी कुंजुमेतर** तथा क्षेत्रीय भाषा के साहित्यकार **श्री उपेन्द्र पाल 'नाहन'** को साहितय जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए **"बीसीसीएल कोयला भारती राजभाषा सम्मान"** से सम्मानित किया गया।

छ) वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट हिंदी भाषा में प्रकाशित की गई।

ज) बीसीसीएल, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), धनबाद का अध्यक्ष कार्यालय है। वर्ष के दौरान, बीसीसीएल के निदेशक (कार्मिक) की अध्यक्षता में दो बैठके (क्रमश:) 27 जून, 13 तथा 20 दिसम्बर,2013 को संपन्न हुई। इन बैठकों में नराकास की पत्रिका **"राजभाषा संदेश"** के तृतीय एवं चतुर्थ अंकों का भी विमोचन किया गया।

झ) बीसीसीएल के अधिकृत वेबसाइट का हिंदी अनुवाद पूरा कर लिया गया है।

राजभाषा के क्षेत्र में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की विशेष उपलब्धियां

वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संस्थाओं द्वारा राजभाषा कार्यान्वन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों तथा कंपनी की गृह पत्रिका **"कोयला भारती"** के बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए दिए गए सम्मानों का विवरण:-

क्र.सं.	संस्था का नाम/पुरस्कार का विवरण	स्थान	किस लिए दिया गया
1	राष्ट्रभाषा स्वाभिमान न्यास, गाजियाबाद द्वारा आयोजित भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बीसीसीएल को दिनांक-27.04.2013 को **"राजभाषा गौरव"** सम्मान तथा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।	नई दिल्ली	राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बेहतरह प्रदर्शन के लिए।
2	राजभाषा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-26.04.13 को आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बीसीसीएल को **"राजभाषा दर्पण"** सम्मान	सोलन हिमाचल प्रदेश	कोयला भारती में बेहतर सामग्री एवं विषय वस्तु के लिए

3	दिनांक-28.5.2013 को तिरूपति में प्रशिक्षण एवं विकास केंद्र द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बीसीसीएल को "**राजभाषा विशिष्ट सम्मान"** और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।	तिरूपति (आंध्र प्रदेश)	राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए
4	भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, देहरादून द्वारा दिनांक-18.10.2013 को आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बीसीसीएल को विभिन्न श्रेणियों में **"राजभाषा श्री"**, "**राजभाषा कीर्ति"**, "**विशेष राजभाषा कीर्ति",** "**राजभाषा शिल्पी"**, "**विशेष राजभाषा विशिष्ट सम्मान"** तथा **"राजभाषा दीप्ति"** से सम्मानित किया गया।	मदुरै (तमिलनाडु)	कोयला भारती के उत्कृष्ट प्रकाशन एवं राजभाषा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए
5	राष्ट्रभाषा स्वाभिमान न्यास, गाजियाबाद द्वारा दिनांक-28.10.13 को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बीसीसीएल को **"राजभाषा गौरव सम्मान"** तथा **"राजभाषा रत्न"** से सम्मानित किया गया।	गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु
6	प्रशिक्षण एवं विकास केंद्र, बंगलोर द्वारा दिनांक 16.11.13 को आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बीसीसीएल को **"राजभाषा विशिष्ट सम्मान"**, "**राजभाषा विशिष्ट सम्मान"** से सम्मानित किया गया।	कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार-प्रसार से संबंधित उल्लेखनीय कार्य एवं इसके कार्यान्वयन के लिए
7	राजभाषा अकादमी, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-09.01.2014 को आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बीसीसीएल की गृह पत्रिका "कोयला भारती" को "**उत्कृष्ट पत्रिका सम्मान"** से सम्मानित किया गया।	पुरी (ओडिशा)	कोयला भारती की उत्कृष्ट सामग्री एवं विषय- वस्तु के लिए

23. सतर्कता

बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा निरोधक, दण्डात्मक कार्रवाई, निगरानी अभिज्ञान संबंधी कार्रवाई तथा अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर संक्षिप्त टिप्पणी

सतर्कता विभाग प्रबंधन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जो नैतिकता तथा सत्यनिष्ठा का उन्नयन करते हुए संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा जनता के बीच इसकी छवि निखारने में योगदान करता है। कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से बीसीसीएल के सतर्कता विभाग ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश में भ्रष्टाचार/अनियमिताओं को रोकने की लड़ाई मे निम्नलिखित तीन रणनीतियां अपनायी हैं :-

1. **निरोधात्मक-** इसके अंतर्गत चोर दरवाजों (लूपहोलों) को बंद करने हेतु आवश्यकतानुसार तंत्र में सुधार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करना-संस्था के अधिकारियों को शिक्षित करना एवं उन्हें परामर्श देना शामिल है।
2. **दण्डात्मक-** इसके अंतर्गत उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की पहल करना है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और जो अनाचरण तथा/अथवा दलाली के लिए दोषी पाये जाते हैं।

3. **निगरानी-** यह भ्रष्टाचार के अवसर को कम करने में मदद करता है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान उपर्युक्त क्षेत्रों में बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा किये गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

1- निरोधात्मक सतर्कता

क. औचक जांच

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सतर्कता विभाग ने 33 औचक जांच किया। इनमें से पांच मामलों में 7 अधिकारियों एवं 10 कर्मचारियों के विरूद्ध मामला दर्ज कराया गया है। औचक निरीक्षण के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित थे :-

1. सिविल निविदा/मरम्मति कार्यों में अनियमितताएं
2. वजन घर (वे-ब्रिज)
3. वित्त विभाग
4. सी एस आर गतिविधियां
5. उपकरण मरम्मत
6. सामग्रियों की खरीद
7. डीजल वितरण इकाई
8. वाशरी

ख. गहन जांच:-

कार्यों के सी टी ई प्रकार की सघन जांच का महत्व एक प्रभावकारी गहन सतर्कता उपायों में से एक है। बीसीसीएल के सतर्कता विभाग ने छ: (06) सी टी ई प्रकार के गहन जांच किए।

ग- <u>जागरूकता लाने के लिए सतर्कता सप्ताह का आयोजन:</u>

सीवीसी के आदेशानुसार बीसीसीएल में दिनांक- 28.10.2013 से 02.11.2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2013 मनाया गया। कोयला भवन में 28.10.13 को सतर्कता सप्ताह का शपथग्रहण समारोह शुरू हुआ। बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा शपथ दिलायी गयी। इस अवसर पर बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा तैयार की गई सी वी सी ,सी आइ एल तथा बीसीसीएल के परिपत्रों/दिशानिर्देशों वाली पुस्तिका तथा सतर्कता गतिविधियों से संबंधित समाचार पत्र "चेतना" का विमोचन किया। सप्ताह के दौरान कंपनी मुख्यालय के साथ-साथ बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों में बैनर एवं पोस्टर लगाये गये। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सुभाष भवन, ब्लॉक-2 क्षेत्र एवं ऑफिसर क्लब, बस्ताकोला में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस दौरान सतर्कतारोधी विषयों पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, धनबाद, डिनोवली स्कूल,धनबाद, डी ए वी कोयला नगर तथा कार्मेल स्कूल, धनबाद में अंतर स्कूल स्लोगन लेखन, वाद-विवाद एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बीसीसीएल के अधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच कोयला भवन में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

सतर्कता जागरूकता विषय पर कार्यशाला:

I. बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा दिनांक-15.05.13 को एच आर डी में सतर्कता जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस मौके पर श्री पी ई कच्छप, निदेशक(कार्मिक), श्री पी के सिन्हा, मुख्य

सतर्कता अधिकारी, बीसीसीएल, श्री डी के चन्द्राकर, महाप्रबंधक(सतर्कता) श्री एस दासगुप्ता,महाप्रबंधक(एच आर डी), कल्याण भवन मौजूद थे। इस कार्यक्रम/कार्यशाला में मुख्यालय के महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष तथा क्षेत्र के महाप्रबंधक मौजूद थे।

II. इस कार्यशाला को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री टी के लाहिड़ी, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री पी के सिन्हा तथा निदेशक (कार्मिक) श्री पी ई कच्छप ने संबोधित किया। विशिष्ट वक्ताओं में श्रीमती विस्मिता तेज, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीसीएल ने "निर्णय लेने में सतर्कता का महत्व" संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया, वहीं डॉ. प्रमोद पाठक, प्रोफेसर, आइ एस एम, धनबाद ने " सतर्कता कार्य करने के लिए मनो सामाजिक आयाम" के बारे में बताया। इस दौरान प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए भी एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री जे नायक, निदेशक(सीबीआइ) के सहायक महानिरीक्षक/विशेष पदाधिकारी ने पी एस यू में सतर्कता प्रबंधन में अपने अनुभवों को साझा किया।

III. बीसीसीएल के सतर्कता विभाग ने " सतर्कता जागरूकता " पर दिनांक- 23.5.13, 24.5.13 , 20.6.13 तथा 21.6.2013 को एच आर डी में चार एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। सतकर्ता विभाग से संकायों को बुलाया गया था एवं जो भागीदार थे, वे कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों/इकाईयों में पदस्थापित जूनियर एवं मध्यवर्गीय अधिकारी थे।

IV. बस्ताकोला क्षेत्र के ऑफिसर क्लब में दिनांक 29.10.13 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में श्री अमर मुदी, उप निदेशक,सीवीसी,नई दिल्ली मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर श्री मुदी ने प्रतिदिन के जीवन में सतर्कता का महत्व संबंधी विषय "सुशासन के उन्नयन में सतर्कता का सकारात्मक योगदान" (Promoting good governance-Positive Contribution of Vigilance) पर प्रकाश डाला। श्री प्रमोद पाठक ,प्रोफेसर, आइ एस एम, धनबाद ने “सुशासन में नीति-परक भूमिका एवं भ्रष्टाचार से संघर्ष” विषय पर व्याख्यान दिया। श्री पी पी सेनगुप्ता, पूर्व महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) ने बताया कि निविदा एवं उससे संबंधित प्रक्रियों को निपटान के दौरान विभिन्न विषयों को ध्यान में रखे जाएं।

V. दिनांक- 30.10.2013 को ब्लॉक-2 क्षेत्र में दूसरा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उदघाटन श्री अमर मुदी, उप निदेशक, सी वी सी,नई दिल्ली तथा श्री पी के सिंहा, मुख्य सतर्कता अधिकारी की उपस्थिति में श्री अशोक सरकार, निदेशक(तकनीकी)परियोजना एवं योजना द्वारा किया गया। दिनांक 29.10.2013 को यानि एक दिन पूर्व संपन्न कार्यशाला में तीन विषय पर तीन सत्र थे।

VI. सत्र के समापन पर श्री पी के सिन्हा, मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा श्री पी के मांझी, पुलिस अधीक्षक, सी बी आइ, धनबाद प्रतिभागियों से रूबरू हुए तथा विभिन्न मामलों/विषयों से संबंधित उनके सवालों /संदेहों का जवाब दिया।

VII. दिनांक 31.10.2013 को अपराह्न में श्री जे नायक, निदेशक(सीबीआइ) के सहायक महानिरीक्षक/विशेष पदाधिकारी ने बीसीसीएल के सतर्कता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अन्वेषणात्मक दक्षता को बढ़ाने तथा जटिल मामलों को सुलझाने के तरीके(टिप्स) बताये।

VIII. कंपनी के सतर्कता विभाग ने 20.02.2014को एच आर डी ,कल्याण भवन के " सिविल इंनियरिंग विभाग के अधिकारियों के लिए" सिविल कार्यों में सामान्य अनियमितताएं" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। उदघाटन संबंधी कार्यक्रम में श्री अमिताभ साहा, निदेशक(वित्त), श्री बी के पंडा, निदेशक (कार्मिक), श्री पी के

सिन्हा, मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीसीसीएल, श्री चंद्रमौली चट्टोपध्याय,भूतपूर्व उप महाप्रबंधक (सिविल), कोल इंडिया लि., श्री डी के चन्द्राकर, महाप्रबंधक (सतर्कता) श्री एम एन झा, महाप्रबंधक, एच आर डी, श्री आर एम प्रसाद, महाप्रबंधक (सिविल) तथा विभिन्न क्षेत्रों एवं मुख्यालय में पदस्थापित सिविल विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे।

IX. बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा दिनांक- 21.02.2014 को एचआरडी, कल्याण भवन में सामग्री प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, विषय था-" प्रबंध व्यवस्था में होनेवाली सामान्य अनियमितताएं एवं इसके परिप्रेक्ष्य में सतर्कता"। उदघाटन समारोह में श्री अमिताभ साहा, निदेशक (वित्त), श्री अशोक सरकार, निदेशक (तक) परियोजना एवं योजना, श्री पी के सिन्हा, मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीसीसीएल तथा श्री पी पी सेनगुप्ता, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन), सी आइ एल,श्री डी के चन्द्राकर, महाप्रबंधक(सतर्कता), श्री एम एन झा, महाप्रबंधक, (एच आर डी), श्री यू सी उप्रेती, महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) तथा विभिन्न क्षेत्रों एवं मुख्यालय में पदस्थपित सामग्री प्रबंधन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

X. श्री आर मोहनदास, निदेशक (का.एवं औ.सं) , सी आइ एल ने सभी संवर्गों के लिए नियमित रूप से इस प्रकार के कार्यशाला का आयोजन करने की सलाह दी तथा उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागों को कंपनी के नियमावली/दिशानिर्देशों के अनुसार काम करना चाहिए।

घ. पद्धति में सुधार

I. सभी प्रकार के सिविल कार्यों के मामले में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निदेशक (तक)परियोजना एवं योजना द्वारा एक कार्यालय आदेश निर्गत किया गया। यदि प्राप्त की गई मुहरबंद निविदा की संख्या दो से कम है तो एकल निविदा खोले बिना निविदा की रसीद की अंतिम तिथि एक महीने के लिए बढ़ा दी जाय। निविदा बढ़ाने की सूचना सभी निविदादाताओं को भेज दी जाए जिन्होंने निविदा दस्तावेज खरीदे हैं तथा मूल निविदा आमंत्रण सूचना प्रावधान के अनुसार व्यापक प्रचार किए जाएं। यदि बढ़ायी गयी तिथि समाप्त (पूरा) हो जाने पर कोई नयी निविदा प्राप्त नहीं होती है तो जो पहले एकल निविदा प्राप्त हुई है उसे खोला जाए एवं उसकी प्रक्रिया पूरे किए जाएं।

II. सतर्कता विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के आधार पर निदेशक (तक) परियोजना एवं योजना द्वारा वजन घर (वे ब्रिज) कार्य संबंधी निर्देश जारी किए गए। यह निर्णय लिया गया कि बीसीसीएल में सड़कों पर सभी वजन घरों (वे ब्रिज) को समय-समय पर मानक वजन वाले ट्रक चलाकर जांच की जाएं। यह भी निर्णय लिया गया कि वार्षिक रख-रखाव के लिए सड़कों के किनारे सभी वजन घरों को ठेका पर दिया जाएगा तथा मुख्यालय द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। यदि वजन घर का काम किसी कारणवश ठप पड़ जाता है तो प्रति घंटा काम ठप पड़ने के आधार पर संविदा में दंड लगाने की आवश्यक शर्तों को वार्षिक रखरखाव के अंतर्गत शामिल किया जाए।

III. वजन घर (वे ब्रिज) के परिचालन एवं रख-रखाव के दिशा-निर्देश के संबंध में निदेशक (तक.) परियोजना एवं योजना द्वारा एक कार्यालय आदेश निर्गत किया गया। इसमें वजन घर के कम्प्यूटर कक्ष में लोगों का प्रवेश , इनपुट/आउटपुट डिवाइस का प्रयोग तथा रख-रखाव के लिए वर्ष में संविदा का सूत्रीकरण , यूजर आइडी की विभिन्न तरीके से जांच एवं उपाय, पासवर्ड, डिजिटाइजर (अंकरूपक) तथा वजन की जांच विवर्णित है। इसमें यह भी विवर्णित हैकि वजन घर के परिसर में अवरोधक लगे होने चाहिए तथा तौल करने संबंधी गतिविधियों के लिए सी सी टी वी कैमरा लगाए जाएं।

IV. निदेशक (तक.) परिचालन, बीसीसीएल द्वारा वैधिक माप-पद्धति विभाग (लीगल मैट्रोलॉजी डिपार्टमेंट) के निरीक्षक द्वारा सभी वजन घरों (काटा घर) को अनिवार्य रूप से सील (बंद) करने का आदेश जारी किया गया। इसमें यह भी विवार्णित है कि किसी भी प्रकार के सत्यापन/पुनर्सत्यापन की स्थिति में उसे काटा घर में हिसाब रखे जानेवाले लॉग बुक में दर्ज किए जाए।

V. महाप्रबंधक (समन्वय), बीसीसीएल द्वारा यह उल्लेख करते हुए परिपत्र जारी किया गया कि विभिन्न निदेशालय/विभाग द्वारा निर्गत किए जा रहे परिपत्र/दिशानिर्देश में सी एम डी सचिवालय से ली जाने वाली रनिंग क्रम संख्या का उल्लेख रहेगा। सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी विभाग से जारी होने वाले सभी परिपत्र/दिशानिर्देश में इस क्रम संख्या की प्रविष्टि की जाए।

VI उप महाप्रबंधक (सिविल), बीसीसीएल द्वारा निर्गत किए गए एक परिपत्र में कहा गया था कि डीएसआर 2012 को लागू करने के अनुक्रम में, दिनांक 1.9.2012 तक डी एस आर 2007 के आधार पर किसी सिविल कार्य के लिए कोई प्राक्कलन कार्य नहीं किया गया था। डी एस आर 2007 के आधार पर प्राक्कलित की गई निर्गत निविदाओं को रद्द कर दिया जाए और इन निविदाओं को पुन: जारी करने से पहले डीएसआर 2012 के आधार पर इस प्राक्कलन को पुन: तैयार किया जाए। यदि डी एस आर 2007 के आधार पर प्राक्कलित की गई भाग-II को खोल दिया गया है तो इसको सक्षम अनुमोदन हेतु इनको समुचित मूल्यांकित एवं संशोधित किया जाए।

VII. महाप्रबंधक (वि.एवं यां.) बीसीसीएल द्वारा, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग द्वारा संयंत्र एवं मशीन मरम्मति के लिए निविदा जारी करने के विषय में एक परिपत्र जारी किया गया। इसमें यह सलाह दी गई है कि निविदा मूल्य का ध्यान रखे बिना विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग से संबंधित उपकरण मरम्मति तथा अन्य कार्यों के लिए सभी निविदाओं को बीसीसीएल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

VIII. निदेशक (तक.) परियोजना एवं योजना, बीसीसीएल द्वारा क्षेत्रीय/वाशरी स्तर पर क्षेत्रीय/वाशरी महाप्रबंधक के डीओपी (प्रदत्त शक्ति) के अंतर्गत आने वाली निविदा जारी करने के संबंध में एक कार्यालय आदेश जारी किया गया । वैसी निविदाएं जो क्षेत्रीय/वाशरी महाप्रबंधक के डी ओ पी से परे है, को संबंधित निदेशक/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात मुख्यालय स्तर पर अपने विभागाध्यक्षों द्वारा जारी किया जाए। निविदा की कार्यवाही पूरी करने के पश्चात, क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा कार्य-निष्पादन कर दिया जाएगा।

IX. इंवेंटरी तथा स्क्रैप (रद्दी) प्रबंधन के संबंध में बीसीसीएल के निदेशक (तक.) परियोजना एवं योजना द्वारा एक कार्यालय आदेश निर्गत किया गया। क्षेत्र से वसूली (प्रापण) का काम तत्काल जरूरतों के लिए किया जाए न कि सूची तैयार करके । एक वर्ष से अधिक के लिए अचल सामग्रियों की सूची बनाकर उसे उक्त क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में परिचालित करने हेतु मुख्यालय में भंडार विभाग को भेज दिया जाए। समय-समय पर भंडार की प्रत्यक्ष जांच किया जाए तथा उसकी सूचना महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) तथा महाप्रबंधक (वित्त) को सुपुर्द किया जाए। समय-समय पर सभी प्रकार के स्क्रैप के लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार किया जाए।

X. सामग्री खरीद हेतु मांग (इंडेंट) शुरू करने से संबंधित निदेशक(तक) परियोजना एवं योजना, बीसीसीएल द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी किया गया। मांग करने वाला यह प्रमाणित करेगा कि ओएमएमएस (O M M S) के माध्यम से सभी भंडारों में मांग की गई सामग्रियों की उपलब्धता की जांच कर ली गई है और संबंधित सामग्रियां बीसीसीएल के किसी भी भंडार (स्टोर) में उपलब्ध नहीं हैं। इस मामले में तकनीकी विभाग तथा सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा बगैर उपर्युक्त प्रमाणन के कोई भी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

XI. बीसीसीएल के महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) द्वारा लोक उपक्रम विभाग में मध्यस्थों के स्थायी मशीनरी (यंत्र समूह) के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आपस में तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सरकारी विभाग

के बीच व्यावसायिक विवाद के निपटान के संबंध में एक कार्यालय आदेश निर्गत किया गया है। मध्यस्थता खण्ड का क्रियान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी विभाग में वर्तमान भविष्य के सभी कार्यादेश/ संविदाओं में किया जाए।

XII. बीसीसीएल के महाप्रबंधक (एच आर डी) द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आरोप पत्र (चार्जशीट) लंबित है, को प्रशिक्षण के लिए बाहर न भेजा जाए।

XIII. महाप्रबंधक(का./औ.सं), बीसीसीएल द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वैसे जिन कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप पत्र (चार्ज शीट) को अंतिम रूप देना बाकी है, को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले दो महीने के दौरान चिकित्सा आधार पर आकस्मिक अवकाश तथा/अथवा अवकाश के अलावा कोई छुट्टी नहीं दी गई है।

XIV. बीसीसीएल के मुख्य महाप्रबंधक (वाशरी) द्वारा वाशरी के उपोत्पाद के बिक्री से संबंधित एक कार्यालय आदेश जारी किया गया यह अधिसूचित किया गया कि भविष्य में ई-ऑक्सन के जरिये उपोत्पाद की बिक्री हेतु प्रस्ताव देते समय क्षेत्र के महाप्रबंधक तथा परियोजना अधिकारी निरपवाद रूप से एक अभ्युक्ति देंगे कि वाशरी में प्रस्तावित मात्रा में उपलब्ध उपोत्पाद उच्च कोटि का है। यह आदेश सतर्कता विभाग द्वारा जांच परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्गत किया गया।

XV. बीसीसीएल के महाप्रबंधक (सिविल) द्वारा सिविल निविदा सूचनाओं की समान प्रकृति की परिभाषा के संबंध में एक कार्यालय आदेश जारी किया गया। टारफेल्ट सहित भवन (बिल्डिंग) के वाटरप्रूफिंग के लिए खण्ड को पूर्व में जारी किए गए समान प्रकृति के कार्य की परिभाषा में जोड़ दिया गया। IS702 के समुनुरूप छतों पर बिटुमिन फेल्ट के साथ वाटरप्रूफिंग उपचार के लिए विस्तृत विवरण को परिभाषा में जोड़ा गया है।

XVI. बीसीसीएल के निदेशक (तक.) परियोजना व योजना द्वारा कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों/परियोजनाओं तथा वाशरियों में विभिन्न कार्यों के लिए पाइपों की खरीद करने हेतु एक कार्यालय आदेश जारी किया गया। यह निर्णय लिया गया कि मरम्मत करने/बदलने के लिए सभी सामान्य पाइपलाइन के कार्य (जीआइ, एमएस तथा पीवीसी) सिर्फ विभाग द्वारा पाइपों के प्रावधान के तहत किए जाएंगे। अत: पाइप की खरीद हेतु इन्डेंट की प्रक्रिया संविदात्मक कार्यों के प्राक्कलन के साथ की जाएगी।

XVII. बीसीसीएल के निदेशक (तक.) परि. एवं यो. द्वारा क्षेत्र/वाशरी के महाप्रबंधकों के प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत आने वाली निविदा जारी करने के संबंध में एक कार्यालय आदेश जारी किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के कार्य के लिए क्षेत्र/वाशरी स्तर पर निविदाएं जारी की जाएंगी। तथापि, निदेशक तथा उनके ऊपर के स्तर से निविदा के आवश्यक अनुमोदन के मामले में मुख्यालय स्तर के उनके विभागाध्यक्ष द्वारा निविदा जारी की जाएगी।

XVIII. बीसीसीएल के निदेशक (तक.)परि. एवं यो. द्वारा असैनिक अभियंत्रण सामग्री की जांच के लिए एक कार्यालय आदेश जारी किया गया। इससे संबंधित सभी लोगों को सलाह दी गई कि निर्माण सामग्री के नमूनों की जांच सिर्फ सरकारी प्रयोगशाला में किया जाए। सिर्फ विशिष्ट मामलों में जहां सरकारी प्रयोगशाला में जांच सुविधा उपलब्ध नहीं है, को निजी प्रयोगशाला में नमूनों को भेजा जाए ।

2. दण्डात्मक सतर्कता:

वित्तीय वर्ष 2013-14 (01.04.2013 से 31.03.2014) के दौरान, सतर्कता विभाग ने कुल 19 जांच के नियमित मामलों को दर्ज किया, जिसमें सत्यापित शिकायतों से उत्पन्न 07 मामले थे। 19 मामलों में 02 मामले अन्वेषणाधीन हैं,

21 अधिकरियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के बाद 05 मामले बंद कर दिये गये। इसमें 12 मामले की जांच पूरी हो गई है तथा 18 प्रतिष्ठानों (फर्मों) ब्लैक लिस्टेड करने की प्रक्रिया और 42 जिम्मेवार अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है

उपर्युक्त के अलावे वर्ष 2013-14 के दौरान (01.04.2013 से 31.03.2014) सीबीआइ ने कुल 05 (पांच) मामले दर्ज किया है जिसमें से 01(एक) मामले में रिश्वत की मांग करना तथा स्वीकार करने से संबंधित, 01 (एक) मामला आय से अधिक संपत्ति तथा सीबीआइ रिपोर्ट के आधार पर 02 (दो) अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन के लिए स्वीकृति का मामला था।

3. निगरानी जाँच :

वर्ष 2012 के दौरान एसपी, सीबीआइ के परामर्श से बीसीसीएल हेतु स्वीकार्य सूची तैयार की गई। इस अवधि के दौरान संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची भी तैयार की गई।

4. सतर्कता स्वीकृति (अनापत्ति)/ स्थितिः

बीसीसीएल के सतर्कता विभाग ने वर्ष 2013-14 (1.4.2013से 31.03.2014) के दौरान 2834 कार्मिकों(अधिकारी व कर्मचारी) से संबंधित सतर्कता स्टेटस रिपोर्ट निर्गत कर दी।

24. लेखापरीक्षा समितिः

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए के अनुरूप बीसीसीएल के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन वर्ष 2002 में किया गया। श्री पॉल जोसफ गैर-शासकीय अंशकालिक निदेशक लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं।

लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य हैः-

i) श्री पॉल जोसफ, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष
ii) श्री एन. कुमार, निदेशक (तक.), कोल इंडिया लिमिटेड
iii) श्री एस. के. शाही, निदेशक, कोयला मंत्रालय,भारत सरकार
iv) श्री डी. सी. झा, निदेशक (तकनीकी), बीसीसीएल
v) श्री बी. रमेश कुमार, स्वतंत्र निदेशक
vi) डॉ. बी.बी. बीस्वाल, स्वतंत्र निदेशक
vii) श्री एस.बी. घोष दास्तीदार, स्वतंत्र निदेशक
viii) श्री पी.आर. मंडल, स्वतंत्र निदेशक

अंकेक्षण समिति के अंतर्गत विचारार्थ विषयों में इन अन्य विषयों के साथ-साथ संस्था के सभी वाणिज्यिक पहलू भी शामिल हैं :-

i) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा।
ii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा।

iii) सरकारी अंकेक्षण तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा।

iv) अनुषंगी कंपनियों के मानक पैरामीटर शामिल करते हुए मानक पैरामीटरों की तुलना में परिचालनगत कार्य प्रदर्शन की समीक्षा।

v) अनुषंगी कंपनियों सहित परियोजना एवं अन्य पूंजी योजनाओं की समीक्षा।

vi) अनुषंगी कंपनियों सहित आंतरिक अंकेक्षण के निष्कर्ष/ टिप्पणियों की समीक्षा।

vii) अनुरूप एवं प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास।

viii) बोर्ड द्वारा संदर्भित मामलों के साथ- साथ अन्य किसी भी मामले का विशेष अध्ययन/ अन्वेषण।

वर्ष 2013-14 के दौरान अंकेक्षण समिति की 10 बैठकें सम्पन्न हुई हैं।

25. नई वाशरियों का निर्माण व आधुनिकीकरण/नवीकरण :

- **बीसीसीएल, कोल इंडिया लि. की एक मात्र ऐसी अनुषंगी कंपनी है, जिसने निम्नलिखित तीन वाशरियों के लिए संबंधित बीओएम ऑपरेटर के साथ करार पर हस्ताक्षर किया हैः**

- **मधुबन एनएल डब्ल्यू वाशरी (5.0 मि.टन प्रति वर्ष)**
- **पाथरडीह एन एल डब्ल्यू वाशरी (5.0 मि.टन प्रति वर्ष)**
- **दहीबाड़ी एन एल डब्ल्यू वाशरी (1.6 मि.टन प्रति वर्ष)**

- **बीसीसीएल में निर्माण-परिचालन रख-रखाव अवधारणा (बीओएम) के आधार पर नई वाशरियों का निर्माणः**

- **बीओएम अवधारणा के आधार पर नई वाशरियों की सफलता की पृष्ठभूमि**

कोलकाता में माननीय कोयला मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 11-01-2007 को हुई बैठक में पिट हेड उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी उपभोक्ताओं को उन्नत गुणवत्ता वाला एवं निश्चित आकार के कोयले की आपूर्ति धुलाई के बाद ही करने का निर्णय लिया गया।

सीआईएल ने बीओएम अवधारणा/टर्नकी योजना के तहत अपनी विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में 20 वाशरियों की स्थापना करने का निर्णय किया था।

तदनुसार, बीसीसीएल बोर्ड ने अपनी 260 वीं बैठक में बीओएम अवधारणा के आधार पर छः वाशरियों की स्थापना के लिए वैचारिक सहमति प्रदान कर दी थी।
निमार्ण-परिचालन रख-रखाव (बीओएम) अवधारणा के आधार पर इन वाशरियों का निर्माण करना है।

नई वाशरियों के प्रस्तावित स्थान एवं कच्चा कोयला निवेश के रूप में इनकी क्षमता नीचे दी गई हैः

1.	मधुबन एन एल डब्ल्यू	5.0 मि.टन प्रतिवर्ष
2.	पाथरडीह एन एल डब्ल्यू	5.0 मि.टन प्रतिवर्ष
3.	दुग्धा एन एल डब्ल्यू	2.5 मि.टन प्रतिवर्ष
4.	दहीबाडी एन एल डब्ल्यू	1.6 मि.टन प्रतिवर्ष
5.	पाथरडीह एन एल डब्ल्यू	2.5 मि.टन प्रतिवर्ष
6.	भोजूडीह एन एल डब्ल्यू	2.0 मि.टन प्रतिवर्ष
		18.6 मिलियन टन

- **'बीओएम' अवधारणा के तहत सभी वाशरियों की स्थिति**

- **बीसीसीएल में (पूरा किये गए) 'बीओएम' अवधारणा के तहत प्रस्तावित एनएलडब्ल्यू वाशरियां**

1. 5.0 मि. टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली मधुबन एनएलडब्ल्यू कोल वाशरी

संविदा-हस्ताक्षर की तिथि	:	**25.01.2012**
ईएमपी समाशोधन	:	**12.11.2012**

वर्ष 2013-14 की मुख्य उपलब्धियां

- जेएसपीसीबी, रांची से "स्थापना हेतु सहमति-पत्र" दिनांक 20.08.2013 को प्राप्त हो चुका है।
- भारत सरकार से श्रम कानून के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।
- प्रस्तावित स्थल के मिट्टी की जांच एवं सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- 90% से अधिक ड्राइंगों का अनुमोदन हो चुका है।
- 70% बाउंडरीवाल एवं 100% स्टोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
- साइलोस के निर्माण के लिए फाउंडेशन का काम शुरू हो चुका है।
- लगभग 80% उपकरणों के आदेश दिया जा चुका है।
- वाशरी के लिए 03 मैगनेटिक सेपरेटरों, 25 मोटरों, 03 स्क्रीनों, 10 साइक्लोन, 03 प्रेशर फिल्टरों की आपूर्ति हो चुकी है।
- दिनांक 31.03.2014 तक बीसीसीएल द्वारा ☐ 21,40,47,606.74/- की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

रैपिड लोडिंग प्रणाली की स्थापना

- धुला कोयला एवं धुला कोयला (पावर) के प्रेषण हेतु व्यवस्था करने के लिए के लिए दिनांक 21.05.2013 को निविदा खोला जा चुका है। बीसीसीएल के सीएमसी में रैपिड लोडिंग प्रणाली के लिए निविदा के तकनीकी भाग का मूल्यांकन हो चुका है।

रेलवे के आधारभूत संरचना का पुनरुद्धार/ मजबूतीकरण

- धुला कोयला एवं धुला कोयला (पावर) के प्रेषण हेतु रैपिड लोडिंग प्रणाली के लिए रेलवे के आधारभूत संरचना को विकसित करने का काम राइट्स (RITES) को सौप दिया गया है।
- राइट्स (RITES) द्वारा प्रस्तुत संभाव्यता अध्ययन को बीसीसीएल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
- राइट्स (RITES) ने इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदन हेतु द.पू. रेलवे को प्रस्तुत कर दिया है।
- राइट्स (RITES) द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट निविदा दस्तावेज बीसीसीएल में संवीक्षाधीन है।

  [संदर्भ: एमओयू मद सं. 2.3.1 (i)]
- जनवरी, 2014 में वाशरी निर्माण के प्रथम चरण का काम पूरा हो गया था।

2. <u>2.5 मि0 टन प्रतिवर्ष क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू कोल वाशरी</u>

ईएमपी समाशोधन	:	**25.01.2012**
संविदा-हस्ताक्षर की तिथि	:	**17.10.2012**

वर्ष 2013-14 की मुख्य उपलब्धियां

- जेएसपीसीबी, रांची से "स्थापना हेतु सहमति-पत्र" दिनांक 20.08.2013 को प्राप्त हो चुका है।
- भारत सरकार से श्रम कानून के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।
- प्रस्तावित स्थल के मिट्टी की जांच एवं सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- आधारभूत ड्राइंगों का अनुमोदन हो चुका है।
- 70% बाउंडरीवाल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
- स्टोर, स्वच्छ पानी के लिए जलाशय एवं कैंटीन के बिल्डिंग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।
- दिनांक 31.03.2014 तक बीसीसीएल द्वारा ₹ 4,76,35,411.0/- की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

रैपिड लोडिंग प्रणाली की स्थापना

- धुला कोयला एवं धुला कोयला (पावर) के प्रेषण की व्यवस्था करने के लिए सीएमपीडीआइ के क्षेत्र-।। में निविदा दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।

रेलवे के आधारभूत संरचना का पुनरुद्धार/ मजबूतीकरण

- धुला कोयला, धुला कोयला (पावर) एवं कचरों के प्रेषण हेतु रैपिड लोडिंग प्रणाली के लिए रेलवे के आधारभूत संरचना को विकसित करने का काम राइट्स (RITES) को सौप दिया गया है।
- राइट्स (RITES) द्वारा कार्यस्थल का सर्वे कर लिया गया है।

[संदर्भ: एमओयू मद सं. 2.3.1 (i) (क)]

जनवरी, 2014 में वाशरी निर्माण के प्रथम चरण का काम पूरा हो गया था।

3. 1.6 मि0 टन प्रतिवर्ष क्षमता की दहीबाड़ी एनएलडब्ल्यू कोल वाशरी

ईएमपी समाशोधन	:	**06.02.2013**
संविदा-हस्ताक्षर की तिथि	:	**28.12.2013**

वर्ष 2013-14 की मुख्य उपलब्धियां

- भारत सरकार से श्रम कानून के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।
- कार्यस्थल का सर्वेक्षण हो चुका है तथा चाहरदिवारी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

रेलवे के आधारभूत संरचना का पुनरुद्धार/ मजबूतीकरण

- धुला कोयला, धुला कोयला (पावर) एवं कचरों के प्रेषण हेतु रैपिड लोडिंग प्रणाली के लिए रेलवे के आधारभूत संरचना को विकसित करने का काम राइट्स (RITES) को सौप दिया गया है।
- राइट्स (RITES) द्वारा कार्यस्थल का सर्वे कर लिया गया है।
- **[संदर्भ: एमओयू मद सं. 2.3.1 (i) (v)]: दिनांक 28.12.2013 को मेसर्स एसीबी (इंडिया) लिमिटेड के साथ संविदा सम्मति पर हस्ताक्षर हो चुका है।**

➢ **बीसीसीएल में (पूरा किये जाने वाले) 'बीओएम' अवधारणा के तहत प्रस्तावित एनएलडब्ल्यू वाशरियां**

4. 2.5 मि0 टन प्रतिवर्ष क्षमता की दुग्दा एनएलडब्ल्यू कोल वाशरी

वर्ष 2013-14 की मुख्य उपलब्धियां

- दिनांक 06.01.2014 को बिड खोली गई थी।
- रेलवे के आधारभूत संरचना का पुनरुद्धार/ मजबूतीकरण
- धुला कोयला, धुला कोयला (पावर) एवं कचरों के प्रेषण हेतु रैपिड लोडिंग प्रणाली के लिए रेलवे के आधारभूत संरचना को विकसित करने का काम राइट्स (RITES) को सौप दिया गया है। राइट्स (RITES) द्वारा कार्यस्थल का सर्वे कर लिया गया है।

[संदर्भ: एमओयू कार्यप्रदर्शन. 2.3.1 (vi)]: दिनांक 15/24.06.2013 को नये सीरे से निविदा निर्गत कर दी गई है और आरएफक्यू भाग का निर्णय प्रक्रियाधीन है।

5. 2.5 मि0 टन प्रतिवर्ष क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू कोलवाशरी:

2013-14 की मुख्य उपलब्धियां

- दिनांक 15/24.06.2014 को नये सीरे से निविदा निर्गत कर दी गई है। कुछ तकनीकी कारणों से इसे निरस्त कर दिया गया था।
- दिनांक 24.01.2014 को बिड खोली गई थी।
- रेलवे के आधारभूत संरचना का पुनरुद्धार/ मजबूतीकरण
- धुला कोयला, धुला कोयला (पावर) एवं कचरों के प्रेषण हेतु रैपिड लोडिंग प्रणाली के लिए रेलवे के आधारभूत संरचना को विकसित करने का काम राइट्स (RITES) को सौप दिया गया है।
- राइट्स (RITES) द्वारा कार्यस्थल का सर्वे कर लिया गया है।

[संदर्भ: एमओयू कार्यप्रदर्शन. 2.3.1 (vii)]: दिनांक 09.08.2013 को नये सीरे से निविदा निर्गत कर दी गई है और (आरएफक्यू) का तकनीकी भाग का निर्णय प्रक्रियाधीन है।

6. 2.0 मि0 टन प्रतिवर्ष क्षमता की भोजूडीह एनएलडब्ल्यू कोलवाशरी

वर्ष 2012-13 की मुख्य उपलब्धियां

- दिनांक 31.08.2013 को निविदा निर्गत की गई थी, किंतु कुछ तकनीकी कारणों से इसे निरस्त कर दिया गया था।
- दिनांक **01.11.2013** को नये सिरे से निविदा निर्गत की गई है।
- दिनांक 28.02.2014 को बिड खोली गई थी।
- (आरएफक्यू) का तकनीकी भाग का निर्णय प्रक्रियाधीन है।

रेलवे के आधारभूत संरचना का पुनरुद्धार/ मजबूतीकरण:

दिनांक 26.02.2014 को धुला कोयला, धुला कोयला (पावर) एवं कचरों के प्रेषण हेतु रैपिड लोडिंग प्रणाली के लिए रेलवे के आधारभूत संरचना को विकसित करने का काम राइट्स (RITES) को सौप दिया गया है।

➢ **'टर्न-की' अवधारणा के तहत वाशरियों की स्थिति**

1. मुनीडीह में 2.5 मि0 टन प्रतिवर्ष क्षमता की कोकिंग कोल वाशरी

वर्ष 2013-14 के दौरान किये गए कार्य

सीएमपीडीआइ मुख्यालय रांची द्वारा खदानों से जुड़े स्रोत से कोयला का नमूना इकठ्ठा कर लिया गया है और उसे 18-09-2012 को सीएमपीडीआइ के प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। अब यह जांच के स्तर पर है।

2. कपुरिया में 2.5 मि0 टन प्रतिवर्ष क्षमता की कोकिंग कोल वाशरी

वर्ष 2013-14 के दौरान किये गए कार्य

स्थान के चयन का काम पूरा किया जाना है। कोयला का प्रातिनिधिक नमूना इकठ्ठा करने में कठिनाइयां हो रही हैं क्यांकि वाशरी के लिए कोयले के संभावित स्रोत हेतु चयन की गई खदान अप्रयुक्त है।

इसके अतिरिक्त, 5.5 एवं 5.8 मि0 टन प्रतिवर्ष क्षमता की दो एनएलडब्ल्यू वाशरियों को सूत्रबद्ध किया जा रहा है। इन दो एनएलडब्ल्यू वाशरियों के स्थान एवं अनुबंध अध्ययन एवं निर्णयाधीन है।

26. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीः

बीसीसीएल में पर्यावरण सुधार की दिशा में सतत एवं व्यापक रूप से प्रयास किये गए हैं। पर्यावरणीय गतिविधियों/ स्थितियों का एक सारांश निम्नलिखित है:

(क) बीसीसीएल के खदानों एवं वाशरियों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

बीसीसीएल ने पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए कलस्टर (खदान समूह) की संकल्पना बनाई है, जिसमें कुल 103 खदानों (परित्यक्त एवं प्रस्तावित सहित) को मिलाकर 17 कलस्टर बनाया गया है। बीसीसीएल कोयला क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी है, इसके बाद, इआइए-इएमपी तैयार करने तथा पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए संपूर्ण कोयला उद्योग में इस कलस्टर संकल्पना को अपनाया गया है। दिसंबर, 2009 से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस कलस्टर संकल्पना को अनुमोदित कर दिया है और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए इनके सभी क्लस्टरों को इआइए-इएमपी तैयार करने की सलाह दी है।

खदानों की स्थिति: आज की तारीख तक

- बीसीसीएल ने 17 में से 15 क्लस्टरों (76.949 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अधिकतम क्षमता) के लिए मंजूरी प्राप्त कर लिया है।
- शेष 2 क्लस्टरों पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया में है।
  - ➢ पर्यावरणीय मंजूरी के लिए कलस्टर - XII (3.12 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अधिकतम क्षमता वाली प्रस्तावित कपुरिया खदान) का अंतिम इआइए/इएमपी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास विचाराधीन है।
  - ➢ विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कलस्टर - XVII के टीओआर (5.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अधिकतम क्षमता वाली प्रस्तावित कल्याणेश्वरी ओसी) की अनुशंसा कर दी गई है, किंतु इसका औपचारित पत्र प्रतीक्षाधीन है।

- बीसीसीएल ने कलस्टर - IV के उत्पादन क्षमता को 3.12 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 9.55 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अधिकतम क्षमता तक करने के लिए आवेदन भी दिया है, जिसके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लाइन डाटा तैयार करने की छूट एवं लोक सुनवाई की छूट की अनुशंसा के साथ टीओआर (TOR) मंजूर कर लिया गया है। अंतिम इआइए/इएमपी सीएमपीडीआइ के क्षेत्र-।।, धनबाद में तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

बीसीसीएल की खादानों को पर्यावरण संबंधी मंजूरिया

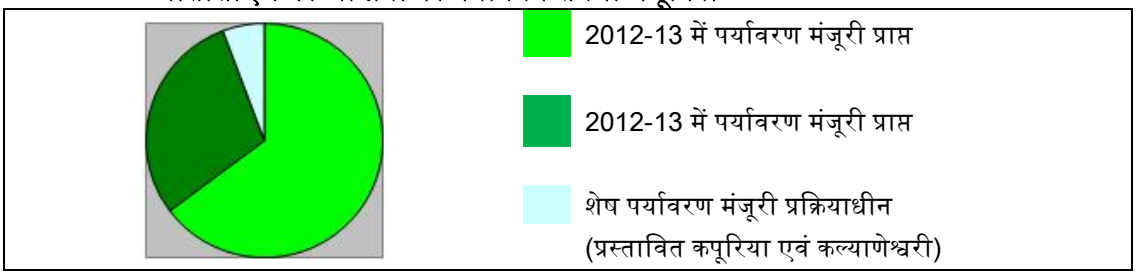

आज की तारीख तक खदानों की स्थिति:

- कलस्टर संकल्पना के तहत 1.6, 2.08, 1.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अधिकतम क्षमता के लिए क्रमश: मूनीडीह, सुदामडीह वाशरी एवं प्रस्तावित दहीबाड़ी वाशरी की पर्यावरण संबंधि मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दो प्रस्तावित कोल वाशरियों, यथा पाथरडीह एवं मधुबन एनएलडब्ल्यू कोल वाशरियों (प्रत्येक की क्षमता 5.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष) के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमोदन दे दी गई है। 0.63 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली महुदा वाशरी एवं 3.65 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली प्रस्तावित कल्याणेश्वरी वाशरी (कलस्टर—XV।। के तहत) के लिए टीओआर (ToR) अनुमोदित/ अनुशंसित हो चुका है।
- 2.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के लिए प्रस्तावित दुग्धा वाशरी का फार्म-1 प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्तावित पाथरडीह वाशरी का फार्म-1 सीएमपीडीआइ, क्षेत्र-।।, धनबाद में तैयार किया जा रहा है।

पर्यावरणीय अनुपालन:

बीसीसीएल ने पर्यावरणीय मंजूरियों से संबंधित सभी शर्तों के अनुपालन हेतु त्वरित कार्रवाई की है और इसकी रिपोर्ट नियमित रूप से नियामक प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर रही है, जिसे मंजूरी पत्रों सहित बीसीसीएल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सीआइएमएफआर, धनबाद द्वारा पर्यावरणीय निगरानी डाटा तैयार किया जा रहा है।

निदेशक (तकनीकी) परिचालन की अध्यक्षता में खासकर पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों के अनुपालन तथा समग्र रूप से पर्यावरणीय प्रबंधन मॉनिटर करने के लिए एक पर्यावरणीय परामर्शी समिति का गठन किया गया है।

ख) पारिस्थितिकी पुनरूद्धार

बीसीसीएल एक बार पुन: अपने विकृत एवं उत्खनित भूमि पर पारिस्थितिकी पुनरूद्धार का काम करने के लिए कोल इंडिया कि अग्रणी कंपनी बन गयी है। पारिस्थितिकी पुनरूद्धार में त्रिस्तरीय वृक्षरोपण प्रक्रिया अपनायी जाती है, जिसमें सबसे नीचले स्तर पर देशी प्रजाति के घास, मध्यम स्तर पर छोटे पौधे एवं सबसे ऊपरी स्तर पर वृक्ष होते हैं। इसका उद्देश्य जैव-विविधता के साथ वन पारिस्थितिकी-तंत्र को प्राकृतिक रूप से स्थापित करना है।

बीसीसीएल ने जुलाई 2011 में अपने विकृत एवं उत्खनित भूमि पर पारिस्थितिकी पुनरूद्धार के लिए वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ), देहरादून के माध्यम से एक खांका तैयार किया था। इसके लिए, बीसीसीएल ने अपने 32 कर्मचारयों को वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ), देहरादून में प्रशिक्षण दिलाया था।

वर्ष 2011 में वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ), देहरादून के माध्यम से 8 हे. के एक ओबी डंप पर एक आदर्श पारिस्थितिकी पुनरूद्धार की परियोजना शुरू की गई है, जो अगले 5 वर्षों तक चलेगी। ठीक उसी समय, विकृत पारिस्थितिकी प्रणाली की पर्यावरणीय प्रबंधन केंद्र (सीइएमडीइ), दिल्ली विश्वविद्यालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिष्ठा केंद्र के परियोजना निदेशक प्रो. सी.आर.बाबू के कुशल नेतृत्व में दामोदा कोलियरी के लगभग 7 हे. ओ.बी. डंप पर एक अन्य प्रायोगित (पायलट) परियोजना शुरू की गई है। इन दोनों जगहों पर काफी बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसकी प्रशंसा कई उच्चाधिकारियों, शिक्षाविदों एवं विशेषज्ञों द्वारा की गई है।

OB DUMP BEFORE ECOLOGICAL RESTORATION

OB DUMP AFTER ECOLOGICAL RESTORATION

उपर्युक्त परियोजनाओं की सफलता के बाद, बीसीसीएल ने वर्ष 2013-14 में लगभग 53.43 हे. भूमि की विभागीय स्तर पर पारिस्थितिकी पुररूद्धार करने के लिए अपने अतिरिक्त श्रम शक्ति की पहचान की है, जिसने काम करना शुरू कर दिया है और इसका प्रारंभिक कार्य समापन के कगार पर है। यह कार्य अगले पांच वर्षों तक चलेगा अर्थात वर्ष 2018-19 तक। दिनांक 12.03.2014 को संपन्न बीसीसीएल के निदेशकों की 305वीं बोर्ड बैठक में वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ), देहरादून को अगले पांच वर्षों तक तकनीकी सहायता उपलब्ध के लिए तकनीकी सलाहकार/ विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। जिसकी लागत ₹ 93.47286 लाख होगी। बीसीसीएल ने अगले 5 वर्षो में लगभग 226 हे. उत्खनित विकृत भूमि पर पारिस्थितिकी पुनरूद्धार करने की योजना बनायी है। बीसीसीएल की सभी 12 परिचालित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पुनरूद्धार हेतु एक समर्पित वानिकी दल को तैयार करने के उद्देश्य से, बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों से 135 से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों के वीटीसी में प्रशिक्षित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, लोदना क्षेत्र में निकाले गए आग एवं पुनरूद्धारित खदान के ऊपर 'गोकुल धाम' नामक एक बहुसांस्कृतिक पार्क विकसित किया जा रहा है।

सीइएमडीइ (CEMDE) के दिशा निदेशन में, बीसीसीएल स्थानीय लोगों के साथ मिलकर झुंकुंदर में एक एकीकृत कृषि प्रणाली विकसित कर रहा है। प्रारंभिक कार्य कर लिया गया है। इनके अतिरिक्त, इस वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में औषधि-वाटिका भी विकसित करने का प्रस्ताव है। बीसीसीएल द्वारा ये गतिविधियां हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए की जा रही हैं।

ग) वृक्षारोपण

वर्ष 2011-14 में, बीसीसीएल ने पारिस्थितिकी पुनरूद्धार का काम शुरू करने से पहले, राज्य के वन विभाग को विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन के उपरांत भरे गए 137.4 हे. भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य सौपा था, जो अब पूरा हो चुका है।

अनुमंडल वन विभाग, धनबाद द्वारा शहर के सड़कों के किनारे तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण (एवेन्यू प्लांटेशन)/ बाड़ वृक्षारोपण (गावियन प्लांटेशन) (9403 बांस का बाड़+425 ईंटें का बाड़) करने और और अगले तीन वर्षों तक इनके देखभाल करने के प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर लिया गया है।

घ) आइएसओ (ISO) प्रमाणन

अंतरराष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने तथा बेहतर कार्यप्रणाली अपनाने के लिए बीसीसीएल ने अपने खदानों एवं कर्मशालाओं के लिए आइएसओ (**ISO**) प्रमाणन प्राप्त किया है। आज की तिथि तक कंपनी ने 02 ओपेन कॉस्ट खदानों (मुराईडीह एवं ब्लॉक-।।), 01 भूमिगत खदान (मूनीडीह यूजी), 01 कर्मशाला(एक्सावेशन कर्मशाला, सिनिडीह) के लिए आइएसओ (**ISO**) 14001:2004 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) प्राप्त कर लिया है और एकेडब्ल्यूएमसी (AKWMC) की मिश्रित खदान के लिए अनुशंसा प्राप्त हो गई है किंतु औपचारिक प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित है। इसके अतिरिक्त, इन ईकाइयों के लिए ISO 9001:2008 (गुण प्रबंधन प्रणाली) भी प्राप्त कर लिया गया है मूनीडीह एवं सिनिडीह कर्मशाला के लिए OHSAS 18001:2007 (ओएच (OH) एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) हो चुका है। वर्ष 2014 में, एचआरडी एवं केंद्रीय चिकित्सालय के अतिरिक्त 02 खदानों एवं 01 वाशरी के लिए आइएसओ (**ISO**) प्रमाणन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित है।

ड.) पर्यावरणीय जागरूकता

कंपनी के आस-पास रहने वाले लोगों तथा अन्य स्टेक होल्डरों के बीच पर्यावरण से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए और कंपनी की पर्यावरण अनुकूल छवि को बनाने के लिए, बीसीसीएल का पर्यावरण विभाग फेसबुक जैसे सोशल मिडिया पर मौजूद है और विभिन्न सेमिनारों एवं समारोहों में भाग लेता है। कर्मचारियों एवं उनके परिवारों तथा स्कूली बच्चों की सक्रिय भागीदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस एवं वन महोत्सव का मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, सीआइएल स्थापना दिवस के समारोह तथा अन्य उत्सवों के दौरान कंपनी के कार्यों को झांकियों एवं स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। कंपनी की उपलब्धियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों में भी प्रस्तुत किया गया था।

फरवरी, 2014 में बीसीसीएल के खदानों/ वाशरियों द्वारा पर्यावरण जागरूकता एवं सांविधिक अनुपालन पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जेएसपीसीबी, रांची के सदस्य सचिव तथा सीपीसीबी के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी के श्रमशक्ति को शिक्षित करने के लिए मानव संसाधन विकास विभाग में कई सेमिनारों को आयोजित किया गया।

लोगों को सूचित करने के उद्देश्य से, सभी पर्यावरणीय मंजूरियों, पर्यावरणीय मंजूरियों (इसी) के अनुपालनों को बीसीसीएल के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इन सभी को क्षेत्रों एवं मुख्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित कर दिया गया है। बीसीसीएल के वेबसाइट पर, इसके विभिन्न पर्यावरणीय गतिविधियों को उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान "सर्वोत्तम पर्यावरण प्रबंधन" के लिए सीआइएल के कॉरपोरेट प्रबंधन ने बीसीसीएल को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है।

च) एमओयू मापदंड: वर्ष 2013-14 के दौरान पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों को पूरा किया गया।

i. **पारिस्थितिकी पुनरूद्धार (10 हे.) [2.3.1(viii)]** : इस वित्त वर्ष के दौरान इस गतिविधि को 10 हे. भूमि पर पूरा किया गया।

ii. **एकीकृत कृषि प्रणाली के लिए (2 हे.) [2.3.1 (ix)] भूमि की पहचान करना तथा इस विकृत भूमि को सुधार करने का काम एजेंसियों को सौपना :** सी.वी. क्षेत्र के झुकुंदर ओसीपी में एकीकृत कृषि प्रणाली के लिए 5.0 हे. उत्खनित विकृत भूमि की पहचान कर ली गई है। सीइएमडीइ, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के तकनीकी निदेशन में इसका काम प्रगति पर है। यह काम विभागीय स्तर पर किया गया है।

iii. **एमओयू का अनुमोदन (कलस्टर):** पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2013- 14 के दौरान 06 कलस्टरों को अनुमोदित कर इनका पर्यावरणीय मंजूरी भी निर्गत कर दिया है।

iv. **बीसीसीएल में ऑनलाइन एयर मॉनिटरिंग (सतत) प्रणाली स्थापित करने के लिए व्यवहारिक अध्ययन:** पर्यावरण विभाग के अनुसार, बीसीसीएल ने व्यवहारिक अध्ययन कर लिया है।

छ) झरिया मास्टर प्लान:

भारत सरकार द्वारा 12 अगस्त, 2009 को झरिया कोलफिल्ड के लिए ₹ 7,112.11 करोड़ की अनुमानित निवेश के साथ बीसीसीएल के पट्टाधारित क्षेत्र में आग, भू-धसान एवं पुनर्वास की समस्या से निपटने के लिए बनाये गए मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है। दो वर्षों की पूर्व-कार्यान्वयन अवधि के बाद कार्यान्वयन अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

बीसीसीएल द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

- बीसीसीएल को अपने कर्मचारियों/ अधिकारियों के परिवारों के लिए ₹ 1068.45 करोड़ की लागत से 25,000 आवासों का निर्माण करना है। आने वाले 5-6 वर्षों में श्रमशक्ति के सेवा निवृत्ति/ कमी को देखते हुए, मास्टर प्लान के अनुसार बनाये जाने वाले 25,000 आवासों (फेज-I में वर्ष 2016 तक 12,462 एवं फेज-II में वर्ष 2021 तक 12,538 आवासों का निर्माण किया जाना है) की तुलना में, बीसीसीएल के आग/ भू-धसान से प्रभावित लोगों के लिए वर्तमान में, केवल 15,000 आवासों के निर्माण की आवश्यकता है।

- 1496 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है; 8,100 का निर्माण कार्य प्रगति पर है; 2,240 का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है (कुल 11836 आवास)। आज की तिथि तक 740 परिवारों को इन आवासों में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- 3,164 आवासों के निर्माण हेतु भूमि चिह्नित कर ली गई है।
- लिहाजा बीसीसीएल, मास्टर प्लान के कार्यक्रम को तय समय पर अच्छी तरह से पूरा कर रहा है और कंपनी अपने कर्मचारियों/ परिवारों को अगले दो वर्षों (यथा, 2016 में फेज-I के अंत तक) में, मास्टर प्लान के निर्धारित समय पर सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास कराने में सक्षम होगा।

जेआरडीए द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

- जेआरडीए ने अभी तक 595 अग्नि प्रभावित स्थलों के 54159 परिवारों (2006 में किए गए सर्वे के अनुसार) में से 425 स्थलों के 54061 परिवारों का जनसांख्यिकी/ सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण कर लिया है। यद्यपि, यह आंकडा बढ़ गया है और जेआरडीए द्वारा किये गए सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह स्पष्ट किया गया है। इन बढ़े हुए परिवारों का पुनर्वास करने के प्रावधान है।

- जेआरडीए को 2021 तक यानी अगले दस वर्षों में 54159 आवासों का निर्माण दो चरणों में करना है। अभी तक जेआरडीए ने केवल 10352 आवासों (फेस-I के 33333 आवासों में से) का निर्माण किया है। आज की तिथि तक जेआरडीए ने विभिन्न खतरनाक स्थानों से 1165 परिवारों को बेलगरिया के 2352 के आवासों में बसाया है।

- भूमि की गैर-उपलब्धता तथा पर्याप्त संख्या में आवासों के नहीं रहने के कारण, जेआरडीए को खतरनाक एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से बीसीसीएल के कर्मियों/ निजी लोगों को तत्काल पुनर्वास करने में कठिनाई आ रही है। वर्ष 2013 में जेआरडीए ने लिपानिया मौजा में 120.82 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है और जिला प्रधिकरण को इसका भुगतान भी कर दिया गया है, किंतु अभी तक जेआडीए द्वारा इस भूमि पर भौतिक कब्जा नहीं किया गया है। बीसीसीएल ने इसके निराकरण के रूप में, बीसीसीएल/ निजी लोगों को अस्थायी रूप से बसाने के लिए, शरणार्थी शिविरों के निर्माण हेतु गैर-अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में 41.225 एकड़ भूमि के लिए जेआरडीए को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है।

- बीसीसीएल ने पुनर्वास के उद्देश्य से जेआरडीए को 314.88 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। जबकि उन्होंने आजतक 209 करोड़ का ही उपयोग किया है।

- वर्तमान समय में जेआडीए अंशकालिक अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है और पुनर्वास कायों को तीव्र एवं प्रभावकारी तरीके से लागू करने के लिए पूर्णकालिक अधिकारियों को नियोजित नहीं किया गया है। अत: यह बहुत जरूरी है कि जेआरडीए को इस संबंध में सशक्त एवं सक्षम बनाया जाय।

- बीसीसीएल ने बेलगरिया के बेरोजगार युवकों के कौशल विकास हेतु, आइटीआइ में प्रशिक्षण हेतु ₹ 2.5 लाख उपलब्ध कराया है। जेआरडीए ने अपने द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में सीआइडीसी (CIDC) के प्रशिक्षित लोगों को नियोजित करने का आग्रह भी किया था। इसके लिए राज्य सरकार एवं सीआइडीसी के बीच एक सहमति ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुआ है।

अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से सड़क-मार्ग का परिवर्तनः

अल्पकालिक उपाय के रूप में गोधर से पुटकी के बीच एनएच- 32 के खतरनाक भाग के बदले में महुदा- तोपचांची सड़क का मरम्मत/ चौड़ीकरण करने के राइट्स (RITES) द्वारा विधिवत तैयार प्रस्ताव को सचिव, पथ निर्माण विभाग

(आरसीडी), झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। दिनांक 18.02.2012 को बीसीसीएल ने जेआरडीए को ₹19.86 करोड़ उपलब्ध कराया है। पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) ने यह काम पूरा कर दिया है। बीसीसीएल ने एनएच- 32 के प्रभावित हिस्से से आग को निकालने के लिए, एनएच प्राधिकरण एवं जेआरडीए के साथ मिलकर काम किया है।

अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से रेल-मार्ग का परिवर्तनः

अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से रेल एवं सड़क मार्ग परिवर्तन करने हेतु सर्वे करने के लिए मास्टर प्लॉन में ₹ 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राइट्स (RITES) ने प्रभावित क्षेत्रों से रेल-मार्ग परिवर्तन संबंधि विस्तृत प्लॉन, जेआरडीए को प्रस्तुत कर दिया है। बीसीसीएल ने अपने विचारों को जेआरडीए को भेज दिया है। इस संबंध में पूर्व केंद्रीय रेलवे, हाजीपूर एवं दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता ने संक्षिप्त रिपोर्ट अपने मंतव्य के साथ रेलवे वोर्ड, नई दिल्ली को भेज दिया है। इस मामले पर अंतरमंत्री समूह द्वारा भी चर्चा की गयी है।

<u>अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से उपयोगी सेवा को हटाना ।</u>

झरिया कॉलफील्ड के डाइवर्सन से होने वाले ''उपयोगी सेवा'' से संबन्धित संभाव्यता रिपोर्ट दिनांक 30.03.2013 को मे. राइट्स (RITES) द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। रिपोर्ट में उपयोगी सेवा जैसे जलापूर्ति, टेलीफोन लाइन के शिफ्टिंग के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। बी. सी. सी. एल. ने में . राइट्स (RITES) से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जिसे में. राइट्स (RITES) द्वारा अनुपालित किया जाना है।

अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में कमी:

झरिया कोलफील्ड में कोयला खनन की शुरूआत, तत्कालीन निजी मालिकों द्वारा 100 वर्ष पहले की गई थी। निजी मालिकों द्वारा कोयला खनन के लिए अवैज्ञानिक तरीके अपनाने के कारण, कोयला खदानों के अधिकांश क्षेत्रों में आग लग गई एवं भू-धंसान की शुरूआत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में गंभीर सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। वर्ष 1972-73 में, कोयला खदानों के राष्ट्रीकरण तथा बीसीसीएल द्वारा खदानों के अधिग्रहण के समय, खदानों में लगी आग की स्थिति बेहद गंभीर थी। उसके बाद, यह आग दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए 9 वर्ग किलोमीटर तक फैल गई, जैसा कि विश्व बैंक के दल द्वारा ऑंका गया है। बालू भराई, रसायनिक उपचार एवं ब्लैंकेटिंग आदि जैसे विभिन्न पद्धतियों पर ₹100 करोड़ से अधिक राशि खर्च करने के बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।

हालांकि, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो, अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद द्वारा किए गए उपग्रही सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2008 से बीसीसीएल के वर्तमान कॉरपोरेट प्रबंधन द्वारा अपनाई गई नई रणनीतिक योजना से, पिछले पांच वर्षों में यह आग 9 वर्ग किलोमीटर से घटकर 2 वर्ग किलोमीटर हो गई है। यह कामयाबी केवल, बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा अपनाई गई सफल "उत्खनन पद्धति यानी आग लगे कोयला को खोदकर बाहर निकालना" से प्राप्त हुई है। एनआरएससी (NRSC) द्वारा इस तथ्य को भी अपने रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पिछले चार वर्षों में बीसीसीएल ने भी ₹4400 करोड़ का लाभ अर्जित कर राष्ट्रीय राजकोष में अपना योगदान दिया है। वर्ष 2013 में, झरिया कोलफील्ड के सतह पर लगी आग की रूपरेखा जानने के लिए, बीसीसीएल द्वारा नेशनल रिमाट सेंसिंग सेंटर, इसरो, अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद के माध्यम से, कोयला खदानों में लगी आग पर यह सर्वेक्षण/ अध्ययन कराया गया था। मार्च, 2014 में एनआरएससी द्वारा प्रस्तुत किए गए अपने रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्तमान समय में

कोलफील्ड का अग्नि प्रभावित क्षेत्र, केवल 2 वर्ग किलोमीटर ही है, जिसमें ओबी डंप की आग एवं सक्रिय आग दोनों ही शामिल हैं, जिसमें से सक्रिय आग 0.9 वर्ग किलोमीटर है। एनआरएससी ने यह अनुमान अत्याधुनिक उपग्रह तकनीक के आधार पर लगाया है।

उपर्युक्त उपलब्धियों के अतिरिक्त, अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में कमी आने से झरिया कोलफील्ड से उत्सर्जित हो रहे ग्रीन हाउस गैस में भी कमी आई है, जिससे समग्र रूप से कार्बन फुट प्रिंट कम हुआ है। यह बीसीसीएल द्वारा किये जा रहे हरित अनुपालन को दर्शाता है।

इसके अलावे, एनआरएससी ने दिनांक 14-19 अप्रैल तक, भू-धंसान/ अस्थिर क्षेत्रों की जमीनी हकीकत जानने के लिए तथा जीपीआर सर्वे करने के लिए, एक अतिरिक्त फील्ड अध्ययन करने की योजना बनाई है, जो इस अध्ययन का दूसरा भाग होगा।

एनआरएससी द्वारा किया गया उपर्युक्त सर्वे, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (MoEF) द्वारा विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय शर्तों का भी अनुपालन करता है।

रूचि की अंतरराष्ट्रीय अभिव्यक्ति:

आग से निपटान हेतु नवीनतम तकनीक के प्रयोग पर, दिनांक 22.07.2013 को आयोजित एचपीसीसी (HPCC) की 8वीं बैठक में, विस्तृत चर्चा के बाद डीजीएमएस (DGMS) एवं सीएमपीडीआइएल (CMPDIL) के परामार्श से इओआइ (EOI) का गठन किया गया। दिनांक 18.01.2014 को बीसीसीएल की वेबसाइट पर इओआइ जारी कर दिया गया। दिनांक 14.02.2014 को हुई बैठक में किसी एजेंसी/ कंपनी ने प्री-इओआइ के लिए रिपोर्ट नहीं किया। बीसीसीएल, आग से निपटने के लिए विभिन्न अंतराष्ट्रीय विशेषज्ञों से सीधे संपर्क कर रहा है। हालांकि यह इओआइ (EOI), दिनांक 28.04.2014 तक प्राप्त हो जाएगा तथा दिनांक 29.04.2014 तक खोल दिया जाएगा। यह पहल भी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (MoEF) द्वारा विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन करता है।

सततता विकास

एमओयू (MoU) मानदंडों के तहत सततता रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण:

क. सीएसआर (CSR) एवं एसडी (SD) [2.4.3 (a)] पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन: दिनांक 27.02.2014 को कंपनी के वेबसाइट पर सततता रिपोर्ट को अपलोड कर दिया गया था। इस रिपोर्ट का मूल्यांकन टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) द्वारा किया गया था।

ख. सूचना [2.4.3(b)] को अद्यतन करना: दिनांक 08.03.2014 को कंपनी की वेबसाइट पर एसडी रिपोर्ट को अपलोड कर दिया गया है।

2. **संरचना को लागू करने** [2.4.6] **की प्रभावकारिता**

क. द्वि-स्तरीय संगठनात्मक संरचना [2.4.6 (क)] का अस्तित्व: द्वि-स्तरीय संगठनात्मक ढांचे यानी, नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर एसडी समिति एवं उप समिति, कंपनी के विभिन्न एसडी गतिविधियों पर नजर रखने और समीक्षा करने के लिए अस्तित्व में है।

ख. बोर्ड स्तरीय एसडी समिति की आवृत्ति: दिनांक 27 जुलाई, 2013, 20 सितंबर, 2013, 5 दिसंबर, 2013 एवं 4 फरवरी, 2014 को क्रमश: चार बैठकें आयोजित की गई।

ग. नोडल स्तरीय समिति की बैठकें: वर्ष 2013 में, दिनांक 4 जुलाई, 2 सितंबर एवं 12 नवंबर को और वर्ष 2014 में, 27 जनवरी एवं 24 फरवरी को क्रमश: पांच बैठकें आयोजित की गई।

घ. समिति द्वारा लिए गए निर्णय. : इस बोर्ड स्तर की उपसमिति में एसडी गतिविधियों से संबंधित विभिन्न निर्णय लिया और समीक्षा की गई है, जिसकी संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नलिखित है:

- ❖ सामाजिक सशक्तिकरण के लिए डीएवी स्कूलों के आधारभूत संरचना का उपयोग करते हुए, बीपीएल एवं दलित परिवारों के जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने हेतु उनको मुफ्त किताबें एवं लेखन सामग्री, तथा भोजन एवं अन्य शैक्षिक सहायता प्रदान करना।
- ❖ समाज के कमजोर वर्गों के युवाओं एवं महिला सदस्यों की पहचान करना और उनके कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए डीएवी स्कूल तथा एनआईआईटी (NIIT) एव एप्टेक (Aptec) जैसे संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाना।
- ❖ अध्यक्ष महोदय ने बीपीएल एवं दलित परिवारों के जरूरतमंद बच्चों की संख्या एवं उनकी स्थिति जानकारी मांगी है, जिनकों बीसीसीएल द्वारा मुफ्त शिक्षा देने के साथ-साथ मुफ्त किताबें एवं लेखन सामग्री, तथा भोजन एवं अन्य शैक्षिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। मांगी गई यह सूचना पिछले पांच वर्षों की हो, जिसमें विभिन्न स्कूलों के उक्त छात्रों की संख्या, वर्षवार एवं क्षेत्रवार के आधार पर शामिल होनी चाहिए।
- ❖ 31 दिसंबर, 2013 को महिला सशक्तिकरण एवं कौशल विकास हेतु एटीडीसी (ATDC) कार्यक्रम के लिए भूमि को चिह्नित करने का काम पूरा कर लिया गया है।
- ❖ बीसीसीएल के चिकित्सा सेवा प्रमुख डा. एस.सी. गुप्ता ने इस सभा को बताया कि '**बीसीसीएल स्कूल ऑफ नर्सिंग ऐंड पारामेडिकल टेक्नॉलाजी'** को स्थापित करने के प्रस्ताव को, दिनांक 18.11.2013 को बीसीसीएल के प्रकार्य निदेशकों (FDs) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इसमें 147 छात्रों के लिए छ: (6) पाठ्यक्रमों को शुरू किया जाएगा। इस संबंध में, दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक तकनीकी शिक्षा परिषद, झारखंड से अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। इस बीच अन्य औपचारिकताएं एवं आधारभूत संरचना तैयार कर ली जाएगी। अध्यक्ष महोदय ने छात्रों के दाखिले के लिए बीसीसीएल द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया गया, ताकि परियोजना प्रभावित लोगों (PAPs) को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके और यह पाठ्यक्रम कोई व्यावसायिक रूप न ले सके।
- ❖ सभा इस बात पर सहमत थी कि प्रस्तावित 'स्वालंबी योजना' को लागू करने के लिए, परिधीय गांवों की उन समितियों को सोसाइटी पंजीकरण कानून के तहत पंजीकृत किया जाय, इनके तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि ग्रामिणों के बीच स्वरोजगार का सृजन किया जा सके। प्रथम चरण में, गरेरिया एवं मुकुंदा के गांवों की समितियों को पंजीकृत किया जाय। सीएमडी महोदय ने इस काम में तेजी लाने की सहाल दी। उन्होंने ग्रामिणों के साथ हुई बैठकों की असंपादित सीडी (CDs) तैयार करने का निदेश दिया, ताकि आगे होने वाली एसडी बैठकों में ग्रामिणों के विचारों एवं प्रतिक्रियाओं को विडियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सके। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि इस सभा के विचारों को भी विडियों के माध्यम से ग्रमिणों के बीच प्रदर्शित किया जाय। इस तरह से होने वाले द्विपक्षीय वार्तालाप से, आपसी रिस्तों को सुधारने में मदद मिलेगी, जिससे कंपनी एवं स्टेकहोल्डरों के बीच की नकारात्मकता कम होगी।

27. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

कंपनी अधिनियम,1956 के अनुच्छेद 217(2एए) के अनुसार निदेशकगण घोषणा करते हैं कि :

i) वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

ii) इस प्रकार की जिन लेखा नीतियों का चयन किया गया है एवं संगतपूर्ण ढंग से लागू किया गया है और जो निर्णय लिए गए हैं तथा प्राकलन बनाएं गए हैं वे उचित और न्यायसंगत हैं और जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की परिस्थितियों एवं उस अवधि में कंपनी की लाभ-हानि से संबंधित सही और स्पष्ट विचार प्रस्तुत करते हैं।

iii) कंपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा किसी तरह की धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने तथा उन्हें पकड़ने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा की देखभाल हेतु समुचित तथा पर्याप्त सतर्कता अपनाई गई है।

iv) वर्तमान परंपरा के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया जा चुका है।

28. बीसीसीएल के वार्षिक लेखा निरीक्षक :

बीसीसीएल के वार्षिक लेखा कंपनी के सचिवालय से मांग करने पर कोल इंडिया लिमिटेड के सभी शेयर होल्डरों के पास निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

29. सत्यनिष्ठा समझौता का कार्यान्वयन :

बीसीसीएल में सत्यनिष्ठा समझौता (MOU) का कार्यान्वयन किया गया है। सत्यनिष्ठा समझौता के कार्यान्वयन के लिए धनबाद 4 मार्च, 2009 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लि., दिल्ली के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।

31.01.2011 तथा 01.02.2011 को लिए गए एफडी (FDs) निर्णय के अनुसार सत्यनिष्ठा समझौता का विस्तार निदेशक के अनुमोदन से दी गई निविदाओं के लिए बढ़ाकर किया गया है। कंपनी के महाप्रबंधक (एमएम) तथा महाप्रबंधक (सीएमसी) द्वारा निश्चित किए गए सभी निविदाओं को भी सत्यनिष्ठा समझौता में शामिल किया गया है।

30. वर्ष 12-13 के लिए एमओयू (MoU) मानदंडों का प्रदर्शन : कॉरपोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट

i) डीपीई द्वारा निर्गत कॉरपोरेट गवर्नेन्स निदेशों के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेन्स का अनुपालन-प्रस्तुत।

ii) डीपीई द्वारा प्रकाशित लोक उपक्रम सर्वेक्षण के लिए अनुदेश-तिथि-07 सितंबर, 2013 को प्रस्तुत।

31. कंपनी अधिनियम, 1956 एवं कंपनी (लागत लेखा अभिलेख) नियम, 2011 के नियम 2 की धारा 209 (I) (घ), 600(3) के अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए लागत लेखा परीक्षा/लागत अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुपालन की स्थितिः

बीसीसीएल ने वर्ष 2011-12 के लिए लागत लेखा के प्रस्तुतीकरण एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए लागत लेखा परीक्षा हेतु निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया है-

1. एस.जी. एण्ड एसोशिएट्स केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक
2. राजेश कुमार एण्ड कं.
3. डीजीएम एण्ड एसोशिएट्स
4. संजीवन एण्ड कं.
5. बी. मुखोपाध्याय एण्ड कं.
6. बसु, बनर्जी, चक्रवर्ती, चट्टोपाध्याय एण्ड कं.
7. बीसीडी एण्ड एसोशिएट्स
8. आर. के. भट्टाचार्या एण्ड कं.
9. बी. जी. चौधरी एण्ड कं.
10. एस. बनिक एण्ड कं.

केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक ने 20.09.2013 को वित्तीय वर्ष 2012-13 की लागत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा यह लागत अनुपालन रिपोर्ट को 26.09.2013 को XBRL मोड में एमसीए सहित दाखिल किया गया।

आभार

कंपनी के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में भारत सरकार, खास कर कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड को उनके द्वारा दिये गए अपरिमित सहयोग तथा बहुमूल्य दिशा-निर्देश के लिए आपके निदेशकगण धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण राज्य सरकार तथा इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को उनके सहयोग तथा कंपनी की बहुमूल्य सहायता के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशकगण सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा भारत सरकार के लेखा-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रचनात्मक परामर्शी के लिए भी आभार प्रकट करते हैं तथा उनके सतत सहयोग के लिए ऋणी हैं। वर्ष के दौरान कंपनी में उत्पादन तथा अन्य सभी गतिविधियों में अपनी पूरी स्वामिभक्ति के साथ सहायता पहुंचाने वाले कर्मचारियों तथा अपने सहयोग के लिए ट्रेड यूनियनों को भी धन्यवाद दिया जाता है।

परिशिष्ट

इस प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित को जोड़ा गया है।

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के अंतर्गत निदेशकों के प्रतिवेदन को कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) नियमावली 1975 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(3) के अंतर्गत निदेशक के प्रतिवेदन का परिशिष्ट।
3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी तथा भारतीय अंकेक्षक तथा लेखा परीक्षा विभाग द्वारा लेखा का पुनरीक्षण।

निदेशक मंडल की ओर से।

ह0/-

धनबाद

(टी. के. लाहिड़ी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

परिशिष्ट-1

वर्ष 2013-14 के दौरान अनुसंधान एवं विकास (आर एवं डी)

1. प्रौद्योगिकी अंतर्लयन अनुकूलन एवं नवीकरण।

यथा उल्लिखित प्रौद्योगिकी अंतर्लयन,अनुकूलन एवं नवीकरण के लिए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण। वर्तमान पंप एवं स्टोविंग व्यवस्था के साथ उच्च क्षमतावाली बालू भराई प्रौद्योगिकी स्थापित की गई है।

2. उपर्युक्त के फलस्वरूप प्राप्त लाभ

चूंकि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं, उपर्युक्त प्रयोग को लागू करके सफलतापूर्वक भूमिगत अगम्य खाली स्थानों में तेज गति से बालू भरा जा सकता है, ताकि सरफेस की जमीन को स्थिर करके सुरक्षित किया जा सके। इस तकनीक के माध्यम से भरे जाने वाले बालू की मात्रा पारंपरिक बालू भराई की मात्रा की तुलना में बहुत अधिक है।

आर. ऐंड डी. की इस योजना का प्रयोग बालू के अधिकतम अनुपात, जल का आयतन, एकल बोरहोल द्वारा अधिकतम दूरी तक पैकिंग, एकल बोर होल के माध्यम से खाली जगह की अधिकतम भराई इंपेलर की खपत जैसे अन्य पैरामीटरों के लिए आगे के परीक्षण हेतु किया गया।

3. इन वित्तीय वर्ष की शुरूआत से पहले के पांच वर्ष के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में आवश्यक सूचना नीचे दी गई है-

क. आयातित प्रौद्योगिकी	किसी भी नयी प्रौद्योगिकी का आयात/ इस्तेमाल नहीं हुआ।
ख. आयात वर्ष	लागू नहीं
ग. क्या प्रौद्योगिकी का पूर्णतः अंतर्लयन कर लिया गया है?	लागू नहीं
घ. यदि पूर्णतः अंतर्लयन नहीं किया गया तो वे क्षेत्र जहां यह नहीं किया गया है, उसका कारण तथा भविष्य की योजना तथा कार्रवाइयां।	लागू नहीं

कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (2013-14)

1. कारपोरेट का दर्शन (फिलॉसफि):

कानूनों, नियमों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर मूल्यों, नीतिपरक-आचार व्यवहार में पारदर्शिता, प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीएल कटिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल:

बीसीसीएल के अनुच्छेदों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल की संख्या तीन से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक अथवा अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

3 मंडल (बोर्ड) का संघटन

जैसा कि 31 मार्च, 2014 की स्थिति है, निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 कार्यकारी निदेशक, 2 गैर-अधिकारी निदेशक, 5 स्वतंत्र निदेशक हैं। इसके अलावे मंडल में दो स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

4. बोर्ड की बैठक

वर्ष के दौरान दिनांक 20.04.2013, 20.05.2013, 29.06.2013, 26.07.2013, 21.09.2013, 30.10.2013, 07.12.2013, 04.01.2014, 03.02.2014 एवं 12.03.2014 को बोर्ड की कुल 10 बैठकें हुई। वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड एवं आम बैठकों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशकों की श्रेणी	2013-14 के दौरान बोर्ड की बैठक की संख्या जिनमें उपस्थित हुए	गत ए जी एम (AGM) में उपस्थित हुए
1	श्री टी.के. लाहिड़ी	अध्यक्ष	10	हाँ
2	श्री बी.के. पंडा	निदेशक	3	नहीं
3	श्री डी.सी. झा	निदेशक	10	नहीं
4	श्री अमिताभ साहा	निदेशक	10	हाँ
5	श्री अशोक सरकार	निदेशक	10	नहीं
6	श्री एस.के. शाही	गैर-अधिकारी निदेशक	1	नहीं
7	श्री पॉल जोसेफ	स्वतंत्र निदेशक	8	नहीं
8	श्री बी. रमेश कुमार	स्वतंत्र निदेशक	9	नहीं
9	डॉ बी.बी. विस्वाल	स्वतंत्र निदेशक	8	नहीं
10	श्री एन. कुमार	गैर-अधिकारी निदेशक	6	नहीं
11	श्री एस.बी. घोष दस्तीदार	स्वतंत्र निदेशक	9	नहीं
12	श्री पी.आर. मंडल	स्वतंत्र निदेशक	6	नहीं

5. अंकेक्षण समितिः

क. संघटनः

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 292 ए के अनुसार उत्कृष्ट कारपोरेट अभिशासन के लिए वर्ष 2002 में बीसीसीएल के निदेशक मंडल की अंकेक्षण समिति गठित की गई है। बीसीसीएल की अंकेक्षण समिति में पांच स्वतंत्र निदेशक, एक कार्यकारी निदेशक, कोल इंडिया द्वारा नामित निदेशक, तथा एक सरकार द्वारा नामित निदेशक रहते हैं। स्वतंत्र निदेशकों

में से एक समिति के अध्यक्ष होते हैं। 31 मार्च, 2014 को अंकेक्षण समिति (बीसीसीएल निदेशक मंडल की एक उप-समिति) निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करके बनीः

1.	श्री पाल जोसेफ	:	अध्यक्ष
2.	श्री एन. कुमार	:	सदस्य
3.	श्री एस. के. शाही	:	सदस्य
4.	श्री डी. सी. झा	:	सदस्य
5.	श्री बी. रमेश कुमार	:	सदस्य
6.	डॉ बी.बी. विस्वाल	:	सदस्य
7.	श्री एस.बी. घोषदस्तीदार	:	सदस्य
8.	श्री पी. आर. मंडल	:	सदस्य

निदेशक (वित्त) एवं आंतरिक लेखा परीक्षण के प्रधान तथा सांविधिक लेखा-परीक्षकों को समिति के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए अंकेक्षण समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर समिति को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वरीय वित्त अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है।

ख. अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्रः

i) बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले वित्तीय विवरण का पुनरीक्षण।
ii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा।
iii) सरकारी अंकेक्षण तथा सांविधिक लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन की समीक्षा।
iv) कंपनी के मानक पैरामीटरों के अनुसार परिचालन कार्यों की समीक्षा।
v) कंपनी की परियोजनाओं तथा अन्य पूंजीगत योजनाओं की समीक्षा।
vi) कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षण निष्कर्षों/टिप्पणियों की समीक्षा।
vii) आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास।
viii) बोर्ड के द्वारा भेजे गए मुद्दों के साथ-साथ अन्य मामले का विशेष अध्ययन/ जांच-पड़ताल।

ग. अंकेक्षण समिति की बैठक तथा उपस्थितिः

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 19.04.2013, 20.05.2013, 28.06.2013, 25.07.2013, 20.09.2013, 30.10.2013, 06.12.2013, 04.01.2014, 03.02.2014 एवं 11.03.2014 को अंकेक्षण समिति की दस बैठकें संपन्न हुई। अंकेक्षण समिति की बैठकें, जिनमें सदस्य उपस्थित हुए, का विवरण इस प्रकार हैः-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	अंकेक्षण समिति की बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित हुए।
1.	श्री पॉल जोसेफ	अध्यक्ष	10
2.	श्री एन. कुमार	सदस्य	2
3.	श्री एस. के. शाही	सदस्य	0
4.	श्री एस. बी. घोस दस्तीदार	सदस्य	9
5.	श्री बी. रमेश कुमार	सदस्य	9
6.	डॉ. बी. बी. विस्वाल	सदस्य	8
7.	श्री डी. सी. झा	सदस्य	10
8.	श्री पी. आर. मंडल	सदस्य	6

घ. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:

दिनांक 31.10.2013 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक हुई थी, जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशकगण उपस्थित थे।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित हुए।
1.	श्री पॉल जोसेफ	अध्यक्ष	हाँ
2.	श्री एस. बी. घोस दस्तीदार	सदस्य	हाँ
3.	श्री बी. रमेश कुमार	सदस्य	हाँ
4.	डॉ. बी. बी. विस्वाल	सदस्य	हाँ
5.	श्री पी. आर. मंडल	सदस्य	हाँ

ड.) सततता विकास समिति की बैठक

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान दिनांक 27.07.2013, 20.09.2013, 05.12.2013, 04.02.2014, एवं 13.03.2014 को श्री बी. रमेश कुमार, स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सततता विकास समिति की पांच (5) बैठकें संपन्न हुई।

च) प्रधान निकाय की बैठक (जनरल बॉडी मिटिंग)

पिछले 3 वार्षिक आम सभा (जनरल बॉडी) की बैठक की तिथि, समय और स्थान इस प्रकार हैः-

वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थान
2012-13	27.05.2013	पूर्वाह्न 11.00 बजे	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद।
2011-12	26.05.2012	अपराह्न 01.00 बजे	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद।
2010-11	24.05.2011	पूर्वाह्न 11.30 बजे	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद।

छ) बी सी सी एल की शेयर होल्डिंग पद्धतिः

कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसके नामिती, बी सी सी एल के शेयर का 100% स्वामी हैं।

एम.ओ.यू. (MoU) के अनुसार –

1. बीसीसीएल पर यथा लागू डी पी ई द्वारा जारी कॉरपोरेट शासकीय दिशा-निर्देश का अनुपालनः **100%**
2. डी पी ई द्वारा प्रकाशित लोक उपक्रमों के सर्वेक्षण हेतु आंकड़ों की प्रस्तुति (डी पी ई दिशा-निर्देशों के साथ): **दिनांक 07.09.2013 को प्रस्तुत।**

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट ढांचे के अनुरूप वर्षांत 31 मार्च, 2013 हेतु भारत कोकिंग कोल लि. के वित्तीय विवरण के निर्माण का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अपने व्यावसायिक संस्थान द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण तथा प्रत्याभूत मानदंडों के अनुरूप निष्पक्ष लेखा परीक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत अपने विचार प्रकट करने के लिए जवाबदेह हैं। उनके द्वारा 24.05.2014 को प्रस्तुत उनके लेखा परीक्षण रिपोर्ट से यह पूरा किया गया ज्ञात होता है।

मैंने, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अंतर्गत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वर्षांत 31 मार्च, 2014 के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण कर लिया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यगत दस्तावेजों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है एवं यह मूलतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछेक लेखा प्रतिवेदनों के गिने-चुने परीक्षण तक ही सीमित है। मेरे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के आधार पर ऐसी कोई भी विशेष बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है जिसके आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की इस रिपोर्ट या इसके अनुपूरक भाग पर कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ओर से

ह0/-

(यशोधरा राय चौधरी)

वाणिज्य लेखा परीक्षण के

मुख्य निदेशक तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षण बोर्ड-II

कोलकाता

कोलकाता

दिनांक- 03.06.2014

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का उत्तर
सेवा में, **<u>भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सदस्य</u>** **i. वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट** हमने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 के संलग्नित वित्तीय विवरण जिसमें 31 मार्च, 2013 का तुलन पत्र एवं उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement) शामिल है, तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचनाओं का लेखा परीक्षण किया है। **ii. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व** कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखा मानदंडों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यप्रदर्शन एवं नकदी प्रवाह का सत्य एवं स्पष्ट चित्र दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आतंरिक नियंत्रण की रूप रेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण जो सत्य एवं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करें और जो वस्तुपरक गलत बयानबाजी से मुक्त हो, चाहे वह कपट से अथवा भूलवश ही क्यों न किया गया हो, शामिल है। **iii. लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व** हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर अपने लेखा परीक्षण के आधार पर मंतव्य प्रस्तुत करना है। हमने द इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा लेखा परीक्षण पर जारी मानदंडों के अनुरूप अपना किया है। उन मानदंडों के अनुसार हम तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए नैतिकता के साथ लेखा परीक्षण की योजना और इसका निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण तो नहीं है। किसी लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरणों में किये गए खुलासे एवं रकमों के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल रहती है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें वित्तीय विवरणों में दी गई गलत सूचनाओं के जोखिम का	

निर्धारण भी सम्मिलित है चाहे वे सूचनाएं कपट से दी गई हों या भूलवश। उन जोखिमों के निर्धारण करने में लेखा परीक्षक परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने हेतु कंपनी की वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं स्पष्ट प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा नीतियों एवं प्रबंधन द्वारा तैयार लेखा प्राक्लनों के औचित्य की उपयुक्तता के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किये हैं वे पर्याप्त हैं एवं हमारे लेखा परीक्षण संबंधी मंतव्यों के आधार के लिए उपयुक्त हैं।	
IV. अभिमत हमारे विचार से तथा हमारी सही जानकारी के मुताबिक और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण और इस पर आगे पैरा III.ख में हमारी दी गई उपर्युक्त टिप्पणियां जिसे टिप्पणी सं. "34" में लेखा पर दी गई अतिरिक्त टिप्पणियों के साथ पढ़ा गया, अधिनियम के अनुरूप वांछित तरीके से सूचनाएं प्रदान करती है तथा सामान्यतः भारत में स्वीकृत निम्नलिखित विषय में लेखा सिद्धांतों के समनुरूप सत्य और स्पष्ट हैं:- **क.** 31 मार्च, 2013 को कंपनी के व्यवसाय पर आधारित तुलन-पत्र के मामले में, **ख.** उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का लाभ-हानि लेखा के मामले में, और **ग.** उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के नकदी प्रवाह विवरण के मामले में।	
V. निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है:- **(क) i. सर्वे-ऑफ परिसंपत्तियां** टिप्पणी-10 (2घ) ऐसी परिसंपत्तियों को संदर्भित करता है, जिनका सक्रिय उपयोग बंद हो चुका है और जिन्हें विक्रय के लिए रखा गया है। इन्हें कुल बुक वैल्यू पर प्रतिधारित किया गया है और इन्हें आइसीएआइ (ICAI) के लिए ए एस 10-स्थाई परिसंपत्तियों हेतु लेखा द्वारा अनुशंसित इस तथ्य को सुनिश्चित किए बिना, कि बुक-मूल्य निवल वसूली योग्य मूल्य से कम है, बुक मूल्य में यानी लागत54 रहित मूल्यह्रास के रूप में रखा गया है जो कि एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड - 10 द्वारा संस्तुत हैं। इस सीमा तक अपेक्षित हानि, यदि है उसे लाभ व हानि लेखा-विवरण में स्वीकार नहीं किया जा सका है।	सर्वे-ऑफ वस्तुओं के लिए किसी सक्रिय बाजार मौजूद नहीं रहने के कारण, इन वस्तुओं का वास्तविक विक्रय मूल्य निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, पिछले आठ वर्षों के अंकेक्षित लेखा में यह भी देखा गया है कि सर्वे-ऑफ वस्तुओं को उनके लिखित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा गया।
ii. परिसंपत्तियों के ह्रास का प्रावधान	वाणिज्यिक विवेक के आधार पर लगातार

अनुपूरक टिप्पणियों का अनुच्छेद 2.10 (टिप्पणी 34), आइसीएआइ द्वारा जारी ए. एस. 28 के अनुसार निर्धारित, परिसंपत्तियों के ह्रास से संबन्धित है; पूर्वेक्षण, बोरिंग एवं विकास श्रेणी के अंतर्गत ₹ 56.57 करोड़ की राशि परिसंपत्तियों के ह्रास क्षति के रूप में निर्धारित की गई है।	घाटे में चल रही नकद निर्माण करने वाली ईकाइयों को हानि मानकर, इनके पूर्वेक्षण, बोरिंग एवं विकास पर विचार किया गया है। अन्य चल परिसंपत्तियां (यथा एचइएमएम (HEMM), वाहन आदि), जो सही हालत में हैं, को दूसरे स्थानों पर प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से, वृद्धि की प्रवृत्ति वाले अचल परिसंत्तियों (यथा भूमि एवं भवन) हैं, का प्रयोग दूसरे प्रयोगों में भी किया जा रहा है। अत: जो परिसंपत्तियां पूर्वेक्षण, बोरिंग एवं विकास से संबंधित नहीं हैं, उन्हें हानि नहीं माना गया है।
iii. मलबाहटाई (ओबीआर) का लेखाः लेखा नीति (टिप्पणी-33) के अनुच्छेद 16 में मलबाहटाई लेखा पद्धति का उल्लेख है। आईसीएआई द्वारा जारी ए.एस.-26 इंटैन्जिबल परिसंपत्तियों में विहित निर्देशों के अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा अतीत में विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों पर निर्भर रहते हुए यथास्थिति को बनाए रखा गया है ।	कंपनी के विशिष्ट लेखा नीति (टिप्पणी—33 का अनुच्छेद 16) के आलोक में ओबीआर लेखांकन का कार्य लगातार किया जा रहा है।
iv. जैसा कि लेखा-टिप्पणी-10.1 में विचार किया गया है, सरकारी अधिसूचना के आधार पर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद अधिग्रहित की गई परिसंपत्तियों तथा देनदारियों हेतु कन्वेंयंस डीड पर अमल किया जाना शेष है।	GSR/ 345.E दिनांकित 9 जुलाई, 1973 के आलोक में हस्तांतरण विलेख पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) कानून 1972 के साथ- साथ कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) कानून 1957 के तहत अधिगृहीत भूमि का दाखिल-खारिज (मुटेशन) करने का प्रश्न कानून संम्मत नहीं है, क्योंकि अभी भी इनके ऊपर केंद्र सरकार का अधिकार एवं हक है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए बीसीसीएल, एक सरकारी कंपनी को हस्तांतरित किया गया है।
V. आस्थगित कर एस-22 के अनुसार, आस्थगित कर के गैर- प्रावधानों के संबंध में अतिरिक्त टिप्पणियां (टिप्पणी 34) का अनुच्छेद 2.9.2	यह लेखा (टिप्पणी-34) के अतिरिक्त टिप्पणी के अनुच्छेद 2.9.2 पर उपयुक्त तरीके से बताया गया है।
VI. 52 नई एवं वर्तमान चालू खदानों के लिए खान बंदी लागत	कोयला मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशानिदेशों

प्रावधान से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियां (टिप्पणी 34) का अनुच्छेद 2.11.1.सी	के आलोक में सीएमपीडीआइएल द्वारा खान बंदी योजनाओं (MPs) को तैयार कर लिया गया है, जिसे बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा कोयला नियंत्रक जैसे सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। वर्ष 2013-14 के लिए खदानों के बंदी की कुल लागत को लेखा खाते में प्रावधानित कर दिया गया है। यह लेखा (टिप्पणी-34) के अतिरिक्त टिप्पणी के अनुच्छेद 2.9.2 पर संबंधित विवरण दिया गया है।
ख. हमने यह भी पाया कि अतिरिक्त टिप्पणियों (टिप्पणी 34) के अनुच्छेद 2.11.2 (।।) पूर्व के कुस्तौर क्षेत्र के ₹ 24.44 करोड़ की संभावित देयता को निकाल कर पी.बी. क्षेत्र के खातो में डालने से संबंधित है; अतिरिक्त टिप्पणियों (टिप्पणी 34) के अनुच्छेद 4.3, ₹ 5.03 करोड़ लिखित पूर्व देयता से संबंधित है और अतिरिक्त टिप्पणियों (टिप्पणी 34) के अनुच्छेद 4.4 पूर्व के कुस्तौर क्षेत्र के शेष बकाये को पी.बी. क्षेत्र के खातों में डालने से संबंधित है। जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर चलाई जा रही छानबीन/ जांच कार्य अभी प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, पूर्व के कुस्तौर क्षेत्र को पी.बी. क्षेत्र के खाते में, बिना विवरण के अग्रीम के बदले भुगतान करने का तब तक कोई प्रावधान नहीं है, जबतक कि वित्तीय विवरण के प्रभावस्वरूप छानबीन/ जांच का कोई अंतिम नतीजा नहीं निकलता।	सहमत। यह तथ्यात्मक विवरण है। जैसा कि यह अंकेक्षण द्वारा उल्लेखित लेखा (टिप्पणी-34) के अतिरिक्त टिप्पणी के अनुच्छेद 2.11.2 (।।),4.3 एवं 4.4 पर उपयुक्त तरीके से बताया गया है।
VI. **अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट:** 1. जैसा कि अधिनियम की धारा 227 की उपधारा 4(ए) के विषय में भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश,2003 की अपेक्षा है, हमलोग आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट विषय पर विवरण परिशिष्ट में देते हैं।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 227(3) के अनुसार अपेक्षा है, हमलोग सूचित करते हैं कि: क. हमारी जानकारी एवं विश्वास से जिन सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण की जरूरत हमारे लेखा परीक्षण के लिए थी, हमलोगों ने उन्हें प्राप्त किया है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
ख. हमारे विचार में अबतक के उन बहियों के हमारे परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा कानून के अनुसार समुचित लेखा बही रखें गए हैं।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
ग. इस रिपोर्ट में विचारित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बही के अनुरूप है,	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

घ. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित मानदंड के अनुरूप है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
ङ. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित मानदंड के अनुरूप है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
च. चूंकि केन्द्रीय सरकार ने यह अधिसूचना जारी नहीं की है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441, के तहत उपकर किस दर से भुगतान किया जाए, न ही उक्त धारा के अंतर्गत नियमों में से किसी नियम को जारी किया है जिसमें यह उल्लेख हो कि किस तरीके से उपकर का भुगतान किया जाए। इस आधार पर कंपनी के पास कोई उपकर बकाया नहीं है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
हस्ताक्षर कृते, आनंद रूंगटा एण्ड कं0 **चार्टर्ड एकाउंटेंट** फर्म पंजीकरण संख्या-000681C हस्ताक्षर एम. सी. मिद्या **भागीदार**, सदस्य सं0-072352 स्थान: धनबाद दिनांक : 24.05.2013	

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि वाली हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद VI.I में संदर्भित परिशिष्ट

जैसा हम लोगों ने उचित समझा, उस तरह की जांच के आधार पर तथा हमारे लेखा परीक्षण के दौरान हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमलोग सूचित करते हैं कि: **1.(क)**.कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति एवं मात्रात्मक विवरणों को सम्मिलित करते हुए पूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले अभिलेखों का समुचित रख-रखाव किया है।	सहमत। यद्यपि, इन बचे हुए क्षेत्रों में भी ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा।
(ख). जैसा कि बताया गया कि प्रबंधन द्वारा ₹1.00 लाख रुपये और उससे उपर की स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन एक नियत अंतराल पर किया जाता है। हालांकि, वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया, किंतु स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्टरों से उनका मिलान किया जाना लंबित है। ***प्रबंधन द्वारा ₹ 1.00 लाख से कम मूल्य की परिसंपत्तियों का सत्यापन नहीं किया गया है। यदि इसमें कोई विसंगति है, तो उसके बारे में हम अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।***	सहमत। यद्यपि, इन बचे हुए क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक मूल्य वाली परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन करने का प्रयास किया जाएगा। प्रबंधन,एक लाख रुपये से कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन, उनके नंबरों के आधार पर उपयुक्त अंतराल पर करेगा।
(ग). हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी परिसंपत्तियों में से किसी बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
2.(क). जैसा कि हमें बताया गया कि कोल इंडिया की टीम के द्वारा वर्ष के दौरान धुला हुआ कोयला तथा वाशरी उत्पादों का भौतिक सत्यापन किया गया है । ***कुछ क्षेत्रों को छोड़कर*** प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल एवं सतत आधार पर भंडार एवं अतिरिक्त पुरजों का भौतिक सत्यापन किया गया है।	सहमत। यद्यपि, इन बचे हुए क्षेत्रों के भंडार एवं अतिरिक्त पुरजों का भौतिक सत्यापन करने का प्रयास किया जाएगा।
(ख). हमारे विचार में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार यह पाया गया कि कंपनी द्वारा मालसूची के भौतिक सत्यापन के लिए अपनायी गई प्रक्रिया कंपनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति की दृष्टि से समुचित एवं पर्याप्त है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
(ग). हमारे विचार तथा अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर पाया गया कि कंपनी अपनी मालसूची के अभिलेखों का सामान्यतः उचित रख-रखाव कर रही है। विसंगतियों को उचित तरीके से लेखा-बही में विचार किया गया है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
3.(क) हम लोगों को दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा-बही के हमारे परीक्षण के आधार पर यह पाया गया कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के तहत तैयार की गई पंजी में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को निश्चित या अनिश्चित किसी प्रकार का ऋण स्वीकृत नहीं किया है। फलस्वरूप आदेश का खंड iii(ख), iii(ग) एवं iii(घ) कंपनी पर लागू नहीं है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।

4. हमारे विचार में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार सामग्रियों तथा स्थायी परिसंपत्तियों के क्रय के लिए तथा सामानों के विक्रय के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धति सामान्यतः कंपनी के आकार एवं इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है। अपने लेखा परीक्षा के दौरान हमें आंतरिक नियंत्रण में किसी कमजोरियों को ठीक करने में सतत असफलता का कोई बड़ा दृष्टांत नहीं दिखाई दिया है। फिर भी, सिजुआ और कतरास में सभी स्टाफ सदस्यों को विभिन्न प्रकार के अग्रिम भुगतान एवं उनकी वसूली तथा अधिक भुगतान के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रर्याप्त नहीं है। इसमें सुधार की गुंजाइश है। सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
5.(क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत तैयार की गई पंजी में प्रविष्टि लायक कोई लेन-देन नजर नहीं आई है। **(ख)** पैरा 5(क) में दी गई हमारी टिप्पणियों की दृष्टि से कीमती आदि की उपयुक्तता का प्रश्न ही नहीं उठता है	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
6. कंपनी ने अधिनियम, 1956 की धारा 58, तथा 58एए के तहत शामिल पब्लिक से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
7. हमारे विचार से कंपनी के पास कंपनी के आकार एवं इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली है। फिर भी, नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग करने हेतु आंतरिक अंकेक्षण को एक प्रभावी औजार बनाने के ख्याल से प्रणाली तथा प्रबंधन अंकेक्षण को बेहतर बनाने की संभावना है।	सहमत। कंपनी की आंतरिक अंकेक्षण को प्रभावकारी बनाने तथा व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, चार्टर्ड एकाउंटेंट/ कास्ट एकाउंटेंट को वित्तीय वर्ष 2011-12 से ही सीआइएल द्वारा निर्धारित मानक के आलोक में उनके योग्यता के आधार पर सतत अंकेक्षण के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण के रूप में नियुक्त किया गया है।
8. कंपनी द्वारा तैयार किये गए लागत अभिलेख अधिसूचना में ध्यान में रखे गए उद्देश्यों की व्यापक रूप से पूर्ति करते हैं।	कंपनियों पर लागू (कास्ट एकाउंटिंग रिकार्ड) नियम-2011 के अनुसार कंपनी द्वारा कास्ट रिकार्ड तैयार तथा उसका रख-रखाव किया गया है।
9.(क) हमे दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधिक बकाये के पास जिसमें भविष्य निधि, निवेशक शिक्षण तथा बचाव निधि, आयकर, संपत्तिकर, विक्रय कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उपकर एवं अन्य सांविधिक बकाया शामिल है, को उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा करने के मामले में नियमित है। हमें बताया गया कि कंपनी के उपर इम्पलाइज स्टेट इंस्यूरेंस कानून लागू नहीं है। 31 मार्च, 2014 को भुगतेय तिथि से छः महीने से अधिक अवधि की कोई अविवादित धनराशि भुगतेय नहीं है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
ख. हमें शाखा लेखा परिक्षकों द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 तक, विक्रय कर एवं अन्य बकाया का विवरण	शीघ्र समाधान के लिए प्रबंधन उचित प्राधिकारी के समक्ष मामला उठा रहा है।

परिशिष्ट-। में दिया गया हैः	
10. दिनांक 31.03.2000 के लेखा के आधार पर इस कंपनी को बीआइएफआर (BIFR) में भेज दिया गया था। यद्यपि, पिछले वर्ष के दौरान बीआइएफआर पीठ के निदेशों के अनुसार, यह कंपनी रुग्ण उद्योग नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसकी शुद्ध संपत्ति सकारात्मक हो गई है। हालांकि, कंपनी को संचित रूप से हानि हुई है किंतु हमारे अंकेक्षक द्वारा किए गए अंकेक्षण में वित्त वर्ष तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे नकद हानि नहीं हुई है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
11. प्रबंधन द्वारा दिए गए लेखा कार्यक्रम, सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, हम कह सकते हैं कि यह कंपनी किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या डिबेंचर धारक को भुगतान करने में असफल नहीं हुई है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
12. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इस कंपनी ने कोई शेयर, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
13. यह कंपनी कोई चिट फंड या निधि/ म्यूचूअल फंड कंपनी नहीं है। अत: कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) की धारा 4(xii) इस कंपनी पर लागू नहीं होता है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
14. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, यह कंपनी किसी शेयर, म्यूचूअल फंड एवं अन्य निवेशों का व्यापार नहीं करती है। अत: कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) की धारा 4(xiv) इस कंपनी पर लागू नहीं होता है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
15. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इस कंपनी ने किसी को भी किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण लेने के लिए कोई गारंटी नहीं दिया है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
16. हमारे अंकेक्षण प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस कंपनी ने इस वर्ष के दौरान कोई मियादी ऋण नहीं लिया है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
17. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा यथा 31 मार्च, 2014 के तुलन पत्र के समग्र जांच के आधार पर, हम कह सकते हैं कि इस कंपनी द्वारा किसी अल्पावधि निधि का इस्तेमाल किसी दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया गया है और विलोमतः।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
18. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इस कंपनी ने इस वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के तहत उल्लिखित पंजी में	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।

किसी पार्टी एवं कंपनी को पक्षपातपूर्ण तरीके से कोई शेयर आबंटित नहीं किया है।	
19. अंकेक्षण के तहत यह पाया गया है कि इस अवधि के दौरान कंपनी के पास कोई बकाया डिबेंचर नहीं है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
20. इस वर्ष के दौरान कंपनी ने सरकारी निर्गम (पब्लिक इश्यु) द्वारा कोई रकम प्राप्त नहीं किया है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
21. किए गए अंकेक्षण कार्यवाही एवं हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, हम कह सकते हैं कि इस वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा किसी प्रकार के धोखाधड़ी प्रकाश में नहीं आया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है और ना ही हमें प्रबंधन द्वारा इस प्रकार के किसी मामले की सूचना दी गई है।	चूंकि यह तथ्यात्मक विवरण है, अतः अलग से कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
हस्ताक्षर कृते, आनंद रूंगटा एण्ड कं0 **चार्टर्ड एकाउंटेंट** फर्म पंजीकरण संख्या-000681C हस्ताक्षर एम. सी. मिद्या **भागीदार**, सदस्य सं0-072352 स्थान: धनबाद दिनांक : 24.05.2013	

आकस्मिक देयता के अंतर्गत दिखाए गए विवादग्रस्त सांविधिक बकायों (आयकर, बिक्री कर, सेवा कर तथा रॉयल्टी आदि) का विवरण

31 मार्च 2014 के अनुसार

अनुबंध-I

राशि लाख में

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ संख्या	ममला संदर्भ दिनांक	राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
बरोरा							
1	रॉयल्टी अधिनियम	रॉयल्टी	40/79-80		0.38	1979-80	प्रमाणन अधिकारी, धनबाद
2	- वही -	- वही -	18/90-91		2.12	1990-91	- वही -
3	- वही -	- वही -	70/94-95		0.23	1994-95	- वही -
4	- वही -	- वही -	59/94-95		28.99	1994-95	- वही -
5	- वही -	- वही -	58/01-02		104.88	2001-02	- वही -
			कुल		**136.60**		
1	सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	केटी-सीएसटी-18/08-09		3.74	2002-03	डी.सी.सी.टी. ,कतरास
2	बीएसटी अधिनियम	बीएसटी	केटी-एसटी-19/08-09		(3.90)	2003-04	डी.सी.सी.टी. ,कतरास
3	सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	केटी-सीएसटी-25/08-09		(22.98)	2003-04	डी.सी.सी.टी. ,कतरास
4	बीएसटी अधिनियम	बीएसटी	केटी-एसटी-21/08-09		2.21	2004-05	डी.सी.सी.टी. ,कतरास
5	सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	केटी-सीएसटी-29/08-09		(20.66)	2004-05	डी.सी.सी.टी. ,कतरास
6	बीएसटी अधिनियम	बीएसटी	केटी-एसटी-1/09-10		(10.23)	2005-06	डी.सी.सी.टी. ,कतरास
7	सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	केटी-सीएसटी-02/09-10		22.62	2005-06	डी.सी.सी.टी. ,कतरास
8	झारखंड वैट अधिनियम	झारखंड वैट	केटी-वैट-17/12-13		35.91	2006-07	डी.सी.सी.टी. ,कतरास
9	सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	केटी-सीएसटी-27/12-13		67.52	2006-07	डी.सी.सी.टी. ,कतरास
10	झारखंड वैट अधिनियम	झारखंड वैट	केटी-वैट-06/10-11		214.57	2007-08	डी.सी.सी.टी. ,कतरास
11	सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	केटी-सीएसटी-06/10-11		96.47	2007-08	डी.सी.सी.टी. ,कतरास
12	झारखंड वैट अधिनियम	झारखंड वैट	केटी-वैट-03/11-12		183.46	2008-09	डी.सी.सी.टी. ,कतरास
13	सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	केटी-सीएसटी-01/11-12		(7.99)	2008-09	डी.सी.सी.टी. ,कतरास
14	झारखंड वैट अधिनियम	झारखंड वैट	केटी-वैट-03/13-14		469.44	2009-10	जे.सी.सी.टी. ,धनबाद
15	सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	केटी-सीएसटी-02/13-14		233.48	2009-10	जे.सी.सी.टी. ,धनबाद
16	झारखंड वैट अधिनियम	झारखंड वैट	आवंटित नहीं		438.93	2010-11	सी.सी.टी. , रांची
16	सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	आवंटित नहीं		801.66	2010-11	सी.सी.टी. , रांची
16	सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	आवंटित नहीं		651.45	2011-12	सी.सी.टी. , रांची
			कुल		**3,155.70**		
ब्लॉक- II							
क)	**विवादग्रस्त सांविधिक बकाया - वाणिज्य कर**						
1	वाणिज्य कर	अपील के अंतर्गत लंबित बिक्री कर	केटी/एसटी -58 /90-91,केटी/सीएसटी-26		11.41	1990-91	जेसीसीटी धनबाद
2	वाणिज्य कर	- वही -	केटी/एसटी - 11 /93-94 ,केटी/सीएसटी - 9		39.73	1993-94	जेसीसीटी धनबाद
3	वाणिज्य कर	- वही -	केटीएस / 1 / 97 - 98, केटीसीएसटी / 1		36.58	1997-98	जेसीसीटी धनबाद
4	वाणिज्य कर	- वही -	केटीबीएसटी / 42 / 97-98 , केटीसीएसटी/25		25.20		जेसीसीटी धनबाद

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ संख्या	दिनांक	राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
5	वाणिज्य कर	- वही -	केटीबीएसटी/43	/97-98,केटीसीएसटी/26	14.89		जेसीसीटी धनबाद
6	वाणिज्य कर	- वही -	केटीबीएसटी/44	/ 97-98,केटी/सीएसटी/27	147.38		जेसीसीटी धनबाद
7	वाणिज्य कर	- वही -	केटीसीएसटी/2	/2002-03	0.58		जेसीसीटी धनबाद
8	वाणिज्य कर	- वही -	केटी/एसटी/18/ 98 - 99		3.07		जेसीसीटी धनबाद
9	वाणिज्य कर	- वही -	केटी/बीएसटी /	94-95,केटी/एसटी/24	26.25		जेसीसीटी धनबाद
10	वाणिज्य कर	- वही -	केटी/सीएसटी-5	/99 - 2के	2.14		जेसीसीटी धनबाद
11	वाणिज्य कर	- वही -	केटी/एसटी/8/01-02, केटी/सीएसटी/4/01-02		38.17		जेसीसीटी धनबाद
12	वाणिज्य कर	- वही -	केटीसीएसटी/91	2001-02 ,केटी-एसटी/13	4.71		जेसीसीटी धनबाद
13	वाणिज्य कर	- वही -	दायर किए गए अधिक देय के लिए सुधार		97.07		जेसीसीटी धनबाद
			कुल		**447.18**		
1	जिला खनन अधिकारी	रॉयल्टी विवाद अपील के अंतर्गत लंबित	सीसी-120/93-94		18.78	1991-92	प्रमाणन अधिकारी धनबाद
2	जिला खनन अधिकारी	रॉयल्टी विवाद अपील के अंतर्गत लंबित	सीसी-21/96-97		24.44	1994-95	प्रमाणन अधिकारी
3	जिला खनन अधिकारी	फायर क्ले संबंधी रॉयल्टी के विवाद का मूल्यांकन अपील के अंतर्गत लंबित	सीसी-98/93-94		161.52	1993-94	प्रमाणन अधिकारी धनबाद
			कुल		**204.74**		

गोविन्दपुर

रॉयल्टी मामलों की अनुसूची [31.03.2014 के अनुसार]

1	सार्वजनिक मांग नियम	सांविधिक बकाया	12/86-87[आर]	0.88	1986-87	प्रमाणन कार्यालय, धनबाद
2	सार्वजनिक मांग नियम	सांविधिक बकाया	66/94-95	204.46	1994-95	सर्वोच्च न्यायालय
3	सार्वजनिक मांग नियम	सांविधिक बकाया	13/00-01	3.14	2000-01	प्रमाणन कार्यालय, धनबाद
			कुल:	**208.49**		
1	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/29/89-90	2.42	72-73	निचली अदालत में अपील
2	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/17/89-90	1.79	72-73	- वही -
3	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/30/89-90	4.77	73-74	- वही -
4	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/21/89-90	5.55	73-74	- वही -
5	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/31/89-90	4.48	74-75	- वही -
6	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/18/89-90	9.02	74-75	- वही -
7	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/28/89-90	2.38	72-73	जेसी (अपील)
8	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/20/89-90	1.79	72-73	- वही -
9	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/36/89-90	4.74	74-75	- वही -
10	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/22/89-90	6.02	74-75	- वही -

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ		राशि	राशि से	फोरम, जहां
			संख्या	दिनांक		संबन्धित अवधि	मामला लंबित है
11	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एस/23/85-86		0.12	73-74	निचली अदालत
12	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/19/85-86		3.03	73-74	- वही -
13	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/61/85-86		0.00	75-76	- वही -
14	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/38/84-86		12.29	75-76	- वही -
15	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/68/85-86		0.00	75-76	- वही -
16	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/37/85-86		0.57	75-76	- वही -
17	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/60/85-86		0.02	75-76	- वही -
18	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/32/89-90		8.17	76-77	- वही -
19	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/19/89-90		7.70	76-77	- वही -
20	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/6/89-90		5.67	77-78	- वही -
21	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/2/89-90		8.26	77-78	- वही -
22	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/27/87-88		1.67	78-79	- वही -
23	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/28/78-79		5.75	78-79	- वही -
24	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/33/87-88		4.26	79-80	- वही -
25	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/34/87-88		13.19	79-80	- वही -
26	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/789-90		0.22	80-81	- वही -
27	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/3/89-90		44.14	80-81	- वही -
28	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएस/41/89-90		1.54	81-82	उच्च न्यायालय
29	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/25/89-90		15.85	81-82	- वही -
30	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/42/89-90		0.36	82-83	- वही -
31	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/26/89-90		48.19	82-83	- वही -
32	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/		4.31	83-84	- वही -
33	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/		100.24	83-84	- वही -
34	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/45/90-91		4.53	84-85	- वही -
35	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/23/90-91		38.23	84-85	- वही -
36	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/46/90-91		24.21	85-86	- वही -
37	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/24/90-91		96.85	85-86	- वही -
38	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/66/90-91		0.35	86-87	- वही -
39	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/31/90-91		38.08	86-87	- वही -
40	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी/2/91-92		4.67	87-88	- वही -
41	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी/2/91-92		161.08	87-88	- वही -
42	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी		7.28	88-89	निचली अदालत
42ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी		10.22	88-89	- वही -
43	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी		10.12	89-90	- वही -
43ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी		53.05	89-90	- वही -
44	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी		1.11	90-91	- वही -
44ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी		114.95	90-91	- वही -
45	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी		19.40	91-92	- वही -
45ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी		119.51	91-92	- वही -

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ संख्या	दिनांक	राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
46	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी		2.28	92-93	- वही -
46ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी		145.47	92-93	- वही -
47	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी		7.58	93-94	- वही -
47ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएस		313.40	93-94	- वही -
48	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी		30.79	94-95	- वही -
48ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी		33.40	94-95	- वही -
49	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी		92.32	95-96	- वही -
49ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी		16.95	95-96	- वही -
50	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी		29.49	96-97	- वही -
50ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी		208.55	96-97	- वही -
51	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी		53.53	97-98	- वही -
51ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी		50.69	97-98	- वही -
52	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी		61.30	98-99	- वही -
52ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी		5.55	98-99	- वही -
53	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/एसटी		0.30	99-00	- वही -
53ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	केटी/सीएसटी		1.25	99-00	जेसीसीटी (अपील) के समक्ष लंबित अपील
54	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	जेएसटी		0.00	00-01	- वही -
54ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	सीएसटी		6.93	00-01	- वही -
55	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	जेएसटी		2.37	01-02	- वही -
55ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	सीएसटी		22.88	01-02	- वही -
56	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	जेएसटी		23.28	03-04	- वही -
56ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	सीएसटी		76.87	03-04	- वही -
57	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	जेएसटी		62.20	2004-05	- वही -
57ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	सीएसटी		1.42	2004-05	- वही -
58	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	जेएसटी		8.13	2005-06	- वही -
58ए	जेएसटी/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	सीएसटी		10.70	2005-06	- वही -
59	झारखंड वैट/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	झारखंड वैट		82.46	2006-07	- वही -
59ए	झारखंड वैट/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	सीएसटी		534.11	2006-07	- वही -
60	झारखंड वैट/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	झारखंड वैट		113.22	2007-08	- वही -
60ए	झारखंड वैट/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	सीएसटी		126.58	2007-08	- वही -
61	झारखंड वैट/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	झारखंड वैट		200.36	2008-09	- वही -
61ए	झारखंड वैट/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	सीएसटी		29.40	2008-09	- वही -
62	झारखंड वैट/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	झारखंड वैट		152.66	2009-10	- वही -
62ए	झारखंड वैट/ सीएसटी	सांविधिक बकाया	सीएसटी		158.61	2009-10	- वही -
			कुल:-		3697.20		

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ संख्या	दिनांक	राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
कतरास							
14	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर			42.42	2008-2009	टीडीएस अपील, धनबाद
29	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर			9.64	2009-2010	टीडीएस अपील, धनबाद
51	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर			100.73	2010-2011	टीडीएस अपील, धनबाद
77	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर			156.10	2011-2012	टीडीएस सीपीसी
98	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर			125.86	2012-2013	टीडीएस सीपीसी
106	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर			6.10	2013-2014	टीडीएस सीपीसी
		कुल			**440.85**		
	बिहार बिक्री कर:						
1	बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947	बीएसटी			6.13	1998-1999	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
2	बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947	बीएसटी			0.52	1999-2000	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
3	बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947	बीएसटी			6.99	2000-2001	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
	उप- योग				**13.64**		
	झारखंड बिक्री कर:						
1	बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947	जेएसटी			0.50	2001-2002	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
2	बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947	जेएसटी			1.51	2002-2003	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
3	बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947	जेएसटी			8.98	2003-2004	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
4	बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947	जेएसटी			2.50	2004-2005	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
5	बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947	जेएसटी			33.13	2005-2006	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
	उप- योग				**46.62**		
	झारखंड वैट:						
1	झारखंड वैट अधिनियम 05	झारखंड वैट			110.23	2006-2007	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
2	झारखंड वैट अधिनियम 05	झारखंड वैट			2.59	2007-2008	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
3	झारखंड वैट अधिनियम 05	झारखंड वैट			139.21	2008-2009	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
4	झारखंड वैट अधिनियम 05	झारखंड वैट			405.41	2009-2010	जे.सी.सी.टी. (अपीला)
5	झारखंड वैट अधिनियम 05	झारखंड वैट			316.54	2010-2011	सी.सी.टी. (रांची)
	उप- योग				**973.99**		
	सीएसटी:						
1	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			1.24	1998-99	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
2	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			11.13	1999-2000	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
3	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			9.90	2000-2001	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
4	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			9.30	2001-2002	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
5	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			511.01	2002-2003	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
6	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			8.95	2003-2004	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
7	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			57.33	2004-2005	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
8	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			1.00	2005-2006	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
9	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			162.15	2006-2007	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
10	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			100.00	2007-2008	डी.सी.सी.टी. (कतरास)

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ संख्या	दिनांक	राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
11	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			15.46	2008-2009	डी.सी.सी.टी. (कतरास)
12	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			162.79	2009-2010	जे.सी.सी.टी. (अपील)
13	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			216.72	2010-2011	सी.सी.टी. (रांची)
14	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी			728.74	2011-2012	सी.सी.टी. (रांची)
	उप- योग				**1995.72**		
	कुल बिक्री कर				**3029.97**		

सिजुआ

	सेवा कर अधिनियम	सेवा कर			4.56		
1	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	11/91-92		65.80	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
2	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	19/91-92		85.78	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
3	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	12/92-93		143.29	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
4	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	20/92-93		20.40	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
5	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	13/93-94		83.27	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
6	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	21/93-94		100.30	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
7	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	14/98-99		8.45	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
8	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	22/98-99		1.44	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
9	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	15/2002-03		50.01	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
10	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	23/2002-03		30.94	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
11	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	24/2003-04		303.37	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
12	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	25/2004-05		199.85	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
13	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	16/2005-06		41.32	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
14	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	26/2005-06		1384.76	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
15	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	2006-07		237.03		संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
16	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	2006-07		399.13		संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
17	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	2008-09		368.03		संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
18	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	2008-09		640.69		संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
19	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम /झारखंड वैट अधिनियम	सीएसटी/झारखंड वैट	2011-12		273.60		संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
				कुल	**4437.46**		

कुसुंडा

		31/03/2014 को					
1	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	कर मूल्यांकित लेकिन अभ्यापत्ति सन्नित	सीसी(एस)-349/91-92		26.68	1979-80	अपीलीय न्यायालय
2	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	सीसी(एस)-249/91-92		63.12	1983-84	अपीलीय न्यायालय

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ		राशि	राशि से	फोरम, जहां
			संख्या	दिनांक		संबन्धित अवधि	मामला लंबित है
3	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-122/90-91	डीएच-सीएसटी-139/90-91	69.15	1987-88	अपीलीय न्यायालय
4	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-78/91-92	डीएच-सीएसटी-86/91-92	58.27	1988-89	अपीलीय न्यायालय
5	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-26/05-06	डीएच-सीएसटी-44/05-06	104.06	1989-90	अपीलीय न्यायालय उसके बाद निचली अदालत
6	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-87/96-97	डीएच-सीएसटी-52/96-97	70.54	1990-91	अपीलीय न्यायालय
7	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-88/96-97	डीएच-सीएसटी-53/96-97	74.12	1991-92	अपीलीय न्यायालय
8	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-110/00-01	डीएच-सीएसटी-69/00-01	78.22	1992-93	अपीलीय न्यायालय
9	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-92/97-98	डीएच-सीएसटी-87/97-98	144.56	1993-94	अपीलीय न्यायालय
10	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-87/98-99	डीएच-सीएसटी-79/98-99	23.59	1994-95	अपीलीय न्यायालय
11	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-132/97-98	डीएच-सीएसटी-135/97-98	16.61	1995-96	अपीलीय न्यायालय
12	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-37/05-06	डीएच-सीएसटी-59/05-06	72.29	1996-97	अपीलीय न्यायालय
13	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-118/00-01	डीएच-सीएसटी-78/00-01	100.63	1997-98	अपीलीय न्यायालय उसके बाद निचली अदालत
14	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-26/05-06	डीएच-सीएसटी-44/05-06	142.65	1998-99	अपीलीय न्यायालय
15	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -			27.66	1999-00	अपीलीय न्यायालय
16	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-05/03-04	डीएच-सीएसटी-4/03-04	9.54	2000-01	अपीलीय न्यायालय
17	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-36/05-06	डीएच-सीएसटी-58/05-06	495.99	2001-02	अपीलीय न्यायालय
18	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	डीएच-एसटी-30/08-09	डीएच-सीएसटी-38/08-09	25.92	2002-03	अपीलीय न्यायालय
19	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक			2003-04	अपीलीय न्यायालय
20	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	अपील दायर		128.44	2004-05	अपीलीय न्यायालय उसके बाद निचली अदालत
21	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	वही		425.66	2005-06	अपीलीय न्यायालय उसके बाद निचली अदालत

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ संख्या	दिनांक	राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
22	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	वही		977.63	2006-07	अपीलीय न्यायालय
23	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	अपील दायर		381.97	2007-08	अपीलीय न्यायालय
24	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	अपील दायर		317.25	2008-09	अपीलीय न्यायालय
25	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	अपील प्रक्रियाधीन		491.78	अप्रैल 11 - जून 11	न्यायाधिकरण, रांची
26	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम/ बीएसटी अधिनियम	- वही -	अपील प्रक्रियाधीन		1116.57	2009-10	अपीलीय न्यायालय
		कुल			**5442.90**		
	रॉयल्टी				**10.30**		

पुटकी बलिहारी क्षेत्र

क) कोयले पर रॉयल्टी

1	रॉयल्टी	151/93-94	223.61	1992-93	प्रमाणन अधिकारी धनबाद
2	रॉयल्टी	53/94-95	24.6	1994.95	प्रमाणन अधिकारी धनबाद
3	रॉयल्टी	29/95-96	393.16	1992-93	प्रमाणन अधिकारी धनबाद
4	रॉयल्टी	4/95-96	17.93	03/1993 &	प्रमाणन अधिकारी धनबाद
5	रॉयल्टी	14/96-97	0.43	1996-97	प्रमाणन अधिकारी धनबाद
6	रॉयल्टी	37/99-2000	44.57	04/1996	प्रमाणन अधिकारी धनबाद
7	रॉयल्टी	8/2000-01	24.14	2000-01	प्रमाणन अधिकारी धनबाद
8	अन्य		559.11		प्रमाणन अधिकारी धनबाद
		कुल	**1287.55**		

ख). बिक्री कर

1	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर	14.30	1990-91	निचली अदालत ,धनबाद.
2	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर	82.68	1991-92	न्यायाधिकरण, रांची
3	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर	123.95	1992-93	निचली अदालत ,धनबाद.
4	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर	29.45	1993-94,	जेसी (अपील),धनबाद
5	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर	19.77	1995-96	जेसी (अपील),धनबाद
6	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर	231.37	1996-97	निचली अदालत ,धनबाद.
7	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर	169.79	1997-98	जेसी (अपील),धनबाद
8	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर	158.89	1998-99	निचली अदालत ,धनबाद.
9	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर	43.74	1999-2000	निचली अदालत ,धनबाद.
10	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर	401.59	2001-2002	निचली अदालत ,धनबाद.
11	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर	0.06	2001-2002	अपील के बाद ए. ओ.
12	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर	242.13	2004-2005	जे.सी. (सी.टी.) अपील, धनबाद

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ संख्या	दिनांक	राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
13	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर			329.37	2005-06	जे.सी. (सी. टी.) अपील,
14	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर			400.18	2006-07	जे.सी. (सी. टी.) अपील,
15	सीएसटी अधिनियम / झारखंड वैट अधिनियम	बिक्री कर			420.00	20007-08	जे.सी. (सी. टी.) अपील,
	कुल=>>				**2667.27**		
	शून्य	**बिक्री कर**			**2469.37**	वही	
					5136.64		

बस्ताकोला

1	जिला खनन अधिकारी	स्टॉक कमी के विरुद्ध रॉयल्टी	1/95-96		408.63	1995-96	जिला खनन अधिकारी
2	जिला खनन अधिकारी	स्टॉक कमी के विरुद्ध रॉयल्टी	2/95-96		13.31	1995-96	जिला खनन अधिकारी
3	जिला खनन अधिकारी	स्टॉक कमी के विरुद्ध रॉयल्टी	3/95-96		36.51	1995-96	जिला खनन अधिकारी
4	जिला खनन अधिकारी	रॉयल्टी के विरुद्ध ब्याज	16/90-91		0.19	1990-91	जिला खनन अधिकारी
5	जिला खनन अधिकारी	रॉयल्टी के विरुद्ध ब्याज	36/91-92		0.68	1991-92	जिला खनन अधिकारी
6	जिला खनन अधिकारी	रॉयल्टी के विरुद्ध ब्याज	5/95-96		46.78	1995-96	जिला खनन अधिकारी
7	जिला खनन अधिकारी	रॉयल्टी के विरुद्ध ब्याज	11/00-01		3.22	2000-01	जिला खनन अधिकारी
8	जिला खनन अधिकारी	रॉयल्टी के विरुद्ध ब्याज	40/79-80		1.89	1979-80	जिला खनन अधिकारी
9	जिला खनन अधिकारी	स्टॉक कमी के विरुद्ध रॉयल्टी	48/79-80		0.24	1979-80	जिला खनन अधिकारी
10	जिला खनन अधिकारी	स्टॉक कमी के विरुद्ध रॉयल्टी	68/80-81		5.23	1980-81	जिला खनन अधिकारी
		कुल	**0**		**516.68**		

1	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी37/87-88	जेएच सीएसटी5/87-88	626 6.26	1987-88	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
2	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 87/87-88	जेएच सीएसटी 7/87-88	1.00 15.90	1987-88	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
3	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 39/87-88	जेएच सीएसटी 7/87-88	3.18 6.88	1987-88	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
4	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 40/87-88	जेएच सीएसटी 8/87-88	0.27 8.21	1987-88	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
5	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 58/88-89	जेएच सीएसटी 8/88-89	0.45 18.29	1988-89	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
6	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 53/89-90	जेएच सीएसटी 9/89-90	9.24 35.44	1989-90	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
7	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 54/89-90	जेएच सीएसटी 10/89-90	33.65 44.98	1989-90	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
8	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 64/89-90	जेएच सीएसटी 13/89-90	52.59 41.19	1989-90	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
9	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 65/89-90	जेएच सीएसटी 14/89-90	12.31 141.15	1989-90	डीसीसीटी, झरिया सर्किल

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ		राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
			संख्या	दिनांक			
10	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 66/89-90	जेएच सीएसटी 15/89-90	38.85 45.45	1989-90	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
11	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 77/89-90	जेएच सीएसटी 18/89-90	36.59 99.52	1989-90	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
12	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 78/89-90	जेएच सीएसटी 17/89-90	13.78 103.47	1989-90	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
13	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 94/90-91	जेएच सीएसटी 14/90-91	32.70 36.44	1990-91	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
14	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी (वित्त वर्ष 89-90)	जेएच सीएसटी	118.01 161.98	1989-90	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
15	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 59/94-95	जेएच सीएसटी 9/94-95	1.87 17.31	1994-95	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
16	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 3/95-96	जेएच सीएसटी 4/95-96	86.58 313.85	1995-96	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
17	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी 34/95-96	जेएच सीएसटी 10/95-96	40.39 159.12	1995-96	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
18	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी /95-96	जेएच सीएसटी /95-96	47.28 138.60	1995-96	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
19	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी /95-96	जेएच सीएसटी /95-97	56.89 176.28	1995-96 1996-97	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
20	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी /95-96	जेएच सीएसटी /95-98	73.62 71.00	1995-96 1995-98	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
21	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी /95-96	जेएच सीएसटी /95-99	3.47 10.55	1995-96 1995-99	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
22	डीसीसीटी, झरिया सर्किल	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी (वित्त वर्ष 97-98)	जेएच सीएसटी	-20.58 46.98	1997-98	डीसीसीटी, झरिया सर्किल
23	जेसीसीटी अपीलीय	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी (वित्त वर्ष 98-99)	जेएच सीएसटी	40.33 719.18	1998-99	जेसीसीटी अपीलीय धनबाद
24	जेसीसीटी अपीलीय	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी (वित्त वर्ष 99-00)	जेएच सीएसटी	27.28 58.65	1999-00	जेसीसीटी अपीलीय धनबाद
25	जेसीसीटी अपीलीय	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी (वित्त वर्ष 00-01)	जेएच सीएसटी	0.42 0.66	2000-01	जेसीसीटी अपीलीय धनबाद
26	जेसीसीटी अपीलीय	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी (वित्त वर्ष 01-02)	जेएच सीएसटी	0.54 -3.25	2001-02	जेसीसीटी अपीलीय धनबाद
27	जेसीसीटी अपीलीय	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी (वित्त वर्ष 02-03)	जेएच सीएसटी	166.98 54.57	2002-03	जेसीसीटी अपीलीय धनबाद
28	जेसीसीटी अपीलीय	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी (वित्त वर्ष 03-04)	जेएच सीएसटी	59.88 0.00	2003-04	जेसीसीटी अपीलीय धनबाद

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ		राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
			संख्या	दिनांक			
29	जेसीसीटी अपीलीय	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी (वित्त वर्ष 84-85)	जेएच सीएसटी	40.69 15.38	1984-95	जेसीसीटी अपीलीय धनबाद
30	जेसीसीटी अपीलीय	सीएसटी एवं वैट	जेएच एसटी (वित्त वर्ष 85-86)	जेएच सीएसटी	33.90 23.91	1985-86	जेसीसीटी अपीलीय धनबाद
31	जेसीसीटी अपीलीय	सीएसटी एवं वैट	सीएसटी (वित्त वर्ष 86-87)		25.48	1986-87	जेसीसीटी अपीलीय धनबाद
32	आयुक्त (प्रशा.) रांची	सीएसटी एवं वैट	2004-2005 वैट		125.12	2004-05	आयुक्त अपीलीय रांची
	आयुक्त (प्रशा.) रांची	सीएसटी एवं वैट	2004-2005 सीएसटी		6.89	2004-05	आयुक्त अपीलीय रांची
33	आयुक्त (प्रशा.) रांची	सीएसटी एवं वैट	2005-2006 वैट		154.83	2005-06	आयुक्त अपीलीय रांची
	आयुक्त (प्रशा.) रांची	सीएसटी एवं वैट	2005-2006 सीएसटी		6.01	2005-06	आयुक्त अपीलीय रांची
33	आयुक्त (प्रशा.) रांची	सीएसटी एवं वैट	2006-2007 वैट		16.78	2006-07	आयुक्त अपीलीय रांची
	आयुक्त (प्रशा.) रांची	सीएसटी एवं वैट	2006-2007 सीएसटी		0.62	2006-07	आयुक्त अपीलीय रांची
35	जेसीसीटी अपीलीय	सीएसटी एवं वैट	2011-12		4.63	2011-12	जेसीसीटी अपीलीय
36	आयुक्त (प्रशा.) रांची	सीएसटी एवं वैट	2008-09		205.73 31.95	2008-09	आयुक्त अपीलीय रांची
37	आयुक्त (प्रशा.) रांची	सीएसटी एवं वैट	2007-08		193.02 336.91	2007-08	डी सी वाणिज्य कर(अपील) वैट / सीएसटी
38	जेसीसीटी अपीलीय	सीएसटी एवं वैट	2009-10		473.62	2009-10	जेसीसीटी अपीलीय
39	जेसीसीटी अपीलीय	सीएसटी एवं वैट	2013-14		6.86	2013-14	जेसीसीटी अपीलीय
				कुल	**5244.19**		
लोदना							
1	खान एवं खनिज अधिनियम	रॉयल्टी	46/79-80		1.35	1979-80	प्रमाणन अधिकारी धनबाद
2	खान एवं खनिज अधिनियम	रॉयल्टी	53/79-80		1.59	1979-80	प्रमाणन अधिकारी धनबाद
3	खान एवं खनिज अधिनियम	रॉयल्टी	41/94-95		81.24	1994-95	सर्वोच्च न्यायालय
4	खान एवं खनिज अधिनियम	रॉयल्टी	11/98-99		15.5	1998-99	सर्वोच्च न्यायालय
5	खान एवं खनिज अधिनियम	रॉयल्टी	36/94-95		1.27	1994-95	प्रमाणन अधिकारी धनबाद
				उप- योग	**100.95**		
1	जेएसटी	जेएसटी	1638/07-08		1.07	2000-2001	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
2	सीएसटी	सीएसटी	1638/07-08		0.9	2000-2001	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ		राशि	राशि से	फोरम, जहां
			संख्या	दिनांक		संबन्धित अवधि	मामला लंबित है
3	जेएसटी	जेएसटी	1638/07-08		6.98	2001.2002	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
4	सीएसटी	सीएसटी	1638/07-08		0.65	2001-2002	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
5	जेएसटी	जेएसटी	02(08-09)		4.72	2002-2003	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
6	सीएसटी	सीएसटी	02(08-09)		0.51	2002-2003	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
7	जेएसटी	जेएसटी	02(08-09)		41.24	2003-2004	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
8	सीएसटी	सीएसटी	02(08-09)		539.3	2003-2004	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
9	जेएसटी	जेएसटी	01(09-10)		12.82	2004-2005	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
10	सीएसटी	सीएसटी	01(09-10)		41.54	2004-2005	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
11	जेएसटी	जेएसटी	14(09-10)		26.16	2005-2006	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
12	सीएसटी	सीएसटी	06(09-10)		43.76	2005-2006	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
13	झारखंड वैट	झारखंड वैट	1643/10-11		-34.18	2007-2008	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
14	सीएसटी	सीएसटी	1643/10-11		81.86	2007-2008	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
15	झारखंड वैट	झारखंड वैट	01(11-12)		19.5	2008-2009	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
16	सीएसटी	सीएसटी	01(11-12)		143.21	2008-2009	जे.सी.सी.टी. अपीलीय, धनबाद
17	झारखंड वैट	झारखंड वैट	05(13-14)		160.01	2009-2010	जे.सी. रांची
18	सीएसटी	सीएसटी	05(13-14)		274.83	2009-2010	जे.सी. रांची
			उप- योग		**1364.88**		

पूर्वी झरिया, भौरा

रॉयल्टी

1		स्टॉक कमी पर रॉयल्टी अमलाबाद	68/80-81	5.23	1977	प्रमाणन अधिकारी (खनन) धनबाद
2		- वही -	47/79-80	4.18	1971-72	प्रमाणन अधिकारी (खनन) धनबाद
3			डबल्यूपी©5435/2004	3.81	2007	सिविल अपील बीसीसीएल बनाम झारखंड राज्य
			कुल	**13.22**		

बिक्री कर

4			जेएच सीएसटी 2/2006-07	330.61	2001-02.	जेसीसीटी (अपीला)
5		स्टॉक हस्तांतरित	जेएच सीएसटी 9/2006-07	24.18		जेसीसीटी (अपीला)
6		स्टॉक हस्तांतरित	एसडी एसटी 10/1999-2000	527.59	1995-96	वाणिज्य कर आयुक्त, रांची
7		स्टॉक हस्तांतरित	जेएच एसटी 2/2006-07	207.95	2001-02.	जेसीसीटी (अपीला)धनबाद
8		स्टॉक हस्तांतरित	एसडी एसटी 3/98-99 एसडी सीएसटी 6/98-99	66.02	1994-95.	जेसीसीटी (अपीला)धनबाद
9		स्टॉक हस्तांतरित	स्टॉक की अस्वीकृति	941.14	2005-06	वाणिज्य कर आयुक्त, रांची
10		स्टॉक हस्तांतरित	जेएच एसटी 31/09-10 ,जेएच सीएसटी 17/09-10	146.44	2007-08	वाणिज्य कर आयुक्त, रांची

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ संख्या	दिनांक	राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
11		स्टॉक हस्तांतरित	एसडी एसटी 6/05-06		18.14	2005-06	वाणिज्य कर आयुक्त, रांची
12		स्टॉक हस्तांतरित	जेएच एसटी/13-14,जेएच सीएसटी/13-14		46.00	2009-10	जेसीसीटी (अपील)धनबाद
			कुल		**2,308.07**		

चांच विक्टोरिया

		सेवा कर		**31.03.2014**	**के अनुसार**	
1	वित्त अधिनियम (सेवा कर, 1994)		106/आयुक्त/एसटी/बीओएल/'09	**137.04**	2009	मुख्य आयुक्त (सीबीईसी), बोलपुर
1	झारखंड रॉयल्टी अधिनियम		85/94-95	0.17	1994-95	जिला खनन समाहर्ता, धनबाद
2	झारखंड रॉयल्टी अधिनियम		**119/93-94**	**1.86**	**1993-94**	जिला खनन समाहर्ता, धनबाद
			कुल	**2.03**		
		उपकर				
1	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	ब्याज भुगतान का विवाद	आरई-1/84-85	3.21	1984-85	डीसीसीटी, आसनसोल
2	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	पीई (02)/86-87	35.55	1986-87	डीसीसीटी, आसनसोल
3	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	01(आरई)/92-93	21.66	1992-93	डीसीसीटी, आसनसोल
4	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	2(ए)/91-92	16.63	1991-92	डीसीसीटी, आसनसोल
5	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	4(ए)/92-93	8.7	1992-93	डीसीसीटी, आसनसोल
6	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	5(ए)/92-93	37.3	1992-93	डीसीसीटी, आसनसोल
7	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	6(ए)/92-93	16.55	1992-93	डीसीसीटी, आसनसोल
8	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	7(ए)/92-93	14.73	1992-93	डीसीसीटी, आसनसोल
9	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	ब्याज भुगतान का विवाद	8(ए)/92-93	13.78	1992-93	डीसीसीटी, आसनसोल
10	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	ब्याज भुगतान का विवाद	9(ए)/92-93	12.59	1992-93	डीसीसीटी, आसनसोल
11	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	7(ए)/92-93	575.04	1992-93	डीसीसीटी, आसनसोल
12	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	03/95-96	754.83	1995-96	डीसीसीटी, आसनसोल
13	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	02/95-96	462.62	1995-96	डीसीसीटी, आसनसोल
14	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	मूल्य राशि एवं ब्याज का	01/96-97	6368.36	1996-97	डीसीसीटी, आसनसोल
15	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	मूल्य राशि एवं ब्याज का	03/97-98	5206.07	1997-98	डीसीसीटी, आसनसोल
16	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	मूल्य राशि एवं ब्याज का	04/98-99	3279.17	1998-99	डीसीसीटी, आसनसोल
17	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	मूल्य राशि एवं ब्याज का	04/.02-2003	5125.81	2002-03	डीसीसीटी, आसनसोल
18	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	मूल्य राशि एवं ब्याज का	05/.02-2003	1486.43	2002-03	डीसीसीटी, आसनसोल
19	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	मूल्य राशि एवं ब्याज का	03/.02-2003	1111.91	2002-03	डीसीसीटी, आसनसोल
20	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	06/.02-2003	689.8	2002-03	डीसीसीटी, आसनसोल
21	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	02©/05-06	271.69	2005-06	डीसीसीटी, आसनसोल
22	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	03©/05-06	344.49	2005-06	डीसीसीटी, आसनसोल
23	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	01© /06-07	400.29	2006-07	डीसीसीटी, आसनसोल
24	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	देरी से भुगतान और ब्याज	02© 06-07	547.97	2006-07	डीसीसीटी, आसनसोल
25	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	उपकर विवाद (क्षे.शि.)	12एमई 31.03.09	13.62	2008-09	डीसीसीटी, आसनसोल
26	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	ब्याज विवाद (क्षे.शि.)	12एमई 31.03.09	10.49	2008-09	डीसीसीटी, आसनसोल
27	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	उपकर विवाद (क्षे.शि.)	12एमई 31.03..07	19.05	2006-07	डीसीसीटी, आसनसोल

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ		राशि	राशि से	फोरम, जहां
			संख्या	दिनांक		संबन्धित अवधि	मामला लंबित है
28	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	ब्याज विवाद (क्षे.शि.)	12एमई 31.03..07		16.96	2006-07	डीसीसीटी, आसनसोल
29	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	उपकर विवाद (क्षे.शि.)	12एमई 31.03..08		32.89	2007-08	डीसीसीटी, आसनसोल
30	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	ब्याज विवाद (क्षे.शि.)	12एमई 31.03..08		27.96	2007-08	डीसीसीटी, आसनसोल
31	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	उपकर विवाद (प्रा.शि.)	12एमई 31.03..09		54.48	2008-09	डीसीसीटी, आसनसोल
32	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	ब्याज विवाद (प्रा.शि.)	12एमई 31.03..09		41.95	2008-09	डीसीसीटी, आसनसोल
33	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	उपकर विवाद (प्रा.शि.)	12एमई 31.03..07		76.22	2006-07	डीसीसीटी, आसनसोल
34	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	ब्याज विवाद (प्रा.शि.)	12एमई 31.03..07		67.83	2006-07	डीसीसीटी, आसनसोल
35	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	उपकर विवाद (प्रा.शि.)	12एमई 31.03..08		8.22	2007-08	डीसीसीटी, आसनसोल
36	प. बं. क्षे.शि./ प्रा. शि. उपकर अधिनियम	ब्याज विवाद (प्रा.शि.)	12एमई 31.03..08		6.99	2007-08	डीसीसीटी, आसनसोल
				कुल	27181.84		

झारखंड बिक्री कर

1	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	1976-77		5.27	1976-77	जेसीसीटी अपील, झारखंड
2	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	1977-78		3.93	1977-78	जेसीसीटी अपील, झारखंड
3	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	1978-79		0.83	1978-79	जेसीसीटी अपील, झारखंड
4	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	1979-80		2.22	1979-80	जेसीसीटी अपील, झारखंड
5	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	1979-80		1.32	1979-80	जेसीसीटी अपील, झारखंड
6	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	1980-81		2.09	1980-81	जेसीसीटी अपील, झारखंड
7	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	सीएसटी फॉर्म बकाया	1981-82		(5.17)	1981-82	जेसीसीटी अपील, झारखंड
8	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	सीएसटी फॉर्म बकाया	1982-83		0.33	1982-83	जेसीसीटी अपील, झारखंड
9	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	सीएसटी फॉर्म बकाया	1983-84		(2.08)	1983-84	जेसीसीटी अपील, झारखंड
10	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	1994-95		2.03	1994-95	जेसीसीटी अपील, झारखंड
11	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	गुणवत्ता.डीईडी अस्वीकृति	1995-96		3.36	1995-96	जेसीसीटी अपील, झारखंड
12	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	गुणवत्ता.डीईडी अस्वीकृति	1996-97		17.87	1996-97	जेसीसीटी अपील, झारखंड
13	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	गुणवत्ता.डीईडी अस्वीकृति	1996-97		22.26	1996-97	जेसीसीटी अपील, झारखंड
14	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	गुणवत्ता.डीईडी अस्वीकृति	1997-98		3.47	1997-98	जेसीसीटी अपील, झारखंड
15	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	गुणवत्ता.डीईडी अस्वीकृति	1997-98		15.87	1997-98	जेसीसीटी अपील, झारखंड
16	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	1998-99		-	1998-99	जेसीसीटी अपील, झारखंड
17	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	1999-00		5.59	1999-00	जेसीसीटी अपील, झारखंड
18	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	1999-00		26.67	1999-00	जेसीसीटी अपील, झारखंड
19	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	2000-01		6.81	2000-01	जेसीसीटी अपील, झारखंड
20	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	2000-01		3.20	2000-01	जेसीसीटी अपील, झारखंड
21	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	2001-02		51.53	2001-02	जेसीसीटी अपील, झारखंड
22	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	2001-02		0.25	2001-02	जेसीसीटी अपील, झारखंड
23	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जुर्माना लगाना	2002-03		12.42	2002-03	जेसीसीटी अपील, झारखंड
24	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	सी' फॉर्म अस्वीकृति	2002-03		3.72	2002-03	जेसीसीटी अपील, झारखंड
25	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	सी' फॉर्म की कमी	2003-04		7.90	2003-04	जेसीसीटी अपील, झारखंड
26	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	छूट की अस्वीकृति	2003-04		0.01	2003-04	जेसीसीटी अपील, झारखंड

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ संख्या	दिनांक	राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
27	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	सी' फॉर्म की कमी एवं गणवत्ता डीईडी अस्वीकृति	2004-05		16.82	2004-05	जेसीसीटी अपील, झारखंड
28	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	2004-05		0.02	2004-05	जेसीसीटी अपील, झारखंड
29	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	सी' फॉर्म की कमी एवं गणवत्ता डीईडी अस्वीकृति	2005-06		8.76	2005-06	जेसीसीटी अपील, झारखंड
30	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	2005-06		1.36	2005-06	जेसीसीटी अपील, झारखंड
31	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	सी' फॉर्म की कमी एवं गणवत्ता डीईडी अस्वीकृति	2006-07		42.67	2006-07	जेसीसीटी अपील, झारखंड
32	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	2006-07		27.95	2006-07	जेसीसीटी अपील, झारखंड
33	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	सी' फॉर्म की कमी एवं गणवत्ता डीईडी अस्वीकृति	2007-08		524.78	2007-08	जेसीसीटी अपील, झारखंड
34	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	2007-08		78.03	2007-08	जेसीसीटी अपील, झारखंड
35	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	सी' फॉर्म एवं ब्याज की कमी	4738 10-11		150.81	2010-11	जेसीसीटी अपील, झारखंड
36	झारखंड बिक्री कर अधिनियम	ब्याज	4739 10-11		4.46	2010-11	जेसीसीटी अपील, झारखंड
				कुल	**1,047.36**		
		पश्चिम बंगाल बिक्री					
1	पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम	सी' फॉर्म एवं ब्याज की कमी	23(ए)93-94		33.3	1993-94	जेसीसीटी आसनसोल
2	पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	32(ए)93-94		8.3	1993-94	जेसीसीटी आसनसोल
3	पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	15(ए)95-96		0.66	1995-96	जेसीसीटी आसनसोल
4	पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम	ब्याज	09(ए)95-96		7.73	1995-96	जेसीसीटी आसनसोल
5	पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम	ब्याज	16(ए)95-96		2.08	1995-96	जेसीसीटी आसनसोल
6	पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	12(ए)00-01		4.56	2000-01	जेसीसीटी आसनसोल
7	पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम	जीटीओ की वृद्धि	20(ए)02-03		34.59	2002-03	जेसीसीटी आसनसोल
8	पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम	सी' फॉर्म एवं ब्याज की कमी	18(ए)02-03		113.08	2002-03	जेसीसीटी आसनसोल
				कुल	**204.30**		
		कुल बिक्री कर (झारखंड + बंगाल)			**1251.66**		

पश्चिमी झरिया

	झारखंड बिक्री कर विभाग	बाजार कर			**53.89**	2000-01
	झारखंड बिक्री कर विभाग	केंद्रीय बिक्री कर			0.58	2001-02
	झारखंड बिक्री कर विभाग	केंद्रीय बिक्री कर			12.07	2006-07
	झारखंड बिक्री कर विभाग	केंद्रीय बिक्री कर			1.3	2009-10
	झारखंड बिक्री कर विभाग	केंद्रीय बिक्री कर			435.19	2009-10
	झारखंड बिक्री कर विभाग	झारखंड बिक्री कर			0.12	2009-10
	झारखंड बिक्री कर विभाग	झारखंड बिक्री कर			14.34	
					463.60	

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ संख्या	दिनांक	राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
	खनन विभाग	रॉयल्टी			57.71	1998-99	
	खनन विभाग	रॉयल्टी			0.45	1999-00	
	खनन विभाग	रॉयल्टी			7689.06	2010-11	
	आकस्मिक		कुल		**7747.22**		

वाशरी डिवीजन

1	बिक्री कर	सीएसटी/एसएसटी	लागू नहीं		234.89	1983-84	डीसीसीटी, आसनसोल
2	बिक्री कर	सीएसटी/एसएसटी	लागू नहीं		8.25	1987-88	डीसीसीटी, आसनसोल
3	बिक्री कर	सीएसटी/एसएसटी	लागू नहीं		16.60	1992-93	डीसीसीटी, आसनसोल
4	बिक्री कर	सीएसटी/एसएसटी	लागू नहीं		1.50	1997-98	डीसीसीटी, आसनसोल
5	बिक्री कर	सीएसटी/एसएसटी	लागू नहीं		13.66	2000-01	डीसीसीटी, आसनसोल
6	बिक्री कर	बीएसटी	लागू नहीं		1.61	1991-92	डीसीसीटी, यूसी, धनबाद
7	बिक्री कर	सीएसटी	15/98-99, 6/98-99		8.89	1993-94	जेसीसीटी
8	बिक्री कर	सीएसटी	52/98-99, 14/98-99		12.88	1994-65	जेसीसीटी
9	बिक्री कर	सीएसटी	73/99-2000, 13/99-2000		10.45	1996-97	जेसीसीटी
10	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		21.85	1997-98	जेसीसीटी
11	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		45.27	1998-99	जेसीसीटी
12	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		72.64	1999-2000	जेसीसीटी
13	बिक्री कर	सीएसटी	768(आर), 196(सी)		0.96	1983-84	डीसीसीटी, यूसी, धनबाद
14	बिक्री कर	सीएसटी	2/98-96, 1/95-96		0.25	1990-91	डीसीसीटी, यूसी, धनबाद
15	बिक्री कर	सीएसटी	7/98-99		15.57	1993-94	डीसीसीटी, यूसी, धनबाद, जेसीसीटी अपील
16	बिक्री कर	सीएसटी	30/96-98		0.33	1994-95	डीसीसीटी, यूसी, धनबाद
17	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		87.03	1995-96	जेसीसीटी
18	बिक्री कर	सीएसटी	110/99-2000, 16/99-2000		86.45	1996-97	जेसीसीटी
19	बिक्री कर	सीएसटी	1/2000-2001		6.01	1997-98	जेसीसीटी
20	बिक्री कर	सीएसटी	3/2003-04		106.43	1998-99	जेसीसीटी
21	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		415.91	1999-2000	संशोधन
22	बिक्री कर	सीएसटी	501-502/10		61.25	2000-2001	जेसीसीटी
23	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		165.92	1987-88	जेसीसीटी
24	बिक्री कर	सीएसटी/एसएसटी	लागू नहीं		245.34	1988-89	जेसीसीटी
25	बिक्री कर	सीएसटी/एसएसटी	लागू नहीं		219.84	1989-90	जेसीसीटी
26	बिक्री कर	सीएसटी	3/98-99, 4/98-99		12.17	1990-91	डीसीसीटी, यूसी, धनबाद
27	बिक्री कर	सीएसटी/एसएसटी	लागू नहीं		62.04	1992-93	जेसीसीटी
28	बिक्री कर	सीएसटी	27/97-98		75.29	1993-94	डीसीसीटी, यूसी, धनबाद, जेसीसीटी अपील

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ संख्या	दिनांक	राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
29	बिक्री कर	सीएसटी	62/98-99, 18/98-99		17.27	1994-95	डीसीसीटी, यूसी, धनबाद
30	बिक्री कर	सीएसटी	19/98-99		3.20	1995-96	जेसीसीटी, यूसी, धनबाद
31	बिक्री कर	सीएसटी	7/2000-01		11.82	1997-98	जेसीसीटी, यूसी, धनबाद
32	बिक्री कर	सीएसटी	94/08-09, 50/08-09		62.21	1998-99	जेसीसीटी, यूसी, धनबाद
33	बिक्री कर	सीएसटी	02, 3/2006-07		200.43	1999-2000	संशोधन, जेसीसीटी
34	बिक्री कर	सीएसटी	02, 3/2006-07		30.60	2000-01	जेसीसीटी
35	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		151.81	2001-02	जेसीसीटी, अपील
36	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		62.14	2002-03	जेसीसीटी, अपील
37	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		127.06	2003-04	जेसीसीटी, अपील
38	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		36.37	2004-05	जेसीसीटी, अपील
39	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		53.55	2005-06	जेसीसीटी, अपील
40	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		228.01	2006-07	जेसीसीटी, अपील
41	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		113.66	2007-08	जेसीसीटी, अपील
42	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		400.11	2001-02	जेसीसीटी, अपील
43	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		260.20	2002-03	जेसीसीटी, अपील
44	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		535.55	2003-04	जेसीसीटी, अपील
45	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		161.72	2004-05	जेसीसीटी, अपील
46	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		698.49	2005-06	जेसीसीटी, अपील
47	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		1144.78	2006-07	जेसीसीटी, अपील
48	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		94.48	2001-02	जेसीसीटी, अपील
49	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		3.55	2002-03	जेसीसीटी, अपील
50	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		57.02	2003-04	जेसीसीटी, अपील
51	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		45.85	2003-04	जेसीसीटी, अपील
52	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		370.89	2004-05	जेसीसीटी, अपील
53	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		990.38	2005-06	जेसीसीटी, अपील
54	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		16.76	2006-07	जेसीसीटी, अपील
55	बिक्री कर	सीएसटी	लागू नहीं		3.06	2007-08	जेसीसीटी, अपील
				कुल	**7890.25**		

मधुबन कोल वाशरी

31.03.2014 को आकस्मिक देयता सूची

क्र. सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ संख्या	राशि	संबंधित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
1	वाणिज्य कर	गुणवत्ता कटौती और छूट	1362 दिनांक 17.03.2005	50.6	2000-01	जेसीसीटी धनबाद
2	वाणिज्य कर	बीएसटी	4135 दिनांक 20-2-2003	0.08	1999-00	जेसीसीटी धनबाद
3	वाणिज्य कर	सीएसटी	4135 दिनांक 20-2-2003	1.42	1999-00	जेसीसीटी धनबाद
4	वाणिज्य कर	बीएसटी	1190 दिनांक 27-2-2006	0.58	2001-02	जेसीसीटी धनबाद

क्र.सं.	कानून/ अधिनियम का नाम	बकाया प्रकार	ममला संदर्भ संख्या	दिनांक	राशि	राशि से संबन्धित अवधि	फोरम, जहां मामला लंबित है
5	वाणिज्य कर	सीएसटी	1191 दिनांक 27-2-2006		29.65	2001-02	जेसीसीटी धनबाद
6	वाणिज्य कर	बीएसटी	6370 दिनांक 19-3-2007		4.16	2002-03	जेसीसीटी धनबाद
7	वाणिज्य कर	सीएसटी	6371 दिनांक 19-3-2007		3.42	2002-03	जेसीसीटी धनबाद
8	वाणिज्य कर	बीएसटी	6041 दिनांक 20-3-2008		6.22	2003-04	जेसीसीटी धनबाद
9	वाणिज्य कर	सीएसटी	6042 दिनांक 20-3-2008		243.7	2003-04	जेसीसीटी धनबाद
			कुल		339.83		

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

खंड- 41 का अनुबंध- I

31.03.2014 को समाप्त वर्ष का वित्तीय परिणाम

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2014 को समाप्त तिमाही अनंकेक्षित	31.12.2012 को समाप्त पूर्ववर्ती तिमाही अनंकेक्षित	31.03.2013 को समाप्त तिमाही अनंकेक्षित	31.03.2014 को समाप्त वर्तमान वर्ष के आंकड़े अंकेक्षित	31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष अंकेक्षित
1. परिचालन से आय					
शुद्ध बिक्री /परिचालन से आय (निवल उत्पाद शुल्क)	2409.18	1976.69	2545.85	8287.99	8454.60
परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	**2409.18**	**1976.69**	**2545.85**	**8287.99**	**8454.60**
2. व्यय :					
तैयार माल, डब्ल्यू आई पी एवं व्यापर स्टॉक सूची में परिवर्तन	(30.82)	52.21	(15.75)	138.25	189.74
खपत सामग्री की लागत	165.81	135.38	168.63	564.08	497.66
कर्मचारी लाभ व्यय	1062.63	1135.16	1136.70	4414.34	4465.65
बिजली एवं ईंधन	87.41	71.64	77.97	312.03	317.14
कल्याण व्यय	11.10	24.09	2.95	17.39	33.38
मरम्मत	70.42	31.90	44.45	173.30	126.28
संविदात्मक व्यय	240.50	201.92	212.15	815.27	747.08
अन्य व्यय	127.82	139.27	165.28	552.27	509.99
मलवा हटाई समायोजन	18.57	(35.51)	12.42	(99.03)	(15.38)
वित्त प्रभार / प्रतिबद्धता प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि/ प्रावधान	104.76	54.50	57.77	261.14	209.98
बट्टे खाते में	64.29	74.19	21.13	138.48	186.15
प्रावधान	(74.16)	(39.36)	76.76	(108.45)	(62.14)
कुल	**1848.33**	**1845.39**	**1960.46**	**7179.07**	**7205.53**
3. अन्य आय से पहले परिचालन से लाभ ब्याज एवं अपवाद मद (1-2)	**560.85**	**131.30**	**585.39**	**1108.92**	**1249.07**
4. अन्य आय	131.97	641.53	152.46	1006.81	482.81
5.ब्याज एवं अपवाद मदों से पहले सामान्य गतिविधियों से लाभ/हानि (3+4)	**692.82**	**772.83**	**737.85**	**2115.73**	**1731.88**
6.ब्याज	18.62	2.30	5.06	30.22	18.97
7.अपवाद मदों से पहले सामान्य गतिविधियों से लाभ/हानि (4 - 6)	**674.20**	**770.53**	**732.79**	**2085.51**	**1712.91**
8.अपवाद मद	0.00	0.00	(0.56)	3.50	(3.85)
9.कर से पहले सामान्य गतिविधियों से लाभ(+) / हानि (-) (7+8)	**674.20**	**770.53**	**732.23**	**2089.01**	**1709.06**
10.कर व्यय	5.68	241.01	210.26	374.66	210.26
11.कर भुगतान के बाद सामान्य गतिविधियों से लाभ (+)/ हानि(-) (9-10)	**668.52**	**529.52**	**521.97**	**1714.35**	**1498.80**
12.असामान्य मद (कर व्यय का निवल `)					
13. 2011-12 के दौरान लाभ (+)/ हानि(-)	**668.52**	**529.52**	**521.97**	**1714.35**	**1498.80**
14.प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00
15.पिछले लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित निधि	(4106.03)	(4106.03)	(5604.83)	(4106.03)	(5604.83)
16. प्रति शेयर आय (ईपीएस) ` में					
क) अब तक पूरे वर्ष एवं पिछले वर्ष की अवधि के लिए असामान्य मदों से पहले आधारित एवं निवलकृत प्रति शेयर आय	300.65	235.03	246.44	749.48	706.66
ख) अब तक पूरे वर्ष एवं पिछले वर्ष की अवधि के लिए असामान्य मदों के बाद आधारित एवं निवलकृत प्रति शेयर आय	300.65	235.03	246.44	749.48	706.66
17. सार्वजनिक शेयरधारिता					
शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शेयरधारिता का प्रतिशत					
18. प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह शेयरधारिता					
क) गिरवी/ ऋणग्रस्त	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शेयरों की संख्या					
शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह की कुल शेयरधारिता के % के रूप में)					
शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूँजी का %)					
ख) ऋणभार रहित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शेयरों की संख्या					
शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह की कुल शेयरधारिता के % के रूप में)					
शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूँजी का %)					

(बी. के. परुइ)
कंपनी सचिव

(ए. के. गंगोपाध्याय)
महाप्रबंधक (वित्त)

(अमिताभ साहा)
निदेशक(वित्त)

(टी. के. लाहिड़ी)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान : धनबाद
दिनांक : 24.05.2014

कृते आनंद रुंगटा & कं.
फर्म पंजीकरण सं. - 000681सी
सनदी लेखाकार

स्थान : धनबाद
दिनांक :24.05.2014

(एम. सी. मिदया)
भागीदार
सदस्यता सं. - 071510

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को तुलन पत्र

₹ करोड़ में

	टिप्पणी	31.03.2014 को		31.03.2013 को	
I. इक्विटी और देयताएं					
1. शेयरधारकों की निधि					
(क) शेयर पूंजी	1	4,657.00		4,657.00	
(ख) आरक्षित और अधिशेष	2	(2,391.68)		(4,106.03)	
(ग) शेयर वारंट के एवज में प्राप्त धन		-	2,265.32	-	550.97
2. आवेदन राशि लंबित आवंटन			-		-
3. गैर वर्तमान देयताएं					
(क) दीर्घकालिक उधार	3	-		-	
(ख) आस्थगित कर देयता (शुद्ध)		-		-	
(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	4	8.98		7.35	
(घ) लंबी अवधि के प्रावधान	5	966.72		1,868.57	
			975.70		1,875.92
4. अल्पांश ब्याज					
5. चालू देयताएं					
(क) अल्पकालीन उधार	6	509.79		1,098.70	
(ख) व्यापार देय	7	50.57		82.72	
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	8	2,493.34		2,229.18	
(घ) अल्पावधि प्रावधान	9	1,461.26		1,252.79	
			4,514.96		4,663.39
कुल			**7,755.98**		**7,090.28**
II. परिसंपत्तियां					
1. गैर वर्तमान परिसंपत्तियां					
(क) अचल संपत्ति	10				
I) मूर्त संपत्ति - सकल ब्लॉक		4,216.66		4,055.99	
घटाया: मूल्यह्रास और हानि प्रावधान		2,928.74		2,797.83	
निवल वहन मूल्य			1,287.92		1,258.16
ii) अमूर्त आस्तियां - सकल ब्लॉक		545.55		542.81	
घटाया: मूल्यह्रास और हानि प्रावधान		485.88		442.22	
निवल वहन मूल्य			59.67		100.59
iii) कार्यगत पूंजी			430.16		179.33
iv) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां			107.69		47.77
(ख) गैर वर्तमान निवेश	11		13.85		27.71
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)			-		-
(घ) लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम	12		56.19		41.74
(ई) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	13		-		-
2. चालू परिसंपत्तियां					
(क) वर्तमान निवेश	14	13.86		13.86	
(ख) वस्तुसूची	15	688.67		837.07	
(ग) व्यापार प्राप्तियां	16	1,570.15		1,372.05	
(घ) नकदी और बैंक शेष	17	2,341.36		2,394.13	
(ई) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	18	847.84		502.15	
(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	338.62		315.72	
			5,800.50		5,434.98
कुल			**7,755.98**		**7,090.28**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	33				
लेखा पर अनुपूरक टिप्पणियां	34				

उल्लिखित नोट तुलन पत्र के अभिन्न अंग है

(बी. के. पारूइ)	**(ए. के. गंगोपाध्याय)**	**(अमिताभ साहा)**	**(टी. के. लाहिड़ी)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

यह तुलन-पत्र प्रभावी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार है।

स्थान : धनबाद
दिनांक : 24.05.2014

कृते आनंद रुंगटा & कं.
फर्म पंजीकरण सं. - 000681सी
सनदी लेखाकार

स्थान : धनबाद
दिनांक :24.05.2014

(एम. सी. मिदया)
भागीदार
एम सं.- 072352

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ- हानि लेखा विवरणी

₹ करोड़ में

		टिप्पणी	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.13 को समाप्त वर्ष के लिए
	आय			
	कोयले, कोक आदि की बिक्री		10112.56	10176.62
	घटाया : उत्पाद शुल्क		597.81	533.94
	अन्य लेवी		1226.76	1188.08
I.	परिचालन से राजस्व	20	8287.99	8,454.60
II.	अन्य आय	21	1006.81	482.81
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**9294.80**	**8,937.41**
IV.	**व्यय**			
	खपत सामग्री की लागत	22	564.08	497.66
	व्यापारगत माल की खरीद			
	तैयार माल/ जारी कार्य एवं व्यापारगत माल की सूची में परिवर्तन	23	138.25	189.74
	कर्मचारी लाभ व्यय	24	4414.34	4,465.65
	बिजली और ईंधन		312.03	317.14
	कल्याण व्यय	25	17.39	33.38
	मरम्मत	26	173.30	126.28
	संविदा व्यय	27	815.27	747.08
	वित्त लागत	28	30.22	18.97
	मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि		261.14	209.98
	प्रावधान	29	(108.45)	(62.14)
	बट्टे खाते में डालना	30	138.48	186.15
	मलवा हटाव समायोजन		(99.03)	(15.38)
	अन्य व्यय	31	552.27	509.99
	कुल व्यय		**7,209.29**	**7,224.50**
V.	**पूर्व अवधि से पहले लाभ / (हानि), अपवादात्मक तथा असाधारण मदें और कर (III-IV)**		**2,085.51**	**1,712.91**
VI.	पूर्व अवधि समायोजन {(प्रभार /(आय)}	32	(3.50)	3.85
VII.	अपवादात्मक मदें			
VIII.	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ / (V-VI-VII)**		**2,089.01**	**1,709.06**
IX.	असाधारण मदें {प्रभार / (आय)}		-	-
X.	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (VIII-IX)**		**2,089.01**	**1,709.06**
XI.	घटाया : टैक्स व्यय			
	- वर्तमान वर्ष		374.66	210.26
	- आस्थगित कर		-	-
	- इससे पहले वर्ष		-	-
XII.	**सतत परिचालनों से इस अवधि में लाभ / (हानि) (X-XI)**		**1,714.35**	**1,498.80**
XIII.	**बंद परिचालनों से लाभ / (हानि)**			
XIV.	**बंद परिचालनों के लिए कर व्यय**			
XV.	**बंद परिचालनों से लाभ / (हानि) (कर पश्चात) (XIII-XIV)**			
XVI.	**इस अवधि में लाभ / (हानि) (XII + XV)**		**1,714.35**	**1,498.80**
	प्रति इक्विटी शेयर आय (करोड़ `) (`1000 करोड़ प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर)			
	1) मूल		**749.48**	**706.66**
	2) विलयकृत		**749.48**	**706.66**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	33		
	लेखा पर अनुपूरक टिप्पणियां	34		

उपर्युक्त टिप्पणियां लाभ- हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

(बी. के. पारूई)	**(ए. के. गंगोपाध्याय)**	**(अमिताभ साहा)**	**(टी. के. लाहिड़ी)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

यह तुलन-पत्र प्रभावी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार है।

स्थान : धनबाद
दिनांक : 24.05.2014

कृते आनंद रुंगटा & कं.
फर्म पंजीकरण सं. - 000681सी
सनदी लेखाकार

(एम. सी. मिदया)
भागीदार
एम सं.- 072352

स्थान : धनबाद
दिनांक :24.05.2014

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.2014 तथा 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए

नकदी एवं नकदी समतुल्य प्रवाह (अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत)

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2014		31.03.2013	
1.परिचालन से निधि :				
शुद्ध लाभ (+) / हानि (-) कराधान और असाधारण मदों से पहले:		2,089.01		1709.06
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
(क) मूल्यह्रास, बट्टे खाते में डाले गए विविध व्यय				
तथा ओबीआर		161.86		194.60
(ख) कार्यगत पूंजी के लिए प्रावधान		1.61		0.43
(ग) ब्याज		30.22		18.97
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले परिचालन लाभ (+) / हानि (-):		**2282.70**		**1923.06**
(घ) व्यापार प्राप्तियों में कमी (+) /वृद्धि (-) (शुद्ध)		(198.10)		(420.33)
(ङ) दीर्घावधि / अल्पावधि ऋण तथा अग्रिमों और		(383.04)		(401.81)
चालू एवं गैर- मौजूदा परिसंपत्तियों में कमी(+) / वृद्धि (-)				
(च) मालसूची में कमी (+) / वृद्धि (-)		148.40		207.34
छ) व्यापार देनदारियों, अल्पावधि/ दीर्घावधि प्रावधानों तथा		(294.02)		(672.41)
अन्य वर्तमान एवं दीर्घावधि देयताओं में कमी (-) / वृद्धि (+)				
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी		**1555.94**		**635.85**
आयकर अदा/ वापसी (रिफंड)		433.66		210.26
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह :		**1,122.28**		**425.59**
2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
क). चल संपत्ति / समायोजन की खरीद		571.47		199.70
ख). गैर वर्तमान निवेश में परिवर्तन		(13.86)		(13.85)
ग). परिसंपत्तियों की बिक्री / त्यागने के लिए समायोजन		(9.38)		(6.31)
घ). सावधि जमा खरीद		(48.98)		650.16
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी:		**499.25**		**829.70**
3. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
(क) ऋण / सीआईएल के साथ चालू खाता शेष से आय		(593.75)		(1,443.17)
(ख) ब्याज भुगतान		(18.79)		(0.63)
(ग) शेयर पूंजी में वृद्धि एवं सीआईएल ऋण (शुद्ध) में कमी		0.00		1456.00
वित्तीय गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी:		**(612.54)**		**12.20**
(I) नकदी एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (1-2 एवं 3)		**10.49**		**(391.91)**
(II) अवधि के आरम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य:				
क. आरम्भिक नकदी एवं नकदी समतुल्य	124.92		483.81	
ख. आरम्भिक नकदी ऋण शेष (कैश क्रेडिट बैलेंस)	(67.92)	**57.00**	(34.90)	**448.91**
(III) अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य:				
क. अंतिम नकदी एवं नकदी समतुल्य	121.13		124.92	
ख. अंतिम नकदी ऋण शेष (कैश क्रेडिट बैलेंस)	(53.64)	**67.49**	(67.92)	**57.00**
[III - II]		**10.49**		**(391.91)**

(बी. के. पारुइ)
कंपनी सचिव

(ए. के. गंगोपाध्याय)
महाप्रबंधक (वित्त)

(अमिताभ साहा)
निदेशक(वित्त)

(टी. के. लाहिड़ी)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

कृते आनंद रुंगटा & कं.
फर्म पंजीकरण सं. - 000681सी
सनदी लेखाकार

(एम. सी. मिदया)
भागीदार
एम सं.- 072352

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 1

शेयर पूंजी

₹ करोड़ में

	31.03.14 को	**31.03.13 को**
अधिकृत		
(i) ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 250,00,000 इक्विटी शेयर	2,500.00	2500.00
(ii) ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 260,00,000 5% गैर परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर	2,600.00	2,600.00
	5,100.00	**5,100.00**
निर्गत, अभिगत, प्रदत्त (पेड-अप)		
(i) ₹1000/- प्रति शेयर मूल्य के पूर्णत: नकदी में चुकता 20330126 एक्विटी शेयर	2,033.01	2,033.01
(ii) ₹1000/- प्रति शेयर मूल्य के नकदी के अलावा पूर्णत: भुगतान के रूप में विचारार्थ आवंटित 849874 इक्विटी शेयर	84.99	84.99
(iii) 25390000, ₹1000/- प्रति शेयर मूल्य के नकदी के अलावा पूर्णत: भुगतान के रूप में विचारार्थ आवंटित 849874, 5% गैर-परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर	2,539.00	2,539.00
	4,657.00	**4,657.00**

नोट : कंपनी में प्रत्येक शेयर धारक के पास 5% से अधिक शेयर

शेयर धारक का नाम	**शेयरों की प्रकृति**	**धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1000)**	**कुल शेयरों का %**
कोल इंडिया लिमिटेड	इक्विटी	21180000	100
कोल इंडिया लिमिटेड	अधिमान	25390000	100

टिप्पणी - 2

आरक्षित अधिशेष

₹ करोड़ में

	31.03.14 को	31.03.13 को
आरक्षित:		
पूँजी संचय		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-
जोड़ा: वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
घटाया : वष क दारान समायाजन	-	-
	-	-
पूंजी प्रतिदेय आरक्षित		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-
जोड़ा: वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
घटाया: वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए आरक्षित		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-
जोड़ा: वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
घटाया: वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
सीएसआर आरक्षित		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-
जोड़ा: वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
घटाया: जनरल रिजर्व करने के लिए स्थानांतरण	-	-
	-	-
सतत विकास आरक्षित		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-
जोड़ा: वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
घटाया: जनरल रिजर्व करने के लिए स्थानांतरण	-	-
	-	-
सामान्य आरक्षित		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-
जोड़ा: लाभ और हानि खाते से अंतरण	-	-
घटाया:/ जोड़ा: वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
लाभ और हानि खाते में अधिशेष	-	-
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	(4,106.03)	(5,604.83)
वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ / (हानि)	1,714.35	1,498.80
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ / (हानि)	(2,391.68)	(4,106.03)
<u>विनियोग</u>		
विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व में अंतरित	-	-
सीएसआर रिजर्व में अंतरित	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-
	-	-
विविध व्यय		
(मौजूदा बट्टे खाते में नहीं डाला गया)		
प्रारंभिक खर्च	-	-
पूर्व परिचालन व्यय	-	-
कुल:	**(2,391.68)**	**(4,106.03)**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 3

दीर्घकालिक उधार

₹ करोड़ में

	31.03.14 को	31.03.13 को
सावधि ऋण		
आईबीआरडी	-	-
जेबीआईसी	-	-
निर्यात विकास कोर्पोरेशन, कनाडा		
लाइभेर फ्रांस, एस. ए. फ्रांस		
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कुल (क+ख)	-	-
वर्गीकरण-1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वर्गीकरण-2

गारंटी के तहत लिए गए ऋण

ऋण विवरण	राशि ₹ करोड़ में	गारंटी
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 4

अन्य दीर्घकालीन देयताएं

₹ करोड़ में

	31.03.14 को	**31.03.13 को**
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि		
आरम्भिक शेष	-	-
जोड़े : निधि के निवेश प्राप्त ब्याज	-	-
जोड़े : प्राप्त अंशदान	-	-
घटाएं: उपयोग की गई राशि		
	-	-
व्यवसायिक देय		
प्रतिभूति जमा	8.98	7.35
अन्य (विशेष प्रकृति के))	-	-
कुल	**8.98**	**7.35**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी-5

दीर्घकालीन प्रावधान

₹ करोड़ में

	31.03.14 को	31.03.13 को
कर्मचारी लाभ हेतु		
- उपदान (ग्रेच्युटी)	180.82	965.54
- छुट्टी नकदीकरण	417.61	394.85
- कर्मचारी के लिए अन्य लाभ	370.35	364.87
विदेशी विनिमय लेन-देन हेतु (बाजार के लिए चिन्हित)	-	-
ओ बी आर समायोजन खाता	(57.38)	41.64
खदान बंदी	55.32	101.67
अन्य के लिए	-	-
कुल	**966.72**	**1,868.57**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी-6

अल्पकालीन उधार

₹ करोड़ में

	31.03.14 को	**31.03.13 को**
बैंक से ऋण	-	-
मांग पर प्रतिदेय ऋण		
कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य के पास बकाया शेष	509.79	1,098.70
बंधक सावधि जमा के एवज में ओवर ड्राफ्ट	-	-
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
आस्थगित ऋण	-	-
कुल:	**509.79**	**1,098.70**
वर्गीकरण -1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	509.79	1,098.70

वर्गीकरण-2

गारंटी के तहत लिया गया ऋण

ऋण का विवरण	**राशि ₹ करोड़ में**	**गारंटी की प्रकृति**
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

* 31.03.2014 को कोल इंडिया लिमिटेड और और उसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों के साथ उपर्युक्त बकाया शेष ब्याज मुक्त है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी-7

व्यापार देनदारियां **₹ करोड़ में**

	31.03.14 को	31.03.13 को
राजस्व भंडार हेतु विविध लेनदार	50.57	82.72
कुल	**50.57**	**82.72**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी-8

अन्य चालू देयताएं **₹ करोड़ में**

	31.03.14 को	31.03.13 को
दीर्घावधि अधारियों की वर्तमान परिपक्वताएं		
आइ बी आर डी से सावधि ऋण	-	-
जेबीआइसी से सावधि ऋण	-	-
निर्यात विकास कॉरपोरेशन ,कनाडा से सावधि ऋण	-	-
लिभेर फ्रांस एस.ए. , फ्रांस से सावधि ऋण	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कोल इंडिया से अधिशेष निधि	-	-
अनुषंगियों में चालू खाता	-	-
पूंजी हेतु (भंडारों सहित)	100.24	16.28
व्यय हेतु :		
वेतन मजदूरी एवं भत्ते	371.93	352.85
बिजली एवं ईंधन	163.90	157.61
अन्य	383.73	379.22
	1,019.80	**905.96**
सांविधिक देय :		
बिक्री कर/वैट **	20.33	22.79
भविष्य निधि एवं पेंशन निधि	69.48	58.16
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	18.37	25.33
कोयले पर रायल्टी एवं उपकर	76.80	26.18
उत्पाद शुल्क की अदायगी	10.05	9.68
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	29.91	28.49
अन्य सांविधिक उगाहियां	306.24	255.13
	531.18	**425.76**
स्रोत पर आयकर कटौती	25.97	26.52
प्रतिभूति जमा	83.41	63.82
अग्रिम धन (बयाना राशि)	43.29	39.39
ग्राहक एवं अन्य से अग्रिम जमा	432.79	494.93
अर्जित ब्याज और उधार पर देय	-	-
अर्जित ब्याज किंतु उधार पर देय नहीं	-	-
उपकर समतुल्यीकरण खाता	-	-
सीआईएसपीए हेतु देयताएँ	0.78	-
आई आई सी एम के साथ चालू खाता	-	-
पूर्व स्वामी खाता	-	-
अदत्त लाभांश *	-	-
राष्ट्रीयकरण से पहले अन्य अग्रिम जमा	-	-
अन्य देयताएं	356.12	272.80
कुल	**2,493.34**	**2,229.18**

नोट: 1) * प्राप्य एवं देय का निवल

1.राजपत्र अधिसूचना सं. 34 दिनांक 18 जून 2006 के माध्यम से कोयला/ कोक की बिक्री पर किए गए बाजार शुल्क के संग्रहण को समुचित प्राधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है क्योंकि यह मामला झारखण्ड उच्च न्यायालय में मामला सं. 6507 / 2006 के तहत विचराधीन है. 31.03.2014 को संचित देयता ₹ 294.46 करोड है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी- 9

अल्पकालीन प्रावधान

₹ करोड़ में

	31.03.14 को	31.03.13 को
कर्मचारी लाभ हेतु		
-उपदान (ग्रेच्युटी)	346.70	399.59
-छुट्टी नकदीकरण	95.55	92.54
-पी पी एल बी	190.57	155.96
-पी आर पी	397.86	328.76
-कर्मचारी के लिए अन्य लाभ	-	-
प्रस्तावित लाभांश हेतु	-	-
कारपोरेट लाभांश कर हेतु	-	-
आयकर हेतु प्रावधान	374.66	210.26
घटाया : अग्रिम आयकर/ टीडीएस		
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए 4%	-	-
कोयले के अंतिम स्टाक पर उत्पाद शुल्क के लिए	55.92	65.68
अन्य के लिए	-	-
कुल	**1,461.26**	**1,252.79**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी- 10
अचल संम्पत्तियां एवं जारी कार्य पूंजी

₹ करोड़ में

विवरण	अचल परिसंपत्तियां एवं सीडब्ल्यूआईपी: जीआर ब्लॉक				ह्रास एवं सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान				क्षति/ हानि				31.03.14 को	31.03.13 को
अचल परिसंपत्तियां **मूर्त परिसंपत्तियां**	01.04.13 को	अतिरिक्त	समा./ बिक्री/ अंतरण	31.03.14 को जी ब्लॉक	01.04.13 को	अतिरिक्त	समा./ बिक्री/ अंतरण	31.03.14 को टीओटी	01.04.13 को	अतिरिक्त	समा./ बिक्री/ अंतरण	31.03.14 को टीओटी	शुद्ध ब्लॉक	शुद्ध ब्लॉक
भूमि: मुक्त (फ्रीहोल्ड)	56.51	7.40	-0.08	**63.83**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**63.83**	**56.51**
पट्टे पर दी गई	2.89	0.00	0.00	**2.89**	1.26	0.19	0.00	**1.45**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**1.44**	**1.63**
भवन / जल आपूर्ति / सड़क एवं पुलियां	474.07	4.57	1.71	**480.35**	203.70	9.61	0.23	**213.54**	1.13	0.00	0.00	**1.13**	**265.68**	**269.24**
संयंत्र और उपकरण	3101.26	240.84	-98.57	**3243.53**	2184.91	177.81	-86.47	**2276.25**	72.65	0.00	0.00	**72.65**	**894.63**	**843.70**
दूर संचार	8.21	0.22	0.00	**8.43**	7.32	0.31	0.00	**7.63**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.80**	**0.89**
रेल साइडिंग	46.75	2.71	-1.64	**47.82**	35.36	1.31	0.36	**37.03**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**10.79**	**11.39**
फर्नीचर एवं फिट./ का.उपकरण/ इले फि./ आग्नेयास्त्र	34.77	1.06	-0.06	**35.77**	27.90	1.06	-0.06	**28.90**	2.60	0.00	0.00	**2.60**	**4.27**	**4.27**
वाहन	44.73	0.00	-2.34	**42.39**	35.85	1.22	-0.39	**36.68**	0.01	0.00	0.00	**0.01**	**5.70**	**8.87**
विमान	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
विकास	275.34	4.80	0.05	**280.19**	177.24	4.54	0.01	**181.79**	37.32	21.18	0.00	**58.50**	**39.90**	**60.78**
राष्ट्रीयकरण के समय ली गईं परिसंपत्तियां	11.46	0.00	0.00	**11.46**	10.58	0.00	0.00	**10.58**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.88**	**0.88**
कुल	**4055.99**	**261.60**	**-100.93**	**4216.66**	**2684.12**	**196.05**	**-86.32**	**2793.85**	**113.71**	**21.18**	**0.00**	**134.89**	**1287.92**	**1258.16**
पिछले वर्ष (मूर्त संपत्ति)	4026.10	137.48	-107.59	4055.99	2596.05	190.35	-102.28	2684.12	107.71	6.00	0.00	113.71	1258.16	
अमूर्त आस्तियां : कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
विकास	520.17	2.74	0.00	**522.91**	336.48	8.11	0.00	**344.59**	84.23	35.41	0.00	**119.64**	**58.68**	**99.46**
पूर्वेक्षण और बोरिंग	22.64	0.00	0.00	**22.64**	20.86	0.16	0.00	**21.02**	0.65	-0.02	0.00	**0.63**	**0.99**	**1.13**
कुल	**542.81**	**2.74**	**0.00**	**545.55**	**357.34**	**8.27**	**0.00**	**365.61**	**84.88**	**35.39**	**0.00**	**120.27**	**59.67**	**100.59**
पिछले वर्ष (अमूर्त परिसंपत्तियां)	542.19	0.62	0.00	542.81	344.50	12.84	0.00	357.34	84.09	0.79	0.00	84.88	100.59	
जारी कार्य पूंजी:														
मूर्त:भवन / जल आपूर्ति / सड़क एवं	18.20	11.11	-4.63	**24.68**	2.04	0.24	-0.23	**2.05**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**22.63**	**16.16**
संयंत्र और उपकरण	128.69	478.87	-240.80	**366.76**	27.07	1.19	-3.47	**24.79**	0.05	0.00	0.00	**0.05**	**341.92**	**101.57**
रेलवे साइडिंग	0.78	3.54	-2.71	**1.61**	0.66	0.01	-0.39	**0.28**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**1.33**	**0.12**
विकास	30.08	5.96	-4.85	**31.19**	0.75	0.17	-0.01	**0.91**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**30.28**	**29.33**
अन्य	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल	**177.75**	**499.48**	**-252.99**	**424.24**	**30.52**	**1.61**	**-4.10**	**28.03**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.05**	**396.16**	**147.18**
पिछले वर्ष (मूर्त सीडब्ल्यूआईपी)	165.27	277.38	-264.90	177.75	30.09	0.43	0.00	30.52	0.05	0.00	0.00	0.05	147.18	
निष्प्रयोज्य आस्तियां	**32.15**	**4.49**	**-2.64**	**34.00**		**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**		**34.00**	**32.15**
पिछले वर्ष	28.71	5.07	-1.63	32.15									32.15	
कुलयोग सीडब्ल्यूआईपी (मूर्त)	**209.90**	**503.97**	**-255.63**	**458.24**	**30.52**	**1.61**	**-4.10**	**28.03**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.05**	**430.16**	**179.33**
कुलयोग सीडब्ल्यूआईपी (मूर्त) पिछले वर्ष	193.98	282.45	-266.53	209.90	30.09	0.43	0.00	30.52	0.05	0.00	0.00	0.05	179.33	0.00
अमूर्त: विकास	54.71	60.64	-0.72	**114.63**	1.29	0.00	0.00	**1.29**	5.65	0.00	0.00	**5.65**	**107.69**	**47.77**
पूर्वेक्षण और बोरिंग	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल	**54.71**	**60.64**	**-0.72**	**114.63**	**1.29**	**0.00**	**0.00**	**1.29**	**5.65**	**0.00**	**0.00**	**5.65**	**107.69**	**47.77**
पिछले वर्ष (अमूर्त सीडब्ल्यूआईपी)	10.03	49.12	-4.44	54.71	1.29	0.00	0.00	1.29	5.65	0.00	0.00	5.65	47.77	

1. हस्तांतरण और भू-अर्जन:

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय अधिगृहीत परिसंपत्तियों एवं देयताओं के साथ ही साथ भारत सरकार के कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन, चार अन्य चिकित्सालयों सहित केंद्रीय चिकित्सालय, भारत सरकार का माइंस रेसक्यू स्टेशन, स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चार वाशरियां, पूर्व कोल बोर्ड एवं केंद्रीय झरिया परियोजना को भारत सरकार द्वारा कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयला निक्षेप क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि परिवर्तन का कानूनी प्रश्न नहीं उठता, चूंकि इसका अधिकार, हक और हित पूर्णत: केन्द्र सरकार में निहित रहता है, जो कि एक सरकारी कंपनी के रूप में बीसीसीएल को हस्तांतरित है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां:

क) कंपनी के स्वामित्व में आने वाली 526 एकड़ भूमि, संवेदनशील अतिक्रमण किया हुआ क्षेत्र है।

ख) पूर्ण स्वामित्व वाली शेष भूमि भुगतान कार्यालय के लेखा बही में भूमि अभिलेखों के साथ मिलान के अंतर्गत है।

ग) माइंस रेसक्यू स्टेशन तथा कोयला खान श्रमिक संगठन से संबंधित परिसंपत्तियों, जिन्हें कंपनी में हस्तांतरित किया गया है और जिन्हें कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जा चुका है, को लेखा में दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उपयुर्क्त इकाइयों के हस्तानांतरण के समय लेखा-मूल्य कंपनी को उपलब्ध नहीं था।

घ) राष्ट्रीयकरण के समय अधिग्रहित परिसंपत्तिया :-

कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियमय, 1971 के अंतर्गत कवर की गई आस्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा ₹ 0.88 करोड़ मूल्य की जमीन सहित कुल ₹ 11.46 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया गया है (जिनका मात्रात्मक एवं मूल्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है), जिन पर, जमीन छोड़कर, मूल्यह्रास का लेखा में पूर्णतया प्रावधान किया गया है।

ङ) अप्रयोज्य परिसंपत्तियां:-

भंडार में उपलब्ध अप्रयोज्य परिसंपत्तियों को शुद्ध बुक मूल्य के अंतर्गत स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची में दिखाया गया है क्योंकि शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का मदवार निर्धारण नहीं किया जा सका।

3. पूंजीगत जारी कार्य

'अन्वेषण और बोरिंग" तथा विकास पर दिखलाए गए खर्च का अधिकांश हिस्सा पूर्ण होने ही वाले कार्यों से संबंधित है।

जिन संयंत्रों व मशीनरी का उपयोग 3 वर्ष से अधिक नहीं किया गया है और मूल्यह्रास दर पर चार वर्षों से अधिक जारी कार्यगत पूंजी के अंतर्गत अधूरे पड़े उन सिविल कार्यों का प्रावधान रखा गया है जो अन्यथा ऐसे मदों पर लागू हो सकता था।

नुनुडीह एवं भूली सहित भीमकनाली टाउनशिप में ₹ 5.20 करोड़ की लागत वाले 'ए' टाइप खनिक आवासों पर कब्जा हो गया है तथा इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, किंतु विवाचन/ मुकदमें के कारण, इसे पूंजीकृत नहीं किया गया है। यद्यपि, मूल्यह्रास की दर से लेखा में आवश्यक प्रावधान किया गया है। दिनांक 31.03.2014 तक ₹ 1.28 करोड़ का संचित प्रावधान है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी- 11

गैर वर्तमान निवेश- लागत से इतर

₹ करोड़ में

	शेयरों/ बंधपत्रों/ प्रतिभूतियों की संख्या वर्तमान वर्ष/ (गत वर्ष)	प्रति शेयर/ बंध पत्र/ प्रतिभूति अंकित मूल्य वर्तमान वर्ष (गत वर्ष)	**31.03.14 को**	**31.03.13 को**
व्यवसाय				
8.5% कर मुक्त विशेष बंध पत्र (पूर्ण प्रदत्त) :				
(विविध कर्जदारों के प्रतिभूतिकरण पर)				
प्रमुख राज्यों का राज्य-वार विवरण				
उत्तर प्रदेश	2/(4)	69,280,000	13.85	27.71
हरियाणा	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	-
गुजरात	-	-		-
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
संयुक्त उपक्रम की कंपनियों में इक्विटी शेयर (संयुक्त उपक्रम के नाम के साथ)	-	-	-	-
अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर (अनुषंगियों के नाम के साथ)	-	-	-	-
अन्य (कॉपरेटिव शेयर)	-	-	-	-
गैर व्यवसाय				
7.55% अपरिवर्तनीय आइआरएफसी कर मुक्त बंधपत्र 2021 श्रंखला				
कुल :	2/(4)	**69,280,000.00**	**13.85**	**27.71**
उद्धृत निवेश का कुल योग			-	-
गैर -उद्धृत निवेश का कुल योग			13.85	27.71
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
गैर उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश मूल्य में ह्रास हेतु किया गया प्रावधान			-	-

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी- 12

₹ करोड़ में

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

	31.03.14 को	31.03.13 को
अग्रिम :		
पूंजी के लिए - उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित	5.63	-
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित	36.54	24.97
- संदेहास्पद		4.51
	42.17	29.48
घटाव: संदेहास्पद ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान		4.51
	42.17	24.97
राजस्व के लिए - उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित		
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित		
- संदेहास्पद	-	-
घटाव: संदेहास्पद ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
प्रतिभूति जमा - उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित		
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित		
- संदेहास्पद	-	-
घटाव: संदेहास्पद ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
पी एंड टी, बिजली आदि के लिए जमा: - उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित		
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित	12.62	14.98
- संदेहास्पद	0.53	1.72
	13.15	16.70
घटाव: संदेहास्पद ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.53	1.72
	12.62	14.98
कर्मचारियों एवं अन्य को ऋण		
आवास बनाने हेतु - उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित	1.35	1.72
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित		
- संदेहास्पद		
	1.35	1.72
* मोटर कार एवं यातायात सुविधा हेतु - उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित	0.05	0.07
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित		
- संदेहास्पद		
	0.05	0.07
अन्य के लिए - उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित		
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित		
- संदेहास्पद	-	-
घटाव: संदेहास्पद ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
अनुषंगी कंपनियों को ऋण - उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित		
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित		
- संदेहास्पद	-	-
कुल	**56.19**	**41.74**

नोट :

	अंतिम शेष		दी गई समय अवधि में	
	वर्तमान	पिछले वर्ष	वर्तमान	पिछले वर्ष
एक ही प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली कंपनियों पर बकाया (कंपनी के नाम के साथ)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
जिन पार्टियों में कंपनी के निदेशक (गण) अभिरूचि रखते हैं, उन पर बकाया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

* इस ऋण में इस पर उपार्जित ब्याज भी शामिल है.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी- 13

अन्य गैर वर्तमान परिसंपतियां

₹ करोड़ में

	31.03.14 को	**31.03.13 को**
दीर्घकालिक व्यापार परिसंपत्तियां		
- उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित	-	-
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाया: दोषपूर्ण एवं संदेहास्पद व्यापार प्राप्य हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
ड्रिलिंग कार्य		
- उत्तम प्रवृत्ति के सुरक्षित	-	-
- उत्तम प्रवृत्ति के असुरक्षित	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाया: दोषपूर्ण एवं संदेहास्पद ड्रिलिंग कार्य हेतु प्रावधान		
	-	-
अन्य प्राप्तियां		
- उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित	-	-
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाया : दोषपूर्ण एवं संदेहास्पद प्राप्तियों हेतु प्रावधान		
	-	-
कुल	**-**	**-**

नोट

	अंतिम शेष		**दी गई समय अवधि में किसी भी समय बकाया अधिकतम राशि**	
	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
एक ही प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली कंपनियों पर बकाया (कंपनी के नाम के साथ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जिन पार्टियों में कंपनी के निदेशक (गण) अभिरूचि रखते हैं, उन पर बकाया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी- 14

लघु अवधि निवेश - लागत पर गैर- उद्धृत

₹ करोड़ में

	शेयरों/ बंधपत्रों/ प्रतिभूतियों की संख्या वर्तमान वर्ष/ (गत वर्ष)	प्रति शेयर/ बंध पत्र/ प्रतिभूति अंकित मूल्य वर्तमान वर्ष (गत वर्ष)	प्रति शेयर/ बंध पत्र/ प्रतिभूति बाजार मूल्य/ एनएवी वर्तमान वर्ष (गत	**31.03.14 को**	**31.03.13 को**
गैर- व्यापारिक					
म्युचूअल फंड निवेश	-	-		-	-
(म्यूचूअल फंड के नाम सहित)					
7.55% अपरिवर्तनीय आइआरएफसी कर मुक्त बंधपत्र 2021 श्रंखला					
व्यापार					
8.5% कर मुक्त विशेष बांड (पूर्ण प्रदत्त) :					
(विविध कर्जदारों के प्रतिभूतिकरण पर)					
प्रमुख राज्यों का राज्यवार विवरण	2 / (2)	69,280,000		13.86	13.86
कुल :	2 / (2)	**69,280,000**		**13.86**	**13.86**
उद्धृत निवेश का कुल योग				-	-
गैर -उद्धृत निवेश का कुल योग				13.86	13.86
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				-	-
गैर उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				-	-
निवेश मूल्य में ह्रास हेतु किया गया प्रावधान				-	

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी- 15

माल सूची

(लेखा नीति संख्या-6.0 के अनुसार मूल्यांकन)

₹ करोड़ में

	31.03.14 को	**31.03.13 को**
कोयला/ कोक का स्टाक	1048.86	1,183.75
विकास प्रक्रिया के तहत कोयला	-	-
	1,048.86	1,183.75
घटाया : प्रावधान	430.11	426.70
क. कोयला/कोक का स्टाक (शुद्ध)	**618.75**	**757.05**
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)	116.52	122.38
मार्गस्थ भण्डार	2.18	2.61
घटाया : प्रावधान	55.02	50.97
ख. भंडार एवं अतिरिक्त पूर्जों का कुल स्टॉक (लागत पर)	**63.68**	**74.02**
कर्मशाला कार्य :		
चालू कार्य एवं तैयार माल	5.83	5.78
घटाया : प्रावधान	-	-
ग. कर्मशाला कार्य का शुद्ध स्टॉक	**5.83**	**5.78**
घ. प्रेस :		
चालू कार्य एवं तैयार माल		
ङ. केंद्रीय चिकित्सालय में दवा का स्टॉक	0.41	0.22
च. संभाव्यता एवं बोरिंग/ विकास व्यय/ बिक्री हेतु कोयला ब्लॉक	-	-
योग (क से च)	**688.67**	**837.07**

1. 31.03.2014 को कोयला स्टॉक का मूल्यांकन प्राप्य मूल्य अथवा लागत जो भी कम हो, पर किया गया है।

2. स्टॉक बही से तुलना करने पर भौतिक सत्यापन में +/- 5% से अधिक शुद्ध कमी / अधिशेष पाए कोयला, कोक आदि का उल्लेख नीचे किया गया है (लेखांकन नीति बिंदु संख्या 6 देखें)

उत्पाद	**मात्रा** (लाख टन)	**मूल्य** ₹ करोड़ में
वाशरी उत्पाद (अधिशेष)	0.00134	0.02

उपर्युक्त वाशरी उत्पाद मूनिडीह वाशरी के मिडिलिंग से संबन्धित हैं

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

टिप्पणी- 15 का अनुबंध

तालिका- क

31.03.2014 तक बुक स्टॉक सहित लेखा में शामिल कच्चे कोयले के अंतिम स्टॉक का लेखा समाधान

₹ करोड़ में

(मात्रा- लाख टन में)

	कुल स्टॉक		बिक्री के अयोग्य स्टॉक		बिक्री योग्य स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.क) 01-04-13 को आरंभिक स्टाक	67.82	571.92	15.74	0.00	52.08	571.92
ख) आरंभिक स्टाक में समायोजन	-	-	-	-		
2- उत्पादन	326.14	8,011.68	-	-	326.14	8011.68
3. उप योग (1+2)	**393.96**	**8,583.60**	**15.74**	**-**	**378.22**	**8,583.60**
4. वर्ष का कुल व्यवसाय :						
(क) बाहर भेजा गया	317.56	7,388.83	-	-	317.56	7388.83
(ख) वाशरियों में खपत	23.74	737.24	-	-	23.74	737.24
(ग) निजी खपत	0.70	22.68	-	-		22.68
उप- योग (4)	**342.00**	**8,148.75**	**-**	**-**	**341.30**	**8,148.75**
5. व्युत्पन्न स्टॉक (3-4)	51.96	434.85	15.74	-	36.22	434.85
6. मापित स्टॉक	50.97	423.23	15.74	-	35.23	423.23
7. अंतर (5-6)	0.99	11.62	0.00	-	0.99	11.62
1- 8- अंतर का विवरण						
(क) 5% के भीतर की अधिकता	-	0.05	-	-	0.00	0.05
(ख) 5% के भीतर की कमी	0.99	11.67	-	-	0.99	11.67
(ग) 5% से उपर की अधिकता	-	-	-	-		
(घ) 5% से अधिक की कमी	-	-	-	-		
9- लेखा में लिया गया अंतिम - स्टॉक (6-8क+8ख)	**51.96**	**434.85**	**15.74**	**-**	**36.22**	**434.85**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी- 16

व्यापार प्राप्तियां

₹ करोड़ में

	31.03.14 को	**31.03.13 को**
नियत तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण		
- उत्तम प्रवृत्ति के सुरक्षित	-	-
- उत्तम प्रवृत्ति के असुरक्षित	575.14	256.50
- संदेहास्पद	410.58	423.88
	985.72	680.38
घटाया: दोषपूर्ण एवं संदेहास्पद प्राप्तियों हेतु प्रावधान	410.58	423.88
	575.14	256.50
अन्य ऋण		
- उत्तम प्रवृत्ति के सुरक्षित	134.22	24.08
- उत्तम प्रवृत्ति के असुरक्षित	860.79	1,091.47
- संदेहास्पद	110.69	138.38
	1,105.70	1,253.93
घटाया: दोषपूर्ण एवं संदेहास्पद प्राप्तियों हेतु प्रावधान	110.69	138.38
	995.01	1,115.55
कुल	**1,570.15**	**1,372.05**

नोट

	अंतिम शेष		**दी गई समय अवधि में किसी भी समय बकाया अधिकतम राशि**	
	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
एक ही प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली कंपनियों पर बकाया (कंपनी के नाम के साथ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जिन पार्टियों में कंपनी के निदेशक (गण) अभिरूचि रखते हैं, उन पर बकाया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 17

नकदी एवं बैंक शेष

₹ करोड़ में

	31.03.14 को	**31.03.13 को**
नकदी एवं नकदी समतुल्य		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
- एसबीआई लाभांश खाता (अप्रदत्त/ अदावी लाभांश खाता)		
- तीन महीने तक की परिपक्वता वाले जमा खातों में		-
- चालू खाते में	120.70	124.40
- नकदी- ऋण खातों में		
गैर अनुसूचित बैंकों में शेष		
भारत के बाहर के बैंकों के खाते में		
मार्गस्थ प्रेषण	-	0.07
उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट, स्टांप		
उपलब्ध नकदी	0.43	0.45
स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि योजना के तहत तीन महीने तक की परिपक्वता के साथ अनुसूचित बैंकों में जमा	-	-
अन्य बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
- तीन महीने तक की परिपक्वता वाले जमा खातों में	2164.91	2269.21
स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि योजना के तहत तीन महीने तक की परिपक्वता के साथ अनुसूचित बैंकों में जमा	-	-
खदान बंदी की योजना के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा	55.32	-
	-	
कुल	**2,341.36**	**2,394.13**
वर्ष के दौरान किसी भी समय अनुसूचित बैंकों के अलावा अन्य बैंकों में अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य

टिप्पणी:

1. जमा खाते में बैंक गारंटी के लिए मार्जिन राशि के रूप में बैंक के पास गिरवी ₹ 1.16 करोड़ रूपये की सावधि जमा शामिल है.
2. जमा खाते में ₹ 100.00 करोड़ की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक धनबाद के पास गिरवी ₹ 111.12 करोड़ रूपये की सावधि जमा शामिल है.

3. कीमत में अंतर के कारण 03.01.03.2006 से 30.03.2006 की अवधि के लिए के लिए विस्फोटक आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 1.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी और इस राशि को टिप्पणी संख्या 17 में "नकदी और बैंक शेष" शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है. माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में इस राशि को आईडीबीआई बैंक, धनबाद शाखा में 7.25% वार्षिक दर पर सावधि जमा के रूप जमा किया गया था. इस राशि की परिपक्वता के बाद परिपक्वता राशि ₹ 1.73 करोड़ का दिनांक 31.10.2011 को आन्ध्रा बैंक, धनबाद में 9.60% वार्षिक ब्याज दर पर सावधि जमा के रूप में पुनर्निवेश किया गया और पुन: दिनांक 30.10.2013 तक की परिपक्वता राशि ₹ 2.10 करोड़ दिनांक 01.11.2013 को 9.10% वार्षिक ब्याज दर पर सावधि जमा के रूप में आंध्रा बैंक में पुनर्निवेशित की गई। सावधि जमा पर क्रमश: 7.25% , 9.60% तथा 9.10% वार्षिक दर का अंतर तथा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 12% वार्षिक दर से ब्याज की कुल देय राशि ₹ 0.53 करोड़ को 31.03.2014 तक आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है.

टिप्पणी - 18

अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम — **₹ करोड़ में**

ऋण	**31.03.14 को**	**31.03.13 को**
अग्रिम (नकदी अथवा इसी प्रकार के मूल्य में वसूल किए जाने योग्य)		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
राजस्व के लिए: - उत्तम प्रवृत्ति के सुरक्षित		
- उत्तम प्रवृत्ति के असुरक्षित	10.29	27.35
- संदेहास्पद	0.25	16.61
	10.54	43.96
घटाया : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.25	16.61
	10.29	**27.35**
सांविधिक देय राशि का अग्रिम भुगतान		
बिक्री कर : - उत्तम प्रवृत्ति का सुरक्षित		
- उत्तम प्रवृत्ति का असुरक्षित	99.09	65.95
- संदेहास्पद		0.02
	99.09	65.97
घटाया : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		0.02
	99.09	**65.95**
अग्रिम आयकर/स्रोत पर आयकर की कटौती	485.24	252.83
घटाया : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
	485.24	**252.83**
अन्य :- उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित		
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित	8.55	0.51
- संदेहास्पद		0.58
	8.55	1.09
घटाया : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		0.58
	8.55	**0.51**
कर्मचारियों को अग्रिम: - उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित		
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित	112.16	115.52
- संदेहास्पद	0.10	0.34
	112.26	115.86
घटाया : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.10	0.34
	112.16	**115.52**
सीआईएल एवं सीआईएल की अन्य अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू खाता		
अनुषंगी कंपनियों के साथ ऋण खाता : - उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित		
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित		
- संदेहास्पद		
	-	-
घटाया : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
	-	-
प्राप्य दावे : - उत्तम प्रवृत्ति की सुरक्षित		
- उत्तम प्रवृत्ति की असुरक्षित	132.26	39.05
- संदेहास्पद		3.82
	132.26	42.87
घटाया : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		3.82
	132.26	39.05
पूर्वदत्त (प्रीपेड) व्यय	0.25	0.94
कुल	**847.84**	**502.15**

नोट

	अंतिम शेष		**दी गई समय अवधि में किसी भी समय अधिकतम बकाया राशि**	
एक ही प्रबंधन के अधीन कंपनियों में बकाया (कंपनियों के नाम सहित)	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
इर्स्टन कोलफिल्ड्स लिमिटेड	-	-	0.19	0.28
सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड	-	-	0.39	0.27
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड		-	0.16	0.22
साउथ इर्स्टन कोलफिल्ड्स लिमिटेड		-	0.26	0.28
महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड	-	-	0.16	0.16
सी एम पी डी आइ लिमिटेड	-	-	2.70	0.33
नादर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	-	-	0.11	0.11
जिन पार्टियों में कंपनी के निदेशक (गण) अभिरूचि रखते हैं,उन पर बकाया	-	-	-	-

1. ऋण एवं अग्रिमों में अग्रिम बिक्री कर के रूप में भुगतान तथा अपील के अंतर्गत लम्बित मामलों के लिए भुगतान की गई ₹ 99.09 करोड़ की राशि शामिल हैं.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी -19

अन्य चालू परिसंपत्तियां

₹ करोड़ में

	31.03.14 को	31.03.13 को
उपचित ब्याज		
- निवेश	1.47	2.06
- बैंक में जमाराशि	96.31	104.86
- अन्य	-	-
भूतपूव मालिका क खात	1.84	1.85
अन्य अग्रिम	221.97	128.02
घटाया : प्रावधान		0.01
	221.97	**128.01**
जमा राशियां		
सीमा शुल्क, पत्तन-प्रभार इत्यादि के लिए जमा		-
कोल इंडिया लिमिटेड के पास जमा	-	-
रायल्टी ,उपकर एवं बिक्रीकर के लिए जमा	3.85	3.26
घटाया : प्रावधान		-
	3.85	3.26
अन्य (सीईडी)	13.18	74.39
घटाया : प्रावधान		0.05
	13.18	74.34
पूर्व के कोलबोर्ड की ओर से किए जाने वाले लेन- देन हेतु भारत सरकार से प्राप्य राशि	-	-
घटाया : प्रावधान	-	-
	-	-
अन्य प्राप्य राशियां		1.34
घटाया : प्रावधान	-	-
	-	1.34
कुल	**338.62**	**315.72**

1. ऋण एवं अग्रिमों में वर्ष 1998-99 के दौरान बिहार राज्य बिजली बोर्ड को इकरार के तहत भुगतान की गई ₹ 45.00 करोड़ राशि शामिल है.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा टिप्पणी

टिप्पणी- 20

परिचालन से राजस्व **₹ करोड़ में**

	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.13 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयला, कोक इत्यादि की बिक्री	10112.56	10,176.62
घटाया : उत्पाद शुल्क	597.81	533.94
घटाया : लेवी		
रायल्टी	640.76	642.11
कोयले पर उपकर	49.42	2.35
बालू भराई पर उत्पाद शुल्क	31.76	30.09
केंद्रीय बिक्री कर	145.80	149.86
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	158.78	150.43
राज्य बिक्री कर/ वैट	143.90	152.00
अन्य लेवी	56.34	61.24
कुल लेवी	**1,824.57**	**1,722.02**
परिचालन से राजस्व (शुद्ध बिक्री)	**8,287.99**	**8,454.60**

1. बिक्री राशि, ग्रेड स्लिपेज आदि के कारण उपभोक्ताओं द्वारा वास्तविक कटौतियों के समायोजन के बाद

टिप्पणी - 21

अन्य आय

₹ करोड़ में

	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.13 को समाप्त वर्ष के लिए**
दीर्घकालिक निवेश से आय		
संयुक्त उद्यम से लाभांश	-	-
अनुषंगी कंपनियें से लाभांश		
ब्याज : सरकारी प्रतिभूतियों (8.5% कर मुक्त विशेष बंधपत्र) (व्यवसाय) से	2.06	3.24
7.55% अपरिवर्तनीय आइआरएफसी कर मुक्त बंधपत्र-		
2021 श्रंखला (गैर- व्यापार)		
चालू निवेश से आय		
म्युचुअल फंड में निवेश से लाभांश	-	-
ब्याज : सरकारी प्रतिभूतियों (8.5% कर मुक्त विशेष बंधपत्र) (व्यवसाय) से	1.18	1.18
7.55% अपरिवर्तनीय आइआरएफसी कर मुक्त बंधपत्रों-		
2021 श्रंखला (गैर- व्यापार)	-	-
अन्य स्रोतों से आय		
ब्याज (सकल)		
बैंक जमा से	223.46	231.97
कर्मचारियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिमों से	0.05	0.07
आयकर वापसी से	3.85	-
कोल इंडिया से	-	-
अन्य	1.15	-
प्रमुख प्रभार	-	-
बालू भराई एवं संरक्षित कार्य हेतु अनुदान	3.86	4.86
परिसंपत्तियों के बिक्री से लाभ	0.01	0.30
परिवहन एवं लदान लागत की वसूली	183.46	154.49
विदेशी विनिमय लेन-देन से प्राप्त लाभ	-	-
विनिमय दर में अंतर	-	-
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	14.19	25.85
पट्टा किराया	6.93	7.50
प्रतिलेखन देयताएं	519.66	17.76
अनुषंगी कंपनियों से गारंटी शुल्क	-	-
अन्य गैर-परिचालित आय	46.95	35.59
कुल	**1,006.81**	**482.81**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा टिप्पणी

टिप्पणी - 22

₹ करोड़ में

खपत की गई सामाग्री की लागत

	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	143.01	146.79
टिंबर	7.83	11.23
पी ओ एल	256.40	185.30
एच इ एम एम कलपुर्जे	74.17	78.83
अन्य उपभोज्य सामग्री एवं पुर्जे	82.67	75.51
कुल	**564.08**	**497.66**

टिप्पणी- 23

तैयार माल की सूची, चालू कार्य एवं अंतिम रूप से तैयार माल में परिवर्तन

₹ करोड़ में

	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयला/ कोक का अंतिम स्टॉक	1048.86	1,183.75
घटाया : कोयला /कोक का ह्रास	430.11	426.70
कुल (1)	**618.75**	**757.05**
कोयला/ कोक का आरम्भिक स्टॉक	1183.75	1,377.86
जोड़ा: आरम्भिक स्टॉक समायोजन		
घटाया : कोयला /कोक का ह्रास	426.70	431.07
कुल (2)	**757.05**	**946.79**
क) अंतिम स्टॉक सूची में परिवर्तन (2-1)	**138.30**	189.74
कर्मशाला में अंतिम रूप से तैयार सामान एवं चालू कार्य का अंतिम स्टॉक	5.83	-
घाटाया: प्रावधान	-	-
कुल (3)	**5.83**	-
कर्मशाला में अंतिम रूप से तैयार माल स्टॉक एवं चालू कार्य का	5.78	-
घाटाया: प्रावधान	-	-
कुल (4)	**5.78**	-
ख) कर्मशाला के अंतिम स्टाक (4-3)की सूची में परिवर्तन	**(0.05)**	-
प्रेस संबंधी अंतिम कार्य		
i) तैयार माल	-	-
ii) चालू कार्य	-	-
कुल (5)		
घटाया : प्रेस संबंधी आरंभिक कार्य		
i) तैयार माल	-	-
ii) चालू कार्य	-	-
कुल (6)		
ग) प्रेस द्वारा तैयार माल और चालू कार्य की सूची में परिवर्तन (6-5)	-	-
अंतिम रूप से तैयार माल स्टॉक की सूची में परिवर्तन (क + ख + ग)	**138.25**	**189.74**

टिप्पणी - 24

कर्मचारियों के लाभ पर व्यय **₹ करोड़ मे**

	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.13 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन,मजदूरी,भत्ते,बोनस एवं सुविधाएं	3271.73	3,006.42
अनुग्रह राशि	206.95	182.24
पी आर पी	69.10	69.01
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	380.72	361.60
उपदान (उपदान)	115.36	344.63
अवकाश नकदीकरण	112.76	182.36
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	-	-
कामगार क्षतिपूर्ति	2.82	2.01
चिकित्सा व्यय	28.22	100.13
स्कूल एवं संस्थाओं को अनुदान	2.29	2.23
खेलकूद एवं मनोरंजन	1.25	0.34
कैंटीन एवं क्रेच	0.38	0.26
बिजली - टाउनशिप	115.01	105.54
बस, एम्बुलेंस आदि का किराया प्रभार	5.68	4.38
अन्य कर्मचारी का लाभ	102.07	104.50
कुल	**4,414.34**	**4,465.65**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा टिप्पणी

टिप्पणी- 25

₹ करोड़ में

कल्याण पर व्यय

	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.13 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	(3.51)	32.62
सी एस आर पर खर्च	20.00	-
सतत विकास व्यय	-	-
पर्यावरण व्यय	0.89	0.73
वृक्षारोपण	0.01	0.03
अन्य कल्याण व्यय		-
कुल	**17.39**	**33.38**

1. कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति के अनुसार, अनुषंगी कंपनियों के अंतर्गत न आने वाले राज्यों में सीएसआर गतिविधियों तथा घाटा उठाने वाली कंपनियों की मदद के लिए कोल इंडिया लिमिटेड, पिछले वर्ष के लाभ का 2.5% सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन हेतु आवंटित करता है। यद्यपि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष में लाभ अर्जित किया है फिर भी कंपनी अभी संचित घाटे में है, इसी कारण यह किसी भी प्रकार के सीएसआर आरक्षित का प्रावधान नहीं कर सकती। चालू वित्त वर्ष में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने सीएसआर गतिविधियों में ₹ 27.80 करोड़ की राशि खर्च की है। जिसमें से ₹ 7.80 करोड़ कोल इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया है तथा शेष ₹ 20.00 करोड़ की राशि उत्तराखंड बाढ़ पीड़ितों के राहत और पुनर्वास कार्य के लिए उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई है, जिसे कोल इंडिया लिमिटेड के पत्रांक: CIL/C-3(A)/CSR/666 दिनांक: 02.01.2014 के अनुसार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की लेखा बही में एक विशेष मामले के रूप में सीएसआर खर्च में दिखाया गया है।

2. 31.03.14 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों के संबंध में बीमांकिक पीआरएमबी प्रावधान		33.26
31.03.13 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों के संबंध में बीमांकिक पीआरएमबी प्रावधान		36.96
सेवानिवृत्त अधिकारियों के संबंध में बीमांकिक पीआरएमबी प्रावधान हुई कमी		(3.70)
सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए प्रतिपूर्ति	0.58	
सेवानिवृत्त अधिकारियों से जमा	(0.39)	
		0.19
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय		(3.51)

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा टिप्पणी

टिप्पणी- 26

₹ करोड़ में

मरम्मत

	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.13 समाप्त वर्ष के लिए
भवन	35.27	29.22
संयंत्र एवं मशीन	135.13	94.19
अन्य	2.90	2.87
कुल	**173.30**	**126.28**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा टिप्पणी

टिप्पणी- 27

₹ करोड़ मे

संविदात्मक व्यय

	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.13 को समाप्त वर्ष के लिए**
परिवहन शुल्क		
- बालू	1.54	7.59
- कोयला एवं कोक	130.25	105.65
- भंडार एवं अन्य इत्यादि	-	-
बैगन लोडिंग	19.83	17.80
पी एंड एम भाड़ा शुल्क	634.63	589.02
अन्य संविदात्मक कार्य	29.02	27.02
कुल	**815.27**	**747.08**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा टिप्पणी

टिप्पणी- 28

₹ करोड़ में

वित्तीय लागत	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.13 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) ब्याज		
आस्थगित भुगतान	-	-
बैंक ओवरड्राफ्ट/ नकद जमा	-	
आई बी आर डी एवं जे बी आइ सी ऋण पर ब्याज	-	
सी आइ एल कोष के ऋण पर ब्याज	11.43	18.34
अनुषंगी कंपनियों से ब्याज	-	-
अन्य	18.79	0.63
कुल (क)	30.22	18.97
(ख) वित्तीय/प्रतिबद्धता प्रभार		
(आइबीआरडी एवं जेबीआइसी) ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
अन्य व्यय/ बैंक प्रभार	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल(क+ ख)	**30.22**	**18.97**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा टिप्पणी

टिप्पणी - 29

₹ करोड़ मे

प्रावधान

	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.13 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) निम्नलिखित के लिए प्रावधान		
संदेहास्पद ऋण	145.63	261.85
संदेहास्पद अग्रिम एवं दावे	0.02	-
विदेशी विनिमय लेन-देन	-	-
भंडार एवं पूर्जे	4.39	0.52
भूमि-सुधार / खादान बंद करने संबंधी व्यय	5.73	43.93
अप्रयोज्य नियत परिसंपत्तियां/ पूंजीगत डबल्यूआईपी	1.61	0.43
अन्य	-	-
कुल (क)	**157.38**	**306.73**
(ख) प्रतिलेखित प्रावधान		
संदेहास्पद ऋण	186.62	367.27
संदेहास्पद अग्रिम एवं दावे	26.79	0.04
विदेशी विनिमय लेन-देन	-	-
भंडार एवं पुर्जे	0.34	1.56
भूमि-सुधार / खदान बंद करने संबंधी व्यय	52.08	-
अप्रयोज्य नियत परिसंपत्तियां/ पूंजीगत डबल्यूआईपी	-	-
अन्य	-	-
कुल (ख)	**265.83**	**368.87**
कुल (क - ख)	**(108.45)**	**(62.14)**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा टिप्पणी

टिप्पणी - 30

₹ करोड़ में

बट्टे खाते में

	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.13 को समाप्त वर्ष के लिए**
संदेहास्पद ऋण	102.27	186.15
संदेहास्पद अग्रिम	36.20	-
अन्य	0.01	-
कुल	**138.48**	**186.15**

टिप्पणी - 31

₹ करोड़ में

अन्य व्यय	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.13 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय		
- देश में	10.03	8.68
- विदेश में	0.15	0.05
प्रशिक्षण व्यय	3.87	2.64
टेलीफोन एवं डाक	6.51	1.59
विज्ञापन एवं प्रचार	9.95	8.15
मालभाड़ा प्रभार	14.13	13.03
विलम्ब शुल्क	25.76	19.80
दान/चंदा	0.03	0.02
सुरक्षा खर्च	141.26	136.87
कोल इंडिया लिमिटेड का सेवा-शुल्क	16.31	-
किराया प्रभार	25.73	17.67
सीएमपीडीआई खर्च	8.84	11.66
कानूनी खर्च	1.77	1.68
बैंक खर्च	0.11	0.26
अतिथि-गृह व्यय	0.55	0.37
परामर्श शुल्क	1.08	0.38
कम भराई शुल्क	120.32	85.04
परिसंपत्ति के विक्रय/ अमान्य/ सर्वेक्षण पर हानि	0.56	0.21
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं खर्च		
- लेखा-परीक्षण शुल्क हेतु	0.13	0.13
- कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.01	0.01
- कंपनी कानून संबंधी मामलों के लिए	-	-
- प्रबंधन सेवाओं हेतु	-	-
- अन्य सेवाओं हेतु	0.10	0.08
- खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु	0.13	0.14
आंतरिक अंकेक्षण शुल्क एवं खर्चे	1.82	2.09
लागत अंकेक्षण एवं अन्य अंकेक्षण शुल्क तथा खर्चे	0.08	0.04
पुनर्वास पर व्यय	-	-
रायल्टी एवं उपकर	125.00	161.84
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	4.69	11.18
किराया	0.01	0.34
दर एवं कर	6.79	3.70
बीमा	1.14	0.83
विनिमय दर विविधता के कारण घाटा	-	-
पट्टा किराया	-	-
बचाव / सुरक्षा व्यय	1.35	1.22
अनिवार्य किराया/ सरफेस रेंट	0.56	1.06
साइडिंग रख-रखाव प्रभार	5.13	4.33
भूमि/फसल का मुआवजा	0.33	0.07
विविध खर्चे	18.04	14.83
कुल	**552.27**	**509.99**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

31.03.14 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा टिप्पणी

टिप्पणी - 32

अपवादात्मक मद

₹ करोड़ में

पूर्वावधि समायोजन

	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.13 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) व्यय		
कोयला एवं कोक की बिक्री	-	3.29
कोयला एव काक भण्डार	-	-
अन्य आय	-	-
भण्डार एवं अन्य मद में खपत	-	-
कर्मचारियों के परिश्रमिक एवं लाभ	-	-
बिजली एवं ईंधन	-	-
कल्याण पर व्यय	-	-
मरम्मत	2.48	-
संविदात्मक व्यय		0.56
अन्य व्यय	-	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्यह्रास	-	-
कुल (क)	**2.48**	**3.85**
(ख) आय		
कोयला एवं कोक की बिक्री	-	-
कोयला एवं कोक भण्डार	-	-
अन्य आय	-	-
भण्डार एवं अन्य मद में खपत	5.73	-
कर्मचारियों के परिश्रमिक एवं लाभ	-	-
बिजली एवं ईंधन	-	-
कल्याण पर व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
संविदात्मक व्यय	-	-
अन्य व्यय	-	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्यह्रास	0.25	-
कुल (ख)	**5.98**	**-**
कुल (क - ख)	**(3.50)**	**3.85**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
विशिष्ट लेखा नीति

टिप्पणी- 33

1.0. लेखा परंपराः

सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों एवं कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों, जिनमें उनके तहत अधिसूचित मानक शामिल हैं, के अनुसार उल्लिखित अन्य बातों को छोड़कर पूर्व की लागत परंपरा के अंतर्गत तथा लेखा का उपचय एवं वर्तमान अवधारणाओं के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं।

2.0. सरकारी वित्तीय सहायता/अनुदानः

2.1. कैपिटल लेखा के अंतर्गत वित्तीय सहायता/अनुदान को उनसे संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में से घटा दिया जाता है। तुलन-पत्र की तिथि को अव्ययित राशि यदि है, तो उसे चालू देयताओं में दिखाया जाता है।

2.2. राजस्व लेखा के अंतर्गत वित्तीय सहायता/अनुदान को अन्य आय-शीर्षक के तहत लाभ-हानि लेखा विवरण में जमा किया जाता है तथा संगत खर्चों को संबंधित शीर्ष के नामे लिखा जाता है। तुलन-पत्र की तिथि को अव्ययित राशि, यदि है, तो उसे वर्तमान देयताओं के रूप में दिखाया जाता है।

2.3. एक क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में सरकार से प्राप्त की गई वित्तीय सहायता/ अनुदानः

2.3.1. नोडल/क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में प्राप्त किया गया अनुदान/निधि का लेखा-जोखा प्राप्ति रसीदों एवं भुगतान के आधार पर किया जाता है।

3.0. स्थायी परिसंपत्तियां:

3.1. भूमिः

भूमि की कीमत में भूमि अधिग्रहण एवं संबंधित विस्थापित लोगों को पुनर्वास खर्च तथा विस्थापन लागत शामिल है। तथापि, भूमि अधिग्रहण में नियोजन के बदले मुआवजा आदि जैसे अन्य खर्च को राजस्व व्यय के रूप में रखा जाता है।

3.2. संयंत्र एवं मशीनरीः

संयंत्र एवं मशीनरी में इनका निर्माण/प्रतिष्ठापन लागत एवं व्यय तथा उन परिसंपत्तियों को उनके वांछित प्रयोग की स्थिति में लाने में लगी अन्य आरोप्य लागत शामिल है।

3.3. रेलवे साइडिंगः

कार्यारंभ के स्थगन के कारण रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु किये गए भुगतान को टिप्पणी सं0-12 में पूंजी के लिए अग्रिम शीर्ष के तहत "दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम" मद में दर्शाया गया है।

3.4. विकासः

विकास के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं/खानों की आय पर किये गए कुल व्यय को विकास लेखा में बुक किया जाता है तथा जब तक परियोजनाओं/खानों को राजस्व लेखा में नहीं लाया जाता तब तक इसे कार्यगत पूंजी के तहत वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा परियोजना रिपोर्ट में खासतौर से सतत आधार पर उत्पादन शुरू करने के लिए परियोजना की वाणिज्यिक तैयारी निर्धारित करने तथा विकास के तहत परियोजनाएं/खानों के निर्माण अवधि के दौरान आवश्यक विकास कार्य के संपूरण को निम्नलिखित शर्तों पर विचार करते हुए राजस्व में लाने का उल्लेख नहीं किया गया होः

क. अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार जिस वर्ष प्रत्येक परियोजना निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन कर लेती है, उस वर्ष के ठीक बाद वाले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से अथवा

ख. कोयला मिलने के दो वर्ष, अथवा

ग. वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक होता हो।

उपर्युक्त में से जो भी पहले हो ।

4.0. पूर्वेक्षण व बोरिंग तथा विकास पर किये गए अन्य खर्च:

एक **"पंचवर्षीय योजना"** की अवधि के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास पर हुए अन्य खर्च को परियोजनाओं के सूत्रीकरण के लिए तत्काल इसके बाद के दो पंचवर्षीय योजनावधि तक बट्टे खाते में डालने के पहले पूंजीगत चालू कार्य के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें वैसे चिन्हित ब्लॉक शामिल नहीं हैं जो बाहरी एजेंसी को बेचना है अथवा विक्रय के लिए प्रस्तावित है, और जिन्हें विक्रय प्रक्रिया को अंतिम रूप देने तक सूची में रखा गया है।

5.0. निवेशः

अल्पावधि निवेश को लागत के नीचले स्तर तथा तुलन-पत्र की तिथि के समय के उचित मूल्य स्तर पर मूल्यांकित किया गया है।

म्यूचुअल फंड में किये गए निवेश को चालू निवेश के रूप में रखा गया है।

गैर अल्पावधि निवेश को लागत के अंतर्गत रखा गया है।

6.0. मालसूची:

6.1. जहां बुक-स्टॉक तथा परिमित स्टॉक के बीच +/- 5% का अंतर होता है, वहां कोयला/कोक के बुक स्टॉक को लेखा में रखा जाता है और जहां यह अंतर +/- 5% से अधिक हो, उस मामले में परिमित स्टॉक पर विचार किया जाता है। इस प्रकार के स्टॉक को वसूली योग्य शुद्ध मूल्य अथवा लागत, इनमें से जो कम हो, उस पर कीमत लगाई जाती है।

6.1.1. लागत के नीचले स्तर अथवा वसूली योग्य शुद्ध मूल्य पर कोयला एवं कोक चूर्ण की कीमत लगाई जाती है।

6.1.2. वाशरी से निकला गादा (स्लरी), पत्थरयुक्त कोयला (मिड़लिंग) एवं उपोत्पादों की कीमत वसूली योग्य शुद्ध मूल्य पर लगाई जाती है।

6.2. <u>भंडार सामग्रीः</u>

6.2.1. केन्द्रीय भंडारों के प्राइस्ड स्टोर्स लेजर में दर्ज शेष बची सामग्री के अनुसार तथा कोलियरियों/ इकाइयों में पड़े भौतिक रूप से सत्यापित सामानों के अनुसार भंडार सामग्री एवं अतिरिक्त पुर्जों के अंतिम स्टाक (Closing Stock) को लेखा में रखा गया है।

6.2.2. केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय भंडारों की भंडार सामग्री एवं अतिरिक्त पुर्जों के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत प्रणाली (Weighted average method) के आधार पर परिकलित लागत पर किया जाता है। कोलियरियों/उप-भंडारों/ड्रिलिंग-कैंपो/खपत केन्द्रों में रखे गए भंडार सामग्री एवं अतिरिक्त पुर्जों के वर्षांत माल-सूची, जिन्हें शुरूआत में चार्ज-ऑफ किया गया है, का मूल्यांकन क्षेत्रीय भंडार के निर्गमन कीमत, लागत/परिकलित लागत पर किया जाता है चालू कार्य सहित कर्मशाला के कार्यों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

6.2.3. भंडार सामग्री व अतिरिक्त पुर्जों में खुले औजार शामिल हैं।

6.2.3. अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त एवं बेकार सामानों के लिए 100% की दर तथा 5 वर्षों तक पड़ी रही भंडार सामग्री व अतिरिक्त पुर्जों के लिए 50% की दर का प्रावधान रखा गया है।

6.3.3 लेखन सामग्री (मुद्रण प्रेस में पड़ी सामग्री को छोड़कर) ईंट, बालू, दवा (केंद्रीय अस्पताल की दवाइयों को छोड़कर) विमान के पुर्जे तथा रद्दी मालसूची में नहीं रखे गये हैं।

7.0. <u>मूल्यह्रास:</u>

7.1. दूर संचार उपकरण, फोटोकॉपी मशीन,फैक्स मशीन, मोबाईल फोन, डिजिटली इन्हैंस कॉर्डलेस टेलीफोन और कंप्यूटर (प्रिंटर व स्कैनर समेत) जिसे तकनीकी रूप से निम्नानुसार उनके अनुमानित जीवन के आधार पर उच्च दर निर्धारित किया गया है, को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दर एवं विधि के अनुसार स्ट्रेट लाइन प्रणाली के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास उपलब्ध कराया गया हैः-

दूर संचार (टेलीकम्युनिकेशन) उपकरण	:	15.83 % प्रतिवर्ष एवं 10.55% प्रतिवर्ष
फोटोकॉपी मशीन	:	23.75 % प्रतिवर्ष
फैक्स मशीन	:	31.67% प्रतिवर्ष
मोबाईल फोन	:	31.67% प्रतिवर्ष
डिजिटली इन्हैंस कॉर्डलेस टेलीफोन	:	31.67% प्रतिवर्ष
कंप्यूटर (प्रिंटर व स्कैनर समेत)	:	31.67% प्रतिवर्ष

अर्थ साइंस म्यूजियम तथा हाइ वाल्यूम सैम्पलर एवं श्वसन चूर्ण पर इनके तकनीकी रूप से अनुमानित जीवन के आधार पर @ 5.15% एवं 33.33% मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

खास उपकरण/एचइएमएम पर इनके तकनीकी रूप से अनुमानित जीवन के आधार पर मूल्यह्रास 11.88%, 13.57% एवं 15.83% की उच्च दर लागू है।

एसडीएल एवं एलएचडी पर तकनीकी अनुमान के आधार पर क्रमशः @ 19% प्र.व. एवं @ 5.83% प्र.व. का मूल्यह्रास शुल्क लगाया जाता है।

उन परिसंपत्तियों, जिनपर मूल्यह्रास (एसएलएम आधार) 100% प्रतिवर्ष होता है एवं जिनके जुड़ने वाले वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रास हो जाता है, को छोड़कर वर्ष के दौरान जुड़ने/हटाये जाने वाले महीने के संदर्भ में जोड़े गए/हटाये गए परिसंपत्तियों के मामले में यथा अनुपात (प्रो-रेटा) के आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान होता है, 100% मूल्यह्रास वाली परिसंपत्तियों को, जिसे वर्ष में उनका पूर्णतः मूल्यह्रास होता, उस वर्ष के दो वर्ष बाद उपयोग अवधि की सामग्री के बाद परिसंपत्तियों में से अलग कर लिया जाता है।

7.2. कोल बियरिंग एरिया (एक्वीजिशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के मूल्य का परिशोधन परियोजना के बचे शेष जीवन के आधार पर किया जाता है। पट्टाधारित भूमि के मूल्य का परिशोधन पट्टा अवधि अथवा परियोजना का शेष जीवन, जो कम हो, उसके आधार पर किया जाता है।

7.3. पूर्वेक्षण, बोरिंग एवं विकास पर किये गए खर्च का परिशोधन, जिस वर्ष से खान को 20 वर्षों में राजस्व के अंतर्गत लाया गया हो, अथवा परियोजना की शेष जीवन, जो कम हो, उस वर्ष से किया जाता है।

8.0. <u>परिसंपत्तियों की हानिः</u>

जहां किसी परिसंपत्ति की वहन राशि (Carrying amount) इसके वसूली योग्य राशि के अतिरिक्त वहां हानिकरण क्षति स्वीकार की जाती है तथा उसे लाभ-हानि विवरण में खर्च के रूप में मान लिया जाता है एवं वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि के अनुकूल कर दी जाती है।

जब यह संकेत मिलता है कि परिसंपत्ति के लिए पहचान की गई हानिकरण क्षति अब समाप्त हो गई है अथवा घट गई है, तो पूर्व के वर्षों में पहचान की गई हानिकरण क्षति के निराकरण (Reversal) रिकार्ड कर लिया जाता है।

9.0. <u>विदेशी मुद्रा की लेन-देनः</u>

9.1. तुलन-पत्र की तिथि को चालू दर एवं संबंधित लेखा में दिये गए तत्संबंधी प्रभाव के आधार पर विदेशी मुद्रा की लेन-देन की गई है। वर्ष के दौरान पूरी की गई लेने-देन का समायोजन वास्तविक आधार पर किया जाता है।

9.2. क्रॉस करेंसी स्वैप विकल्पों के अंतर्गत होने वाली लेन-देन का भविष्य में किए जाने वाले करार को नीचे पड़े विदेशी मुद्रा के तुलन-पत्र की तिथि को चालू दरों पर स्वीकार कर लिया गया है। इस तरह के करार के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभावों को समझौते के दिन ध्यान में रखा जाता है।

10.0. सेवांत लाभ/कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लाभः

क. परिभाषित अंशदान योजनाएं:

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि एवं पेंशन निधि से सेवांत लाभ के भुगतान के लिए अंशदान योजना को परिभाषित किया है। इस प्रकार की भविष्य निधि एवं पेशंन निधि का लेख कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) प्राधिकरण के पास रहता है एवं इसी प्राधिकार के द्वारा इसका परिचालन भी किया जाता है। इन योजनाओं के नियमों के अनुसार इन लाभों के लिए कोष हेतु कंपनी को पेरोल लागत का एक निश्चित प्रतिशत का अंशदान सीएमपीएफ प्राधिकरण को करने की जरूरत पड़ती है।

ख. परिभाषित लाभ योजनाएं:

उपदान (ग्रेच्यूटी) एवं छुट्टी नकदीकरण लेखा में तुलन-पत्र की तिथि की देयता का प्रबंध प्रायोजित इकाई जमा प्रणाली (Projected unit credit method) लागू करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। आगे, कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम निधिक समूह उपदान (Funded Group Gratuity) (नकद संचालन) स्थापित करने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया है। बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित उक्त निधि में अंशदान दिया जाता है।

ग. कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लाभः

तुलन-पत्र की तिथि को एलटीए/एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, इंस्यूरेंस स्कीम, व्यवस्थापन भत्ता, सेवा निवृत अधिकारी चिकित्सा लाभ योजना तथा खानों में दुर्घटनाओं में मरने वाले मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति जैसे मामले में मिलने वाले कर्मचारियों के अन्य खास लाभों की देयता का मूल्यांकन भी प्रायोजित इकाई जमा प्रणाली लागू करके बीमांकिक आधार पर किया जाता है।

11.0. आय एवं व्यय स्वीकरणः

सामान्यतः संभूति/उपचित आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान बनाये जाते हैं।

11.1. विक्रयः

क. विक्रय के संबंध में राजस्व तभी स्वीकार किया जाता है जब स्वामित्व का दायित्व एवं प्रतिफल सहित अचल संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित किया जाता है।

ख. सांविधिक बकाया एवं कोयला की गुणवत्ता के कारण उपभोक्ता द्वारा की गई स्वीकृत कटौती कोयले की वास्तविक बिक्री है।

ग. जहां वसूली की संभावना सुनिश्चित रहती है, वहीं राजस्व स्वीकार की जाती है। वहीं दूसरी ओर जहां प्रबंधन इस मामले में अनिश्चितता दर्शाता है वहां राजस्व स्वीकृति स्थगित रहती है।

11.2. लाभांशः

जब प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित होता है, तब लाभांश की आय स्वीकार की जाती है।

12.0. उधार-लागतः

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण पर सीधे आरोप्य उधार-लागत पूंजी में परिवर्तित हो जाती है। अन्य उधार लागत को खर्च के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में वह खर्च किया जाता है।

13.0. कराधानः

वर्तमान कर का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार बनाया गया है। लंबित कर देयताएं एवं परिसंपत्तियां वास्तविक अधिनियमित करदरों पर स्वीकार की जाती है वशर्ते कि एक ही अवधि में उपार्जित करयोग्य आय तथा हिसाब की गई आय के बीच के अंतर के रूप में समय के अंतर पर विवेक के साथ विचार किया गया हो और जो एक अथवा अधिक उत्तरवर्ती अवधि में भी निराकरण के योग्य हो।

14.0. प्रावधानः

कोई प्रावधान तभी स्वीकार किया जाता है जब किसी उद्यम के पास पहले की घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व हो। इसकी संभावना है कि आर्थिक लाभ को मूर्तरूप देने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता दायित्व को निपटाने में होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय प्राक्कलन तैयार किया जा सकता है। प्रावधानों को वर्तमान मूल्य से कम नहीं किया जाता है तथा इसे तुलन-पत्र तिथि के समय के दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सबसे अच्छे प्राक्कलन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

15.0. आकस्मिक देयताः

आकस्मिक देयता वह संभावित दायित्व है जो पूर्व की घटना के कारण होता है। इसकी होने की पुष्टि केवल एक या अधिक भावी घटनाओं के घटने या नहीं घटने से हो सकती है जो उद्यम के पूर्ण नियंत्रण अथवा जो पूर्व की घटना के कारण उत्पन्न वर्तमान दायित्वों के अंतर्गत नहीं होता है अपितु, दायित्वों को निपटाने अथवा इसके विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं बनाये जाने के कारण आर्थिक लाभ को मूर्तरूप देने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता की संभावना नहीं रहने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया।

लेखा में आकस्मिक देयताएं नहीं दी गई हैं। इन्हें टिप्पणी (Nots) के रूप में दिखाया गया है।

16.0. मलवा हटाने (ओबीआर) में हुए खर्च:

प्रतिवर्ष एक मिलियन टन या इससे अधिक तय की गई क्षमता वाली खुली खदानों में मलवा हटाइ (ओबीआर) की लागत तकनीकी आधारित मूल्यांकन औसत अनुपात (COAL:OB) में प्रत्येक खान में खानों के राजस्व लेखा के अंतर्गत लाये जाने के बाद अग्रिम स्ट्रिपिंग तथा आनुपातिक भिन्नता के लिए समुचित समायोजन के साथ चार्ज की जाती है। तुलन-पत्र की तिथि को अग्रिम स्ट्रिपिंग का शुद्ध शेष तथा आनुपातिक भिन्नता को अचल परिसंपत्तियों/दीर्घकालिक प्रबंधों, जो भी मामला हो, के शीर्ष के तहत मलवा हटाई (ओबीआर) की लागत दर्शायी जाती है।

रिकार्ड के अनुसार मलवा (ओबी) का प्रतिवेदित परिमाण पर विचार ओबीआर के लेखा-जोखा हेतु अनुपात की गणना करने में किया जाता है जहां प्रतिवेदित परिमाण तथा परिमित परिमाण के बीच का अंतर दो विकल्पी अनुज्ञेय सीमा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, की न्यूनतम सीमा के भीतर है:

खान के ओबीआर की वार्षिक प्रमात्रा	अंतर की अनुज्ञेय सीमा	
	I	II
	%	प्रमात्रा (मि.क्यू.सी.)
1 मि. क्यू. मी. से कम	+/- 5 %	0-03
1 और 5 मि. क्यू. मी. के बीच	+/- 3 %	0-02
5 मि. क्यू. मी. से अधिक	+/- 2 %	शून्य

तथापि, जहां अनुज्ञेय सीमा से, जैसा कि ऊपर दी गई है, अंतर अधिक है, वहां परिमित मात्र पर विचार किया जाएगा।

17.0. पूर्ववर्ती अवधि में किया गया समायोजन एवं पूर्वदत खर्च:

पूर्ववर्ती अवधि में हुए खर्च एवं पूर्वदत्त खर्च से संबंधित आय/व्यय जो प्रत्येक मामले में 0.10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो, उसे वर्तमान वर्ष के लिए आय/ व्यय के रूप में लिया जाता है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

टिप्पणी 34

समाप्त हुए वर्ष 31.03.2014 (टिप्पणी 34) के लेखा के लिए अतिरिक्त टिप्पणियां

1. पृष्ठभूमि

बीसीसीएल एक लोक उपक्रम है, जो कोयला खनन एवं इससे संबंधित गतिविधियों का कार्य करती है। इसके पास कोकिंग कोल का विशाल भंडार है। अपने व्यापक उत्पादन क्षमता से यह देश के लिए अधिकांश कोकिंग कोल की जरूरतों को पूरा करती है। स्टील सेक्टरों के जरूरतों का लगभग 50% प्राइम कोकिंग कोल की आपूर्ति केवल बीसीसीएल से की जाती है। देश में दुर्लभ कोकिंग कोल का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए 16 अक्टूबर, 1971 को भारत सरकार द्वारा सभी कोयला क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया। तदनुसार, झरिया एवं रानीगंज कोलफील्डस में चल रही कोकिंग कोल की खदानों को संचालित करने के लिए 1972 में भारत कोकिंग कोल का गठन किया गया था।

2. लेखा मानकों की प्रासंगिकता

2.1 लेखा नीतियों में परिवर्तन (एस-5)

वर्ष के दौरान, जीवन में तकनीकी उपयोगिता के ह्रास के आधार पर निम्नलिखित परिसंपत्तियों का दर संशोधित कर दिया गया था:

क्रम सं.	परिसंपत्तियां	वर्तमान ह्रास दर (% में)	संशोधित ह्रास दर (% में)
1.	फोटो कॉपी करने वाली मशीन	10.55	23.75
2.	मोबाइल फोन	15.83	31.67
3.	फैक्स मशीन	15.83	31.67
4.	डिजिटल कोडलेस टेलीफोन	15.83	31.67
5.	कंप्यूटर (प्रिंटर एवं स्कैनर सहित)	16.21	31.67

दर में ह्रास होने से उपर्युक्त परिवर्तन के कारण, इस वर्ष लाभ में ₹ 0.31 करोड़ की कमी आई।

राजस्व की स्वीकृति

2.1.1 भूली नगर प्रशासन के किरायेदारों से प्राप्य आवास के किराये का लेखा नकदी आधार पर किया गया है, क्योंकि यह मामला विचाराधीन है।

2.1.2 यदि इस पर, कर प्राधिकरणों से ब्याज सहित कोई वापसी/ समायोजना प्राप्त होता है तो इसका लेखा, अंतिम निर्धारण/ वापसी के आधार पर किया जाएगा।

2.1.3 सरकारी अनुदान का लेखा (एएस-12)- टिप्पणी-8

बीसीसीएल को आग से निपटने तथा बीसीसीएल के पट्टाधारित क्षेत्रों के कोयला धारित/ अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए मास्टर प्लॉन के मद में अनुदान मिलता है। बीसीसीएल, आग से निपटान एवं अपने आवासों में रह रहे लोगों के पुनर्वास हेतु चलाई जा रही परियोजनाओं को लागू करने वाली एक एजेंसी के रूप में काम कर रही है। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण् (जेआरडीए), बीसीसीएल के आवासों में रह रहे लोगों के पुनर्वास हेतु चलाई जा रही परियोजनाओं को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है, जिसमें बीसीसीएल की भूमिका नोडल एजेंसी के रूप में है। इस अनुदान की गणना, अनुदान लेखा के माध्यम से प्राप्त एवं वितरण/ इस्तेमाल/ व्यय के आधार पर किया जाता है। नोडल एजेंसी के रूप में जो निधि प्राप्त होती है अग्रिम के रूप में जेआरडीए को दे दिया जाता है और उक्त अग्रिमों से हुए व्यय की गणना, जेआरडीए द्वारा प्रस्तुत खर्च के विवरण के आधार पर की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इन निधियों को प्राप्त करने में बीसीसीएल द्वारा जो व्यय किया गया है, उसकी गणना वास्तविक व्यय के आधार पर की जाएगी और यही अनुदान प्राप्त करने की लागत है। दिनांक 31.03.2014 को अनुदान लेखा की स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	राशि
दिनांक 01.04.2013 को अप्रयुक्त अनुदान का प्रारंभिक शेष (विभिन्न क्षेत्रों में ₹ 9.21 करोड़ की शेष राशि शामिल है)	98.40
वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त अनुदान	229.72
वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान उपयोजन/ समायोजन	131.23
31.03.2014 को अप्रयुक्त अनुदान का अंत शेष (विभिन्न क्षेत्रों में ₹ 7.56 करोड़ शामिल है)	196.89

दिनांक 31.03.2014 को उपर्युक्त अप्रयुक्त अनुदान ₹ 196.89 करोड़ में से जेआरडीए को दी गई ₹ 152.00 करोड़ अग्रिम राशि को 'अन्य अग्रिम शीर्ष' (टिप्पणी-19) के तहत दिखाया गया है। अप्रयुक्त अनुदान के कुछ बहुत पुराने जमा को सीआइएल/ सीएमपीडीआइएल/ क्षेत्र/ जेआरडीए के साथ मिलान किया जा रहा है।

2.4. कर्मचारियों के लाभ (एएस-15)- टिप्पणी-5, 9 ,24 एवं 25

2.4.1 31.03.2014 को समाप्त अवधि के लिए राजस्व लेखा में दर्ज ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, अर्ध वेतन अवकाश, लाइफ कवर स्कीम, व्यवस्थापन भत्ता, समूह वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना और आश्रितों को दिया जाने वाला मुआवजा, भुगतान की गई राशि एवं सेवानिवृत्त/ मृतक आदि कर्मचारियों को देय राशि तथा 31.03.2014 को बीमांकक प्रमाणन के अनुसार पंजी में दर्ज सभी कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई/ कम हुई देनदारियों, यदि कोई हों, के बराबर हैं।

बीमांकक द्वारा परिगणित श्रमशक्ति तथा 31.03.2014 को भा.को.को.लि. द्वारा प्रतिवेदित श्रमशक्ति में अंतर के लिए उपादान, अर्जित अवकास एवं अर्घवेतन अवकास शीर्षों के तहत 31.03.214 को अनुमानित बीमांकिक देयता को आनुपातिक आधार पर बढ़ाया गया है।

निम्नलिखित शीर्षों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लाभ-हानि खाते में प्रभारित बढ़ी हुई/ कम हुई बीमांकिक देयता तथा 31.03.2014 (यथा आवश्यक सामायोजित) को बीमांकिक देयता निम्नानुसार है:

[₹ करोड़ में]

शीर्ष	*01.01.2013 को आरम्भिक*	*संवर्धित (इंक्रीमेंटल(+)/*	*31.03.2014 को अंतिम*
उपदान (ग्रेच्युटी)	2209.81	(-) 67.72	2142.09
अर्जित अवकाश	387.47	19.86	407.33
अर्ध वेतन अवकाश	58.84	3.62	62.46
एलटीए/ एलटीसी	43.94	3.51	47.45
लाइफ कवर स्कीम	17.80	(-) 3.57	14.23
व्यवस्थापन भत्ता (अधिकारी)	1.09	0.30	1.39
व्यवस्थापन भत्ता (कर्मचारी)	51.20	(-) 4.12	47.08
समग्र व्यैक्ति दुर्घटना बीमा	0.19	(-) 0.04	0.15
पीआरएमबी	103.88	(-) 11.39	92.49
खदान दुर्घटना में मिलने वाले	44.51	(-) 0.89	43.62
कुल	**2918.73**	**(-)60.44**	**2858.29**

2.4.2 बीमांकिक उपदान (एक्चुरियल ग्रेच्युटी) एवं अवकाश नकदीकरण के संबंध में एएस 15 (संशोधित) 2005 के तहत यथा आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:-

क. <u>ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन:</u>

तालिका 1: प्रकटीकरण मद 120 (सी)

दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2014 के अनुसार**	**31.03.2013 के अनुसार**
वर्ष के आरम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2175.37	2119.28
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	174.04	157.56
विगत सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	95.58	94.85
कटौती लागत	0.00	0.00
निपटान मूल्य	0.00	0.00
सुविधाओं के लिए किया गया भुगतान	255.68	299.58
दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	(-) 108.08	103.27
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2081.24	2175.37

तालिका 2: प्रकटीकरण आइटम 120 (ई)

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
वर्ष के आरम्भ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	955.86	0.00
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजना संपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ (रिटर्न)	76.47	0.00
अंशदान	894.73	1252.49
सुविधाओं के लिए किया गया भुगतान	255.68	299.58
दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/ हानि	25.84	2.95
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	1697.22	955.86

तालिका 3: प्रकटीकरण मद 120 (एफ)

वित्त पोषण स्थिति को दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2081.24	2175.37
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	1697.22	955.86
वित्त पोषण स्थिति	(-) 384.02	-1219.51
वर्ष के अंत में गैर-निर्धारित बीमांकिक लाभ / हानि	0.00	0.00
तुलन पत्रमें निर्धारित निवल परिसंपत्ति (देयता)	(-) 384.02	-1219.51

तालिका 4- प्रकटीकरण मद 120 (जी)

लाभ/ हानि विवरणी में मान्य खर्चों को दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
वर्तमान सेवा लागत	95.58	94.85
विगत सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	174.04	157.56
योजना संपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	76.47	0.00
कटौती लागत	0.00	0.00
निपटान लागत	0.00	0.00
वर्ष में मान्य बीमांकिक लाभ / हानि	(-) 133.92	100.32
लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय	59.24	352.73

तालिका 7 - प्रकटीकरण मद 120 (एल)

बीमांकिक मान्यताओं को दर्शानेवाली तालिका

विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
मृत्युदर - सारणी	आईएएलएम (2006-08)यूएलटी	एलआईसीआई 1994-96
सेवानिवृत्ति उम्र	60	60
जल्दी सेवानिवृत्ति और अपंगता	10 प्रति हजार प्रति वर्ष	10 प्रति हजार प्रति वर्ष
रियायती दर	8.50	8.00
मुद्रास्फीति दर	6.25	6.25
संपत्ति पर प्रतिलाभ (रिटर्न)	8.00	8.00
शेष कार्यशील जीवन	12 वर्ष	10 वर्ष
प्रयुक्त फार्मूला	प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट विधि	प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट विधि

तालिका 9 :: प्रकटीकरण मद 120 (एन)

पिछले 4 मूल्यांकन रिकार्ड का सारांश

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
परिभाषित लाभ दायित्व	2209.81	2171.82	1653.52	1565.93
योजना परिसंपत्तियां	955.86	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / घाटा	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना देयताएं पर अनुभव समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00

तालिका 10 :: प्रकटीकरण मद 120 (ओ)

तुलन पत्र में मान्य देयता में बदलाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को	31.03.2013 को
आरम्भिक निवल दायित्व	1219.51	2119.28
ऊपर्युक्तानुसार व्यय	59.24	352.73
अंशदान	894.73	1252.49
अंतिम निवल दायित्व	384.02	1219.51
वर्ष के अंत में अंतिम निधि / प्रावधान	2081.24	2175.37

ख. **अवकाश नकदीकरण लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन (ईएल / एचपीएल).**

तालिका 1 :: प्रकटीकरण मद 120 (सी)

दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31/03/2014 को	31/03/2013 को
वर्ष के आरम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	436.36	326.81
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	34.43	24.01
विगत सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	1.54	14.32
कटौती लागत	0.00	0.00
निपटान लागत	0.00	0.00
सुविधाओं के लिए किया गया भुगतान	62.52	53.19
दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	42.41	124.41
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	452.23	436.36

तालिका 2:: प्रकटीकरण मद 120 (ई)

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका **(लागू नहीं)**

तालिका 3:: प्रकटीकरण मद 120 (एफ)

वित्त पोषण की स्थिति को दर्शानेवाली तालिका **(लागू नहीं)**

तालिका 4 :: प्रकटीकरण मद 120 (जी)

लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय को दर्शानेवाली तालिका

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31/03/2014** को	**31/03/2013** को
वर्तमान सेवा लागत	1.54	14.32
विगत सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	34.43	24.02
योजना संपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	0.00	0.00
कटौती लागत	0.00	0.00
निपटान लागत	0.00	0.00
वर्ष में चिन्हित बीमांकिक लाभ / हानि	42.41	124.41
लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय	78.39	162.74

तालिका 7: प्रकटीकरण मद 120 (एल)

बीमांकिक मान्यताओं को दर्शानेवाली तालिका

विवरण	31. 03. 2014 को	31. 03. 2013 को
मृत्युदर - सारणी	आईएएलएम (2006-08)यूटीआई	एलआईसीआई 994-96
सेवानिवृत्ति उम्र	60	60
जल्दी सेवानिवृत्ति और अपंगता	10 प्रति हजार प्रति वर्ष 45 से अधिक उम्र के 6 29 से 45 के बीच के 3 29 से कम का 1	10 प्रति हजार प्रति वर्ष 45 से अधिक उम्र के 6 29 से 45 के बीच के 3 29 से कम का 1
रियायती दर	8.50	8.00
मुद्रास्फीति दर	6.25	6.25
संपत्ति पर प्रतिलाभ (रिटर्न)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
शेष कार्यशील जीवन	12 वर्ष	10 वर्ष
प्रयुक्य फार्मूला	प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट विधि	प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट विधि

तालिका 9 :: प्रकटीकरण मद 120 (एन)

पिछले 4 मूल्यांकन रिकार्ड का सारांश **(लागू नहीं)**

तालिका 10: प्रकटीकरण 120 (पी)

तुलन-पत्र के मान्य देयता में परिवर्तन **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31/03/2014 को	31/03/2013 को
आरंभिक निवल देयता	0.00	0.00
उपर्युक्त के अनुसार व्यय	78.39	162.74
अंशदान	0.00	0.00
अंतिम निवल देयता	78.39	162.74
वर्षांत में अंतनिधि/ प्रावधान	452.23	436.36

एएस 15 (संशोधित 2005) के परिशिष्ट - बी पर टिप्पणी

चूंकि योजना में निधि नहीं लगाई गई है, इसलिए लाभ/ हानि लेखा पर लगा चार्ज निम्नलिखित अनुमोदनों पर आधारित हैः

1- पिछले दायित्व का प्रावधान अंतिम लेखा तिथि को किया गया।

2- निकासी के लाभ का भुगतान उपर्युक्त प्रावधान के नामे किया गया है।

3- वर्तमान दायित्व का प्रावधान वर्तमान लेखा तिथि को किया जाएगा।

2.5 <u>खंड रिपोर्टिंग: (एस-17)</u>

2.5.1 यह कंपनी मुख्य रूप से एक ही काम करती है यानी कोयले का उत्पादन एवं उसका विक्रय। एएस-17 के आलोक में यह किसी ऐसे काम में संलिप्त नहीं है, जो रिपोर्ट एवं पहचान योग्य हो।

2.5.2 कोई भी प्रत्यक्ष भिन्न भौगोलिक खंड नहीं है, जिसकी बीसीसीएल में अलग से रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता हो, क्योंकि भौगोलिक खंड के रूप में खदानों/ ईकाइयों के विभिन्न स्थानों की पहचान करने के लिए एएस-17 के अनुसार आधारभूत आवश्यकताएं स्वत: मौजूद नहीं है।

2.6 पार्टी से संबंधित प्रकटीकरण (एएस-18)

2.6.1 दूसरे राज्यों के अधीन आने वाली उपक्रमों से पार्टी संबंध से संबंधित राज्य के अधीन आने वाली उपक्रमों को मिली छूट के कारण, एएस-18 के तहत उक्त प्रकटीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

2.6.2 एएस-18 के तहत दिए गए निदेश के आलोक में शीर्ष स्तर के प्रबंधन कर्मियो को भुगतान किये गए पारिश्रमिक आदि से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक		अन्य प्रकार्य निदेशकों को		कुल	
अवधि	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
कुल वेतन	0.26	0.22	0.85	0.80	1.11	1.02
पीएफ एवं एफपीएफ अंशदान	0.03	0.02	0.08	0.08	0.11	0.10
संवानिवृत्ति	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
लाभ						
एलटीसी/ छुट्टी नकदीकरण	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00	0.05
कुल	0.29	0.26	1.03	0.91	1.32	1.17

2.7 पट्टे का लेखांकन (एएस-19)- टिप्पणी-21

2.7.1 दिनांक 18 मार्च 2010 के पट्टे करार के अनुसार, पश्चिमी झरिया क्षेत्र के कैप्टिव पावर प्लांट को मै0 ओएसडी कोक (संघ) प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 6.60 करोड़ प्रति वर्ष (कर सहित) की दर से पट्टे पर दिया गया है, इस राशि को लेखा में दर्ज कर लिया गया है। यह पट्टा 20 साल के लिए वैध है. पट्टे के तहत कथित परिसंपत्ति का विवरण आगे दिया गया है:

[₹ करोड़ में]

क्र.सं.	*विवरण*	*सकल खंड*	*चालू वर्ष में ह्रास*	*चालू वर्ष में हानि*	*31.03.2014 को प्रगामी ह्रास*	*31.03.2013 को प्रगामी हानि*
1	भूमि	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2	बिल्डिंग टाउनशिप	1.28	0.02	0.00	0.43	0.00
3	एन.आर. बिल्डिंग	7.09	0.24	0.00	6.24	0.00

4	रोड / पुलिया, फैक्टरी क्षेत्र	0.27	0.01	0.00	0.19	0.00
5	प्लांट और मशीनरी	46.46	0.00	0.00	18.89	25.25
6	फर्नीचर और फिटिंग	0.03	0.00	0.00	0.02	0.00
7	वाहन अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	एस ओ एच वाहन	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00
9	विकास	37.00	0.00	0.00	12.94	24.06
	कुल	**92.19**	**0.27**	**0.00**	**38.74**	**49.31**

2.7.2 बीसीसीएल ने दामागोरिया रेलवे साइडिंग को मेसर्स मैथन पॉवर लिमिटेड (एमपीएल) को पट्टे पर दिया था, जिसके लिए दिनांक 20.02.2014 को एमपीएल एवं बीसीसीएल (सीवी क्षेत्र के माध्यम से) के बीच दो लाइसेंस दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुआ था- पहला, दिनांक 01.03.2013 से 31.07.2013 तक की अवधि के लिए दामागोरिया साइडिंग को कुल ₹ 0.41 करोड़ के पट्टे के दर पर तथा दूसरा दिनांक 01.08.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए दामागोरिया साइडिंग के दूसरे लाइन को कुल ₹ 0.64 करोड़ के पट्टे के दर पर दिया गया था। तदनुसार, वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 1.05 करोड़ पट्टे का कुल भाड़ा प्राप्त किया गया, जिसका विवरण दिनांक 31.03.2014 को समाप्त लेखा में कर दिया गया है। पट्टे पर दिए गए परिसंपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है:

[₹ करोड़ में]

क्र.सं.	*विवरण*	*सकल खंड*	*चालू वर्ष में ह्रास*	*चालू वर्ष में हुई हानि*	*प्रगामी ह्रास*	*प्रगामी हानि*
1	रेलवे साइडिंग	0.11	0.00	0.00	0.10	0.00

2.8 प्रतिशेयर उपार्जन (एएस-20)- लाभ एवं हानि का विवरण

प्रतिशेयर उपार्जन (EPS) की संगणना 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कर अदायगी के बाद शुद्ध मुनाफे को बकाये इक्वीटी शेयर के भारित औसत नं0 से भाग देकर की जाती है।

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
टैक्स के बाद लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)	1714.35	1498.80
घटायाःअधिमानी शेयरधारकों को आरोप्य लाभ (₹ करोड़ में)	126.95	2.08
इक्वीटी शेयरधारकों को आरोप्य लाभ (₹ करोड़ में)	1587.40	1496.72
मूल एवं विलयकृत ईपीएस के लिए इक्वीटी शेयरों की संख्या (संख्या)	21180000	21180000
इक्वीटी शेयरों का सामान्य मूल्य (₹ करोड़ में)	1000	1000
प्रति शेयर मूल एवं वियकृत उपार्जन (₹ करोड़ में)	749.48	706.66

2.9 आयकर के लिए लेखांकन (एएस -22) टिप्पणी - 9

2.9.1 समूह ग्रेच्युटी बीमा योजना में ₹ 900 करोड़ की राशि निवेश के एवज में लाभ सहित आयकर अधिनियम के प्रावधानों पर विधिवत विचार करने के बाद चालू वर्ष के लिए 31.03.2014 को समाप्त वार्षिक लेखा में आयकर हेतु ₹ 374.66 करोड़ राशि (पिछले वर्ष ₹ 210.26 करोड़) का प्रावधान किया गया है ।

2.9.2 विवेकपूर्ण विचार करने पर, आस्थागत कर (परिसंपत्तियां और देयताएं) को लेखांकन में शामिल नहीं किया गया है, चूंकि मूल्यह्रास और अन्य संगत प्रावधानों आदि के कारण समयांतर का कोई खास कर प्रभाव (tax effect) नहीं है।

2.10 क्षतिपूर्ण घाटा (एएस - 28) टिप्पणी -10

हानि परीक्षण लागू करते समय कंपनी की परिसंपत्तियों को मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

क) भूमि

ख) इमारत

ग) प्लांट एवं मशीनरी तथा एचईएमएम

घ) पूर्वेक्षण, वेधन और विकास.

जमीन के कारण किसी भी क्षतिपूर्ण घाटे पर विचार नहीं किया गया है चूंकि जमीन की कीमत में हमेशा वृद्धि की प्रवृत्ति रहती है तथा समय के साथ भूमि क्षति ग्रस्त नहीं होती है।

इमारतों पर भी यह लागू होता जब तक की यह प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर के किसी कृत्य से क्षतिग्रस्त नहीं होती। इसके अलावा, कोलियरी से जुड़ी हुई झड़ने वाली इमारत का आवश्यक रूप से यह अर्थ कतई नहीं है कि इसने अपना मूल्य खो दिया है, अत: किसी प्रकार की क्षति पर विचार नहीं किया गया है।

प्लांट एवं मशीनरी तथा एचईएमएम के मामले में कीमत में गिरावट की कोई प्रवृत्ति नहीं है तथा ये चल संपत्तियां हैं जिन्हें घाटा उठाने वाली इकाइयों से मुनाफा कमाने वाली इकाइयों में तथा इसके विपरीत स्थानांतरित किया जा सकता है. महज इसीलिए कोई मशीन अप्रचलित/ क्षतिग्रस्त नहीं हो जाती कि यह एक घाटा उठाने वाली इकाई में लगी है। अत: किसी प्रकार की क्षति पर विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि संपत्ति अप्रचलित/ क्षतिग्रस्त नहीं हो जाती।

नकदी निर्माण वाली इकाई में निरंतर नुकसान होने पर केवल पूर्वेक्षण, बोरिंग और विकास खर्च ही प्रथम दृष्टया क्षतिपूर्ण माना जा सकता है बशर्ते कि निकट भविष्य में पुनरुद्धार के कोई संकेत दिखाई न देते हों।

तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लागातार घाटा उठाने वाली खदानों के संदर्भ में परिसंपत्तियों (पूर्वेक्षण, बोरिंग एवं विकास व्यय) की क्षतिपूर्ण हानि की राशि ₹ 56.57 करोड़ रुपये (पिछले साल ₹ 6.79 करोड़ रुपये) लाभ - हानि खाते में प्रभारित की गई है।

2.11

2.11.1 प्रावधान (एएस-29)

क. 31.03.2014 को दीर्घावधि प्रावधान (टिप्पणी संख्या 5, 10 और 12)

दीर्घावधि प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण निम्नलिखित है:

[₹ करोड़ में]

प्रावधान	*आरम्भिक शेष*	*वर्ष के दौरान प्रावधान/ अतिरिक्त*	*वर्ष के दौरान भुगतान/ समायोजन/ प्रतिलेखन*	*अंतिम शेष*
प्रस्तावित लाभांश के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
कॉर्पोरेट लाभांश कर लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
ग्रेच्युटी के लिए	965.54	0.00	(-) 784.72	180.82
अवकाश नकदीकरण के लिए	394.85	22.76	0.00	417.61
कर्मचारी के अन्य लाभों के लिए	364.87	5.48	0.00	370.35
आयकर के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए (बाजार के लिए चिह्नित)	0.00	0.00	0.00	0.00
स्टॉविंग लैग (stowing lag) की लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
ओबीआर समायोजन खाता	41.64	0.00	(-) 99.02	(-) 57.38
खदान बंदी	101.67	0.00	(-) 46.35	55.32
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00
संदिग्ध अग्रिमों और दावों के लिए प्रावधान	6.23	0.00	(-) 5.70	0.53
कार्यगत पूंजी (सी डब्ल्यू आई पी)	31.81	0.00	(-) 2.49	29.32

ख. 31.03.2014 को अल्पावधि प्रावधान (टिप्पणी संख्या 9, 16, 18 और 19)

[₹ करोड़ में]

प्रावधान	*आरम्भिक शेष*	*वर्ष के दौरान अतिरिक्त*	*प्रतिलेखन / वर्ष के दौरान समायोजन*	*अंतिम शेष*
प्रस्तावित लाभांश के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
कॉर्पोरेट लाभांश कर लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
ग्रेच्युटी के लिए	399.59	0.00	(-) 52.89	346.70
अवकाश नकदीकरण के लिए	92.54	3.41	0.00	95.55
कर्मचारी के अन्य लाभों के लिए	484.72	103.71	0.00	588.43
आयकर के लिए	210.26	374.66	210.26	374.66
विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए (बाजार के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00

स्टॉविंग लैग (stowing lag) की लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
ओबीआर समायोजन खाता	0.00	0.00	0.00	0.00
खदान बंदी	0.00	0.00	0.00	0.00
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज	562.26	145.63	186.62	521.27
संदिग्ध अग्रिमों और दावों के लिए प्रावधान	21.43	0.00	(-) 21.08	0.35
कार्यगत पूंजी (सी डब्ल्यू आई पी)	0.00	0.00	0.00	0.00
कोयले के बंद स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	65.68	0.00	(-) 9.76	55.92

सीआइएल के निदेशानुसार, सभी वर्तमान/ नयी खदानों के बंदी व्यय के प्रावधान को, कोयला मंत्रालय द्वारा निर्गत पत्रांक: 55011/1/2009-CPAM दिनांकित 07.01.2013 के निदेशों के आलोक में तैयार किया जाय।

तदनुसार वर्ष **2013-14** के दौरान बीसीसीएल बोर्ड ने 52 नयी एवं वर्तमान चालू खदानों के बंदी हेतु खदान बंदी योजना (एमसीपी) का अनुमोदन कर दिया है। अनुमोदित योजना के आलोक में, वर्ष **2013-14** के दौरान **₹ 54.17** करोड़ का आवश्यक प्रावधान किया गया है। **₹ 54.17** के सुनियोजित राशि को सरकारी प्राधिकारी यथा कोयला नियंत्रक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा इस स्वीकारोक्ति के आधार पर, मातृ खातों के अतिरिक्त 52 संतति स्क्रो खातें खोले गए है और इस समस्त राशि को बैंक के इन संतति खातों में जमा कर दिया गया है। **₹ 47.50** करोड़ के सकल अधिशेष प्रावधान की अभी जरूरत नहीं है, इसलिए वर्ष **2013-14** के दौरान इसे पुन: लेखित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सीआइएल के दिशानिदेश के अनुसार, खदान बंदी प्रावधान एवं स्क्रो खातों का शेष, ब्याज मिलने से **₹ 1.15** करोड़ बढ़ गया है।

2.11.2 ऋण (एएस-29) के रूप में अस्वीकृत दावें

क. <u>आकस्मिक देयताएं:</u>

i. विवादित सांविधिक बकाया एवं अन्य वैधिक विवादित दावे **[₹ करोड़ में]**

विवरण		विवादित प्राकलित राशि	
		चालू वर्ष	*पिछले वर्ष*
क.	आयकर	4.41	0.27
ख.	बिक्री कर	442.25	383.63
ग.	सेवा कर	1.42	1.49
घ.	रॉयल्टी	102.28	102.36
ङ.	अन्य	278.18	294.40
च.	कंपनी के खिलाफ मुकदमे	372.20	370.65
छ.	पंचाट कार्यवाहियां	176.46	157.28

क्षेत्रों के कोयला स्टॉक के कमी पर राजस्व से संबंधित कई प्रमाणन मामले, जिला खनन अधिकारी (D.M.O's) के कार्यालय में प्रमाणन अधिकारी के समक्ष लंबित हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित जिला खनन अधिकारी को

यह निदेश दिया है कि मुद्रास्फीति से हुए कमी, चोरी एवं कोयले उत्पादन की ओवर रिपोर्टिंग आदि के निर्धारण के बाद ही मांगी गयी राजस्व की देय राशि को तय करें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निदेश के आलोक में, प्रमाणन मामले से संबंधित उक्त राशि को डी.एम.ओ. द्वारा अभी संशोधित/ सुनिश्चित नहीं किया गया है। अत: इस लेखा में इसको उपलब्ध नहीं कराया गया है, किंतु उपर्युक्त में दर्शाए गए आकस्मिक देयता में यह विचारित है।

ii. <u>पूर्व के कुस्तौर क्षेत्र से संबंधित दावा</u>

जैसा कि नीचे दिया गया है, दिनांकित 07.05.2014 को संपन्न अपनी बैठक में प्रकार्य निदेशकों के निर्णय के आलोक में, पूर्व के कुस्तौर क्षेत्र से संबंधित ₹ 24.44 करोड़ को पी.बी. क्षेत्र के आकस्मिक देयता से निकाल दिया गया है।

उद्धरण:

" प्रकार्य निदेशकों ने विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति की अनुसंशा को स्वीकार कर लिया है

'उद्धरण: आकस्मिक देयता से संबंधित बिल देय योग्य नहीं है' अउद्धरित।'

अउद्धरित

iii. बैंक गारंटी **[₹ करोड़ में]**

विवरण	**राशि**	
	चालू वर्ष	***पिछले वर्ष***
कंपनी द्वारा जारी	0.35	19.34

iv. अन्य मुद्रा जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है|

<u>ऋण पत्र</u> **[₹ करोड़ में]**

विवरण	**राशि**	
	चालू वर्ष	***पिछले वर्ष***
कंपनी द्वारा प्रदत्त	87.03	0.19

ख. प्रतिबद्धताएं:

(i) पूंजी प्रतिबद्धताएं:- **[₹ करोड़ में]**

विवरण	**राशि**	
	चालू वर्ष	***पिछले वर्ष***
पूंजीगत लेखा के अंतर्गत वैसे करार/संविदा की अनुमानित धनराशि जिसे पूरा करना बाकी है और जो प्रावधानित नहीं है	117.57	202.88

(ii) अन्य प्रतिबद्धताएं: - **[₹ करोड़ में]**

विवरण	**राशि**	
	चालू वर्ष	***पिछले वर्ष***
राजस्व लेखा के अंतर्गत वैसे करार/संविदा की अनुमानित धनराशि जिसे पूरा करना बाकी है और जो प्रावधानित नहीं है	1,864.91	1,540.30

2.11.3 आकस्मिक परिसंपत्तियां

निधि प्रतिभूति के आधार पर ₹ 287.86 करोड़ की बैंक गारंटी और ₹ 80.00 करोड़ का ऋणपत्र प्रतिभूति के रूप में आपूर्तिकर्ता/संविदाकारों/उपभोक्ताओं से कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया है और इसका लेखा नही किया गया है।

3. सांविधिक सूचना

3.1.1 प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, ऑफटेक और अंतिम स्टॉक का विवरण- टिप्पणी-15

[मात्रा लाख टन में और राशि ₹ करोड़ में]

	कच्चा कोयला				धुला हुआ / कंकड-पत्थर मुक्त कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		गैर कोकिंग		कोकिंग		गैर कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारम्भिक स्टॉक (अंकेक्षित)	51.10	449.54	16.72	122.38	1.17	51.94	0.20	2.26	62.34	557.63	131.53	1183.75
घटाया: बिक्री के लिए अनुपयुक्त कोयला	9.78	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.74	0.00
बिक्री योग्य प्रारम्भिक स्टॉक (अंकेक्षित)	**41.32**	**449.54**	**10.76**	**122.38**	**1.17**	**51.94**	**0.20**	**2.26**	**62.34**	**557.63**	**115.79**	**1183.75**
समायोजित प्रारम्भिक स्टॉक (बिक्री योग्य)	**41.32**	**449.54**	**10.76**	**122.38**	**1.17**	**51.94**	**0.20**	**2.26**	**62.34**	**557.63**	**115.79**	**1183.75**
उत्पादन	**301.31**	**7338.16**	**24.83**	**673.52**	**9.53**	**534.50**	**0.00**	**0.00**	**15.83**	**367.28**	**351.50**	**8913.46**
ऑफटेक												
(क) बाहरी प्रेषण (डिस्पैच)	291.45	6729.28	26.11	659.55	9.77	548.33	0.00	0.00	14.95	350.83	342.28	8287.99
(ख) वाशरियों में खपत कोयला	23.74	737.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.74	737.24
(ग) निजी खपत	0.65	20.95	0.05	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.46	2.34	23.14
कुल:ऑफटेक	**315.84**	**7487.47**	**26.16**	**661.28**	**9.77**	**548.33**	**0.00**	**0.00**	**16.59**	**351.29**	**368.36**	**9048.37**
अंतिम स्टॉक	**26.79**	**300.23**	**9.43**	**134.62**	**0.93**	**38.11**	**0.20**	**2.26**	**61.58**	**573.62**	**98.93**	**1048.84**
घटाया : कमी () / अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
अंतिम बिक्री योग्य स्टॉक	**26.79**	**300.23**	**9.43**	**134.62**	**0.93**	**38.11**	**0.20**	**2.26**	**61.58**	**573.64**	**98.93**	**1048.86**

3.2 बरोरा वाशरी (0.37 लाख टन) एवं दुग्धा वाशरी (0.54 लाख टन) वाले गारा (स्लरी) के 0.91 लाख टन (लगभग) भंडार को मालसूची में शामिल नहीं किया गया है, जो वाशरी से सटी निजी भूमि पर पड़ा हुआ है। इसकी वास्तविक मात्रा और गुणवत्ता का आकलन लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार बरोरा वाशरी से 0.047 लाख टन स्लरी को ₹ 1.51 करोड की कुल राशि पर बेच दिया गया, जो संबंधित अवधि (2012-13 और 2013-14) में लेखा में शामिल किया गया है।

3.2.1 निदेशकों का पारिश्रमिक

[₹ करोड़ में]

	चालू वर्ष (31.03.2014)	*पिछले वर्ष (31.03.2013)*
वेतन	1.10	1.02
उपदान	0.10	0.00
भविष्य निधि और परिवार पेंशन कोष अंशदान	0.11	0.10
बैठक शुल्क (अंशकालिक निदेशक)	0.12	0.08

इसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा कंपनी अस्पताल (लों) आदि में नि:शुल्क दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा जैसे अनुलाभ शामिल नहीं है।

3.2.2 निदेशकों को भुगतान किए गए अग्रिम का विवरण

[₹ करोड़ में]

विवरण	*चालू वर्ष (31.03.2014)*	*पिछले वर्ष (31.03.2013)*
निदेशकों पर बकाया धनराशि	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान किसी भी समय निदेशकों पर अग्रिम की बकाया अधिकतम धनराशि.	0.03	0.05

3.2.3 क्लब की सदस्यता:

[₹ करोड़ में]

	चालू वर्ष (31.03.2014)	*पिछले वर्ष (31.03.2013)*
क्लब की सदस्यता	0.00*	0.01

टिप्पणी: * रुपए 44,000/- मात्र

3.3 सीआईएफ आधार पर परिकलित आयात की गई सामग्री का मूल्य:

[₹ करोड़ में]

	चालू वर्ष (31.03.2014)	*पिछले वर्ष (31.03.2013)*
भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुर्जे	0.14	1.49
पूंजीगत माल	119.60	2.65

3.4 विदेशी मुद्राओं में व्यय :

[₹ करोड़ में]

	चालू वर्ष (31.03.2014)	*पिछले वर्ष (31.03.2013)*
यात्रा	0.07	0.00
भंडार सामग्री	1.12	3.39
परामर्श और अन्य	0.00	0.00
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	0.00	0.00

3.5 खपत किए गए कच्चे माल और पुर्जों का मूल्य

[₹ करोड़ में]

	चालू वर्ष (31.03.2014)	*पिछले वर्ष (31.03.2013)*
1. वाशरियों में खपत कच्चा कोयला:		
आयातित	0.00	0.00
स्थानीय	737.24	953.59
2. भंडार सामग्री और अतिरिक्त पुर्जे:		
आयातित	0.00	0.00
स्थानीय	564.08	497.66

4.0 लाभ और हानि का विवरण

4.1 एपेक्स चार्ज: 18 मई, 2012 को हुई सीआइएल बोर्ड की 283 वीं बैठक में [मद संख्या 283:4(एफ) द्वारा] उस समय तक बीआईएफआर से बाहर न आने के कारण बीसीसीएल के एपेक्स चार्ज को माफ कर राहत दी गई।

दिनांक 31.03.2013को बीसीसीएल का नेटवर्थ धनात्मक हो गया और तदनुसार, बोर्ड फ़ॉर इंडस्ट्रियल एंड फाईनेंसियल रिकंस्ट्रक्शन बेंच (मॉनिटरिंग-2) ने कंपनी को SICA/BIFR के दायरे से बाहर कर दिया गया।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए लागू एपेक्स चार्ज कुल रुपए 16.31 करोड़ को सीआईएल दवारा सीआईएल चालू खाता के माध्यम से डेबिट किया गया ।

4.2 बीसीसीएल बोर्ड की दिनांक 04.02.2014 को आयोजित 303वीं बैठक और दिनांक 03.02.2014 को आयोजित 304वीं बैठक में अंकेक्षण समिति की सिफारिश पर देयताओं (टिप्पणी 21) के पुराने/अनलिंक्ड बकाये के पुनर्लेखन और संदिग्ध ऋण व संदिग्ध अग्रिमों (टिप्पणी 29) के प्रावधानों के साथ ही संदिग्ध ऋण व संदिग्ध अग्रिमों आदि (टिप्पणी 29) को बट्टे खाते में डालने को अनुमोदित किया है, जिसे निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है:

[₹ करोड़ में]

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	पुनर्लेखन/बट्टे खाते में डाली गई राशि का ब्रेकअप
1	भुगतान योग्य पुनर्लेखन समेत देयताएं	21	115.24
2	(i) बट्टे खाते में (संदिग्ध ऋण)	30	22.47
	(ii) बट्टे खाते में (संदिग्ध अग्रिम)	30	36.20
3	(i) पुनर्लेखन संबंधी प्रावधान (संदिग्ध ऋण)	29	22.26
	(ii) पुनर्लेखन संबंधी प्रावधान (संदिग्ध अग्रिम)	29	26.75
लाभप्रदता पर कुल सकारात्मक प्रभाव (1-2+3)			**105.58**

उपर्युक्त पुनर्लेखन/बट्टे खाते में डालने को 31.12.2013 को समाप्त अवधि के लिए लेखा में रखा गया है। इसी अनुक्रम में, उपर्युक्त पुनर्लेखित देयताओं में से रुपए 0.27 करोड़ की राशि को विभिन्न पार्टियों को उनके द्वारा किए गए दावे के अनुसार वापस कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, कुल लाभप्रदता रुपए 105.31 करोड़ हो गई।

4.3 पूर्व कुस्तौर क्षेत्र से संबंधित पुटकी बलिहारी की लेखा पुस्तिका में प्रदर्शित देयताओं में से रुपए 5.03 करोड़ की देयता को प्रकार्य निदेशकों की दिनांक 07 मई, 2014 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पुनर्लेखित कर दिया गया है, जिसके संबंध में निम्नलिखित विवरण दिया गया है:

उदधृत

"विस्तृत विचार-विमर्श के बाद प्रकार्य निदेशकों ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली हैं",

उदधृत:...समिति द्वारा विसंगत और अनियमित बिलों को देखा गया और उक्त भुगतान आदेश/बिल भुगतान योग्य नही पाया गया' अनुदधृत।"

अनुदधृत

4.4 पीबी एरिया के अंकेक्षित खातों में प्रदर्शित तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की बाकी 'देयताएं' परीक्षण / जांच के अधीन है साथ ही समान अग्रिम, जमाएँ तथा दावे आदि भी सत्यापन / छानबीन के दायरे में हैं। परीक्षा / जांच / सत्यापन / छानबीन के परिणाम के आधार पर, 'देयताओं' का प्रतिलेखन अथवा भुगतान किया जा सकता है और समान अग्रिमों आदि को समायोजित किया जा सकता है या बट्टे खाते में डाला जा सकता है अथवा प्रावधान के माध्यम से कवर किया जा सकता है। जैसे ही उक्त परीक्षा / जांच / सत्यापन / छानबीन के परिणाम प्राप्त होता है, खातों में इस पर समुचित विचार किया जाएगा।

4.5 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मार्च 2013 में बीआईएफआर से बाहर आया। दिनांक 13 नवंबर 2013 को अपनी 13 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड ने मार्च, 2013 तक ब्याज मुक्त सीआईएल निधि ऋण दिया है। तदनुसार, 31.03.2013 तक सीआईएल निधि ऋण की उपचित ब्याज राशि ₹ 396.64 करोड़ का चालू वर्ष के दौरान प्रतिलेखन किया गया है।

5. विविध

5.1 समूह ग्रेच्युटी बीमा योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ इंप्लाइ ग्रुप ग्रेच्यूटी बीमा योजना अपनाने का निर्णय लिया है और इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ पहले ही समझौता ज्ञापन दर्ज किया जा चुका है। उक्त योजना का प्रबंधन करने के लिए न्यासी के साथ एक न्यास विलेख में शामिल होकर एक कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट का गठन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 31-03-2014 को भारतीय जीवन बीमा निगम के पास बकाया शेष निम्नलिखित है:-

[₹ करोड़ में]

विवरण	राशि
01.04.2013 को आरंभिक शेष	955.86
जोड़े : वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निवेश	900.00
जोड़ें: वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अर्जित ब्याज	99.29
घटाए: वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रभारित	5.27
घटाए: वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान एलआईसी द्वारा जारी ग्रेच्युटी फंड	252.66
31.03.2014 को बकाया शेष	1697.22

5.2 पूर्व मालिक खाते

पूर्व मालिक खाते में वर्तमान शेष राशि ₹ 1.84 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष की शेष राशि ₹ 1.85 करोड़ रु.) राष्ट्रीयकरण से पहले के निजी मालिकों के दावे से संबंधित है। ये दावे न्यायालयाधीन हैं।

5.3 विवादित प्राप्य / देय / डीएलएफ खाता

मधुबन कोल वाशरी द्वारा डीएलएफ़ को (i) रिजेक्ट तथा (ii) स्टार्टअप / बैक-अप / आपातकालीन बिजली की आपूर्ति की लागत के एवज में डीएलएफ से प्राप्तियां है। इसके अलावा डीएलएफ द्वारा स्थापित कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) से मधुबन कोल वाशरी को प्राप्त विद्युत के लिए डीएलएफ को विद्युत ऊर्जा लागत देय है। इस स्तर पर देय / प्राप्य ब्याज का लेखांकन नहीं किया गया है चूंकि रिजेक्ट की कीमत / गुणवत्ता तथा इस विषय में सीपीपी द्वारा कम गारंटी विवाद होने के कारण मामला न्यायालयाधीन (एक मामला धनबाद न्यायालय में और दूसरा विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में) है। हालांकि, 2014/03/31 तक 18% वार्षिक दर से डीएलएफ को देय शुद्ध ब्याज (साधारण) ₹ 19.80 करोड़ बनती है।

6. सामान्य :

6.1 आकलन का प्रयोग:

भारत के अंदर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन को वैसे प्राक्कलनों को तैयार करने एवं पूर्वानुमानों की आवश्यकता है जो परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशि तथा वित्तीय विवरण की तिथि के समय की आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण तथा प्रतिवेदित अवधि के दौरान राजस्व व्यय की राशि को प्रभावित करते हों। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक राशि और प्राक्कलित राशि में यदि कोई अंतर हो, तो, इस प्रकार के प्राक्कलन का कोड पुनरीक्षण उसी अवधि में मान्य होते हैं जिसमें उसे निर्धारित किया गया है।

6.2 विक्रय कर, रॉयल्टी, उपकर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, टीडीएस के विलंब भुगतान पर लगे ब्याज तथा अन्य सांविधिक करों आदि के लिए अतिरिक्त देयता, यदि हो, तो जिम्मेवारी तब मानी जाएगी जब कभी सभी तरह से मूल्यांकन पूरा कर लिया गया हो एवं अपील का मामला यदि हो, तो उसका पूरी तरह से निपटारा कर लिया गया हो।

6.3 प्राप्त हुए विधिक मत के अनुसार कंपनी सीआइएल की अन्य अनुषंगी कंपनियों को/ से हस्तांतरित भंडार/ उपकरण,यदि कोई है, के लिए किसी भी प्रकार के "बिक्री कर" का भुगतान अथवा चार्ज नहीं करती है।

6.4 सक्षम प्राधिकारी के प्रशासनिक आदेश के अनुसार जून, 2013 को समाप्त तिमाही से परियोजना एवं योजना, सिविल इंजीनियरिंग विभाग और वाशरी निर्माण विभाग लेखा का मिलान भुगतान कार्यालय के साथ कर दिया गया है।

6.5 कंपनी ने माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 के तहत छोटे एवं मध्यम दर्जे के उद्यमों को बिलंब भुगतान पर ब्याज संबंधी आवश्यक प्रावधानों के अनुसार माइक्रो तथा छोटे, मध्यम उद्यम के रूप में अपनी स्थिति का दावा करते हुए माइक्रो, स्माल एण्ड मेडियम इंटरप्राइजेज एक्ट के तहत माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के पास दायर करने हेतु यथा आवश्यक कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं किया गया।

6.6 निम्नलिखित विषयों पर कुछ अतिरिक्त टिप्पणियां उनके सामने दी गई प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ प्रदर्शित की गईं:

	विषय	टिप्पणी संख्या
1.	सांविधिक बकाए: बिक्री कर/वैट और बाजार शुल्क	टिप्पणी-8
2.	स्थाई परिसंपत्तियां और पूंजीगत WIP	टिप्पणी -10
3.	इनवेंट्री	टिप्पणी -15
4.	नकद एवं बैंक शेष: बैंक में फिक्स डिपाजिट	टिप्पणी -17
5.	ऋण एवं अग्रिम : सांविधिक बकाए	टिप्पणी -18
6.	अन्य चालू परिसंपत्तियां: BSEB को अग्रिम	टिप्पणी -19
7.	परिचालन से राजस्व: बिक्री एवं गुणता कटौती समायोजन	टिप्पणी -20
8.	कल्याण व्यय: सीएसआर व्यय	टिप्पणी -25

6.7 व्यावसायिक प्राप्तियों के साथ शेष समाधान नियमित अंतराल पर किया जाता है। "शेष पुष्टि" के लिए सभी भुगतान योग्य व्यवसायिक पार्टी लेखा, पार्टियों को अग्रिम के लिए पत्र जारी किए जाते हैं लेकिन कुछ ही मामलों में पार्टियों से प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं।

6.8 पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वहां पुनर्व्यवस्थित तथा 'पुनर्समूहित' किया गया है जहां चालू वर्ष के आंकड़ों के समरूप करने की आवश्यकता पड़ी है।

6.9 बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों/इकाइयों द्वारा अधिकांश देयताओं और अग्रिम तथा जमा आदि के संबंध में सामान्य बही के साथ सहायक बही का समाधान पूर्ण कर लिया गया है और इनके अंतर को वर्ष 2013-14 के लेखा में भलिभांति प्रदर्शित किया गया है। यद्यपि, कुछ क्षेत्रों (जैसे सिजुआ और कतरास) में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिभूति जमा और बयाना राशि के समाधान को पूर्ण नही किया जा सका। समाधान पूर्ण होने के पश्चात, यदि किसी अंतर का पता चलता है, तो, इसे अगले वित्तीय वर्ष के लेखा में भलीभांति लिया जाएगा।

6.10 वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ क्षेत्रों (जैसे पूर्वी झरिया और वाशरी डिवीजन) में स्टोर बही और बिन कार्ड के अंतर का समाधान/समायोजन पूर्ण नही किया जा सका। समाधान पूर्ण होने के पश्चात, यदि किसी अंतर का पता चलता है, तो, इसे अगले वित्तीय वर्ष के लेखा में भलीभांति लिया जाएगा।

6.11 1 से 32 तक सभी टिप्पणियां, लेखा नीतियां (टिप्पणी-33) तथा अनुपूरक लेखा टिप्पणियां (टिप्पणी-34) लेखा के अभिन्न भाग हैं।

(बी. के. पारुई)
कंपनी सचिव

(ए गंगोपाध्याय)
महाप्रबंधक (वित्त)/प्रभारी

(अमिताभ साहा)
निदेशक (वित्त)

(टी. के. लाहिड़ी)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान: धनबाद
दिनांक: 24.05.2014

फार्म सं. एमजीटी – 9

31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के
वार्षिक विवरणी का सार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) विनियम, 2014 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i)	सीआइएन	:-	U10101JH1972GOI000918
ii)	पंजीकरण की तिथि	:-	01.01.1972
iii)	कंपनी का नाम	:-	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी / उप श्रेणी	:-	
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क के लिए विवरण	:-	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद (झारखंड) - 826005
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है। हां/नहीं	:-	नहीं
vii)	पंजीयक तथा स्थानांतरण एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता एवं संपर्क के लिए विवरण	:-	आरओसी, रांची (झारखंड)

II. कंपनी के मुख्य व्यावसायिक कार्यकलाप

कंपनी के कुल टर्न-ओवर में 10% या अधिक का योगदान करने वाले सभी व्यावसायिक कार्य-कलाप का उल्लेख किया जाएगा:-

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद एवं सेवाओं के नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआइ सीकोड	कंपनी के कुल टर्न-ओवर में योगदान का %
1	कोयला एवं उसके अन्य उत्पादों का उत्पादन एवं बिक्री	100.00	100
2			
3			

III. धारक, अनुषंगी तथा सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआइएन/जीएलएन	होल्डिंग/ अनुषंगी/ सहयोगी	शेयरों का %	लागू धारा
1	कोल इंडिया लिमिटेड 10 एनएस रोड, कोलकाता-700001	सीआइएन-L23109WB1973GOI028844	नियंत्रक (होल्डिंग)	100	2(46)
2					

IV. शेयर होल्डिंग का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विघटन)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयर धारको की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन (%)
	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	

क. समर्थक/ प्रोत्साहक (प्रोमोटर)									
(1). भारतीय									
छ) व्यक्तिगत/ एचयूएफ									
ज) केंद्रीय सरकार	-	21180000	21180000	100		21180000	21180000	100	-
झ)राज्य सरकार (सरकारें)									
ञ) कारपोरेट निकाय	-								
ट) बैंक/ एफआइ									
ठ) कोइ अन्य									
उप-योग **(क) (1):-**	-	21180000	21180000	100		21180000	21180000	100	-
2. विदेशी									
क) एनआरआइ-व्यक्तिगत									
ख) अन्य – व्यक्तिगत									
ग) कारपोरेट निकाय									
घ) बैंक/ एफआइ									
ड) अन्य कोई									
उप-योग **(क) (2)**									
प्रोत्साहक के कुल शेयर होल्डिंग (क) = (क)(1)+(क) (2)	-	21180000	21180000	100		21180000	21180000	100	-
ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग									
1. **संस्थाएं**									
क)म्यूचुअल फंड									
ख) बैंक/ एफआइ									
ग) केंद्रीय सरकार									
घ) राज्य सरकार (सरकारें)									
ड)वेंचर कैपिटल									

फंड									
च) बीमा कंपनियां									
छ)एफआइआइ									
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
झ) अन्य (उललेख करें)									
उप-योग (ख) (1):-									
2 **गैर-संस्थाएं**									
क) कारपोरेट निकाय									
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
ख) वैयक्तिक									
i) ₹ 1 लाख तक सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ii) ₹ 1 लाख से अधिक सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ग) अन्य (उललेख करें)									
उप-योग (ख) (2) :-									
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग- (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)									
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिभावक द्वारा लिए गए शेयर									
कुल योग (क+ख+ग)									

(ii) प्रोत्साहक की शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों पर प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों पर प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में % परिवर्तन

1								
2								
3								
	कुल							

(iii) प्रोत्साहक के शेयर होल्डिंग में परिर्वन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया उल्लेख करें)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में				
	वृद्धि / ह्रास के कारणें का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोत्साहन के शेयर होल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/ ह्रास (यथा आवंटन/अंतरण/ लाभांश/स्वेट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में				

(iv) दस शेयर धारकों में से श्रेष्ठ दस शेयर धारकों का शेयर होल्डिंग पैटर्न (निदेशकों, प्रोत्साहकों एवं जीडीआर व एडीआर के धारकों को छोड़कर)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
	श्रेष्ठ दस शेयर होल्डिंरों में प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में				
	वृद्धि / ह्रास के कारणें का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोत्साहन के शेयर होल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/ ह्रास (यथा आवंटन/अंतरण/ लाभांश/स्वेट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथककरण की तिथि को यदि वष्र के दौरान पृथक किया गया हो)				

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियिों की शेयर होल्डिंग:

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		संचित शेयर होल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ				
	वृद्धि / ह्रास के कारणें का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोत्साहन के शेयर होल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/ ह्रास (यथा आवंटन/अंतरण/ लाभांश/स्वेट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में				

(v) ऋणगस्तता

बकाया / उपर्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणगस्तता, किंतु भुगतान के लिए बाकी नहीं है:

	जमा को छोड़कर आरक्षित ऋण	अनारक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋण ग्रस्तता				
i) मूलधन राशि		**10987000000**		**10987000000**
ii) बाकी ब्याज, किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया		-		-
iii) उपार्जित ब्याज किंतु जो बाकी नहीं है		-		-
कुल (i + ii + iii)		**10987000000**		**10987000000**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में परिवर्तन				
• व़द्धि / परिवर्धन				
• कमी / कटौती		**5889100000**		**5889100000**
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण ग्रस्तता				
i) मूलधन राशि		**5097900000**		**5097900000**
ii) भुगतान नहीं किया गया बाकी ब्याज		-		-
iii) उपार्जित ब्याज, किंतु जो बाकी नहीं है		-		-
कुल (i + ii + iii)		**5097900000**		**5097900000**

(vi) निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियोंका मानदेय

क. प्रबंध निदेशक,पूर्णकालिक निदेशकों और / अथवा प्रबंधक को मानदेय:

क्र.सं.	मानदेय का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
		श्री डी. सी. झा	श्री अमिताभ साहा	श्री ए. सरकार	श्री बी. के. पंडा		
1.	कुल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	1691149	1919128	2003874	256750		5870901
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	350862	344726	350862	50050		1096500
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ						
2.	स्टॉक विकल्प						
3.	स्वेट इक्विटी						

4.	कमिशन						
	- लाभ का %						
	- अन्य						
	- उल्लेख करें						
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें						
	कुल (क)	**2042012**	**2263854**	**2354736**	**306800**		**6967402**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा						

ख. अन्य निदेशकों को मानदेय:

क्र.सं.	मानदेय का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
	3. स्वतंत्र निदेशक	श्री पॉल जोसेफ	श्री बी.बी. बिस्वाल	श्री बी. रमेश कुमार	श्री एस.बी. दस्तिदार	श्री पी. आर. मंडल	
	• बोर्ड कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	213384	191012	258428	213484	146068	1022376
	• कमिशन	-	-	-	-	-	-
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	**213384**	**191012**	**258428**	**213484**	**146068**	**1022376**
	4. अन्य गैर-अधिकारी निदेशक						
	• बोर्ड कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क						
	• कमिशन						
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें						
	कुल (2)						
	(ख) = (1+2)	**213384**	**191012**	**258428**	**213484**	**146068**	**1022376**
	कुल प्रबंधकीय मानदेय						
	अधिनियम के अनुसार समस्त अधितम सीमा						

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावे अन्य प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों के मानदेय

क्र.सं.	मानदेय का विवरण	प्रमंख प्रबंधकीय आयकर			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीईओ	कुल
1.	कुल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	2184803	1370185		
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	388513	280977		
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ				
2.	स्टॉक विकल्प				
3.	स्वेट इक्विटी				
4.	कमिशन - लाभ % के रूप में कर्मिशन - अन्य कमिशन				
	कुल	**2573316**	**1651162**		

(viii). अपराधों के लिए आर्थिक दंड / सजा / क्षमा करना:

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त वर्णन	आर्थिक दंड/ सजा/ लगाए गए शुल्क की माफी	प्राधिकार (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय	की गई अपील यदि कोई हो, (विवरण दें)
क. कंपनी					
आर्थिक दंड					
सजा					
क्षमा					
ख. निदेशक					
आर्थिक दंड					
सजा					
क्षमा					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
आर्थिक दंड					
सजा					
क्षमा					

वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के तहत कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	वर्ष में अनुभव	कंपनी में नियोजन की शुरूआत	वेतन	अन्य लाभ	पूर्व नियोजन में पद	नियोजन की प्रकृति
शून्य									